द्वादश माला, खंड 8, अंक 3

बुधवार, 24 फरवरी, 1999
5 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री वाई० के० अबरोल
वरिष्ठ सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे० एस० वत्स
सम्पादक

श्री एस० डी० धमीजा
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सम्पादक

श्री पीयूषचन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

द्वादश माला, खंड–7, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)
अंक 3, बुधवार, 24 फरवरी, 1999/5 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	21 से 23	1–23
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	24 से 40	23–53
अतारांकित प्रश्न संख्या	233 से 367...	53–232
सभा पटल पर रखे गए पत्र		233–234
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन		234
पहला प्रतिवेदन		
रेल अभिसमय समिति		234
दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश		
वित्त संबंधी स्थायी समिति		234
तेरहवां प्रतिवेदन		
नियम 377 के अधीन मामले		259–267
(एक) बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा असर डालने वाले "शक्तिमान" तथा अन्य ऐसे धारावाहिकों/विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाने की आवश्यकता		
श्री अशोक प्रधान	...	259
(दो) महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में हुई बेमौसम ओलावृष्टि के कारण विभिन्न फसलों को पहुंची क्षति का आंकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने तथा किसानों को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त निधियां जारी कराने की आवश्यकता		
श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल		260
(तीन) इंडियन एयर–लाइंस की उड़ानें अंतिम समय में रद्द नहीं हों, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता		
श्री के. एस. राव	... ...	260–261

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(चार) पश्चिमी राजस्थान के पिछड़े इलाकों के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता	
कर्नल (रिटायर्ड) सोनाराम चौधरी	261
(पांच) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजस्थान को खाद्यान्नों का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता	
श्री भेरूलाल मीणा	261–262
(छह) दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों के कैप्टिव पावर प्लांटस् पर संयुक्त उद्यम संबंधी प्रस्ताव को वापस लेने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	262–263
(सात) बलरामपुर संसदीय क्षेत्र में उतरौला–तुलसीपुर राजमार्ग पर राप्ती नदी के ऊपर पिपराघाट में पक्के पुल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री रिजवान जहीर खां	263
(आठ) तमिलनाडु में कुड्डालोर पत्तन को महापत्तन के रूप में घोषित करने की आवश्यकता	
श्री एम. सी. दामोदरन ...	263–264
(नौ) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले किसानों को सहायता देने के लिए किसान कल्याण कोष की स्थापना करने की आवश्यकता	
प्रो. अजित कुमार मेहता...	264–265
(दस) मुम्बई, महाराष्ट्र में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यालय में कतिपय मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	265–266
(ग्यारह) दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने की आवश्यकता	
श्री कृष्ण लाल शर्मा	266
(बारह) गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में सी. जी. एच. एस. औषधालय खोलने की आवश्यकता	
डा. रमेश चन्द तोमर	266–267
गोवा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	267–328
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	267–270, 326–328
श्री के. एस. राव	271–276
श्री सत्य पाल जैन	276–279

विषय	कॉलम

श्री मोहन सिंह	280–282
श्री उत्तम सिंह पवार	282–283
श्री सुरेश कुरूप	283–284
श्री अनंत गंगाराम गीते ...	284–288
श्री अजय चक्रवर्ती	289–290
श्री खारबेल स्वाईं	290–294
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन	294–296
श्री सी. गोपाल	296–297
डॉ. विजय सोनकर शास्त्री	298–300
श्री लालू प्रसाद	300–315
डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया	315–316
प्रो. जोगेन्द्र कवाडे	316–320
श्री चेतन चौहान	320–321
श्री राम नगीना मिश्र	321–323
श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी	323–324
श्री शैलेन्द्र कुमार ...	324
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया ...	324–325

कार्य मंत्रणा समिति

नौवां प्रतिवेदन	325

लोक सभा

बुधवार, 24 फरवरी, 1999/5 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, राष्ट्र हित में प्रश्न संख्या 32 अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 32 लेना चाहिए। यह श्री प्रभाकरण के प्रत्यार्पण के बारे में है। कांग्रेस दल शायद इसके बारे में भूल गया है।

अध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न संख्या 21 ले रहे हैं।

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना

***21. श्री एम. सेल्वारासु** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1996–97 के दौरान फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक वास्तविक रूप से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन धान उत्पादकों की क्षतिपूर्ति करने का है जिनकी फसलें वर्ष 1996–97 में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) व्यापक फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1996–97 के दौरान 11043.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। इसमें से सरकार ने 11042.00 लाख रुपये की निधियां जारी की हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1996–97 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप धान की फसल खराब हो जाने के कारण उत्पन्न 15032.32 लाख रुपये तक के क्षतिपूर्ति दावों का निपटान पहले ही किया जा चुका है। निपटान किए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

राज्य	भुगतान किए गए दावे (लाख रुपये)
आंध्र प्रदेश	6666.11
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01
असम	1.99
बिहार	161.94
गोआ	0.06
गुजरात	202.46
कर्नाटक	406.04
केरल	202.40
मध्य प्रदेश	914.46
महाराष्ट्र	499.93
मेघालय	1.48
उड़ीसा	4449.21
पांडिचेरी	4.79
तमिलनाडु	1406.48
पश्चिम बंगाल	114.96
कुल	15032.32

श्री एम. सेल्वारासु : महोदय संयुक्त मोर्चा सरकार के शासनकाल के दौरान वर्ष 1996–97 और 1997–98 के लिए व्यापक फसल बीमा योजना लागू की गई थी। योजना के अंतर्गत सहकारी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों से प्रीमियम राशि एकत्र की जाती थी। किसानों ने प्रीमियम का भुगतान सहकारी व राष्ट्रीयकृत बैंकों को किया, जिसे बैंकों ने बीमा कंपनियों को भेज दिया। किंतु आज

तक किसानों के बीमा दावों का निबटान नहीं किया गया है। वर्तमान स्थिति यह है। अतः मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्रालय ने कोई कार्रवाई की है।

श्री सोमपाल : महोदय, माननीय सदस्य, व्यापक फसल बीमा योजना के बारे में ठीक कह रहे हैं कि केवल उन किसानों द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया गया है जिन्होंने 10,000 रुपये तक के ऋण लिए थे और तत्पश्चात् राज्यों द्वारा दावे फाइल किए गए। जैसे कि सूचना दी गई है कि 15,032.32 लाख रुपये के दावों का निपटान वर्ष 1997–98 के दौरान किया जा चुका है। अब कोई दावा लंबित नहीं है उन सभी दावों का भुगतान किया जा चुका है जिनका निपटान राज्यों के साथ किया गया था।

श्री एम. सेल्वारासु : वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन में विलंब के कारण, किसानों द्वारा लिए गए सहकारी ऋण में वृद्धि हुई है जो कि पूंजी पर ब्याज तथा दण्ड स्वरूप ब्याज में वृद्धि के कारण हुआ। यह किसानों पर एक बोझ है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को सहकारी ऋण माफ करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री सोमपाल : प्रश्न बीमा दावों के बारे में है। माननीय सदस्य ऋण माफी के बारे में जानना चाहते हैं। यह प्रश्न की परिधि में नहीं आता है। ....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, इस सरकार ने गत अप्रैल, अर्थात् एक वर्ष पूर्व कार्यभार ग्रहण किया था। मुझे नहीं मालूम कि यह एक शुभ संकेत है अथवा अशुभ संकेत किंतु जैसे ही इस सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया पूर्वी तट कलकत्ता तथा पश्चिमी तट गुजरात में चक्रवात का प्रकोप रहा। हम माननीय मंत्री महोदय को एकेजमिक कृषि मंत्री कह सकते हैं। श्री सोमपाल जी ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि व्यापक फसल बीमा योजना में फेरबदल किया जाएगा और यह हमारे समझ में दो अथवा तीन महीने में आ जाएगा। अब लगभग एक वर्ष बीत चुका है और हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया था कि यह ऋण न लेने वालों के लिए भी होगी, यह सभी फसलों के लिए होगी, इकाई में परिवर्तन किया जाएगा और प्रीमियम भी तकनीकी रूप से निर्धारित किया जाएगा।

महोदय, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि क्षतिपूर्ति प्रणाली में भी परिवर्तन किया जाएगा। उस संशोधित व्यापक फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं जिसे अपनाकर सदन तथा देश किस प्रकार लाभान्वित होगा। इस बारे में सरकार क्या सोच रही है? क्या सामान्य बीमा की भांति निजी अनुबंध वाले लोगों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जा रहा है? सीमांत और छोटे किसानों के प्रीमियम का क्या होगा? यह कुछ बातें लोग स्वाभाविक रूप से जानना चाहते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से इस संशोधित व्यापक फसल बीमा योजना की विशेषताओं के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रेड्डी जी की यह बात ठीक है कि हम संशोधित फसल बीमा योजना लाने के बारे में सोच रहे हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों संबंधी विभाग के बीमा प्रभाग, भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा अनेक अभिकरणों और राज्य सरकारों से पहले ही विचार विमर्श हो चुका है। विषय पर व्यापक चर्चा के लिए एक कार्यशाला 12 दिसम्बर 1998 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। फिर एक छोटा दल बनाया गया जिसमें नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, भारतीय बैंक संगठन, साधारण बीमा निगम, कृषि सहकारिता विभाग और आर्थिक मामलों के बीमा विभाग सम्मिलित थे। इस दल ने सिफारिश की है कि प्रस्तावित संशोधित फसल बीमा योजना में ऐसी कुछ विशेषतायें हो सकती हैं, जो वर्तमान सी सी आई एस अथवा ई सी आई एस के अंतर्गत नहीं थी।

प्रस्तावित विशेषताएं यह हैं कि इसमें सभी किसानों–ऋण धारी और गैर ऋण धारी को शामिल करना चाहिये। यह योजना सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों में कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध हो। क्षतिपूर्ति का स्तर अर्थात् 60 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत, का निर्णय कार्यान्वयन करने वाले राज्य को करना चाहिये।

योजना राज्यों के साथ ही संघ शासित प्रदेशों में भी स्वैच्छिक होनी चाहिये। जो भी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश इसे अपनाना चाहे, अपना सकते हैं। तत्पश्चात् यह दो घटकों की पहचान करेगी। एक किसान का ऋणधारी घटक है। ऋणधारियों के लिये यह अनिवार्य किया जायेगा और गैर ऋणधारियों के लिये यह वैकल्पिक अथवा स्वैच्छिक रखी जायेगी। फिर व्यापक फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल फसल के साथ ही वाणिज्यिक फसलें, बागवानी फसलें जैसी फसलें भी शामिल की जानी चाहिये किंतु केवल वे ही जिनके बारे में फसल आंकड़े उपलब्ध हैं। भविष्य में शामिल की जाने वाली अन्य फसलों के लिये आंकड़े जुटाये जायेंगे। फिर वास्तविकता दर्शाने के लिये यह किसानों द्वारा भुगतान किये गये प्रीमियम पर आधारित होगा।

जहां तक सीमांत और लघु किसानों का प्रश्न है, उन्हें रियायती प्रमार का भुगतान करने को कहा जायेगा और अंतर का भुगतान राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात् योजना का कार्यान्वयन करने के लिये एक पृथक निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम के सहायक के रूप में स्थापित किये जाने का विचार है और यह नौवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव में शामिल किया जा रहा है। फिर एन सी सी आई मल्टी फेरल योजना होगी और इसमें ओला वृष्टि भूमि धंसाव जैसी स्थानीय आपदाओं सहित सभी आपदायें को शामिल होगी। तथापि, युद्ध और परमाणु जोखिमों और दुर्भावना से किए गये कार्यों से उत्पन्न ऋणों के बाहर रखा जायेगा।

जैसा कि मैंने कहा है, एक पृथक कार्यान्वयन एजेंसी अभी स्थापित की जानी है। यह प्रीमियम उन जोखिमों पर निर्भर करेगा, जो किसी फसल अथवा क्षेत्र में हैं। इसका राज्यों और इन एजेंसियों के परामर्श से निर्णय लिया जायेगा। सीमांत और लघु किसानों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान राज्यों और केन्द्र के द्वारा 1:1 के अनुपात में होगा और योजना के कार्यान्वयन के व्ययों के प्रबंधन का निर्णय सरकार और राज्यों के परामर्श से किया जायेगा।

अतः ये आधारभूत रूपाव्यकता है। किंतु बहुत से अन्य विवरण भी हैं, जिनमें समय के अभाव के कारण मैं नहीं जाना चाहता। ... ..*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : किंतु एक साल बीत चुका है। आप इसे कब कार्यान्वित करने जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री सोमपाल जी ने अभी कहा कि सीमांत और लघु किसानों के लिये प्रीमियम का भुगतान राज्यों और केन्द्र के द्वारा 1:1 के अनुपात में किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक शामिल जोखिम कारक का प्रश्न है राज्यो और केन्द्र के मध्य क्या अनुपात है।

दूसरा मुद्दा यह है कि संयुक्त मोर्चा सरकार में अनुपात 80:20 था। प्रीमियम के साथ ही जोखिम पूंजी के लिये निवेश हेतु अच्छा था। मंत्री जी ने कहा कि फसल बीमा हेतु एक पृथक बीमा निगम स्थापित करने का विचार है और कि इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, ऐसा लगता है। उस समय तक यह देखने के लिये कार्य करने का तरीका कौन सा है कि कृषक को फसल बीमा दिया गया है।

श्री सोमपाल : नई योजना खरीफ 1999 से उपलब्ध करवाई जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है और तब तक सी सी आई एस लागू रहेगी।

[हिन्दी]

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस वक्त क्राप इंश्योरेंस स्कीम को मोडिफाई करने जा रही है, आप इसे मोडिफाई करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें इंडिविजुअल किसान कवर होगा? इस समय आपकी स्कीम के तहत हर ब्लाक में नुकसान होने से कुछ परसेंटज मिलता है। आप किसान के घर में पैदा हुये है, मैंने भी किसान के घर में जन्म लिया है। इसलिये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इस मोडिफाइड स्कीम में इंडिविजुअल किसान कवर होना चाहिये। यदि कवर होगा तो प्रीमियम क्या होगा? मैं माननीय मंत्री जी से ये दो बातें जानना चाहता हूं।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय भजन लाल श्री किसान है, इसमें कोई शंका नहीं है। वे एक महत्वपूर्ण राज्य हरियाणा के बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं जिसकी कृषि उत्पादन में अहम भूमिका रही है। आपने सुझाव दिया कि किसान को इकाई मानकर उसको क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया जाये, यही बात विचारणीय है। जहां तक पुरानी योजना के संबंध में आपकी टिप्पणी का प्रश्न है, वह पंचायत लैवल, ब्लाक या ताल्लुका स्तर पर हो, उसके उत्पादन औसत के आंकलन करने की बात है, वह क्राप कटिंग एक्सपैरिमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। यह छूट राज्यों को दी गई है कि वे उसमें ब्लाक या ताल्लुका को इकाई माने या गांव को मानें?

श्री भजनलाल : यह गांव होना चाहिये।

श्री सोमपाल : आप मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये, संभवतः आप संतुष्ट हो जायेंगे। मैं कह रहा हूं कि अंततोगत्वा किसको इकाई माना जाये, यह राज्यों की अपनी प्रशासनिक क्षमता और उनके अपने संसाधनों पर निर्भर करेगा। हम चाहेंगे कि गांव को इकाई माना जाये। क्षतिपूर्ति के लिये किसान को इकाई माना जायेगा तथा उसी से उसका प्रीमियम लिया जायेगा।

श्री भजनलाल : प्रीमियम क्या होगा?

श्री सोमपाल : मैंने पहले भी कहा है कि प्रीमियम फसल और क्षेत्र के अनुसार निश्चित होगा।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं। श्री भजन लाल जी किसानों के नेता हैं। इन्होंने हल चलाया है, लेकिन मंत्री जी कब से किसान हो गये। इन्होंने तो कभी हल नहीं चलाया।

[अनुवाद]

श्री पी. शंकरन : गत वर्ष आयी विनाशकारी बाढ़ ने केरल की नकदी फसल और बागान फसल सहित खडी फसलों को नष्ट किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सभा में आश्वासन देगी कि केरल की फसलों को फसल बीमा के अंतर्गत लाया जायेगा।

श्री सोमपाल : मैंने पहले ही कहा था कि अभी बागवानी फसलें और रोपण फसलें बीमा योजनाओं के अंतर्गत नहीं लाई गई हैं। अर्थात् संशोधित फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों को लाने का प्रस्ताव है किंतु केवल उन्हीं फसलों को जिनके संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं। जिनके संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं हम आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि भविष्य में जितनी जल्दी हो सके, हम उन्हें शामिल कर सकें। अभी मैं यह नहीं कह सकता।

श्री पी. शंकरन : केरल में सभी फसलों के लिये आंकड़े उपलब्ध हैं।

श्री सोमपाल : अन्ततः विचार सभी फसलों को शामिल करने का है। किंतु बाधा यह है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और यदि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो हम आंकड़े इकट्ठे करवायेंगे।

श्री पी. शंकरन : मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने फसलों संबंधी आंकड़े दिये हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में दर्शाया है कि 15 राज्यों में 15032.32 लाख रुपये आबंटित किये गये थे लेकिन यह नहीं बताया कि किन–किन राज्यों से कितनी मांग केन्द्र सरकार के पास आई थी। सरकार ने कितनी–कितनी राशि उन राज्यों को दी और विशेषकर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिये राज्य सरकार की ओर से माग भी ज्यादा की गई थी लेकिन उसे 914.46 लाख रुपया दिया गया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही उस विवरण में उपलब्ध है जो मंत्री महोदय ने दिया आप विवरण देख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं कि जो डिमांड की गई थी, मंत्री जी ने उसकी जानकारी नहीं दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी डिमांड थी और उसके बदले कितनी राशि दी गई है? अगर मंत्री महोदय राज्यवार नहीं बता सकते हैं तो टोटल ही बता दें और मध्य प्रदेश की जानकारी अलग से दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो राशि दी गई है, वह हास्यास्पद है। प्रधान मंत्री जी मध्य प्रदेश आये थे, हमने उनसे आग्रह किया था।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, क्षतिपूर्ति की राशि इस स्टेटमेंट में दी गई है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है। जब इन दावों का निपटान किया जाता है तो जितने दावे होते हैं वे सब जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन और स्टेट्स के बीच बैठकर किये जाते हैं और निश्चित रूप से उसमें कुछ अंतर रहता है। यह विवरण अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन जो विवरण दिया गया है, वह स्टेटमेंट में है।

[हिन्दी]

फसल सुरक्षा योजना

***22. श्री रामपाल सिंह :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रमों को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फसल सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन से कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा फसल सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। भारत सरकार फसल सुरक्षा के उपाय के रूप में निम्नलिखित पांच केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

1. समेकित कृमि प्रबंध
2. टिड्डी नियंत्रण और अनुसंधान
3. कीटनाशी अधिनियम, 1968 का कार्यान्वयन
4. भारत में पादप संगरोध सुविधाओं का विस्तार
5. पादप संरक्षण में प्रशिक्षण

पादप सुरक्षा पर सरकार की नीति का मुख्य आधार समेकित कृमि प्रबंध है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सांस्कृतिक और यांत्रिक पद्धतियों को अपनाना, जैव वैज्ञानिक नियंत्रण एजेंटों का संरक्षण एवं वृद्धि, नीम आधारित कृमिनाशियों तथा साथ ही अन्य जैव कृमिनाशियों का उपयोग और रासायनिक कृमिनाशियों का उचित उपयोग शामिल है। फसल सुरक्षा कार्यक्रम में रासायनिक कृमिनाशियों का उपयोग कम करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न फसल आधारित योजनाओं के अधीन समेकित कृमि प्रबंध कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उपर्युक्त योजनाओं के अधीन जैव नियंत्रक प्रयोगशालाओं की स्थापना और राज्य कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

(ग) कृमियों और रोगों के कारण उत्पादन में हानि होती है जो प्रत्येक फसल में अलग–अलग होती है। अतः कृमियों और रोगों से सुरक्षा करना उत्पादन बढ़ाने का एक सुनिश्चित उपाय है।

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष फसल में कीटनाशक रोग लगने से तमाम फसल नष्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में धान की फसल बाढ़ से बाहर जो बची थी, वह रोग लगने से पूरी की पूरी जल गई है। कीटनाशक दवाइयां भी डाली गईं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या सरकार की तरफ से जिन

किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है, उनके लिये मुआवजे का प्रावधान किया जा रहा है? क्या सरकार यह बतायेगी कि इस साल किसानों की कितनी फसल इस रोग के लगने से नष्ट हुई है और कितने रुपये का नुकसान हुआ है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फसलों को बीमारी, उसे लगने वाले कीड़े और दूसरी चीजों से नुकसान होने के संबंध में सवाल पूछा है। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, कांप्रिहैंसिव क्राप इंश्योरेंस स्कीम या राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के माध्यम से कुछ राशि इसके लिये दी जाती है। जहां तक इसके विवरण का सवाल है, वह अभी उपलब्ध नहीं है। जहां तक इसके बचाव का सवाल है, उसके लिये किसानों को इंटिग्रेटेड पैस्ट मैनेजमेंट, अच्छी गुणवत्ता, कीटनाशक और परजीवी उपलब्ध कराना, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना और सरविलेस करना, ये सारे उपाय करने का सतत् प्रयास सरकार करती रहती है।

श्री रामपाल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार ने फसलों को अक्सर लगने वाली बीमारी से रोकथाम के लिये कृषि वैज्ञानिकों की सेवायें उपलब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था हर जिले में कर रखी है। यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तहत पूरे राष्ट्र में 26 कृषि विश्वविद्यालय, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और 261 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं, जिनमें कुछ उनकी परियोजनायें और दूसरे अनुसंधान केन्द्र उपलब्ध हैं। कुछ राज्यों ने भी इसकी व्यवस्था कर रखी है। सब राज्यों में फसल कीटनाशक नियंत्रण विभाग है और केन्द्र सरकार उनके माध्यम से वैज्ञानिकों की सेवायें किसानों को उपलब्ध कराती रहती है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : श्रीमान अध्यक्ष जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा फसल में जो रोग लग जाते हैं, उनकी रोकथाम के प्रयास किये जा रहे हैं और पिछले दस सालों से हम जिन कीटनाशक दवाइयों से उनकी रोकथाम करना चाहते हैं, उनसे रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने जो सुझाव दिए या सिफारिशें की हैं, वे अभी तक क्यों नहीं लागू हुई हैं और प्रत्येक राज्य में लागू करने के लिए जो निर्देश आपने दिये हैं, किन–किन राज्यों में आपके दिये गये निर्देशों का पालन हुआ है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक सामान्य प्रश्न है। मैंने कहा कि जो भी क्षति फसलों को इन कीड़ों और बीमारियों से होती है, उसकी रोकथाम के अनेकानेक उपाय किये जाते हैं और उसमें कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे जो भी अनुसंधान करते हैं या जो भी तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं, उसे सीधे भी और राज्यों के माध्यम से भी किसानों को उपलब्ध कराते हैं और उसके लिए आवश्यक निर्देश भी दिये जाते हैं, सहायता भी दी जाती है, केन्द्रीय योजनाएं भी उसके लिए लागू हैं और कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाएं भी लागू हैं। राज्य भी बजट में उसके लिए प्रावधान करते हैं। इसमें राज्यों के साथ सतत् परामर्श चलता रहता है और उसकी क्रियान्वित हमारी राय में संतोषजनक है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मेरा सवाल यह था कि कृषि वैज्ञानिकों ने जो सुझाव सरकार को दिये थे, उनको मानने के लिए राज्य सरकारें तैयार हैं या नहीं?

श्री सोमपाल : किसी भी राज्य में उनको मानने से मना नहीं किया है। सभी प्रस्तुत रहती हैं।

[अनुवाद]

श्री के. बापीराजू : महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे किस प्रकार यहां की कृषि प्रणाली को सुरक्षित रख सकते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न किसानों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले रासायनिकों और कीटनाशकों के बारे में है। यदि इनमें से कोई मिलावट होती है तो किसी विशेष रसायनिक अथवा कीटनाशक के प्रयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है? यह मेरा पहला प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं आप दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री के. बापीराजू : फिर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दूसरे प्रश्न के प्राथमिकता वाला प्रश्न मानें। यह प्रश्न बीमा योजना के बारे में हैं जो संरक्षण के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में स्पष्ट कहा है तथा उन्होंने यह स्वीकार किया है कि बीमा योजना पर्याप्त नहीं है। वे बीमा प्रणाली में संशोधन करना चाहते थे। इसलिए में इस बारे में माननीय मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। उन्होंने वायदा किया था कि वे इस सत्र में एक नई योजना को लेकर आयेंगे। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इस बारे में उत्तर दें।

श्री सोमपाल : माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब पहले प्रश्न के उत्तर में दिया जा चुका है। मैं वही बात दोहराना चाहता हूं कि इनके प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब पहले प्रश्न के उत्तर के दौरान दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देना है।

श्री सोमपाल : महोदय, इनके प्रश्न का पहला भाग रसायनों, कीटनाशकों, फफूंदी नाशक तथा खरपतवार नाशक को कम करने से संबंधित है। हम रसायनों पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने एकीकृत कृमि प्रबंधन के नाम से एक बहु–आयामी नीति बनाई है। जिसमें यांत्रिक नियंत्रण पर जोर दिया जायेगा तथा कृमियों के जारी उन नियंत्रणों पर भी जोर दिया जायेगा जो हानिकारक कीड़ों को खा सकते हैं। कुछ अन्य उपाय भी हैं। यह पूरी नीति है तथा हम रसायनों कीटनाशकों और

कृमि नाशकों जैसे जहरीले पदार्थों पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि क्राप प्रोटेक्शन के लिए काफी उपायों से वह किसानों की मदद करते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जहां फसल को कीड़ा लग जाए या और कोई बीमारी, उसे टिड्डी की तरह से आ जाए, उसका तो इलाज मंत्री महोदय सुझा सकते है मगर आज हिन्दुस्तान में बहुत छोटी होर्डिंग के किसान हैं –पांच एकड़, सात करोड या जोर मारकर दस एकड़ के किसान हैं। हरियाणा प्रांत में बहुत सा इलाका ऐसा है जहां 1995 के बाद लगातार बाढ़ आती रही है और जमीन वाटर लॉगिंग की वजह से सेलिनिटी की वजह से बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जिस किसान की फसल खराब होती है वाटर लॉगिग को निकालकर चैनल्स में डालकर या अंडरग्राउंड सीवर देकर पानी को बाहर निकालकर उस किसान की मदद करेगी? क्या मंत्री महोदय के पास कोई स्कीम है ताकि जमीन को रीक्लेम करके किसान की मदद की जा सके?

श्री सोमपाल क्षारता और पानी इकट्ठा होने की समस्या भयंकर रूप धारण कर रही है तथा एक अनुमान के अनुसार अस्सी लाख एकड़ से भी अधिक हमारी कृषि योग्य भूमि इससे बुरी तरह प्रभावित है। उथले टयूबवैलों को खोदकर इस पानी के इकट्ठा होने का प्रयोग करने तथा इस पानी को वापस नदियों में डालने तथा भूमि सुधार करने की योजनाएं हैं।

भूमि में सुधार करने के लिए फसल पद्धति विकसित करना तथा बागान लगाना तथा रसायनों का प्रयोग करने जैसे उपायों को भी अपना रहे हैं। नौवीं योजना के अंतर्गत यह सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसे कृषि मंत्रालय शुरू कर रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह : आपको इसके लिए कुछ राजसहायता भी देनी चाहिए।

श्री सोमपाल : राज्यों द्वारा योजनाएं भेजी जानी चाहिए ताकि इन पर विचार किया जा सके।

श्री वी. वी. राघवन : अध्यक्ष महोदय, केरल में पिछले 50 वर्षों से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा इसके वैज्ञानिक एकक नारियल की खेती को नुकसान पहुंचाने वाली भयंकर बीमारी रूट विल्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तथा अब उन्होंने इस काम में सफलता प्राप्त कर ली है। क्या आप व्यक्तिगत तौर पर इसमें दिलचस्पी लेंगे तथा इस बीमारी का कारण जानने के लिए कुछ विशेषज्ञों को भेजेंगे तथा इसे रोकेंगे। कृपा करके केरल की नारियल की खेती को बचाइए तथा इसे बचा कर केरल राज्य को बचाइए। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था मुख्यतः नारियल की खेती पर ही निर्भर है। नारियल की खेती हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा आधी से ज्यादा खेती इस भयंकर बीमारी से प्रभावित है। क्या आप इसमें व्यक्तिगत रुचि लेंगे तथा इस बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए कुछ विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को भेजेंगे?

श्री सोमपाल : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि केरल में नारियल की खेती एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था वाला काम है। तथा महोदय, 'रूट विल्ट', जड़ मुरझाने की बीमारी एक दुसाध्य बीमारी है। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। हमने अभी तक पहले जो फसल बोई गई है उसके स्थान पर अन्य फसल बोने का विकल्प खोजा गया तथा हम वैज्ञानिकों, अनुसंधान प्रणाली तथा केरल सरकार तथा अन्य दक्षिण राज्यों की सरकारों से बातचीत कर कई नर्सरियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बीमारी केरल राज्य में अत्याधिक व्याप्त है। इससे अनेक वृक्षों को नुकसान पहुंचा है। मैं वही बात दोहराना चाहता हूं कि अब तक केवल कृषि एक ही उपाय निकाला गया है और वह है उन वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष लगाए जाएं। हम इसका कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

अब तक पता लगाये गये संभावित कारण ऐसे हैं जिनका वास्तव में पता नहीं चल पाया है। लेकिन इन पर विचार किया जा रहा है। ये संभावित कारण मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी होना है तथा हो सकता है फंफूद बीमारी हो जो केरल की कृषि जलवायु परिस्थितियों में बहुधा पाई जाती है। हम इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक मेरी व्यक्तिगत रुचि की बात है, मैं आपके जरिए माननीय सदस्य तथा इस सभा को बताना चाहूंगा कि मैं दो बार केरल जा चुका हूं। हाल ही में, मैं पिछले महीने वहां गया था। हम अनुसंधान प्रणाली और कृषि मंत्रालय में इसे प्राथमिकता के आधार पर ले रहे हैं तथा उन राज्यों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं जो नारियल की खेती कर रहे हैं।

श्री वी. वी. राघवन : क्या मैं केन्द्र सरकार से उदार सहायता की अपेक्षा करूं? ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मंत्री महोदय, आपको ज्ञात होगा कि पिछले दो सालों से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में लगातार कपास की फसल तबाह हो रही है। सबसे बड़ा मसला यह पैदा हो गया है कि किसानों को कैश क्राप यही है। दो साल से मैं देख रहा हूं। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के नमूने आपके सामने मौजूद है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मैं जाकर आया हूं, वहां हजारों किसानों ने आत्महत्या भी कर ली हैं, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो सका। क्या हमने इसका निराकरण करने का उपाय सोचा है? यह जैनेटिक काम है और इसको जैनेटिक रिसर्च से ही कमबैट किया जा सकता है। टर्मिनेटर सीड की बात आती है, बॉल गार्ड की बात आती है, मै आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आपने

अपने साईंटिस्टों की डयूटी लगाई है कि इन लोगों से कंसल्ट करके, डिस्क्शन करके, कोआपरेशन करके कोई नई चीज निकाली जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सारा एरिया तबाह हो जायेगा। दूसरी फसल करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हम एक फसल पर आ जायेंगे और सारा मामला चौपट हो जायेगा। आप इसका सिलसिला शुरू करिये और देखिये कि किस तरीके से इसको बचा सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट पहले उनके साथ बैठकर रिसर्च करें, टैस्ट्स करे कि यह ठीक हो सकता है या नहीं, अन्यथा सारा मामला ही चौपट हो जायेगा। टर्मिनेटर जीन के बारे में भी फैसला करिये। जो बोल गार्ड आ रहा है इसकी नकल का रोज झगड़ा होता है। हमारे देश ने कह दिया कि टर्मिनेटर जीन आया है या नहीं आया है या है ही नहीं, या अभी तक पैदा ही नहीं किया है, यह बाहर की बात है। हम स्वयं पैदा कर लेंगे, इस तरह की गलत बात नहीं किया करते, ऐसी बातें अच्छी नहीं होती।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, भारत के पूर्व कृषि मंत्री डा. बलराम जाखड .....(*व्यवधान*)

श्री राजवीर सिंह : यह पांच साल तक कृषि मंत्री रहे, इनके कार्यकाल में क्या–क्या हुआ, उसके बारे में बताइये....(*व्यवधान*)

श्री बलराम जाखड़ : मेरे टाइम में जो हुआ है वह एक रिकार्ड है।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, कदाचित जाखड़ साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कृषि पंडित और उद्यान पंडित दोनों की उपाधि से विभूषित किया गया है। यह कृषि को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं....(*व्यवधान*) अभी श्री राजवीर सिंह जी ने टिप्पणी की कि इन्होंने क्या किया, इनकी इच्छा तो बहुत रही, लेकिन वह जैसी सरकार में थे, उनकी काफी विवशताएं रही हैं। जहां तक कपास की फसल को होने वाली क्षति का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचित करना चाहता हूं कि मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में पिछले दो वर्ष से नहीं लगातार तीन वर्ष से किसानों की फसलें लगभग बर्बाद हो रही हैं, आधे के करीब कई क्षेत्रों में उत्पादन कम हुआ है और कुछ खेत और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां लगभग शत–प्रतिशत फसलें नष्ट हो गई है और किसानों को बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। यह बात सही है कि इस विवशता की स्थिति में बहुत से किसानों को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में आत्महत्याएं करनी पडीं, जिसके लिए सारे राष्ट्र को दुख है। जहां तक उससे निपटने का प्रश्न है, मैंने देखा है कि ऐसे भी लोग है, जो 25–25 बार कीटनाशकों को स्प्रे करते हैं, फिर भी उस पर नियंत्रण नहीं हो पाता। कीटनाशकों के विषय में एक कठिनाई यह है कि उनके लगातार डालने से बहुत से शत्रु कीड़ों से उसकी प्रतिरोधी शक्ति पैदा हो जाती है और वे उस रासायनिक पदार्थ से मरते नहीं है। उसकी वैकल्पिक रणनीति हमने यह सोची है कि जो समेकित कीट प्रबंधन (इंटीग्रेटिड पैस्ट मैनेजमेंट) है, उसमें फैथमोन ड्राप्स लगाई जाती है, उसमें एक ऐसा पदार्थ लगाया जाता है, जिसकी सुगंध में आकर्षित होकर कीड़े उस ट्रेप में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। इसके अलावा कुछ परजीवियों का प्रयोगशाला में पालन किया जाता है और उन्हें खेतों में छोड़ दिया जाता है जिससे कि वे शत्रु कीडों को मार दें। दूसरे कुछ इसी प्रकार के कीट हैं जिसे पीली हाइड्रस वर्म कहते हैं जो हील्यूसिस जैसी बीमारी को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा गुलाबी सुंडी, अमरीकन सुंडी और स्पाटेड सुंडी, बाल वर्म आदि के लिए, जो एक जड़ में लगने वाली बीमारी है, उसके लिए फुंगी के ऊपर आधारित इसी तरह के कीट नियंत्रक का विकास किया गया है। इसके लिए हम जैव नियंत्रण की प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहे हैं।

आपको याद होगा कि पिछले वर्ष आपके क्षेत्र अबोहर और फाजिल्का में मैंने एक किसानों का सम्मेलन किया था।

अध्यक्ष महोदय, इसी साल फिर अप्रैल में, तीनों क्षेत्रों– राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के किसानों का हम एक सम्मेलन करने वाले हैं। इसी प्रकार का एक सम्मेलन हम महाराष्ट्र में करने का विचार कर रहे है जिससे किसानों को इसकी जानकारी दी जाए और जैव–नियंत्रण के लिए पर्याप्त मात्रा में परजीवी और जैव–नियंत्रण चीजों का उत्पादन किया जाए, जिससे किसानों को उचित मात्रा में ठीक गुणवत्ता की चीजें उपलब्ध करा दी जाएं।

जहां तक आनुवांशिकी, जैनेटिक रिसर्च, टरमिनेटड जीन्स के अनुसंधान का सवाल है, हालांकि यह इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है, परन्तु माननीय पूर्व कृषि मंत्री महोदय ने पूछा है, इसलिए मैं जवाब देना चाहूंगा कि टरमिनेटड जीन्स के विषय में हमने बहुत सोच–समझकर निर्णय लिया है कि उसे भारत में नही आने दिया जाए। उसके लिए आयात से संबंधित जितनी भी एजेंसियां हैं, इकाइयां हैं चाहे वे बन्दरगाह के ऊपर हो या वे स्थलीय सीमा में हों, उन सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि उसके वैज्ञानिक रोकथाम और परीक्षण का पूरा प्रबंध कर दिया जाए। इसलिए उसको यहां आने देने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

जहां तक, बाल गार्ड, जो बैसीलस चिएंजिसिस नाम का एक वैक्टीरिया है, उसको स्प्रे करके कीड़ों का नाम किया जाता है। उसको कपास के पौधे में लगाकर उसकी किस्म का विकास करने की जो बात मानसेटो ने कही है, उसके अनुसार परीक्षण करने के लिए उसे 40 खेतों में उगाया जा रहा है तथा उसके पर्यावरण और दूसरी फसलों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का परीक्षण और जांच करने के उपरांत हम यह करेंगे कि उसकी अनुमति दी जाये अथवा नहीं। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती या गलतफहमी कहीं नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के. येरन्नायडू : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री को मालूम होगा कि फसलों की सुरक्षा के लिए अच्छे कीटनाशकों की आवश्यकता

होती है। परन्तु पूरे देश में नकली कीटनाशक और बीज उपलब्ध हैं, जिससे फसल बर्बाद होती है और भारतीय कृषकों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पडता है। कृषकों द्वारा आत्महत्या करने और अनुभव होने के पश्चात् आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिनियम में कुछ संशोधंन करने का सुझाव दिया है। कीटनाशी अधिनियम, 1966 केवल व्यापारियों के लिए ही फायदेमंद है, कृषकों के लिए नहीं। अतः आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया था और एक वर्ष तक मेरा दल उनको उठा रहा है। परंतु माननीय मंत्री द्वारा वायदा किए जाने के बावजूद भी अभी तक विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि वह विचार करने और पारित करने हेतु विधेयक कब लायेंगे।

श्री सोमपाल श्री येरन्नायडू को इसमें हुई प्रगति की जानकारी है परंतु फिर भी मुझे इस सभा में जवाब देना है।

आंध्र प्रदेश सरकार से इसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है और राज्य सरकार ने जो संशोधन सुझाये हैं, उन पर विचार किया गया है। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक बार नहीं तीन बार चर्चा की गई थी और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्र बाबू नायडू से भी चर्चा की गई थी इस अधिनियम में संशोधन करवाने में व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहे हैं।....*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी मुझे इस केन्द्रीय अधिनियम का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा है जबकि अपराधियों को वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जा चुका है।.....*(व्यवधान)*

श्री के. येरन्नायडू : वे केवल वास्तविकता बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल मंत्री महोदय को ही उत्तर देने की अनुमति दी है, किसी अन्य को बोलने की नहीं।

श्री सोमपाल : मैंने जो कहा है, वह सत्य है। और मैं इसे दोहराना चाहता हूं। एक बार नहीं बल्कि कई बार आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री मेरे पास आये थे और उन्होंने उन सभी प्रावधानों और संशोधनों पर चर्चा की थी, जिनका उन्होंने प्रस्ताव किया था। इसे अधिक कठोर बनाने की उनकी हार्दिक इच्छा थी ताकि इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस विधेयक का प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका है, कैबिनेट द्वारा इस पर विचार करने की संभावना है और इसे बड़ी जल्दी ही लाया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान किसानों की बहुत बड़ी समस्या की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे जंगल और सेंचुरियों के आसपास अनेक वन जंतु होते हैं। किसान बड़ी मेहनत करके अपनी फसल उगाते हैं और वन जंतु वहां आकर झुंड में घूमते हैं जैसे महे, नीलगाय, हिरन, भालू और बंदर किसान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं नीलगाय के संबंध में अभी एक अधिसूचना जारी हुई है कि कलेक्टर की परमीशन लेकर ही उसे मार सकते हैं लेकिन उसकी कोई परमीशन नही देता। हजारों बीघा खेती का सत्यनाश हो रहा है। यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि पूरे देश में है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वन विभाग से आप कोई बातचीत कर रहे हैं जिससे वनों के नजदीक जो जंतु घूमते हैं, जो हजारों बीघा खेती का सत्यानाश करते हैं, उनको पकडने की कोई व्यवस्था की जा सके?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय चेतन चौहान ने जो बात उठाई है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रदेशों और क्षेत्रों के किसानों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि नीलगायों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो गई है। जहां तक पर्यावरण मंत्रालय की नीति है कि पशुओं की रक्षा और उनको एक सीमित संख्या में रखा जाये, इसके लिए यह निर्णय लिया गया था कि जो उत्तरदायी जनपदीय प्रशासन का अध्यक्ष होता है, जनपदाधीश को इसकी अनुमति देने के लिए सक्षम कर दिया जाये। इस विषय में पूरे राष्ट्र में और इस सदन में एक आम सहमति की आवश्यकता है क्योंकि दोनों बिन्दु हैं – एक तरफ पर्यावरण है और जो प्राणी मित्र हैं, जो हमारी संस्कृति का अंग भी रहा है, वह चाहता है कि इस प्रकार से उनकी हत्या न की जाये, इसलिए हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं।

दूसरा उपाय बैटरी आपरेटेड फैंस, घेरा होता है। उसमें एक तार लगा दी जाती है जिसमें हल्का करंट रहता है, जिससे पशु चला जाता है। इस प्रकार के उपाय करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस नीति का निर्धारण करने के लिए हम पर्यावरण मंत्रालय से सतत् संपर्क में हैं।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए पेस्टीसाइड और इनसेक्टीसाइड के उपाय तो बताये लेकिन उनमें जो ऐडल्ट्रेशन होता है, उसके लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं, कितने केस पकड़े गये हैं और उनको क्या सजा दी गयी है, इसके आंकड़े बताये ? मैं एक बात और भी जानना चाहता हूं कि कई बार किसान की फसल तैयार होकर जब मंडी में आती है तो वह वहां आकर वह खराब हो जाती है जैसे पिछले वर्ष पंजाब और हरियाणा की करोड़ों रुपये की फसल मंडी में आकर खराब हो गई थी। उसके लिए मुआवजे की बात भी चली थी लेकिन वह मुआवजा अभी तक पंजाब और हरियाणा के किसानों को नहीं मिला। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके परमानेट उपाय के लिए, जो नई कृषि नीति आ रही है, उसमें शेड बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं जिससे किसान बच जाये। दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर में जो स्टेगनेंशन आ गया है, पर–एकड़ यील्ड कम हो रही है, उसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय हो रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि जी. डी. पी. का 0.81 परसेंट खर्चा एग्रीकल्चर रिसर्च वर्क में होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : यह बहुत थोड़ा है। इसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, चन्दूमाजरा जी ने एक सवाल में चार सवाल पूछ लिये हैं परंतु मैं संक्षिप्त रूप में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। प्रथम तो यह जानना चाहते हैं कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो इनसेक्टीसाइड एक्ट है, उसे लागू करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और कितने केस पकड़े गये हैं – ये आंकड़े अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार इसको प्रशासित करती है। आपकी राज्य सरकार के पास आंकड़े होंगे, आप उनसे जान सकते हैं। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि फसल आने के बाद मंडी में खुले में पड़ी रहने के कारण, खुले गोदाम में पड़ी रहने के कारण बर्बाद होती है। उसका उपाय तो इन्होंने स्वयं ही सुझाया है कि शेड बनाये जायें। राज्य सरकार अगर कोई ऐसी योजना देती है तो उसके ऊपर केन्द्र सरकार अवश्य विचार करती है। नई कृषि नीति में हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के गोदाम जिनमें फसल कटने के बाद, बाजार में आने तक और बाजार में पड़ी रहने के समय बर्बाद न हो। उसके उपाय करने की हम कोशिश कर रहे हैं और नई कृषि नीति यह एक महत्वपूर्ण अंग है।

तीसरी बात आपने रिसर्च के विषय में पूछी है। अभी–अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की एक विशेषज्ञ समिति ने यह पता लगाया है कि जो हरित क्रांति के क्षेत्र हैं, जिनकी सबसे बड़ी भूमिका भारत में कृषि उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने में रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान पंजाब प्रांत का रहा है, यह बात सारा राष्ट्र ही स्वीकार करता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत भी इसे स्वीकार करता है। कहीं–कहीं यह चीज देखने में आई है कि भूमि की उर्वरकता एक सीमा तक पहुंच चुकी है और उत्पादकता भी एक सीमा तक पहुंच चुकी है। परंतु इस बात की जानकारी सरकार को है। उसके दो दुष्प्रभाव हो रहे हैं – एक तो जो निवेश है, खाद जैसी चीजें पहले के मुकाबले ज्यादा डालनी पड़ रही है क्योंकि कार्बनिक मैटर मृदा में घट गया है, उसकी शक्ति घट गई है, दूसरे कुछ सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों का भी ह्रास हो रहा है और कई प्रकार के रासायनिक और भौतिक असंतुलन मिट्टी की बनावट में हो रहे हैं। उसके लिए जो वैज्ञानिक उपाय सरकार करने जा रही है, उसकी सूची बहुत लंबी है। यदि आप चाहेंगे तो उस पर मैं आपसे विचार–विमर्श कर सकता हूं। जहां तक मुआवजे का सवाल है, अभी तक इसका मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है परंतु उसका उपाय अवश्य किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

भारत-अमेरिका वार्ता

\+

***23. प्रो. पी. जे. कुरियन :**

श्री मोहन सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और वार्ताओं में दोनों देशों के किन–किन नेताओं ने भाग लिया;

(ग) क्या वार्ता सी. टी. बी. टी. प्रतिबंधों को हटाने, फिसाइल सामग्री कट आफ संधि, निर्यात नियंत्रण क्षेत्र, प्रक्षेपास्त्र परीक्षण और रक्षा स्थिति विषयों पर केन्द्रित रही;

(घ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत सरकार द्वारा सी. टी. बी. टी. पर हस्ताक्षर करने के बारे में भारत सरकार द्वारा क्या निश्चित रुख अपनाया गया है;

(च) किन विषयों पर असहमति बनी हुई है;

(छ) अगले दौर की वार्ता किस स्थान पर करने का निर्णय किया गया; और

(ज) सभी शेष मुद्दों को निश्चित समय–सीमा के भीतर हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारत और संयुक्त राज्य अमरीका जून, 1998 से उच्च स्तरीय गंभीर बातचीत में लगे हुए हैं। भारत–अमरीका वार्ता का अद्यतन दौर नई दिल्ली में हाल ही में 29–31 जनवरी, 1999 के बीच हुआ था।

भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह ने किया था। अमरीकी शिष्टमंडल का नेतृत्व अमरीकी उप विदेश मंत्री श्री स्ट्रोब तालबोट ने किया था। प्रमुख वार्ताकारों को बातचीत करने के लिए क्रमशः भारत के प्रधान मंत्री और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों के रूप में नामित किया गया है। दोनों पक्षों की ओर से अधिकारियों के सुगठित दल ने दोनों नेताओं की सहायता की थी।

यह बातचीत पूर्णाधिवेशनों और नामित अधिकारियों के छोटे–छोटे समूहों में तीन दिन से अधिक तक चली। इसके अतिरिक्त श्री स्ट्रोब तालबोट ने प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री और कुछ राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात भी की।

(ग), (घ) और (च) द्विपक्षीय बातचीत के पूर्ववर्ती दौरों में दोनों पक्षों के सुरक्षा संबंधी परिप्रेक्ष्यों का और विस्तार किया गया और उन्हें स्पष्ट किया गया ताकि मेल–मिलाव की स्थिति बनाई जा सके। पिछले चक्र में हुई बातचीत में हुई प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया।

बातचीत उन व्यापक प्रस्तावों के आधार पर चलाई जा रही है जिन्हें भारत ने निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र अप्रसार मामलों, यथा विस्फोटक नाभिकीय परीक्षणों पर एक–पक्षीय छूट, इसे विधितः दायित्व में बदलने पर बातचीत करने की इच्छा, एफ एम सी टी पर रचनात्मक बातचीत में सम्मिलित होने के निर्णय और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर कड़े नियंत्रण पर हमारी नीतियों की पुष्टि करने पर प्रस्तुत किया था।

अमरीका के साथ बातचीत का दायरा कम हो गया और अब सुरक्षा निरस्त्रीकरण और शस्त्र अप्रसार यथा नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि, भारतीय सुरक्षात्मक स्थिति और निर्यात नियंत्रण मुददे. से जुड़े चार मुददों पर केन्द्रित है।

यह निर्णय किया गया है कि निर्यात नियंत्रण पर भावी बातचीत के लिए भारत–अमरीकी विशेषज्ञ स्तर के दलों की मार्च में एक बैठक होगी। शिष्टमंडलों के नेता भी परस्पर संपर्क में रहेंगे। इन बातचीतों के चलते दोनों पक्ष अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए रचनात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे।

(ङ) व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के बारे में भारत की स्थिति ज्यों की त्यों है जैसी की सितम्बर, 1988 में प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा में बताई थी। अपनी राष्ट्रीय अनिवार्यताओं और सुरक्षा संबंधी दायित्वों को सुमेलित करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ निरंतर सहयोग करने की इच्छा रखते हुए भारत अब व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सहित अनेक मुददों पर प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत में लगा हुआ है। हम सफल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ये बातचीत करने के लिए तैयार हैं ताकि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सितंबर, 1999 तक लागू हो जाए। हमें आशा है कि व्यापक परीक्षण संधि के अनुच्छेद चौदह में निर्दिष्ट अन्य देश बिना शर्त इस संधि का अनुपालन करेंगे।

(छ) बातचीत का अगला दौर वर्ष के मध्य में होने की संभावना है, तारीख और स्थान दोनों पक्षों के बीच परामर्श के बाद निर्धारित किये जाने हैं।

(ज) इन बातचीतों के निष्कर्ष के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। दोनों पक्षों की यह मंशा है कि शेष मुद्दों पर शीघ्र ही कोई स्थायी समझौता निकल आए। इससे द्विपक्षीय संबंधों को और गति मिलेगी जैसा कि दोनों देश चाहते हैं।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैंने माननीय मंत्री के वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा है। ऐसा लगता है जैसे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह जो इस सरकार के सक्रिय विदेश मंत्री हैं, और अमरीका के डिप्टी सेकेरटरी आफ स्टेट श्री स्ट्रांब टालबाट के बीच वार्ताओं के आठ दौर चले। परंतु हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। अगर मैं मलयालम की एक कहावत का प्रयोग करूं तो इसमें कहा गया है : "वांची इप्पोझुम थिरूनक्कारा ठाणै"।

इसका तात्पर्य यह है कि नाव अभी भी घाट पर ही है। नाविक ने सारी रात नाव को खेया परंतु इसे निराशा तब हुई जब उसे पता चला कि यह एक इंच भी नहीं सरकी है। इनका वक्तव्य देखने के बाद मुझे यही समझ आया है। हालांकि समाचार पत्रों में यह आया है कि वह सितंबर, 1998 से पहले सी. टी. बी. टी. पर हस्ताक्षर करने को सहमत हो गये हैं।

महोदय इस बात पर सारा देश एकमत है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि अपने वर्तमान रूप में भेदभाव पूर्ण है और इस रूप में हम उस पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस रूप में संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गये हैं। यदि इसका उत्तर हां है तो इसका तात्पर्य यह है कि अपने सर्वसम्मत दृष्टिकोण से पीछे हटना। इससे पीछे हटने का क्या कारण है, यदि कोई हो तो।

डा. सुब्रमण्यम स्वामी : यह अपने मन से पीछे हटना नहीं है बल्कि उसे नकारना है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : ठीक है। परंतु इस मत से पीछे हटने का क्या कारण है। क्या इससे संबंधित कोई शर्त है, विशेष तौर पर अमरीकी सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध हटाने की शर्त? यदि ऐसा है तो कृपया सभा को विश्वास में लीजिए।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को अनिवार्य रूप से दो भाग हैं। क्या इस संबंध में कोई प्रगति की गई है और क्या सरकार ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई है। इसके भाग का उत्तर स्पष्ट है। जी नहीं, सरकार इस पर हस्ताक्षर करने पर सहमत नहीं हुई है। सी टी बी टी पर सरकार का दृष्टिकोण वही है जो पहले था जो सभा में कहा गया है, प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा में जो कहा है और जो इस वक्तव्य में है। यही नहीं माननीय सदस्य जो समाचार पत्रों में छपी खबरों को उद्धृत कर रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई नहीं है।

पहला भाग जो बातचीत में हुई प्रगति पर दी गई टिप्पणी है, के संबंध में मैं माननीय सदस्य को केवल उसके कुछ पहलुओं जैसे पी–5 संकल्प अथवा जी–8 वक्तव्यों का संदर्भ देना चाहूंगा और उन संकल्पों और वक्तव्यों की तुलना उन मामलों से करना चाहूंगा जिन पर अब बातचीत सीमित हो गई है। अतः उसमें 12–13 विस्तृत मुददे हैं और अभी हम जिन मुददों पर बातचीत कर रहे हैं वे केवल चार ही हैं। यह स्वयं में इस कार्य में हुई प्रगति का अंकगणितीय माप है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मंत्री जी, आपके बेबाक उत्तर के लिए आपको धन्यवाद। अब आपने कहा है कि चार मुददों की पहचान की जा रही है। निःसंदेह आपने लिखित उत्तर में भी उनका उल्लेख किया है। परंतु मैं यह नहीं जानता कि इन चार मुद्दों में न्यूनतम परमाणु निरोधक क्षमता का प्रश्न भी सन्निहित है या नहीं अन्यथा आपने इस प्रश्न पर अलग से विचार किया हो अथवा नहीं। ऐसा

इसलिए है क्योंकि इस बात पर देश में काफी लंबे समय से विचार हो रहा है और मुझे विश्वास है कि आपने यह मामला अपने अमरीकन साथी के साथ अवश्य उठाया होगा। परंतु इस उत्तर में न्यूनतम परमाणु निरोधक क्षमता के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यदि सरकार यह विचार कर रही है कि इस प्रश्न पर विचार किया जाये तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या न्यूनतम परमाणु निरोधक क्षमता संबंधी आपकी अवधारणा संपूर्ण क्षेत्र में मात्रा की पूर्ण सुरक्षा शामिल है अथवा यह सिर्फ पाकिस्तान के संबंध में हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न पर प्रकाश डालें।

श्री जसवंत सिंह : महोदय सरकार ने बार–बार यह स्पष्ट किया है कि देश का परमाणु कार्यक्रम हमारा परमाणु कार्यक्रम नहीं है यह देश का कार्यक्रम नहीं है। यहां हुए बारम्बार विचार विमर्श के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा पहले ही दी गई रूपरेखा से स्पष्ट है कि उनका मौलिक आधार है और वह भी यह कि भारत अपनी परमाणु क्षमता की जरूरतों और मानदंडों का सुरक्षा आवश्यकताओं और उनके प्रयोजन के मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित करेगा। यह एक सार्वभौमिक कृत्य है। देश और सरकार सुझाव अथवा हस्तक्षेप अथवा किसी तरीके से किसी भी ऐसे पहलू को स्वीकार नहीं करेगा जो कि भारत को यह बताने अथवा सुझाने का प्रयास करता है। कि इसकी न्यूनतम परमाणु क्षमता कम कितनी होनी चाहिए। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि न्यूनतम परमाणु क्षमता एक यथागत नीति के अंतर्गत प्रतिज्ञापित है जिनके अंतर्गत देश की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैकल्पिक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार इसकी पुनरीक्षा की जाएगी और इसमें फेरबदल किए जाते रहेंगे।

श्री मोहन सिंह अध्यक्ष महोदय, माननीय विदेश मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में और अपने अनुपूरक उत्तर में भी एक बात कही है कि हमारी और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही है, वह चार मुद्दों तक सीमित है

[अनुवाद]

"परमाणु अप्रसार, जिसे सी टी बी टी, एफ एम सी टी भारतीय रक्षा स्थिति और निर्यात नियंत्रण मामले"

[हिन्दी]

ये चार बातें कहने के बाद नीचे कहा जाता है

[अनुवाद]

"कि शीघ्र ही अन्य मामलों पर आपसी तालमेल बनाया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

मतलब, कुछ मुददों पर सहमति हो गई है और शेष पर नहीं हो पाई है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन विवाद के चार मुद्दों में से किन–किन मुद्दों पर सहमति हो गई है और कौन से मुद्दे बचे हैं, जिन पर सहमति होना शेष है। क्या उसमें न्यूनतम परमाणु निवारक क्षमता के संबंध में भी कोई बातचीत रुकी हुई है जिस पर भारत सरकार की अमेरिका से सहमति होना शेष है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, जिन चार मसलों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, ऐसा नहीं है कि उनमें से सभी पर सहमति या आम राय बन सकी हो। माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से देखा होगा कि ये मसले भारत ने उठाए हैं, भारत को दिए नहीं गए हैं, यह हमने वक्तव्य में बताया है। इसमें सभी विचारों पर प्रगति हुई है। जो भारत का विचार है उसको समझने और समझाने में प्रगति हुई है। मसलन एक्सपोर्ट कंट्रोल है, उसके बारे में मैंने प्रथम वक्तव्य में कहा है। भारत का रिकार्ड अन्य राष्ट्रों से कही अधिक बेहतर है, यहां तक कि जो पी–5 राष्ट्र हैं, उनसे भी बेहतर है। इसलिए हमें एक्सपोर्ट कंट्रोल पर किसी के द्वारा सीख दी जाए, यह आवश्यक नहीं है। एक्सपोर्ट कंट्रोल पर अन्य मसलों से ज्यादा प्रगति हुई है। जिन विषयों पर, विचारों में अंतर है, जैसे डिफेंस पोश्चर में अंतर है, एफ एम सी टी पर अमेरिका की तरफ से सुझाव रखा गया कि फिसाइल मेटिरियल मे यूनीलैटरली, एकतरफा हम कुछ पांबदी लगा दें? यह हमें स्वीकार नहीं था, हमने नहीं माना। हमने साफ बताया है कि एफ एम सी टी में जब कांफ्रेंस आन डिसआर्मोमेंट जिनेवा में शुरू होती है, तो भारत उसमें सकारात्मक रुख लेगा। वह हम ले रहे हैं। जब एडहाक कमेटी बनेगी, उसमें भारत शरीक होगा, यह हमारा सुझाव रहा है। जहां तक मिनीमम डेटेरेंट के बारे में आपने कहा तो मेरा उत्तर वही होगा जो मैं पहले दे चुका हूं। इसका निश्चय भारत स्वयं करेगा, किसी के कहने से नहीं करेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : अमेरिका के डिप्टी फारेन सैक्रेटरी ने कई बार कहा कि भारत अकेले में बात करता है, गोपनीय बात करता है, वह सार्वजनिक भी कहे। इसके पीछे वहां के डिप्टी फारेन सैक्रेटरी का क्या उद्देश्य है, अंदर क्या बात होती है, संसद और जनता के बीच आप क्या बयान देते हैं, इसका स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, जो अमेरिका के विदेश उप सचिव साहब ने फरमाया, उसकी जिम्मेदारी उनकी अपनी है। मेरी जिम्मेदारी मेरी सरकार के प्रति है, संसद के प्रति है। मैं मुलायम सिंह जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो कुछ मैं यहां कहता हूं उसमें कोई लाग–लपेट नहीं है, कोई गोपनीयता नहीं है। यह सरकार वचनबद्ध है। स्पष्टरूप से संसद को अपनी नीति बताने के लिए, इसलिए ऐसी कोई गोपनीय बात नहीं हुई है जो मैंने संसद में नहीं रखी हो।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : अध्यक्ष महोदय, शीघ्र ही अर्थात् बातचीत के अंतिम दौर के पश्चात् अमेरिका के मुख्य भाषांतर कार ने यह आभास दिया कि भारत पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को इस बात को ध्यान में रखकर ढीला किया जा रहा है कि भारत कुछ शर्तो को मान गया है, जिन पर आज तक वो सहमत नहीं था।

अध्यक्ष महोदय जब तक आपका पूरक प्रश्न संक्षिप्त नहीं होगा आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा।

श्री रूपचन्द पाल : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह सत्य है अथवा नहीं?

श्री जसवंत सिंह : नहीं महोदय, यह सत्य नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा एक अत्यंत छोटा सा प्रश्न है। क्या अमेरिका ने भारत के परमाणु हथियार वाली शक्ति के दावे को वार्तालाप के दौरान खारिज कर दिया है?

श्री जसवंत सिंह : अमेरिका को यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि तथ्य नहीं छुपाए जा सकते। भारत एक परमाणु हथियार सपन्न राष्ट्र है। यह सत्य है। आप तथ्यों को छुपा नहीं सकते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

यूरिया के मूल्य में वृद्धि

***24. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

श्री जार्ज ईडन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यूरिया के मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसा करने का औचित्य क्या है,

(ग) इसका किसानों विशेषकर सीमांत किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या इस तरह की वृद्धि के परिणामस्वरूप सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी;

(ङ) क्या सरकार का अपने निर्णय की पुनरीक्षा करने का विचार है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या उर्वरकों पर राजसहायता को कम करने हेतु मूल्यों में यह वृद्धि की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क), (ख), (छ) और (ज) यूरिया का मूल्य 29 जनवरी, 1999 से 3660 रुपये प्रति मीटरी टन से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मीटरी टन कर दिया गया। यह वृद्धि वित्तीय स्थायित्व और संतुलित पोषक तत्व के प्रयोग की दृष्टि से वांछित थी।

(ग) और (घ) खेती की लागत पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव एक प्रतिशत से भी कम होने की आशा है जबकि सामान्य मूल्य स्तर पर इसका प्रभाव न के बराबर पड़ेगा।

(ङ) और (च) चूंकि यूरिया के मूल्य में वृद्धि करना वित्तीय और सस्य विज्ञानीय दोनों ही दृष्टियों से वांछित था और चूंकि इससे कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है, अतः इस निर्णय पर फिर से विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरकों की मांग और आपूर्ति

***25. श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत कितनी है;

(ख) पिछले 10 महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराये गये यूरिया और अन्य उर्वरकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य को यूरिया और अन्य उर्वरकों की आपूर्ति इनकी बढ़ी हुई मांग के अनुसार की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) वर्ष 1997–98 के दौरान पोषक तत्वों की दृष्टि से उर्वरकों की राज्यवार प्रति हैक्टेयर खपत हो दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

2. 1.4.1998 से 31.1.99 की अवधि तक प्रमुख उर्वरकों की अनुमानित/प्रक्षेपित आवश्कयता, उपलब्धता और बिक्री को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

3. यूरिया ही एकमात्र उर्वरक है जिस पर नियंत्रण लगाया गया है और जिसकी मौसमवार जरूरत का आकलन करने के पश्चात् आबंटन किया जाता है। मांग को देखते हुए देश में यूरिया की आपूर्ति पर्याप्त और कमी होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

4. यूरिया के अलावा, अन्य उर्वरकों के मामले में, जो नियंत्रण मुक्त हैं, सरकार न तो उनका आबंटन करती है और न ही उनके लाने, ले जाने पर नियंत्रण लगाती है। खरीफ, 1998 में आयात स्तर कम होने के कारण देश के कुछ भागों में म्यूरियेट आफ पोटाश की स्थानीय कमी की सूचना मिली थी। यद्यपि, समग्र उपलब्धता मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त थी, तथापि अक्तूबर-नवंबर 1998 के महीनों में उत्तर भारत के कुछ राज्यों से डाई अमोनियम फास्फेट की स्थानीय कमी होने की सूचना मिली थी जिसका मुख्य कारण आयातों का इकट्ठा हो जाना था। पत्तनों पर डी ए पी लदे जहाजों के जगह देने में प्राथमिकता देकर, रेल द्वारा जल्दी परिवहन करके तथा 55,000 मीटरी टन डी ए पी का विशेष तौर पर आयात करके इन क्षेत्रों में डी ए पी की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित की गयी थी।

5. इस समय, देश में किसी प्रमुख उर्वरक की कमी नहीं है।

विवरण-I

1997-98 के दौरान पोषक की दृष्टि से उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत का राज्यवार अनुमान

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997-98 (किग्रा. प्रति है.)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	131.99
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	7.76
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.19
4.	असम	21.93
5.	बिहार	89.11
6.	चंडीगढ़	100.25
7	दादरा और नगर हवेली	36.81
8	दमन व दीव	74.00
9.	दिल्ली	363.24
10.	गोवा	39.92
11.	गुजरात	91.47
12.	हरियाणा	144.09
13.	हिमाचल प्रदेश	36.52
14.	जम्मू व कश्मीर	56.72
15.	कर्नाटक	90.02
16.	केरल	74.77
17	लक्षद्वीप	40.00
18.	मध्य प्रदेश	51.63
19.	महाराष्ट्र	73.40
20.	मणिपुर	49.68
21.	मेघालय	15.00
22	मिजोरम	10.18
23.	नागालैंड	4.28
24	उड़ीसा	35.53
25.	पंजाब	175.78
26.	पांडिचेरी	526.30
27.	राजस्थान	39.53
28.	सिक्किम	5.79
29.	तमिलनाडु	135.64
30.	त्रिपुरा	29.28
31.	उत्तर प्रदेश	118.32
32.	पश्चिम बंगाल	118.51
	योग अखिल भारत	87.45

विवरण-II

1.4.1998 से 31.1.1999 के दौरान प्रमुख उर्वरकों की अनुमानित/प्रक्षेपित आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री को दर्शाने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन)

		यूरिया			डी.ए.पी.			एम.ओ.पी.		
		आकलित आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	प्रक्षेपित आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	प्रक्षेपित आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1702.10	1954.54	1714.18	621.70	674.50	618.38	125.40	152.81	129.86
2.	अंडमान व निको.	1.03	0.86	0.86	0.62	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.85	1.34	0.09	0.21	0.00	0.00	0.10	0.22	0.22
4.	असम	100.00	115.09	59.19	53.94	17.81	11.95	52.97	15.69	10.35
5.	बिहार	1300.00	1585.28	1196.76	360.00	355.57	279.66	125.00	97.34	74.53
6.	चंडीगढ़	0.80	0.77	0.76	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
7.	दादरा व नगर हवेली	2.08	0.84	0.84	0.93	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
8.	दमन व दीव	0.35	0.20	0.20	0.21	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
9.	दिल्ली	39.00	35.69	31.83	10.90	2.33	2.33	0.20	0.67	0.67
10.	गोवा	5.87	3.50	3.50	0.55	0.62	0.42	0.90	2.18	0.98
11.	गुजरात	1095.00	1144.66	1052.89	435.00	581.33	429.97	70.00	88.03	75.37
12.	हरियाणा	1240.00	1427.13	1151.52	390.00	409.53	340.74	7.20	3.34	3.34
13.	हिमाचल प्रदेश	46.00	49.62	44.15	0.70	0.00	0.00	2.60	2.93	2.93
14.	जम्मू व कश्मीर	104.50	81.15	66.50	42.40	33.19	26.62	9.28	1.51	1.51
15.	कर्नाटक	828.00	918.79	807.08	307.37	359.93	335.24	174.45	163.04	127.77
16.	केरल	124.76	133.55	100.63	7.12	11.21	8.34	123.97	69.76	57.71
17.	लक्षद्वीप	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	1340.00	1396.35	1166.43	630.00	513.62	428.36	73.08	48.34	41.35
19.	महाराष्ट्र	1612.50	1706.52	1482.12	412.50	441.09	377.68	195.00	183.56	153.83
20.	मणिपुर	26.85	29.92	25.37	4.32	0.00	0.00	1.40	0.34	0.34
21.	मेघालय	4.60	4.27	3.69	1.15	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23
22.	मिजोरम	0.74	1.86	0.00	1.28	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
23.	नागालैंड	0.87	1.56	0.08	0.89	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00
24.	उड़ीसा	425.00	518.14	290.64	63.50	87.31	59.66	64.00	65.38	56.89
25.	पंजाब	1910.00	2077.28	1786.13	570.00	664.00	600.46	32.00	40.47	23.99
26.	पांडिचेरी	18.84	19.76	16.04	5.27	6.68	5.47	5.88	5.14	4.63
27.	राजस्थान	1100.00	1157.70	869.71	400.00	351.99	294.58	6.70	6.20	5.64
28.	सिक्किम	0.85	1.48	0.20	0.57	4.57	4.54	0.20	0.00	0.00
29.	तमिलनाडु	795.00	851.36	728.23	188.00	247.76	195.64	300.00	289.77	255.12
30.	त्रिपुरा	20.50	14.70	14.24	2.00	0.00	0.00	3.50	0.15	0.15
31.	टी बोर्ड (एनई)	60.00	29.05	28.29	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
32.	उत्तर प्रदेश	4425.00	5160.20	4210.13	910.00	1067.92	822.98	136.50	157.09	108.71
33.	पश्चिम बंगाल	880.00	945.53	688.88	300.00	412.72	338.04	220.00	243.45	214.90
	योग अखिल भारत	19211.09	21368.71	17541.18	5721.17	6243.68	5181.06	1751.77	1637.64	1350.99

डा. अलघ समिति

***26. श्रीमती सूर्यकांता पाटील** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा. अलघ समिति की मुख्य सिफारिशों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ इन सिफारिशों पर चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय ने 2 जनवरी, 1996 को एक विशेषज्ञ दल का गठन किया ताकि तमिलनाडु द्वारा 30 टी एम सी जल छोड़ने के लिए दिसंबर, 1995 में उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका के संबंध में तमिलनाडु के मैत्तूर आयाकट क्षेत्र तथा कर्नाटक में कावेरी आयाकट क्षेत्र में खड़ी फसल का मौके पर जायजा लिया जा सके।

इस विशेषज्ञ दल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :–

1. डा. वाई. के. अलघ – उप कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
2. डा. भरत सिंह – उप कुलपति (सेवानिवृत) रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की।
3. श्री एस. पी. कपरीहन – इंजीनियर इन चीफ (सेवानिवृत) मध्य प्रदेश सरकार।

इस दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार थे :–

(i) तमिलनाडु में मैत्तूर आयाकट तथा कर्नाटक में कावेरी आयाकट का दौरा करना।

(ii) उपरोक्त आयाकटों में जल की कमी से खड़ी फसल किस सीमा तक तथा किस प्रकार से प्रभावित हुई है तथा उसके प्रभावित होने की क्या संभावना है, इस बात की जांच करना।

(iii) तमिलनाडु में मैत्तूर आयाकट क्षेत्र में खड़ी फसल को सूखने से बचाने के लिए तथा कर्नाटक आयाकट की खड़ी फसल को बचाने के लिए अपेक्षित जल की मात्रा का आकलन करना।

इस दल ने अपनी रिपोर्ट 19 जनवरी, 1996 को जल संसाधन मंत्रालय को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

(i) दोनों राज्यों में जल की कमी को देखते हुए कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को जनवरी से मई तक देय 11.4 टी एम सी जल उपलब्ध कराना चाहिए।

(ii) तथापि, विशेषकर जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में जब जल की मांग अत्याधिक होगी तब तमिलनाडु में जल की कमी की समस्या को कम करने के लिए इन महीनों के दौरान जल की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है ताकि मैत्तूर बांध में जल उपलब्धता 2.5 टी एम सी अतिरिक्त बढ़ाई जा सके जिसे अप्रैल और मई में छोड़े जाने वाले जल से समायोजित किया जा सकता है। ऐसी निर्मुक्तियों के समय जल की बहुत कमी होती है।

प्रधान मंत्री ने कर्नाटक सरकार को दिनांक 2.2.1996 को विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशें भेज दी थीं और इनकी प्रति अन्य कावेरी बेसिन राज्यों को भी भेजी थी।

[हिन्दी]

बासमती चावल का उत्पादन

***27. श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने बासमती चावल का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विशेषतः महाराष्ट्र के समुद्र तटीय क्षेत्र के सीमांत एवं छोटे किसानों को बासमती चावल के बीज आसानी से उपलब्ध कराने और उन्हें वित्तीय सहातयता भी प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास का कार्य सौंपा गया है और इसने बासमती चावल की उच्च उपज देने वाली किस्में और इन किस्मों के लिए उपयुक्त उत्पादन–सुरक्षात्मक प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। परिषद बड़े पैमाने पर प्रजनक बीज उत्पादन का कार्य कर रही है ताकि बासमती चावल का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

(ख) उन्नत किस्मों में शामिल है पूसा बासमती–1, हरियाणा बासमती–1 रणबीर बासमती तथा कस्तूरी। इन किस्मों की उपज क्षमता परंपरागत किस्मों नामतः ताराओरी बासमती तथा बासमती 370 की तुलना में अधिक है और इनके पौधे अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं।

अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना के अंतर्गत धान की और बेहतर किस्में तथा उत्पादन प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए गहन अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं जिसके अंतर्गत कपूरथला (पंजाब), कौलक (हरियाणा), पंतनगर (उत्तर प्रदेश), नई दिल्ली और आर. एस. पुरा (जम्मू तथा कश्मीर) में बासमती चावल पर किए जाने वाले सक्रिय अनुसंधान कार्यक्रम शामिल हैं।

(ग) जी हां, जिन इलाकों में बासमती चावल उगाया जाता है वहां सीमांत और छोटे किसानों को उन्नत किस्मों का क्वालिटी बीज उपलब्ध कराने के गहन प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, महाराष्ट्र के तटवर्तीय क्षेत्रों में बासमती चावल नहीं उगाया जाता है।

(घ) कृषि और सहकारिता विभाग समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चला रहा है जिसके अंतर्गत किसी स्थान विशेष में उगाई जाने वाली फसलों की किस्मों के प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु सहायता प्रदान की जाती है। यह विभाग चावल बीज मिनीकट कार्यक्रम भी चला रहा है जिसके अंतर्गत नयी जारी की गई किस्मों के बीज मिनीकिटों में वितरित किए जाते हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र

***28. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक देश में राज्य वार कितने कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को सुचारु रूप से काम करने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा जारी की गई;

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्धारित वर्तमान मानदंड क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर शेष जिलों, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का है;

(ङ) इन केन्द्रों को मिली उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) किसी प्रकार की कमी, यदि कोई है, को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) महोदय, अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश में 261 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं। इन कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1995-96 से 1997-98 तक) कुल 118.35 करोड़ रुपये आबंटित करके जारी किए गए। इसका विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों में शामिल है :

(i) पिछड़े/आदिवासी/पर्वतीय/तटवर्ती/शुष्क/बारानी क्षेत्र,

(ii) 50 एकड खेती योग्य भूमि की उपलब्धता जो प्रश्रयत: जिले के बीच में स्थित होनी चाहिए,

(iii) स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार तथा संचार आदि जैसी मूल सुविधाओं की उपलब्धता,

(iv) अनुसंधान-विस्तार के बीच मजबूत पारस्परिक संबंध,

(v) कृषि विकास कार्यक्रमों को लागू करने का अनुभव तथा

(vi) जिस संस्था में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाना है उसकी दीर्घावधि के आधार पर बिना किसी मूल्य के ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने की इच्छा।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश के शेष बचे सभी जिलों में जिसमें पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल हैं, कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि कराने हेतु योजना आयोग को एक ठोस प्रस्ताव भेजा है।

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों ने आयोजित किए हैं :

(i) 11,365 प्रशिक्षण कार्यक्रम जिससे 2.57 लाख किसानों को लाभ हुआ है,

(ii) 1,095 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिनसे 22,838 प्रसार कर्मियों को लाभ हुआ है,

(iii) महत्वपूर्ण तिलहनी और दलहनी फसलों की उत्पादन क्षमता के प्रदर्शन के लिए 4400 हे. क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शन,

(iv) फील्ड दिवस, किसान मेलों, गोष्ठियों और प्रदर्शिनियों जैसी 2299 प्रसार गतिविधियां, और

(v) 21,573 प्रसार साहित्य का प्रकाशन।

(च) ये कृषि विज्ञान केन्द्र परिषद की सहायता से अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करते हैं और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृ. वि. के. की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	16
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	4
5.	बिहार	21
6.	दिल्ली	1
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	10
9.	हरियाणा	12
10.	हिमाचल प्रदेश	8
11.	जम्मू व कश्मीर	4
12.	कर्नाटक	11
13.	केरल	9
14.	लक्षद्वीप	1
15.	मध्य प्रदेश	20
16.	महाराष्ट्र	23
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	1
19.	मिजोरम	2
20.	नागालैंड	1
21.	उड़ीसा	12
22.	पांडिचेरी	2
23.	पंजाब	10
24.	राजस्थान	31
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	16
27.	त्रिपुरा	2
28.	उत्तर प्रदेश	30
29.	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	261

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों (1995–96 से 1997–98 तक) के दौरान कृ. वि. के. को दिया गया अनुदान (राज्यवार)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	81.64
2.	आंध्र प्रदेश	734.71
3.	अरुणाचल प्रदेश	37.07
4.	असम	327.88
5.	बिहार	719.91
6.	दिल्ली	64.84
7.	गोवा	65.83
8.	गुजरात	445.37
9.	हरियाणा	553.96
10.	हिमाचल प्रदेश	338.36
11.	जम्मू व कश्मीर	164.11
12.	कर्नाटक	505.80
13.	केरल	498.00
14.	लक्षद्वीप	0.00
15.	मध्य प्रदेश	811.75
16.	महाराष्ट्र	1425.27
17.	मणिपुर	43.61
18.	मेघालय	74.15
19.	मिजोरम	48.34
20.	नागालैंड	37.04
21.	उड़ीसा	452.50
22.	पांडिचेरी	51.34
23.	पंजाब	393.15
24.	राजस्थान	1350.04
25.	सिक्किम	37.76
26.	तमिलनाडु	624.95
27.	त्रिपुरा	79.66
28.	उत्तर प्रदेश	1560.04
29.	पश्चिम बंगाल	398.02
	कुल	11835.10

[अनुवाद]

भारत-चीन वार्ता

***29. श्री तथागत सत्पथी :**

श्रीमती जयंती पटनायक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और चीन के बीच बढ़ते मतभेदों के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा गलतफहमी को दूर करने और चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं,; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग में मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) 27 जुलाई, 1998 को मनीला में चीन के विदेश मंत्री के साथ मेरी मुलाकात के दौरान चीनी पक्ष ने हमारे नाभिकीय परीक्षणों पर अपने दृष्टिकोणों को दोहराया। हमने अपने नाभिकीय परीक्षणों के संबंध में अपनी स्थिति और तर्कधार से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने पंचशील और दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसी तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने में इसकी निरंतर प्रासंगिकता के प्रति अपनी-अपनी वचनवद्धता को दोहराया।

2. भारत और चीन 25 तथा 26 फरवरी, 1999 को बीजिंग में विदेश कार्यालय स्तर पर परामर्श करने पर सहमत हुए। ये परामर्श भारत के विदेश मंत्रालय तथा चीन के विदेश मंत्रालय के बीच अगस्त, 1997 में संपन्न सहयोग से सम्बद्ध प्रोतोकोल की रूपरेखा का प्रथम चरण होगा।

3. सरकार पुनः वार्ता शुरू करके अपने संबंधों को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। हम चीन सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। हम चीन के साथ मैत्रीपूर्ण, सहयोगी, अच्छे पड़ोसी वाले तथा परस्पर लाभकारी संबंध विकसित करने के लिए बचनबद्ध हैं।

[हिन्दी]

न्यूनतम परमाणु निवारक क्षमता

***30. श्री मोतीलाल वोरा :**

श्री सदाशिवराम दादोबा मंडलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका भारत पर अपनी न्यूनतम परमाणु निवारक क्षमता बताने के लिए दबाव डाल रहा है,;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार ने क्या रुख अपनाया है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारत ने घोषणा की है कि वह न्यूनतम भरोसेमंद नाभिकीय निवारक रखेगा। अमरीका और अन्य वार्ताकार देश हमारी स्थिति और नीतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए इच्छुक हैं।

(ग) सरकार ने कहा है कि भारत का यह दृष्टिकोण शीत-युद्ध स्थिति से नहीं निकला है और यह हमारे अपने मूल्यांकन पर आधारित है। भारत शस्त्र होड़ में नहीं लगा है। भारत के न्यूनतम नाभिकीय शस्त्र की मात्रा निश्चित नहीं है यह हमारे सुरक्षा वातावरण के संदर्भ में तैयार और निर्धारित किया गया नीतिपरक दृष्टिकोण है। सरकार ने यह भी कहा है कि रक्षा संबंधी स्थिति से जुड़े मामले प्रभुता संपन्न क्रिया कलाप होते हैं और इसलिए ये बातचीत के दायरे में नहीं आते।

सोयाबीन का उत्पादन

***31. श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर सोयाबीन की विभिन्न स्थानों पर खरीद की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी हानि हो रही है,;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अभी हाल में सोयाबीन तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सोयाबीन के बीजों की कीमत में कमी आने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत क्रय के लिये अच्छी औसत गुणवत्ता वाले पीले सोयाबीन का मूल्य 795 रुपये प्रति क्विंटल और काले सोयाबीन का मूल्य 705 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। जब कभी सोयाबीन का मूल्य न्यूतनतम समर्थन मूल्य के बराबर होता है और विनिर्दिष्ट ग्रेड के औसत गुणवत्ता वाले स्टॉक को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रस्ताव किया जाता है, तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) अपनी सहकारी एजेंसियों के माध्यम से सोयाबीन की खरीद करता है। एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नैफेड ने चालू मौसम के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 2230 मीटरी टन सोयाबीन की खरीद की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) देश में सोयाबीन का उत्पादन अधिक होना और तेल निष्कर्शित सोया खली का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हौना सोयाबीन की कीमत कम होने के मुख्य कारण हैं।

[अनुवाद]

वी. प्रभाकरण का प्रत्यर्पण

***32. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राजीव गांधी हत्या कांड मुकदमें में नम्बर एक अभियुक्त लिट्टे नेता वी. प्रभाकरण के प्रत्यर्पण के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने यह मामला गत एक वर्ष के दौरान श्रीलंका की प्रधान मंत्री के साथ हुई अपनी बैठक में उठाया था?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) लिट्टे प्रमुख श्री वी. प्रभाकरण के प्रत्यर्पण के लिए श्रीलंका सरकार से औपचारिक अनुरोध जून, 1995 में किया गया था। तब से समय–समय पर श्रीलंका सरकार के साथ इस मसले पर बातचीत की गई है तथा उन्हें अपनी स्थिति से पूरी तरह से अवगत कराया गया है। श्रीलंका की सरकार ने हमें यह सूचित किया है कि इस अनुरोध पर उचित ध्यान दिया जा रहा है और यह कि, अगर सहमति होती है, तो श्रीलंका में मुकदमा चलाने तथा विधिक प्रक्रिया पूरी होने तक प्रत्यर्पण के लिए इंतजार करना होगा।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि

***33. श्री अर्जुन सेठी :**

श्री पी. सी. थामस :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं/परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कौन से विशेष कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का आबंटन वर्ष, 1998–99 से 1 करोड़ रुपये प्रति सांसद प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये प्रति सांसद प्रति वर्ष करने के निर्णय की घोषणा सरकार द्वारा 23.12.98 को संसद के दोनों सदनों में की गई थी।

(ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जहां तक संभव हो, निर्माण कार्यों की समस्त स्वीकृतियां संबंधित सांसद से प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर दे दी जानी चाहिए। सभी कलक्टरों से कहा गया है कि वे कार्यों की प्रकृति को देखते हुए कार्यकारी अभिकरणों द्वारा कार्यों को एक विशिष्ट समय सीमा से पूरा करवाने हेतु समय अवधि निर्धारित करें तथा इन अभिकरणों के असफल होने की दशा में इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें।

नलकूप

***34. श्री माधव राव पाटील :**

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने देश के कई क्षेत्रों में गहरे नलकूपों की खुदाई के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किए गए सर्वेक्षण के राज्यवार क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) राज्यों में सिंचाई के प्रयोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार की भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 13946 कुएं खोदे गए हैं। मार्च, 1998 तक खोदे गए कुओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है। इन परिणामों का उपयोग भूजल की गुणवत्ता और मात्रा के आकलन के लिए किया गया है। सर्वेक्षण और अन्वेषण के आधार पर देश का भूजल संसाधन 43.2 मिलियन हैक्टेयर मीटर आंका गया है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) भूजल की उपयोग योग्य सिंचाई क्षमता 64 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है। आठवीं योजना के अंत तक सृजित क्षमता लगभग 46 मिलियन हेक्टेयर है तथा उपयोग की गई क्षमता 42 मिलियन हेक्टेयर है। नौवीं योजना के दौरान 10 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

नौवीं योजना के लिए सिंचाई विकास और प्रबंध की समग्र कार्य नीति तैयार कर ली गई है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा शुरू से 31 मार्च 1998 तक निर्मित किए गए अन्वेषणात्मक कुएं

क्र.सं.	राज्य	ई डब्ल्यू*	ओ डब्ल्यू**	एस एच***	पी जेड****	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	763	642	14	146	1565
2.	अरुणाचल प्रदेश	18	4	1	–	23
3.	असम	190	86	15	36	327
4.	बिहार	287	190	13	16	506
5.	गुजरात	495	302	20	224	1041
6.	गोवा	58	18	–	14	90
7.	हरियाणा	334	232	22	130	718
8.	हिमाचल प्रदेश	73	4	1	–	78
9.	जम्मू व कश्मीर	177	62	8	20	267
10.	कर्नाटक	805	446	7	207	1465
11.	केरल	175	59	16	112	362
12.	मध्य प्रदेश	764	495	7	59	1325
13	महाराष्ट्र	607	265	1	98	971
14.	मणिपुर	25	11	–	–	36
15.	मेघालय	48	15	2	1	66
16.	मिजोरम	3	3	–	–	6
17.	नागालैंड	11	3	–	–	14
18.	उड़ीसा	530	162	21	72	785
19.	पंजाब	101	143	18	71	333
20.	राजस्थान	683	351	92	245	1371
21.	सिक्किम	31	9	–	–	40
22	तमिलनाडु	506	226	13	70	815
23.	त्रिपुरा	48	18	4	–	70
24.	उत्तर प्रदेश	440	365	35	69	909
25.	पश्चिम बंगाल	177	94	11	124	406
	कुल	7349	4205	321	1714	13589
	संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान व निकोबार	46	13	1	–	
2.	चंडीगढ़	7	17	2	7	
3.	दादरा व नगर हवेली	12	1	–	–	
4.	दिल्ली	64	31	10	81	

1	2	3	4	5	6	7
5.	दमन व दीव	–	–	–	3	
6.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	
7.	पांडिचेरी	30	20	5	7	
	कुल	159	82	18	98	
कुल योग राज्य + संघ राज्य क्षेत्र		7508	4287	339	1812	

* ई डब्ल्यू – अन्वेषणात्मक कुएं

** ओ डब्ल्यू – प्रेक्षण कुएं

*** एस एच – स्लिम होल

*** पी जेड – पीजोमीटर

विवरण-II

भारत का भूजल संसाधन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (मि.है.मी./वर्ष)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3.52916
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.14385
3.	असम	2.47192
4.	बिहार	3,35213
5.	गोवा	0.02182
6.	गुजरात	2.03767
7.	हरियाणा	0.85276
8.	हिमाचल प्रदेश	0.03660
9.	जम्मू व कश्मीर	0.44257
10.	कर्नाटक	1.61857
11.	केरल	0.79003
12.	मध्य प्रदेश	5.08892
13.	महाराष्ट्र	3.78673
14.	मणिपुर	0.31540
15.	मेघालय	0.05397
16.	मिजोरम	
17.	नागालैंड	0.07240
18.	उड़ीसा	2.00014
19.	पंजाब	1.86550
20.	राजस्थान	1,27076
21.	सिक्किम	
22.	तमिलनाडु	2.63912
23.	त्रिपुरा	0.06634
24.	उत्तर प्रदेश	8.38210
25.	पश्चिम बंगाल	2.30923
	कुल राज्य	43.14769
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान व निकोबार	
2.	चंडीगढ़	0.002966
3.	दादरा व नगर हवेली	0.004220
4.	दमन व दीव	0.001300
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.029154
6.	लक्षद्वीप	0.000243
7.	पांडिचेरी	0.002877
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.040760
	कुल योग	43.18850

विवरण-III

सिंचाई विकास और प्रबंधन के लिए नौवीं योजना के वास्ते समग्र कार्य नीति तैयार करने हेतु मुख्य घटक

(क) जल को लाने और ले जाने और प्रयोग करने में होने वाली हानियों में उत्तरोत्तर कमी करने के लिए उपयोग कुशलता में सुधार लाना,

(ख) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी ए डी पी) को सुदृढ़ करके, संस्थागत सुधार करके, और सिंचाई प्रबंधन में किसानों की सहभागिता को बढ़ावा देकर सृजित क्षमता और इसके उपयोग के बीच का अंतर कम करना,

(ग) सभी चल रही परियोजनाओं, विशेषकर जिन परियोजनाओं को पहले किए गए निवेशों से लाभ प्राप्त करने के लिए पांचवी योजना से पूर्व और पांचवी योजना अवधि में शुरू किया गया था, उन पर किए गए निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पूरा करना,

(घ) स्वतंत्रता से पहले एवं 25 वर्ष पूर्व शुरू की गई पुरानी सिंचाई प्रणाली का जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण करना,

(ङ) प्रारंभ में ओ एंड एस लागत पर आधारित सिंचाई जल का युक्ति संगत मूल्य निर्धारण करना तथा उसके बाद उच्च स्तर की जल उपयोग क्षमता को बढ़ावा देना,

(च) अधिशेष जल का अन्तर नदी बेसिन हस्तांतरण की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक जल संसाधनों के विस्तृत एंव एकीकृत विकास के लिए ठोस कदम उठाना,

(छ) सिंचाई प्रणालियों के अधिक लागत प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन तथा प्रबधन को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना,

(ज) जल का उपयोग करने वाले समुदायों को पूरी तरह शामिल करके सहभागिता जल प्रबंधन (पी आई एम) को बढ़ावा देना। यह नौवीं योजना की उपरोक्त कार्यनीतियों के कार्यान्वयन का केन्द्र होगी,

(झ) जल संसाधन का अधिकतम उपयोग करने के लिए भूजल और सतही जल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना और उसे कार्यान्वित करना तथा उसका विकास पर्यावरणीय दृष्टि से सतत् आधार पर करना,

(ञ) विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में सही तकनीक, पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि के साथ-साथ उचित विनियमित प्रबंध तंत्र पर आधारित भूजल के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना।

फसल बीमा योजना

***35. श्री नरेश पुगलीया :**

डा. शकील अहमद :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोर ग्रुप द्वारा तैयार की गई संशोधित फसल बीमा योजना इस बीच सरकार को पेश कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) प्रस्तावित संशोधित व्यापक फसल बीमा योजना (एम. सी. सी. आई. एस.) पर राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के विचारों में समन्वय स्थापित करने के लिए गठित किये गये एक छोटे दल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इस दल की मुख्य सिफारिशों में शामिल हैं– सभी किसानों (ऋण लेने वाले तथा ऋण ने लेने वाले दोनों) को तथा कुछ नकदी और बागवानी फसलों सहित और अधिक फसलों को शामिल करना बशर्ते उनके बारे में आंकड़े उपलब्ध हों। बीमांकिक प्रीमियम दरें लागू करना, छोटे और सीमांत किसानों को प्रीमियम सब्सिडी प्रदान करना, एक लघु इकाई क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन करना, अलग से एक क्रियान्वयन एजेंसी गठित करना आदि।

इस दल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय साधारण बीमा निगम ने एक योजना का मसौदा प्रस्तुत किया है जिसकी इस समय सरकार जांच कर रही है।

पासपोर्ट अदालतें

***36. श्री वेंकटेश नायक :**

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पासपोर्ट आवेदकों द्वारा कठिनाइयों का सामना करने के संबंध में उनसे कई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या पासपोर्ट के इच्छुक व्यक्तियों की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार का पासपोर्ट अदालतें आयोजित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से स्थान निर्दिष्ट किये गये हैं;

(ङ) 1 फरवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(च) इन आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (च) पिछले एक वर्ष में लोक शिकायत निवारण

प्रक्रिया को उल्लेखनीय रूप से मजबूत बनाया गया है। पासपोर्ट अधिकारी प्रति दिन एक निर्धारित समय पर लोगों से मिलते हैं। सभी पासपोर्ट अधिकारियों को शिकायत पुस्तिका रखने की सलाह दी गई है। सभी पासपोर्ट कार्यालयों में कार्य कर रही लोक शिकायत निवारण प्रक्रिया के अतिरिक्त 1996 में नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के मुख्यालय में एक केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना की गई। इस कक्ष में दो जनसंपर्क अधिकारी हैं जो मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। इस कक्ष को अलग टेलीफोन और फैक्स लाइनें उपलब्ध करायी गयी हैं ताकि संपर्क आसानी से किया जा सके।

2. पासपोर्ट अधिकारी आवधिक पासपोर्ट अदालतें लगाने पर विचार कर रहे हैं। हैदराबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय ने पहले से ही प्रायोगिक आधार पर पासपोर्ट अदालतें लगाना आरंभ कर दिया है और अन्य पासपोर्ट कार्यालय भी पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद द्वारा शुरू की गई इन अदालतों से जनता में हुई प्रक्रिया के मूल्यांकन के आधार पर ये अदालतें लगाना आरंभ करेंगे।

3. प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में 1 फरवरी 1999 को जितने आवेदन-पत्र लंबित थे उन्हें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

4. शीघ्र निपटान और बकाया आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

5. पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है। पासपोर्ट आवेदन पत्रों की प्रक्रिया तेज करने के लिए जो उपाय किए गए हैं वे हैं : कार्य क्रियाविधि का कम्पयूटरीकरण, नए पासपोर्ट कार्यालय और संग्रहण केन्द्र खोलना, पासपोर्टों की वैधता को 20 वर्ष कर देना, पासपोर्ट की स्पीड पोस्ट से भेजने की व्यवस्था करना, बकाया मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी आदि।

विवरण

1.2.1999 को पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय	लंबित आवेदन पत्र
1	2	3
1.	अहमदाबाद	17129
2.	बंगलौर	38096
3.	बरेली	23856
4.	भोपाल	3477
5.	भुवनेश्वर	4861
6.	मुम्बई	27211
7.	कलकत्ता	12167
8.	चंडीगढ़	28491
9.	कोचीन	9489
10.	दिल्ली	25143
11.	गाजियाबाद	6610
12.	गुवाहाटी	2875
13.	हैदराबाद	30883
14.	जयपुर	29129
15.	जालंधर	34117
16.	जम्मू	7604
17.	कोजीकोड	29018
18.	लखनऊ	22681
19.	चेन्नई	29640
20.	नागपुर	1443
21.	पणजी	861
22.	पटना	7395
23.	पुणे	1257
24.	श्रीनगर	2641
25.	ठाणे	1597
26.	त्रिची	59469
27.	त्रिवेन्द्रम	7331
28.	विशाखापट्टनम	4532

भूमिगत जल

***37. श्री रामनारायण मीणा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूमिगत जल संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृत्रिम रूप से भूमिगत जल इकट्ठा करने के लिए कोई योजना शुरू की है,;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत प्रयोग किया जाने वाला राज्यवार और स्थानवार भूक्षेत्र कुल कितना है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उस पर राज्यवार कुल कितना धन खर्च किया गया; और

(च) भूमिगत जल की कमी के संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने भूजल संसाधनों के आकलन के वास्ते कार्य प्रणाली की समीक्षा करने तथा सभी संबंधित मुददों की जांच करने के लिए नवंबर, 1995 में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने जून, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट की सिफारिशों का सारांश विवरण–I में दिया गया है। समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं तथा संशोधित कार्यप्रणाली के आधार पर भूजल संसाधनों के आकलन में प्रयोग के वास्ते इस रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार के भूजल संगठनों को परिचालित की गई थीं।

(ग) से (ङ) सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों के लिए वर्ष 1994–95 में प्रायोगिक आधार पर एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम शुरू की थी। ये अध्ययन वर्ष 1997–98 में 3,29,69,676 रुपये की कुल लागत से पूरे किए गए। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अध्ययनों पर खर्च की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है। इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर सरकार ने हाल ही में इस स्कीम को नौवीं पंचवर्षीय योजना में 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अध्ययन करने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है।

(च) केन्द्र सरकार ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में राज्यों की सहायता करने के लिए 101.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम भी तैयार की है। इस स्कीम पर परामर्श चल रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर एक मैनुअल तैयार किया है तथा इसे राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को परिचालित किया है ताकि वे क्षेत्र विशिष्ट पुनर्भरण स्कीम तैयार कर सकें।

विवरण-I

समिति (1997) की सिफारिशों का सारांश भूजल संसाधन का आकलन

सिफारिश की गई इस संशोधित प्रणाली में भूजल आकलन समिति 1984 की सिफारिशों की तुलना में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। इस कार्य प्रणाली में जल विभाजक को कठोर चट्टानी क्षेत्रों में आकलन इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है। गैर–कमान और कमान क्षेत्रों के लिए भूजल आकलन अलग से किए जाने हैं तथा भूजल की खराब गुणवत्ता वाले क्षेत्रों का अलग से सुधार किया जाना है। मानसून और गैर–मानसून मौसमों के लिए भूजल पुनर्भरण का अलग से आकलन किया जाना है। शुष्क मौसम में भूजल संतुलन के अनुप्रयोग पर आधारित विशिष्ट जल निकासी के आकलन के लिए एक वैकल्पिक कार्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है जो कठोर चट्टानी क्षेत्रों के गैर–कमान हिस्से में लागू होगी। सिंचाई से वापसी प्रवाह के लिए मानक अब सिंचाई के स्रोत अर्थात् भूजल अथवा सतही जल, फसलों का प्रकार, और भूमि स्तर के नीचे जल स्तर की गहराई पर आधारित होते हैं। जल संरक्षण संरचनाओं के कारण अब पुनर्भरण संबंधी एक सुस्पष्ट प्रावधान किया गया है। भूजल स्तरों को भूजल आकलन का अविभाज्य अंग बनाया गया है और भूजल विकास के लिए क्षेत्रों का श्रेणीकरण अब भूजल विकास की अवस्था और इन स्तरों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति पर आधारित है।

विवरण-II

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम पर किए गए व्यय का राज्य–वार और वर्ष–वार विवरण

राशि (रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	2,12,000	–	2,12,000
2.	कर्नाटक	39,49,459	16,61,957	13,64,690	6,60,265	76,36,371
3.	केरल	–	–	6,88,273	24,35,000	31,23,273
4.	मध्य प्रदेश	–	–	7,12,500	4,64,000	11,76,500
5.	महाराष्ट्र	57,64,000	42,26,280	10,92,933	2,20,802	1,13,04,015
6.	तमिलनाडु	–	–	8,50,000	6,50,000	15,00,000
7.	पश्चिम बंगाल	–	–	99,250	38,250	1,37,500
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,12,000	35,41,257	28,64,399	5,12,361	71,30,017

1	2	3	4	5	6	7
9	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	-	-	2,22,000	5,28,000	7,50,000
	कुल	99,25,459	94,29,494	81,06,045	55,08,678	3,29,69,676

नौवीं योजना में विकास दर

***38. श्री अभयसिंह एस. भोंसले :**

श्री मदन पाटील :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना में विकास दर के लक्ष्य को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस सीमा तक कम किया गया है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) नौवीं योजना हेतु कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास, विद्युत आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए निर्धारित बजट आबंटन और योजना परिव्यय का क्या ब्यौरा है तथा पिछली योजना में इन क्षेत्रों हेतु किए गए आबटन के आकड़े क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) योजना आयोग की आंतरिक बैठकों में अनुमोदित की गई मसौदा नौवीं पंचवर्षीय योजना, 1997–2002 योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा 1 मार्च, 1998 को जारी की गई थी। बाद में, सरकार द्वारा इस मसौदे की पुनरीक्षा की गई जिससे शासन के लिए राष्ट्रीय एजेण्डा में यथा–वर्णित परिवर्तित प्राथमिकताओं को उपयुक्त ढग से दर्शाया जा सके। उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों पर विस्तृत कार्य योजनाएं तैयार की गईं और वे उपयुक्त रूप से वर्तमान मसौदे में शामिल की गईं। पिछले मसौदे में परिकल्पित जी. डी. पी. की लक्षित वृद्धि दर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की तुलना में प्रतिवर्ष 6.5 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि पर आधारित संशोधित दस्तावेज 19 फरवरी, 1999 को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। योजना आयोग ने नौवीं योजना के पांच वर्षों में जी डी पी की लक्षित वृद्धि दर को कम करने की यह सिफारिश 1997–98 (अर्थात् नौवीं योजना के प्रथम वर्ष) के दौरान 5.0 प्रतिशत वृद्धि की वास्तविक उपलब्धि और 1998–99 (अर्थात् योजना के दूसरे वर्ष) के दौरान 5.8 प्रतिशत वृद्धि की प्रत्याशित उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए की। इस लक्ष्य में योजना के शेष तीन वर्षों के दौरान 7 प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि अन्तर्निहित हैं।

(ग) नौवीं और पूर्व योजना के अनुसार क्षेत्रीय परिव्यय और बजटीय आबंटन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आठवीं और नौवीं योजना में विकास के प्रमुख शीर्षों के सबध में सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

	आठवीं योजना (1991–92 कीमतें)	नौवीं योजना (1996–97 कीमतें)
कृषि और संबद्ध *	54992.50	93144
ग्रामीण विकास	34425.36	73439
विशेष कार्यक्रम	6750.16	3649
ऊर्जा	115561.09	215545
उद्योग और खनिज	46921.75	69972
परिवहन	55925.57	121324
संचार	25109.98	47616
विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	9041.69	25529
सामान्य आर्थिक सेवाएं**	6360.00	26978
सामाजिक सेवाएं	79011.90	182005
जोड	434100.00	859200

* सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण शामिल हैं।

** सामान्य सेवाएं शामिल हैं।

बाढ़ नियंत्रण

***38. डा. सुशील इन्दौरा :**

डा. चिंता मोहन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 के दौरान देश में बाढ़ के कारण कुल कितनी कृषि योग्य भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए कोई जल नीति तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1998 की बाढ़ के दौरान देश में 7.519 मिलियन हैक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने वर्ष 1987 में एक राष्ट्रीय जल नीति अपनाई थी। वर्ष 1998 में तैयार की गई संशोधित राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे पर राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा अक्तूबर, 98 में विचार किया गया तथा उसे अंतिम रूप दिया गया।

संशोधित राष्ट्रीय जल नीति में प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के वास्ते बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस नीति मे अत्याधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण करने के लिए जहां कहीं भी संभव हो वहां भंडारण जलाशयों में पर्याप्त बाढ़ कुशन का प्रावधान करने तथा उपयुक्त जलाशय विनियमन नीति तैयार करने का सुझाव दिया गया है। इस नीति में बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी, बाढ़ मैदान जोनिंग और बाढ़ प्रूफिंग जैसे गैर–संरचनात्मक उपाय करने पर भी जोर दिया गया है। इस नीति में बाढ़ की सघनता को कम करने के लिए मृदा संरक्षण के माध्यम से जल विभाजक प्रबधन करने, जल ग्रहण क्षेत्र का सुधार करने, वनों का संरक्षण करने तथा चैक बांधों का निर्माण करने संबंधी सुझाव भी दिए गए हैं।

(ङ) नौवीं योजना के वास्ते प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित स्वीकृत परिव्यय सलंग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के लिए बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में राज्यवार स्वीकृत परिव्यय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बाढ़ नियंत्रण (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	127.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	69.52
3.	असम	120.24
4.	बिहार	400.00
5.	गोवा	6.64
6.	गुजरात	10.00
7.	हरियाणा	60.41
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00
9.	जम्मू और कश्मीर	85.00
10.	कर्नाटक	50.00
11.	केरल	88.00
12.	मध्य प्रदेश	4.67
13.	महाराष्ट्र	2.70
14.	मणिपुर	36.00
15.	मेघालय	18.00
16.	मिजोरम	0.00
17.	नागालैंड	5.37
18.	उड़ीसा	20.00
19.	पंजाब	409.00
20.	राजस्थान	51.16
21.	सिक्किम	30.00
22.	तमिलनाडु	0.00
23.	त्रिपुरा	28.00
24.	उत्तर प्रदेश	80.00
25.	पश्चिम बंगाल	328.44
	कुल राज्य	2051.08
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	4.23
27.	चंडीगढ़	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	0.00
29.	दमन व दीव	2.19
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	120.00
31.	लक्षद्वीप	17.36
32.	पांडिचेरी	21.50
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	165.28
	कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	2216.36

जल संसाधनों के विकास हेतु समेकित जल योजना

***40. श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समेकित जल संसाधन विकास योजना आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, औद्योगिक, बाढ़ नियंत्रण और अन्य उपयोगों के लिए जल संसाधनों के विकास हेतु कोई समेकित जल योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर अतिरिक्त जल की पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाने की कार्य विधियां क्रियान्वित कर दी गई हैं,

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय ने 13.9.96 को एकीकृत जल संसाधन विकास योजना के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है। राष्ट्रीय आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ पेय, सिंचाई, औद्योगिक, बाढ़ नियंत्रण और अन्य उपयोगों के लिए जल संसाधनों के विकास की एक एकीकृत जल योजना तैयार करने के उद्देश्य से नदियों को परस्पर जोड़ कर जल की कमी वाले बेसिन को अधिशेष जल का हस्तांतरण करने सबंधी तौर-तरीकों का सुझाव देना शामिल है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां

233. श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में, विशेष रूप से केरल राज्य में बहने वाली उन नदियों की संख्या कितनी है जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन नदियों के जल का दोहन करने और उसका सदुपयोग करने के लिए कोई कारगर उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश में पश्चिम की ओर बहने वाली लगभग 90 छोटी और बड़ी नदियां हैं।

(ख) और (ग) चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है इसलिए सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण एवं कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

जीएसएलवी-डी-1

234. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान जी-सेट-1 के साथ-साथ जीएसएलवी (जीएसएलवी-डी-1) का पहला परीक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) इस परीक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट-डी (जी एस एल वी डी-1) की प्रथम विकासात्मक उडान जीसेट-1 अंतरिक्षयान के साथ सफलता की ओर अभिमुख अनुसूची के आधार पर 1999 की अंतिम तिमाही के लिए निर्धारित है।

(ग) इस उड़ान का मुख्य उद्देश्य उडान के दौरान राकेट प्रणालियों की जांच करना तथा जीसेट-1 अंतरिक्षयान को भू-तुल्यकाली अंतरण कक्षा (जीटीओ) में प्रक्षेपित करना है। यह विकासात्मक उड़ान क्रायोजेनिक चरण, द्रव स्ट्रैप ऑनों तथा छिद्रयुक्त अंतराचरण और राकेट एवं मिशन से संबंधित पहलुओं जैसी नई राकेट प्रणालियों पर पहली बार मूल्यवान आंकड़े उपलब्ध कराएगी।

[हिन्दी]

नकदी फसलों का उत्पादन

235. श्री मित्रसेन यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में नकदी फसलों का उत्पादन बढाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है अथवा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में नकदी फसलों संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए राज्यों को निम्नलिखित धनराशि प्रदान की गई है :

(लाख रुपये)

	स्कीम का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1.	आई सी डी पी कपास	1016.73	1156.60	1396.35	1441.00
2.	एस जे डी पी पटसन	187.21	312.14	373.66	316.00
3.	सुबाक्स (एस यू बी ए सी एस) गन्ना स्कीम	3026.08	1228.88	1105.8	1600.00
4.	ओ. पी. पी-तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	8820.0	10569.0	10456.00	8950.0

विवरण

भारत सरकार द्वारा नकदी फसलों के विकास संबंधी निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही है :

क्र.सं.	स्कीम	स्कीम के कार्यान्वयन वाले राज्य
1	समेकित कपास विकास कार्यक्रम–कपास	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश।
2	विशेष पटसन विकास कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, उडीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल
3	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उडीसा, पंजाब, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और मणिपुर।
4.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

[अनुवाद]

सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी

236. डा. सरोजा वी. :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारी जनवरी, 1999 के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी मांगों के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(घ) क्या सरकार का विचार सामूहिक प्रदर्शन के कारण कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश बहाल करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकयत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जर्नादनन) : (क) से (ग) जनवरी 1999 में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं रहा है जब केन्द्र सरकार के 38 लाख से अधिक कर्मचारी एक साथ सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए हों।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) आकस्मिक छुट्टी की बहाली से, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के कार्य दिवसों की संख्या में कमी आ जाएगी।

निजी सिंचाई परियोजनाएं

237. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग को पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों विशेष रूप से असम सरकार से सूखा पीडित क्षेत्रों के लिए निजी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कोई सिंचाई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बैराज परियोजनाएं

238. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विभिन्न बैराज परियोजनाओं के कार्य को प्रगति का आकलन करने के लिये सरकार द्वारा कोई मानीटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) बैराज परियोजनाओं सहित कुछ चुनी हुई वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की मानीटरी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की 3 वृहद और 4 मध्यम परियोजनाओं की मानीटरी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही है जिसमें परियोजना घटकों की प्रगति और कार्यक्रम की गंभीर पुनरीक्षा, आनेवाली बाधाओं का पता लगाना और परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए सुधारात्मक उपायों की सलाह देना शामिल है। तथापि, इन परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा उनको दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

ओमान में भारतीय

239. श्री चेंगारा सुरेन्द्रन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान सरकार ने यह घोषणा की है कि उनका विचार उस देश में रह रहे 3,60,000 भारतीयों को वापस भेजने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक की लंबित परियोजनाएं

240. श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से स्वीकृति हेतु प्राप्त बहुत–सी परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जी, नहीं। योजना आयोग के पास स्वीकृति हेतु कोई परियोजना लंबित नहीं है।

महाराष्ट्र की लंबित योजनाएं

241. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त तथा सरकार की मंजूरी/अनुमोदन के लिए लंबित पड़ी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार कब तक इन योजनाओं पर निर्णय ले लेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) योजना आयोग के पास इस समय महाराष्ट्र राज्य से संबंधित कोई स्कीम स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

242. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने, सुधारने और सुव्यवस्थित करने के विभिन्न उपाय सुझाने के लिये योजना आयोग ने नवीं पंचवर्षीय योजना हेतु भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और क्षेत्रीय विकास पर एक संचालन दल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या संचालन दल ने इस संबंध में विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत की हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और सिफारिशों को किस सीमा तक लागू किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) नौवीं योजना हेतु ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन एवं क्षेत्र विकास संबंधी संचालन दल ने, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने, सुधारने एवं सुकर बनाने के लिए विभिन्न उपाए सुझाए।

संचालन दल की मुख्य सिफारिशें/टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

(i) नौवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, यथा स्व–रोजगार एवं मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को और अधिक प्रबलता से परंतु इनके विषय वस्तु, अभिकल्प तथा क्षेत्र में परिवर्तनों सहित, जारी रखना।

ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम

(ii) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) के स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत, व्यक्ति लाभार्थी दृष्टिकोण से दल/समूह दृष्टिकोण की ओर कार्य नीतिपरक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

(iii) आई आर डी पी के अंतर्गत प्रति परिवार निवेश स्तर को बढाने के एक प्रयास के रूप में, फैमिली क्रेडिट योजना (एफ सी पी) को समेकित करने एवं उसके कार्यान्वयन का देश के अन्य जिलों तक विस्तार किए जाने का व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए।

(iv) दल/समूह दृष्टिकोण के अंतर्गत एक संगठनात्मक तरीके से व्यवहार्य परियोजना रूपरेखा का प्रतिपादन करना होगा। जो गरीबों को सजातीय समूहों में संगठित कर सके, प्राथमिकता के तौर पर व्यवहार्य स्थानिक समूहों के अन्दर ही तथा उनकी क्षमता एव कौशलों की पहचाने कर सके और उन्हें स्थानीय संसाधन उपलब्धता एव उद्यम की विपणनीयता के साथ संश्लेषित कर सके।

(v) यह स्वीकार करते हुए कि आई आर डी पी गतिविधियों के माध्यम से सृजित वर्धनीय आय के निर्धारण में निवेश का स्तर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्ती है, यह सुझाव दिया गया था कि नौवीं योजना में औसत निवेश स्तर, गरीबी रेखा और आय अन्तर के अनुमानों के आधार पर 24,000 रुपये प्रति परिवार के करीब किया जा सकता है।

(vi) एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) विकसित की जानी चाहिए जिसके माध्यम से स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की देश भर में पहचान और नेटवर्किंग की जाये। इससे, उन क्षेत्रों का पता लगेगा जहां प्रशिक्षण आधारसंचना की कमी है एवं जहां नौवीं योजना के दौरान निवेश किया जाना चाहिए। उन ब्लाकों में जहां बेरोजगार युवा अधिक संख्या में हैं, और जहां आसपास कोई भी प्रतिष्ठित संस्था नहीं है, लघु आई टी आई स्थापित की जा सकती हैं परतु केवल चुनिंदा रूप में ही।

(vii) राज्य सरकारों को ग्रामीण दस्तकार समूहों के लिए उपयुक्त टूलकिट्स के विकास को प्रोत्साहित करने का कार्य शुरू करना चाहिए। विभिन्न दस्तकार समूहों के लिए सुधरे हुए टूलकिट्स हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी एवं डिजाइनों के 'विकास' के लिए उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, आई टी आई के साथ अन्योन्य क्रिया करनी होगी।

(viii) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी डब्लयू सी आर ए) समूहों को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए सजातीय समूहों की स्थापना, व्यवहार्य कार्यकलाप प्रायोजित करने, पर्याप्त वित्तीय सहायता तथा अग्रगामी व पश्चगामी संपर्क सहित आवश्यक आधारसंरचना सहायता प्रदान करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

(ix) यह सुझाव दिया गया था कि मजदूरी रोजगार स्कीमों अर्थात् जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) एव रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) हेतु आबंटित निधियों का प्रयोग मूलतः रोजगार के उद्देश्य हेतु ही किया जाना चाहिए। (जैसा कि 60:40 के मजदूरी अनुपात में परिलक्षित है) दूसरा अभिव्यक्त मत यह था कि इनमें से एक स्कीम, विशेष रूप से, रोजगार सृजन की ओर ही निदेशित की जानी चाहिए जबकि दूसरी स्कीम का केन्द्र बिन्दु, अलग से, संपत्ति, निर्माण तथा ग्रामीण आधार संरचना के विकास पर होना चाहिए।

(x) इसके अतिरिक्त, जे आर वाई एवं ई ए एस के संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिये गये :

(क) शहरीकृत एवं विकसित ब्लाकों/जिलों/राज्यों को इस स्कीम के कार्यक्षेत्र से अलग रखा जाना है। इसके लिए एक उपयुक्त मानदंड विकसित किया जाना होगा।

(ख) राज्यों के मीमासात्मक आबंटन, गरीबी के विस्तार के आधार पर होने चाहिए। जिलों अथवा ब्लॉकों को आगे और आबंटनों हेतु एक मानदंड विनिर्दिष्ट किया जाना होगा। विकल्पतः जिलों ब्लाकों की निधियों की इस सुपुर्दगी का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है।

(ग) ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाने वाली निधियों की सुरक्षा करना (कम–से–कम वर्तमान स्तर पर) आवश्यक होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार छोटे–छोटे कार्य शुरू कर पायें। अतिरिक्त आबंटनों को ब्लाक एवं जिला स्तरों के मध्य वितरित किया जा सकता है।

(घ) ठेकेदारों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पंचायतों को इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना चाहिए। कार्यकलापों का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जा सकता है जैसाकि जिला योजनाओं में परिलक्षित है।

(xi) समर्थन, जागरूकता पैदा करने एवं सामाजिक संघटन के माध्यम से गरीबों को अधिकार प्रदान करने में स्वैच्छिक संगठनों (वी ओ) एवं पंचायती राज संस्थाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। सामाजिक जागरूकता पैदा करने वालों एवं ग्रामीण संयोजकों के रूप में उन्हें गरीबों के स्वयं सेवी समूह बनाने में मदद करनी चाहिए जिससे वे अपनी आर्थिक बेहतरी के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों एवं कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें।

(xii) जिला योजना के ढांचे के अंदर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्षेत्र विकास स्कीमों तथा क्षेत्रकीय कार्यक्रमों के साथ और अधिक एकीकरण को सहायता पहुंचाने के लिए एक उपयुक्त क्रियाविधि निर्धारित करने की अत्यंत आवश्यकता है।

(xiii) राज्य के अन्दर और अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने हेतु उन क्षेत्रों/पाकेट्स की पहचान किए जाने की आवश्यकता है जहां गरीबी व बेरोजगारी अधिक है।

संचालन समूह द्वारा की गई ये सिफारिशें/टिप्पणियां, बहुत हद तक, नौवीं योजना में समावेशित कर ली गई हैं।

शिक्षा पर व्यय

243. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में कुल सकल घरेलू उत्पाद में से कितना प्रतिशत व्यय शिक्षा पर किया गया है,

(ख) वर्ष 1992–97 के दौरान शिक्षा लागत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई,

(ग) क्या शिक्षा के लिये सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत बजट आबंटन सबंधी प्रस्ताव को लागू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) कुल सकल घरेलू उत्पाद में से शिक्षा पर खर्च किये गये व्यय का प्रतिशत।

(करोड़ रुपये)

	1996–97 (बजट अनुमान) शिक्षा के लिए बजट प्रावधान (राजस्व लेखा) द्वारा		1996–97 जीडीपी एफसी अखिल भारत (वर्तमान कीमतों पर)		कुल सकल घरेलू उत्पाद का शिक्षा व्यय का प्रतिशत
	शिक्षा विभाग	अन्य विभाग	कुल	तुरत अनुमान	
जोड़ (केन्द्र +राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) (योजना + गैर योजना)	36529.29	6883.15	43412.44	1149215	3.78

(ख) 1992–97 के दौरान शिक्षा की लागत में प्रतिशत वृद्धि

(करोड रुपये)

कुल शिक्षा व्यय (केन्द्र+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) (योजना + गैर योजना)	शिक्षा के लिए (राजस्व लेखा) द्वारा शिक्षा विभाग विभाग	बजट प्रावधान अन्य	जोड़	शिक्षा की लागत में मैं वृद्धि का प्रतिशत 1992–93 से 1996–97
1992–93 (वास्तविक आंकड़े)	20952.97	4077.33	25030.30	
1996–97 (बजट अनुमान)	36529.29	6883.15	43412.44	57.66

(ग) शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के बजट आबंटन हेतु प्रस्ताव का कार्यान्वयन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि, सब को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा पर सरकारी खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3.7 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से 6 प्रतिशत तक उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वैज्ञानिक को पुरस्कार

244. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 दिसम्बर, 1988 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में "नासा कालेज स्पेस स्टेशन चन्द्रशेखर" शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है,

(ख) क्या सरकार का इस महान भारतीय वैज्ञानिक को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

मछुआरों के लिए आवास

245. श्री दादा बाबूराव परांजये : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश शासन के मत्स्यन विभाग ने मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना के तहत, मछुआरों के लिए आवास के निर्माण के लिए 50–50 लाख रुपये की लागत की एक योजना केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ अग्रेषित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना का अनुमोदन कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त योजना पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के आदर्श गांव घटक विकास के अंतर्गत 1989–90 से 1993–94 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न गांवों में मछुआरों के लिए कुल 460 घरों, 23 टयूबवैलों और 3 सामुदायिक हालों को मंजूर किया गया था और उक्त प्रयोजन के लिए 29.37 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा धनराशि का उपयोग किए जाने में धीमी प्रगति हुई है और यहां तक कि 1989–90 के दौरान मंजूर धनराशि का भी अभी तक पूरा उपयोग नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत मौजूदा योजना को स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक प्रगति हासिल किए जाने के बाद दी जाएगी।

रिक्त पद

246. श्री अमन कुमार नागरा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के अनेक पद लंबे समय से रिक्त पड़े हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन रिक्त पदों को चालू वर्ष के दौरान भरने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकयत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जर्नादनन) : (क) जी, हां। मंत्रालयों/विभागों में 31.3.1997 को मौजूद स्थिति के अनुसार रिक्त चल रहे पदों की संख्या अनुमानतः 3.2 लाख है।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ) रिक्त पद भरे जाने की प्रक्रिया एक सतत् चलती रहने वाली प्रक्रिया है तथा इस संबंध में कार्रवाई, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस विषय में, समय–समय पर, जारी अनुदेशों को ध्यान में रखकर की जानी अपेक्षित होती है। यह प्रक्रिया, सामान्य श्रेणी की रिक्तियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग इत्यादि के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों की उपलब्धता तथा भर्ती कार्रवाई के पूर्ण होने पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया मे, कुछ मामलों में कर्मचारी चयन आयोग संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि जैसे बाहरी अभिकरणों (एजेसियों) से परामर्श करना अपेक्षित हो सकता है।

विवरण

मंत्रालय/विभाग का नाम	रिक्त पदों की अनुमानित संख्या (31.3.97 को मौजूद स्थिति के अनुसार)
1	2
1. कृषि और सहकारिता और पशु–पालन तथा डेयरी	1324
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2
3. परमाणु ऊर्जा	4352
4. जैव–प्रौद्योगिकी	38
5. मंत्रिमंडल–सचिवालय	13
6. रसायन और पेट्रोलियम	47
7. नागर विमानन	279
8. नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण	88
9. कोयला	81
10. वाणिज्य	442
11. कंपनी कार्य	328
12. संस्कृति	983
13. रक्षा (सिविलियन)	77920
14. आर्थिक कार्य	3026
15. शिक्षा	333
16. इलैक्ट्रॉनिकी	220
17. पर्यावरण एव वन	809
18. व्यय	230

1	2
19. विदेश	657
20. उर्वरक	22
21. खाद्य	190
22. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	111
23. स्वास्थ्य तथा परिवार–कल्याण	3196
24. भारी उद्योग	2
25 गृह (न्याय सहित)	26184
26. भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा–विभाग	8180
27. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	808
28. सूचना और प्रसारण	7644
29 श्रम	1243
30. विधि कार्य	176
31 विधायी विभाग	57
32. खान	3364
33. गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत	95
34. महासागर–विकास	62
35. संसदीय कार्य	1
36. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन	1075
37. पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	33
38. योजना–आयोग	1178
39. डाक	17815
40. विद्युत	284
41. राष्ट्रपति सचिवालय	29
42. प्रधान मंत्री कार्यालय	55
43. कार्यक्रम कार्यान्वयन	19
44. लोक उद्यम	29
45. रेल	122772
46. राजस्व	9299
47. ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार	334
48. विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2629
49. अंतरिक्ष	1149
50. लघु उद्योग, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग	1323
51. सांख्यिकी	566
52. इस्पात	13
53. आपूर्ति	627
54. भूतल–परिवहन	659
55. दूर संचार	15725
56. वस्त्र	511
57. पर्यटन	41
58. संघ लोक सेवा आयोग	151
59. शहरी कार्य तथा रोजगार	2231
60. उप राष्ट्रपति सचिवालय	11
61. परती भूमि–विकास	8
62. जल–संसाधन	2070
63. कल्याण	25
64. महिला और बाल कल्याण	63
65. युवा कार्यक्रम और खेल	15

[अनुवाद]

ईसाईयों पर अत्याचार

247. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्री वी. वी. राघवन :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ईसाइयों पर बढ़ते अत्याचारों के कारण देश की छवि गिर गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईसाइयों पर हो रहे इन अत्याचारों के कारण प्रधान मंत्री को जर्मनी की अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) बहुवादी समाज के ढांचे में धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की भारत की परंपरा सर्वविदित है। भारत सरकार ने इस परंपरा को कायम रखने के प्रति भारत की कठोर एवं लगातार जारी प्रतिबद्धता पर बल दिया है। हाल की घटनाओं की निंदा करने वाले भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के वक्तव्य, ऐसी घटनाओं की भारत में सार्वभौमिक सार्वजनिक निंदा तथा हिंसा की ऐसी सभी कार्रवाईयों की जांच करने तथा कानून के अंतर्गत कार्रवाई में सरकार द्वारा उठाए गए तुरंत कदमों की ओर आकृष्ट किया गया है। विदेशी सरकारें, लोकमत तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उपर्युक्त तथ्यों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं। विदेश स्थित हमारे मिशन/केन्द्र अपने प्रयासों में लगे हैं। इन उपायों से इस प्रयोजन में सरकार की गंभीरता के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को

पुनः आश्वस्त करने में मदद मिली है। भारत की स्थिति के प्रति समझबूझ दिखाई गई है और विशेष तौर पर इस तथ्य के प्रति कि ऐसी घटनाएं आपराधिक तत्वों की गतिविधियों से उत्पन्न हुई अनिवार्यताओं के कारण हुई हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। कार्यक्रम से जुड़े कारणों से यात्रा नहीं हो सकी।

भूमिगत जल

248. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री सुशील इंदौरा :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :

डा. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री अरविंद काम्बले :

श्री आदित्य नाथ :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत जल के स्तर में कितनी वार्षिक औसत कमी आई;

(ख) देश में वर्षा जल के भंडारण के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या वैज्ञानिक कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य से विदेशी सहायता मांगी थी और उसे यह सहायता प्राप्त हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को कुल कितना धन मुहैया कराया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश के विभिन्न भागों में पिछले तीन वर्षों के दौरान भूजल के स्तर के औसतन 2 से 3 मीटर तक की गिरावट पायी गयी है।

(ख) देश में वर्षा जल के भंडारण के लिए सरकार द्वारा किए गए वैज्ञानिक उपायों में जल विभाजक विकास, वन रोपण एवं जल संरक्षण कार्य, परकोलेशन टैंकों का निर्माण, इंजेक्शन कुएं, चैक बांधों वाटर स्प्रेडिंग बेसिनें एवं रूफ टाप रेन हार्वेस्टिंग शामिल हैं।

(ग) और (घ) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण–I में संलग्न है।

(ङ) संघ सरकार ने भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध नहीं करायी हैं। तथापि, सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़ में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के अध्ययन के लिए वर्ष 1994–95 में प्रायोगिक आधार पर एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम प्रारंभ की। यह अध्ययन वर्ष 1997–98 में पूरा कर लिया गया था जिस पर कुल 3,29,69,676 रुपये की लागत आयी। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अध्ययनों पर किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है। इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर सरकार ने अभी हाल में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अध्ययन करने के लिए इस स्कीम को आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में भी लागू करने का निर्णय लिया है।

विवरण-I

कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे जल विभाजक प्रबंधन के कार्यक्रम के तहत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

एकीकृत जल विभाजक विकास परियोजना आई डब्ल्यू डी पी (मैदान)

स्थाई और रिप्लिकेवल वर्षा जल संरक्षण उपायों और विविधीकृत उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देकर पारिस्थितिकी विकृति को कम करने के समग्र उद्देश्य से गुजरात, राजस्थान और उडीसा राज्यों में 7 वर्षों के परियोजना काल वाली विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत जल विभाजक विकास परियोजना (मैदान) वर्ष 1991 में प्रारंभ की गई थी। परियोजना के समय को एक वर्ष और बढ़ाया गया है और अब इसे 31.3.1999 तक कार्यान्वित किया जाएगा। राज्यों का निष्पादन संतोषजनक है। वर्ष 1997–98 तक संचयी उपलब्धि 3.4 लाख हैक्टेयर थी जिस पर 3.60 लाख हैक्टेयर के लक्ष्य और 265,89,00 हजार रुपये के परिव्यय की तुलना में 210,08,20 हजार रुपये व्यय हुए।

वर्ष 1998–99 के दौरान 53,992 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 44,30,00 हजार रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। अक्तूबर, 1998 तक 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए राज्यों ने 176000 हजार रुपये की राशि खर्च की है। आशा की जाती है कि संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत अक्तूबर 1998 तक संचयी क्रेडिट वितरण 55280 हजार अमेरिकी डालर है।

एकीकृत जल विभाजक विकास परियोजना (पहाड़)

इस परियोजना का अभिकल्पन पहाड़ी क्षेत्रों मुख्यतः हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और पंजाब में पारिस्थितिकीय रूप

से विकृत शिवालिक, करेवास श्रेणियों के एकीकृत विकास पर ध्यान देने के लिए सात वर्षों की अवधि के लिए किया गया था जिसे अब एक वर्ष और मार्च, 1999 तक बढा दिया गया था।

वर्ष 1997–98 के अत तक 2.21 लाख हैक्टेयर का सुधार करने के लिए 2922670 हजार रुपये के परियोजना लक्ष्य के मुकाबले 1.73 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने के लिए राज्यों ने 2354350 हजार रुपये व्यय किए हैं।

वर्ष 1998–99 के लिए 33780 हैक्टेयर का सुधार करने के लिए परिव्यय 530200 हजार रुपये था। राज्यों ने 14000 हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने के लिए अक्तूबर 1998 तक 190430 हजार रुपये की राशि व्यय की है। यह आशा की जाती है कि परियोजना अवधि के अंत तक संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

अक्तूबर, 1998 तक के संचयी क्रेडिट संवितरण 58600 हजार अमेरिकी डालर है।

विश्व बैंक वित्त पोषित कृषि विकास परियोजनाएं (ए डी पी)

बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु और असम के राज्यों में बहुक्षेत्रीय क्रियाकलापों के लिए आधार अवसंरचना के सृजन के लिए इस समय बहुक्षेत्रीय कृषि विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। तमिलनाडु कृषि विकास परियोजना दिसम्बर, 1998 में बंद हो रही है।

यह परियोजना बिहार और राजस्थान में संतोषजनक रूप से प्रगति कर रही है। तथापि, असम के मामले में, यह निष्क्रिय है। इस परियोजना के तहत राज्य के विभिन्न कार्यकलापों के त्वरित कार्यान्वयन की निरंतर मानीटरी किए जाने की योजना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान यू पी डी एस पी परियोजना शुरू की गई है।

यूरोपीय आर्थिक सामुदायिक सहायता प्राप्त परियोजना दून घाटी परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य जहां तक संभव हो दून घाटी पर्यावरण की प्रतिकूल रूप से खराब हो रही स्थिति को रोकना है। यह परियोजना 9 वर्षों की अवधि के लिए अप्रैल 1993 में शुरू की गई थी और दिसम्बर, 2001 तक पूरी कर ली जाएगी। इस परियोजना में 37400 हेक्टैयर क्षेत्र का सुधार होना है। इसका परिव्यय 82950 हजार रुपये (237.00 लाख ई सी यू) है। 8506 हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार करने के लिए मार्च, 1998 तक 38720 हजार रुपये की राशि व्यय की गई है। वर्ष 1998–99 के लिए 20230 हजार रुपये का कार्यक्रम है। वर्ष 1998–99 के दौरान अक्तूबर, 1998 तक 6440 हजार रुपये व्यय किए गए हैं।

स्विस सहायता प्राप्त परियोजनाएं

जल विभाजक विकास पहल के लिए लोगों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई (पी ए डब्ल्यू डी आई) राजस्थान।

यह परियोजना राजस्थान में 3 वर्षों की परियोजना अवधि (1996–97) के लिए शुरू की गई है। चित्तौडगढ और अलवर जिले में 153390 हजार रुपये की लागत से 15.00 हेक्टेयर के क्षेत्र में सुधार कार्य शुरू किया गया है। परियोजना के तहत अनुमोदित विभिन्न कार्यक्रमों की आयोजना और निष्पादन के लिए सामुदायिक संगठन में आसानी के लिए दो गैर–सरकारी संगठन संलग्न है। अगस्त, 1998 तक 28337 हजार रुपये के व्यय से 1728 हैक्टेयर का क्षेत्र विकसित किया गया है।

भारत-स्विस सहभागी जल विभाजक विकास परियोजना, कर्नाटक (आई एस पी डब्ल्यू डी के)

दिसम्बर, 1995 से स्विस विकास निगम द्वारा सहायता प्राप्त भारत–स्विस सहभागी जल विभाजक विकास परियोजना का कार्यान्वयन चल रहा है और यह मार्च, 1998 तक चलेगा। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 207300 हजार रुपए है। इस परियोजना के तहत 30,000 हैक्टैयर क्षेत्र के विकास का लक्ष्य रखा गया है। मार्च, 1998 तक 85570 हजार रुपये की लागत से 15370 हैक्टैयेर क्षेत्र का सुधार कार्य किया गया है।

जर्मन (क्रेडिटैन्सटेंट फार विड्डरोफवो) सहायता प्राप्त परियोजनाएं

के एफ डब्ल्यू सहायता प्राप्त जल विभाजक प्रबंधन परियोजना — कर्नाटक

के एफ डब्ल्यू से सहायता प्राप्त 550750 हजार रुपये (29 मिलियन डी एम) की कुल परियोजना लागत वाली एकीकृत जल विभाजक प्रबंधन परियोजना 53633 हैक्टेयर क्षेत्र के सुधार के लिए कर्नाटक में चलाई जा रही है। छह गैर–सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से इसे वर्ष 2002 तक चलाने के लिए यह कार्यक्रम अगस्त, 1996 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में के एफ डब्ल्यू सहायता प्राप्त जल विभाजक विकास अप्रेल, 1992 से नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। 12 मिलियन डी एम की के एफ डब्ल्यू सहायता के साथ इस परियोजना की कुल लागत 197000 हजार रुपये है। यह परियोजना गैर–सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से कार्यान्वित की जा रही है।

समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद 251000 रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ जल विभाजक विकास के ऐप्लीकेशन के वास्ते गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से क्षमता निर्माण संबंधी परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। यह परियोजना गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से जल विभाजक प्रबंधन के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क सृजित करेगी।

डानिडा सहायता प्राप्त परियोजनाएं

विस्तृत जल विभाजक विकास परियोजना — तिरूनेलवेली–तमिलनाडु

यह परियोजना डानिडा की सहायता से वर्ष 1990–91 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य अपनी भूमि में खेती करने में असमर्थ किसानों के लिए दीर्घकालिक रोजगार अवसर तथा सीमांत किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों को सृजित करने के लिए खराब विकृत भूमि के और कटाव को रोकना तथा कई प्रकार की भूमि के सतत् तथा लागत प्रभावी उपयोग का विकास करना है। 41,7200 हजार रुपये (31,72,000 हजार रुपये की डानिडा सहायता जो अब शुरू हो गई है) की कुल लागत पर सफल परियोजना को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के मुख्य घटक – सर्वेक्षण, विस्तार और प्रशिक्षण, अध्ययन स्थलों का पौधरोपण, प्रदर्शन भूखंडों की स्थापना, अध्ययन दौरे आदि हैं। दूसरे फेज में अब तक 16,2800 हजार रुपये की राशि व्यय की गई है।

व्यापक जल विभाजक विकास परियोजना -रामनाथपुरम

इस परियोजना को वर्ष 1994–95 में प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य स्थायी आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं उपयोग सहित भूमि प्रयोक्ताओं को प्राथमिकता जल विभाजकों में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रेंज मैनेजमेंट प्रयोग के योग्य बनाना है। सामुदायिक संगठनों में ग्राम परियोजना समिति का नेतृत्व करना, नर्सरी उगाने में प्रशिक्षण व वोरवेल अनुरक्षण जोत की खेती से उत्पादन तथा इंटरवेल्ट विकास के लिए सीडलिंग का वितरण, आश्रय स्थलों, मिट्टी और नमी, भूखंड आदि की स्थापना। इस परियोजना के मुख्य घटक हैं। अब तक, 507000 हजार रुपये राशि खर्च की गई है।

व्यापक जल विभाजक विकास परियोजना, कर्नाटक

यह परियोजना डेनिडा की सहायता से वर्ष 1990–91 में प्रारंभ हो गई थी जिसमें 133500 हजार की कुल लागत आई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मृदा एवं नमी संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से उचित भूमि उपयोग प्रणाली का विकास करना तथा क्षेत्र में समग्र प्रक्षेपण को बढ़ाने के प्रयोजन से वृक्षारोपण करना तथा भूमिहीनों, निम्न धारकों तथा बंजर भूमियों पर चारा, लकडी लघु एवं लघु वन उत्पादकों के उत्पादन में वृद्धि करके विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। इस परियोजना को कर्नाटक के वेलगांव तथा धारवार जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का प्रमुख घटक मृदा एवं जल संरक्षण, वनरोपण, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, अध्ययन एवं अनुसंधान है। फेज–I के अंतर्गत कुल व्यय 104350 हजार रुपये का है। सफल क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए डानिडा इस परियोजना के दूसरे फेज के लिए सहमत हो गया है जिसे वर्ष 1997 से 210000 हजार रुपये की लागत पर प्रारंभ किया गया।

व्यापक जल विभाजक विकास परियोजना, कोरापुट, उड़ीसा

इस परियोजना को वर्ष 1993–94 में प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्थायी एवं स्थानीय स्वीकार्य भूमि उपयोग प्रणाली को स्थापित करना है जो स्थायी एवं पारिस्थितिकी रूप से सुदृढ़ हो। इस भूमि उपयोग प्रणाली से गरीब ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर सुधारने तथा उनकी खाद्य एवं ईधन तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बिना अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सहायक होगी। इस परियोजना का मुख्य घटक मृदा एवं जल संरक्षण उपाय, मिक्स ट्री प्लान्टीटर जैसे बागवानी काजू पौध रोपण सिसल खेती, प्रशिक्षण आदि हैं। परियोजना की कुल लागत 13,2500 हजार रुपये थी। अब तक कुल व्यय 93650 हजार रुपये हैं।

व्यापक जल विभाजक परियोजना, मध्य प्रदेश

डालिडा बोर्ड ने इस परियोजना को 11 दिसम्बर, 1996 में अनुमोदित किया। यह परियोजना 13,15,30 हजार रुपये की कुल लागत पर पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, रतलाम जिलों के लगभग 34,000 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

विवरण-II

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम पर किए गए व्यय का राज्यवार और वर्षवार विवरण

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	2,12,000	–	2,12,000
2.	कर्नाटक	39,49,459	16,61,957	13,64,690	6,60,265	76,36,371
3.	केरल	–	–	6,88,273	24,35,000	31,23,273
4.	मध्य प्रदेश	–	–	7,12,500	4,64,000	11,76,500

1	2	3	4	5	6	7
5.	महाराष्ट्र	57,64,000	42,26,280	10,92,933	2,20,802	1,13,04,015
6.	तमिलनाडु	–	–	8,50,000	6,50,000	15,00,000
7.	पश्चिम बंगाल	–	–	99,250	38,250	1,37,500
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,12,000	35,41,257	28,64,399	5,12,361	71,30,017
9.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	–	–	2,22,000	5,28,000	7,50,000
	कुल	99,25,459	94,29,494	81,06,045	55,08,678	3,29,69,676

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

249. श्री हरिभाई चौधरी :

श्री कांतिलाल भूरिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिये गत तीन वर्षों के दौरान एशियाई विकास बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी–कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई,

(ख) अब तक कार्यान्वित की गईं ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा उनकी अद्यतन राज्यवार स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान केवल विश्व बैंक ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, इसका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :–

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	हस्ताक्षर/ समाप्ति की तारीख	सहायता की राशि	31.12.98 तक उपयोग की गई सहायता	उपयोग की गई सहायता		
						1996–97	1997–98	1998–99 (दिसम्बर 98 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	महाराष्ट्र कम्पोजिट सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	5.12.1985/ 31.12.1996	187.752	187.752	11.151	–	–
2.	अपर कृष्णा फेज–II सिंचाई परियोजना	कर्नाटक	16.6.1989/ 31.12.1996	167.498	167.498	16.486	–	–
3.	पंजाब सिंचाई और जल निकास परियोजना	पंजाब	9.2.1990/ 31.7.1998	161.679	156.748	29.175	16.402	07.239
4.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	6.4.1994/ 31.12.2000	258.000	101.602	30.863	28.441	10.035
5.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु	29.4.1995/ 31.3.2002	282.900	18.268	2.064	1.9390	1.826

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	उडीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	उड़ीसा	5.1.1996/ 30.9.2002	290.900	91.535	20.019	40.767	16.542
7.	आंध्र प्रदेश–3 सिंचाई परियोजना	आंध्र प्रदेश	3.6.1997/ 31.1.2002	325.000	60.252	–	58.831	1.415

[अनुवाद]

बांधों का निर्माण

250. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने बड़े और मझोले बांध हैं और इनमें से कितने निर्माणाधीन हैं;

(ख) ये कहां–कहां पर स्थित हैं इनकी अनुमानित लागत क्या है और आज की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार और राज्यवार प्रत्येक बांध के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को हाल में राज्य सरकार विशेष रूप से केरल सरकार से राज्य में बांध बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान चल रही वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या तथा उनकी अद्यतन अनुमानित लागत, आठवीं योजना के अंत तक संचित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान केरल की तीन परियोजना रिपोर्टों सहित विभिन्न राज्य सरकारों से 35 बांध परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	नौवीं योजना के दौरान चल रही वृहद परियोजना की संख्या	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	आठवीं योजना के अंत तक संचित व्यय (करोड़ रु. में) (प्रत्याशित)	नौवीं योजना के दौरान चल रही मध्यम परियोजनाओं की संख्या	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	आठवीं योजना के अंत तक संचित व्यय (करोड़ रु. में) (प्रत्याशित)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	12	10130.44	4754.95	20	623.34	323.51	अंतर्राज्यीय* परियोजना
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	
3.	असम	4	432.82	211.48	9	155.92	98.72	
4.	बिहार	15 (–1)*	7365.53	2105.27	29	1065.18	429.37	
5.	गोआ	2 (–1)*	678.59	258.65	1	40.00	2.40	
6.	गुजरात	9	23300.92	6522.47	9	337.53	260.02	
7.	हरियाणा	5	1013.51	725.67	शून्य	–	–	
8.	हिमाचल प्रदेश	1	150.78	7.47	1	11.30	11.26	
9.	जम्मू व कश्मीर	1	151.18	122.84	9	223.55	55.88	
10.	कर्नाटक	14	11190.19	5131.64	15	943.67	510.72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	केरल	7	1879.50	942.41	5	478.93	150.56	
12.	मध्य प्रदेश	25(–2)*	10729.55	3131.15	32	1012.09	733.15	
13.	महाराष्ट्र	36	12958.17	5374.43	66	2076.06	1021.98	
14.	मणिपुर	2	491.65	225.85	2	66.58	56.50	
15.	मेघालय	शून्य	–	–	1	17.81	8.14	
16.	मिजोरम	शून्य	–	–	शून्य	–	–	
17.	नागालैंड	1	111.02	2.95	शून्य	–	–	
18.	उड़ीसा	6(–1)*	4953.85	1156.55	10	499.95	410.23	
19.	पंजाब	1(–1)*	5379.53	2704.93	1	88.49	0.20	
20.	राजस्थान	8(–2)*	4692.81	2346.01	6	240.24	12.22	
21.	सिक्किम	शून्य	–	–	शून्य	–	–	
22.	तमिलनाडु	शून्य	–	–	2	103.75	29.53	
23.	त्रिपुरा	शून्य	–	–	3	154.00	92.96	
24.	उत्तर प्रदेश	19(–1)*	7539.44	3339.74	2	54.81	39.99	
25.	पश्चिम बंगाल	4(–1)*	2037.41	938.83	17	90.42	60.78	
	कुल	172	103186.89	39003.29	240	8283.62	4424.12	
		–10*						
		162						

* अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए कटौती एक से अधिक बार गिनी गई है।

विभागीय जांच

251. डा. विजय सोनकर शास्त्री क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों में विभागीय जांच के संबंध में अत्याधिक विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लंबित जांच को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) आज की तारीख तक विभागीय जांच के कितने मामले लंबित हैं तथा ये कितनी–कितनी अवधि से लंबित हैं?

कार्मिक, लोक शिकयत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जर्नादनन) : (क) से (ग) सामान्यतः अनुशासनिक कार्यवाहियां समयबद्ध ढंग से पूरी कर ली जाती हैं। फिर भी, उनमें से कुछ में निम्नलिखित कारणों से विलंब हो जाता है :–

(i) इन कार्यवाहियों का स्वरूप न्यायिक कल्प (न्यायिक्रवत) होने के कारण जांच अधिकारियों को नैसर्गिक न्याय प्रदान किए जाने की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होता है। तदनुसार जांच अधिकारियों को, स्थगन स्वीकृत करने के अलावा आरोपित अधिकारियों को उनके द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेजों का अवलोकन करने की अनुमति देनी होती है।

(ii) अनुशासनिक कार्यवाहियों को न्यायालय में चुनौती दी जाती है।

अनुशासनिक कार्यवाहियों में विलंब नहीं होने देने और इन्हें समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप से निबटाए जाने की आवश्यकता दोहराते हुए इस बारे में मंत्रालयों/विभागों को समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसे मामलों को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाना अपेक्षित होता है।

(घ) विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाहियों का ब्यौरा, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है और इस बारे में जानकारी

केन्द्रीकृत रूप से रखी अथवा मॉनीटर नहीं की जाती। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, केन्द्र सरकार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड–I और उससे ऊपर•के अधिकारियों से संबंधित अनुशासनिक मामले देखता है। जहां तक केन्द्र सरकार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संबंध है, आज की स्थिति के अनुसार कुल छह अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड–I और उससे ऊपर के स्तर के 13 अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय जांच चल रही है।

विदेश यात्रा

252. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 23.12.98 से आज तक प्रधान मंत्री और उन्होंने किन–किन देशों की यात्राएं की;

(ख) प्रत्येक देश में इन यात्राओं के दौरान किन–किन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया; और

(ग) इन यात्राओं के अंतिम परिणाम क्या रहे?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) प्रधान मंत्री ने 8–9 फरवरी, 1998 तक ट्रिनिडाड और टोबेगो, 9–12 फरवरी, 1999 तक जमैका तथा 13–14 फरवरी, 1999 तक मोरक्को की यात्रा की। विदेश मंत्री ने 2–7 फरवरी, 1999 तक यूनाइटेड किंगडम तथा 7–12 फरवरी, 1999 तक जमैका की यात्रा की।

(ख) और (ग) **ट्रिनिडाड और टोबेगो** – प्रधान मंत्री की ट्रिनिडाड और टोबेगो की यात्रा के दौरान चर्चा किये गये मसलों में व्यापक क्षेत्रों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग तथा दोनों देशों के बीच घनिष्ट सांस्कृतिक संबंधों का संवर्द्धन शामिल था। दोहरे कराधान के परिहार के लिए एक करार संपन्न किया गया, ताकि दोनों देशों के बीच निवेश के प्रवाह, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा सेवाओं को नया प्रोत्साहन मिल सके। अल्प लागत गृह पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। प्रधान मंत्री ने पोर्ट आफ स्पेन में अल्प लागत गृह प्रोत्साहन केन्द्र का उद्घाटन किया गया महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान की आधारशिला रखी। इस संस्थान को भारतीय नृत्य, संगीत तथा हिन्दी भाषा का केन्द्र बनाये जाने का विचार है।

जमैका

प्रधान मंत्री ने जी–15 शिखर सम्मेलन के सिलसिले में जमैका की यात्रा की। इन बैठकों में जारी वित्तीय संकट के संदर्भ में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, विश्व व्यापार संगठन के तहत एक उचित और न्याय संगत नियम पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय संरचना में सुधार, दक्षिण–दक्षिण तथा अंतर जी–15 सहयोग तथा इन मामलों में जी–15 जी–8 वार्ता कराने की संभावना सहित विकासशील देशों के हितों के मसलों पर व्यापक चर्चा की गयी। इस शिखर सम्मेलन में आंतकवाद के खतरों का सामना करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में एक उपयुक्त स्तर पर एक जी–15 बैठक की मेजबानी करने के भारत के प्रस्ताव का भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा स्वागत किया उन्होंने भारत के उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया जिसमें जीव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत संरचना विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करते हुए दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए एक सामरिक क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया।

मोरक्को

महत्वपूर्ण सार्वभौमिक तथा क्षेत्रीय मसलों और द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक तथा विविध बनाने के तरीकों पर विचारों का आदान–प्रदान किया गया। इस यात्रा के दौरान एक द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार, एक पर्यटन सहयोग करार तथा आपसी व्यावसायिक सहयोग के लिए प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और मेगरेब अरब प्रेस के बीच करार संपन्न किया गया। प्रधान मंत्री की यात्रा से भी मोरक्को को हमारे हितों के प्रति सुग्राहय बनाने में सहायता मिली।

यूनाइटेड किंगडम

विदेश मंत्री द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय विकास, नाभिकीय निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार सहित अन्य व्यापक मसलों पर चर्चा की गयी। इन चर्चाओं से आपसी समझबूझ बढ़ी है तथा इनसे उस खाई को पाटने में मदद मिली है जो मई, 1998 के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आ गयी थी।

[हिन्दी]

सिंचाई योजनाएं

253. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश के छोटे एवं सीमांत किसानों के लाभ के लिये नयी सिंचाई योजनाओं को लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन योजनाओं को सुचारु रूप से लागू करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकारों को 1996–97 और 1997–98 के दौरान केन्द्र द्वारा राज्यवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा देश के सभी जिलों में 1.2.1997 से एक गंगा कल्याण योजना नामक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की गयी थी। वर्ष 1996-97 के दौरान इस स्कीम को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक उप-स्कीम के रूप में शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष 1997-98 के प्रारंभ में इस स्कीम को अलग से बजटीय आबंटन करके स्वतंत्र स्कीम बना दिया गया है। इस स्कीम के तहत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के लघु सिंचाई कार्यक्रम के तहत जिन्हें पहले सहायता प्रदान की गई है उसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभग्राही लघु एवं सीमांत किसानों को तथा उनके समूहों को भूजल के दोहन, (बोरवेल तथा नलकूपों) के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए 80:20 के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान, इस स्कीम के तहत क्रमशः 9082.00 लाख एवं 9999.50 लाख रुपये का केन्द्रीय आबंटन किया गया था। वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के लिए निधियों का राज्यवार केन्द्रीय आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान गंगा कल्याण योजना के तहत आबंटित केन्द्रीय निधियां

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन	
	1996-97	1997-98
1	2	3
आंध्र प्रदेश	743.60	780.615
अरुणाचल प्रदेश	55.53	56.670
असम	244.95	426.220
बिहार	1445.87	1531.150
गोवा	13.03	12.895
गुजरात	273.23	286.590
हरियाणा	65.34	68.850
हिमाचल प्रदेश	21.74	22.485
जम्मू एवं कश्मीर	82.00	90.820
कर्नाटक	498.66	524.105
केरल	181.80	190.655
मध्य प्रदेश	941.79	989.160
महाराष्ट्र	810.05	850.960
मणिपुर	40.26	40.870
मेघालय	42.47	43.410
मिजोरम	0.00	18.345
नागालैंड	29.43	30.515
उड़ीसा	603.16	633.225
पंजाब	46.79	48.960
राजस्थान	390.89	410.990
सिक्किम	5.46	5.085
तमिलनाडु	0.00	257.950
त्रिपुरा	70.00	112.980
उत्तर प्रदेश	1809.65	1846.790
पश्चिम बंगाल	666.30	699.575
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00
दादरा एवं नगर हवेली	0.00	2.725
दमन एवं दीव	0.00	5.085
लक्षद्वीप	0.00	1.270
पांडिचेरी	0.00	10.550
कुल	9082.00	9999.500

[हिन्दी]

कृषि मजदूरों हेतु कल्याण कार्य

254. श्री अमरपाल सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने कृषि मजदूरों के कल्याण हेतु नये प्रस्ताव सरकार के पास भेजे हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से ऐसा कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के पास कृषि कर्मियों के लिए व्यापक कानून बनाने का प्रस्ताव है ताकि रोजगार के विनियमन तथा सेवा की कार्य शर्तें उपलब्ध की जा सकें तथा कतिपय कल्याण उपायों को उन तक पहुंचाया जा सके।

[हिन्दी]

उपग्रह प्रक्षेपण

255. श्री चेतन चौहान :

डा. अशोक पटेल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद उपग्रह प्रक्षेपण संबंधी क्षेत्र के कुछ देशों द्वारा खड़ी की जा रही रुकावटों को देखते हुये रूस की एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उपग्रह कंपनी ने इस क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

ड्रिप सिंचाई

256. श्री विठ्ठल तुपे :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री भर्तृहरि मेहताब :

श्री मदन पाटील :

श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान महाराष्ट्र सरकार को ड्रिप सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने संघ सरकार के पास ड्रिप सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने हेतु निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाने और अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जिसमें ड्रिप सिंचाई भी शामिल है, के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता तथा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	प्रदत्त सहायता
1996–97	10.22	20.11
1997–98	19.56	24.47
1998–99	28.19	28.19

(ख) और (ग) वर्ष 1997–98 के दौरान राज्य सरकार ने 100.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने का अनुरोध किया था। इस स्कीम के अंतर्गत बजट आबंटन तथा राज्य के कार्य निष्पादन के आधार पर, वर्ष 1997–98 के दौरान उक्त राज्य को 19.56 करोड़ रुपये के मूल लक्ष्य के मुकाबले 24.47 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। वर्ष 1998–99 के दौरान, उक्त राज्य ने 28.19 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के मुकाबले 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की है। वर्ष 1998–99 के दौरान, महाराष्ट्र को किया गया आबंटन वर्ष 1997–98 के 24.47, करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 1998–99 में 28.19 करोड़ रुपये पहले ही कर दिया गया तथा वर्ष 1998–99 के लिए 28.19 करोड रुपये के आबंटन की समस्त धनराशि उक्त राज्य को जारी कर दी गयी है।

आई एस आई की गतिविधियां

257. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री मदन पाटील :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई एस आई तथा कुछ अन्य कट्टरपंथी गिरोह के एजेंट भारत में अपनी गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए नेपाल का प्रयोग अपने एक अड्डे के रूप में कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर नेपाल सरकार के साथ बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में आई एस आई की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने पाकिस्तान की अंतर सेवा आसूचना और कुछ कटटरपंथी दलों द्वारा भारत में अपनी गतिविधियां चलाने के लिए नेपाल के क्षेत्र का दुरुपयोग करने की खबरें देखी हैं।

(ख) से (घ) जी हां। सरकार ने नेपाल के महामहिम की सरकार के सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया है और सरकार को उच्चतम स्तरों पर ऐसे आश्वासन प्राप्त हुए हैं कि नेपाल के क्षेत्र का भारत के हितों के विपरीत कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। नेपाल की सरकार ऐसी अवांछनीय गतिविधियों को समाप्त करने की दिशा में अपना सहयोग दे रही है।

बंगलादेश में आई. एस. आई. के प्रशिक्षण केन्द्र

258. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

श्री विजय गोयल :

डा. चिंता मोहन :

प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आई एस आई ने देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ कराने हेतु बंगलादेश प्रशिक्षण शिविर स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये शिविर बंगलादेश में कहां—कहां स्थित हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा बंगलादेश सरकार के साथ कोई वार्ता हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर बंगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत के हितों की विरोधी एजेंसियां, जिसमें आई एस आई भी शामिल है, अपनी भारत—विरोधी गतिविधियों के लिए बंगलादेश के प्रदेश का दुरुपयोग कर रही है। हमारी सरकार बंगलादेश की सरकार को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराती रहती है।

भारत और बंगलादेश के बीच सीमा सुरक्षा बल, सीमा प्रबंधन तथा सुरक्षा से सम्बद्ध संयुक्त कार्य दल की बैठकों और गृह सचिव स्तर की बातचीत में भी यह विषय कार्यसूची का भाग है। ढाका में 20 से 22 दिसम्बर 1998 को बंगलादेश के साथ गृह सचिव स्तर की बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने अपने इस संकल्प की पुनः पुष्टि की कि वे दूसरे के सुरक्षा हितों के पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के लिए अवांछनीय तत्वों को अपने—अपने प्रदेश के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे। दोनों पक्ष इसे समाप्त करने के लिए संगत आसूचना के आदान—प्रदान करने पर सहमत हुए।

[हिन्दी]

परमाणु नियंत्रण व्यवस्था

259. डा. अशोक पटेल :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारत के परमाणु नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) हाल की प्रधान मंत्री की लाहौर यात्रा के दौरान, भारत और पाकिस्तान नाभिकीय हथियारों आकस्मिक या अनधिकृत उपयोग के खतरे को कम करने के लिए तत्काल उपाय करने, युद्ध रोकने के उद्देश्य से नाभिकीय और परंपरागत क्षेत्रों में विश्वास उत्पादक करने के उपायों का खुलासा करने को ध्यान में रखते हुए विचारधाराओं और सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष किसी ऐसी आकस्मिक, अनधिकृत या अस्पष्ट वारदात जो दोनों पक्षों के लिए प्रतिकूल प्रभावों का उत्पन्न होने का खतरा पैदा कर सके, अथवा दोनों देशों के बीच किसी नाभिकीय युद्ध के आरंभ होने तथा इस प्रकार की कार्रवाईयों की संभावना को घटाने के उद्देश्य से किए गए उपाय करना या दूसरे पक्ष द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की मिथ्या परिभाषा करना, एक दूसरे को तात्कालिक रूप से सूचित करने के लिए भी सहमत हुए हैं। इस प्रयोजन के लिए दोनों पक्ष उपयुक्त संचार तंत्र का पता लगाने में स्थापित करेंगे।

(ग) सरकार दोनों देशों के बीच शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के उद्देश्य से किए गए इन उपायों का स्वागत करती है।

[हिन्दी]

केसरी दाल का उत्पादन

260. श्री यू. वी. कृष्णमराजू :

श्री जयराम आई. एम. शेट्टी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केसरी दाल का उत्पादन मानवों के लिए घातक होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में केसरी दाल के उपयोग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कुछ क्षेत्रों में खेसारी का उत्पादन किया जाता है और उसे मनुष्य खाते हैं। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार खेसारी दाल के सेवन से विकलांग करने वाले लक्वा रोग जिसे कलायखंज (लेथायरिज्म) के रूप में जाना जाता है, होने की सूचना दी गई है।

(ख) और (ग) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा 1996 में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के गांवों में एक नमूने के रूप में खेसारी दाल के उत्पादन, खपत के पैटर्न और मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नुकसानदायक प्रभाव पर एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण जांच परिणाम सक्षिप्त रूप से निम्नानुसार है :

सर्वेक्षण सीमांत, छोटे और मध्यम परिवारों पर किया गया था। ऐसा पाया गया कि अधिकांश परिवार खेसारी का प्रयोग दाल के रूप में करते हैं तो कुछ बेसन और रोटी के रूप में। यह बताया गया है कि 1974–75 में खाद्य के अभाव के दौरान जिन लोगों के खेसारी का सेवन अधिक मात्रा में खाद्य के रूप में किया था वे कलायखंज (लेथायरिज्म) रोग से पीडित हुए। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कलायखंज (लेथायरिज्म) रोग से 15 लोग प्रभावित पाए गए थे। ये मामले 1974–75 और 1980–81 के दौरान हुए थे जिन लोगों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से लगभग 48 प्रतिशत लोग खेसारी दाल के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जानते थे।

उल्लेखनीय है कि अन्य देशों में किए गए सामाजिक महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि खेसारी दाल के सेवन और मानवों में कलायखंज रोग के बीच गहरा संबंध है।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पी एफ ए) अधिनियम के नियम 44–क के अंतर्गत 1961 से खेसारी दाल की बिक्री और बिक्री के लिए भंडारण पर रोक लगी हुई है।

फसल बीमा योजना

261. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

डा. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री एस. एस. ओवेसी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संशोधित व्यापक फसल बीमा योजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है,

(ख) क्या सरकार ने फसल बीमा प्रणाली का अध्ययन करने के लिये अपना कोई दल फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, और फिलीपींस को भेजने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों की तुलना में हमारे देश के किसानों को आगे और क्या–क्या लाभ दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) संशोधित व्यापक फसल बीमा स्कीम को खरीफ, 1999 मौसम से आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलैक्ट्रोनिकी उद्योग पर स्थिति-रिपोर्ट

262. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने भारत में इलेक्ट्रोनिकी उद्योग पर एक स्थिति–रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) इलेक्ट्रोनिकी विभाग भारत में इलेक्ट्रोनिक उद्योग के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी करता है। इलेक्ट्रोनिक उद्योग के उत्पादन की रूपरेखा विभाग की इलेक्ट्रोनिकी सूचना एवं आयोजना पत्रिका में व्यापक परिचालन के लिए आवधिक रूप से प्रकाशित की जाती है। इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने भारतीय इलेक्ट्रोनिकी उद्योग पर संपूर्ण जानकारी के लिए एक आधारभूत संदर्भ स्रोत के रूप में 'भारत में इलेक्ट्रोनिक उद्योग गाईड' का वर्ष 1999 का अंक भी प्रकाशित किया है। इसमें व्यापक रेंज में की सूचना शामिल है जैसे कि :

1. विनिर्माता निर्देशिका
2. उत्पाद निर्देशिका
3. निर्यात उत्पाद निर्देशिका
4. उत्पादन एवं निर्यात पर समय के अनुसार श्रृंखलाबद्ध आंकड़े
5. राज्यों में इलेक्ट्रोनिकी इकाइयां आदि।

(ग) विभाग देश में इलैक्ट्रोनिकी उद्योग की स्थिति के बारे में एक और अधिक विस्तृत एवं व्यापक रिपोर्ट तैयार करने की संभावना की जांच कर रहा है।

गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या

263. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की उड़ीसा सरकार से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या के प्रतिशत में संशोधन करने के लिये कोई अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या का मौजूदा प्रतिशत कितना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) उड़ीसा सरकार ने राज्य में गरीबी के अनुमान के लिए राष्ट्रीय स्तर की गरीबी रेखा को अपनाने हेतु अभ्यावेदन किया है।

(ख) गरीबों के अनुपात और सख्या के अनुमान से संबंधित विशेषज्ञ दल की सिफारिश पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद योजना आयोग का यह मत है कि सभी राज्यों के लिए गरीबी रेखा का अनुमान लगाने हेतु राष्ट्रीय गरीबी रेखा का एक समान प्रयोग करने की जगह राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकांक से परिकल्पित राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ग) नवीनतम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1993–94 में उडीसा की 48.56 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

264. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड बंद होने की कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत डेढ़ वर्ष से इस निगम के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को फिर से चालू करने और इसके कर्मचारियों को शीघ्र भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। एन. पी. सी. सी. लगभग 1100 कर्मचारियों, जिसमें से अधिकतर बंद पड़ी इकाइयों में नियुक्त हैं, को विभिन्न अवधियों के लिए वेतन/भत्तों का भुगतान नहीं कर सकी है।

(घ) एन. पी. सी. सी. सार्वजनिक क्षेत्र का एक रुग्ण उपक्रम है तथा इसे वर्ष 1989 से उच्च रोजगार लागत, अधिशेष श्रम शक्ति, ऋणों पर ब्याज के बोझ, परियोजना प्राधिकारियों से बकाया देयों की कम वसूली तथा अपर्याप्त निधियों को अर्जित करने के कारण भारी घाटा हो रहा है।

(ङ) भावी कार्य प्रणाली के विकल्पों को तैयार किया गया है। यह मंत्रालय भी वेतन/भत्तों के सांविधिक देयों का भुगतान करने के लिए नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड को ऋण सहायता उपलब्ध करा रहा है।

[अनुवाद]

नौवीं योजना का प्रारूप

265. श्री ए. सी. जोस :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना के प्रारूप को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रारूप योजना की मुख्य विशेताएं क्या हैं; और

(घ) योजना अवधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में वित्तीय संदर्भ में लगाए गए अनुमानों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना का राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन डी सी) द्वारा 19.2.99 को हुई इसकी 48वीं बैठक में अनुमोदन कर दिया गया है। योजना में 1996–97 की कीमतों पर 859,200 करोड़ रुपये के सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय सहित 6.5 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि दर परिकल्पित है जिसमें विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए केन्द्र के लिए 492,221 करोड़ रुपये और विधायिका सहित संघ राज्यों/क्षेत्रों को शामिल करते हुए राज्यों के लिए 366,979 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(घ) योजना अवधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्रक में अनुमानों का ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

नौवीं योजना में विकास के मुख्य शीर्षों के अनुसार सार्वजनिक परिव्यय

(आंकड़े 1996–97 की कीमतों पर करोड़ रुपये)

विकास के शीर्ष	कुल	नौवीं योजना का प्रतिशत
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	42642.41	4.9
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	55420.25	6.5
ग्रामीण विकास	74685.80	8.7
विशेष कार्यक्रम	3649.00	0.4
ऊर्जा	222375.38	25.9
उद्योग और खनिज	65147.99	7.6
परिवहन	119372.52	13.9
संचार	47280.29	5.5
विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	18457.62	2.1
सामान्य आर्थिक सेवाएं	14579.74	1.7
सामान्य सेवाएं	12496.18	1.5
सामाजिक सेवाएं	183272.82	21.3
जोड	859200.00	100.00

संसद सदस्यों के पत्र

266. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

डा. विजय सोनकर शास्त्री :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जनवरी, 1999 के 'दैनिक जागरण' में 'संसद सदस्यों तक के पत्रों के उत्तर देना उचित नहीं समझती सरकार' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों और सरकारी कार्यालयों के बीच पत्राचार की निगरानी हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकयत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जर्नादनन) : (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में सरकार के काफी समय से यह निदेश रहे हैं कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर तुरंत और 15 दिनों के भीतर अवश्य दे दिया जाना चाहिये। तथापि, जहां इस अवधि के भीतर अंतिम उत्तर न भेजा जा सके वहां इसका अंतरिम उत्तर भेजा जाना होता है। ऐसे पत्रों पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता को समय–समय पर दोहराया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री ने भारत सरकार के सभी मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावतियां विधिवत् रूप से भेजी जाएं और उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मंत्रिमंडल सचिव ने भी इस संबंध में दिनांक 23.5.98 और 9.9.98 को भारत सरकार के सभी सचिवों को अनुदेश जारी किये थे।

(ग) और (घ) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के शीघ्र निपटान पर विशेष निगरानी रखने के बारे में केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम–पुस्तिका के पैरा 122 में दिशा–निर्देश विद्यमान हैं और इनके लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रत्येक अनुभाग में एक अलग रजिस्टर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे पत्रों के निपटान पर मंत्रालय/विभाग के प्रत्येक स्कंध के संयुक्त सचिव/निदेशक द्वारा भी बारीकी से निगरानी रखी जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए संसद सदस्यों और सरकारी कार्यालयों के बीच पत्राचार पर निगरानी रखने हेतु किसी विशेष–प्रकोष्ठ के सृजन का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता

267. श्री इन्द्रजीत मिश्र : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के उर्वरकों पर वर्तमान में सरकार द्वारा दी जा रही राजसहायता की राशि कितनी है; और

(ख) क्या सरकार अकाल और बाढ़ को ध्यान में रखते हुए और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पोटाश और उर्वरकों के मूल्य घटाने का प्रस्ताव रखती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) फास्फेट और पोटाशयुक्त विभिन्न उर्वरकों पर इस समय दी जा रही राजसहायता (रियायत) की दरों को नीचे दर्शाया गया है :–

	उत्पाद	रियायत की दर (रुपये/मीटरी टन)
1	2	3
1.	डी. ए. पी. (स्वदेशी)	4400
2.	डी. ए. पी. (आयातित)	3400

1	2	3
3.	एम. ओ. पी.	3000
4.	एस. एस. पी.	900
5.	मिश्रण	2477--4071

जहां तक यूरिया का प्रश्न है, उत्पादन/आयात की लागत और निर्धारित सांविधिक मूल्य के अंतर को सरकार राजसहायता के रूप में वहन करती है।

(ख) सरकार की रबी, 1998-99 के दौरान विनियंत्रित फास्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों का मूल्य न निर्धारित करने का निर्णय लिया है और यह निर्णय लिया है कि ये मूल्य बाजार मूल्य से अधिशासित होंगे जिससे इनके मूल्यों में कुछ वृद्धि भी हो सकती है। खरीफ, 1998 मौसम में खाद्यान्न उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए, जो कि देश के कुछ भागों में आयी भयकर बाढ़ और सूखे से बुरी तरह प्रभावित हो गयी थी। सरकार ने यूरिपेट आफ पोटाश समेत सभी उर्वरकों का रबी 1998-99 के लिये अधिकतम खुदरा मूल्य 1.4.1997 के स्तर पर ही रखा है।

[अनुवाद]

वीजा के बिना प्रवेश दिया जाना

268. डा. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री एस. एस. ओवेसी :

श्री तारिक अनवर :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग ने दक्षिण एशिया के लोगों के लिए वीसा के बिना प्रविष्टि की अवधि तीन महीने से घटाकर 14 दिन कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस देश ने इसके लिये क्या मुख्य कारण बताये हैं;

(ग) क्या हांगकांग सरकार के इस निर्णय से हांगकांग में भारी संख्या में रह रहे भारतीय प्रभावित होंगे;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को वहां की सरकार के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वहां की सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) (क) और (ख) जून, 1997 में हांगकांग के वापस चीनी आधिपत्य में आने के बाद हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकों के पहुंचने पर तीन महीने का वीजा स्वीकृत करने की वही प्रथा जारी रखी जो ब्रिटिश शासन के दौरान प्रचलित थी। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि 18 जनवरी, 1999 से भारतीय पासपोर्ट धारक 14 दिन तक की अवधि के लिए वीजा के बिना हांगकांग में प्रवेश कर सकते हैं। 14 दिन से अधिक के प्रवास के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को पहुंचने से पहले अपने मूल निवास के देश में स्थित चीनी दूतावास अथवा कोंसलावास अथवा हांगकांग आप्रवासन विभाग से वीजा प्राप्त करना होगा।

हांगकांग सरकार ने पहले यह कहा था कि भारतीय राष्ट्रिकों को अनुमेय वीजा नीति की समीक्षा इस तथ्य से प्रभावित होगी कि भारत हांगकांग के पासपोर्ट धारकों को उनके पहुंचने पर और भारतीय राष्ट्रिकों के समय से अधिक अवधि के प्रवास तथा गैर-कानूनी रोजगार के लिए पहुचने पर तीन महीने की सुविधा के उत्तरोत्तर दुरुपयोग से इस प्रकार की वीजा सुविधा नहीं देगा।

(ग) जी, नहीं। इसमें केवल वही भारतीय यात्री प्रभावित हो सकते हैं जो 14 दिन से अधिक समय के लिए प्रवास करना चाहते हैं।

(घ) और (ङ) हांगकांग की यात्रा करने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा सुविधा के संशोधन पर सरकार ने चीनी पक्ष तथा हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र से खेद व्यक्त किया है। हमने यह अनुरोध किया है कि परस्पर लाभकारी व्यापार और आर्थिक संबंधों के सुव्यवस्थित विकास के लिए भारतीय राष्ट्रिकों हेतु पूर्ववर्ती वीजा नीति को बरकरार रखा जाए। हमने इस बात का उल्लेख किया है कि इस कार्रवाई से हांगकांग की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों (1998 में तिरानवे हजार से अधिक) और हमारे द्विपक्षीय व्यापार जो 2.5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक है, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमने यह भी बताया है कि नियत समय से अधिक अवधि के गैर-कानूनी प्रवास के मामले नगण्य हैं।

पाकिस्तानी उग्रवादी

269. श्री पी. शंकरन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1999 के हिन्दुस्तान टाइम्स में ब्रिटिश मास्क्स ए सेफ हैवन फार पाक अल्ट्राज शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन स्थित भारतीय मिशन ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत सरकार ने इन कार्यकलापों पर अंकुश लगाने हेतु ब्रिटिश सरकार के साथ यह मुद्दा उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय हाई कमीशन ने उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों से सम्बद्ध सूचना दी है जो चिंता का कारण हो सकता है।

(घ) और (ङ) आतकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों के सबंध में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग चल रहा है ऐसी सभी खबरें ब्रिटिश सरकार के ध्यान में लायी जाती हैं और उनकी परिपुष्टि की मांग की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ करना

270. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी 1999 के 'हिन्दू' में "पैरालिसिस आफ पीसमेकर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) सरकार का सयुक्त राष्ट्र मिशन को एक शांति स्थापित कर्ता के रूप में सुदृढ़ करने हेतु क्या भूमिका निभाने का प्रस्ताव है; और

(घ) 21 सदस्यीय सयुक्त राष्ट्र विशेष आयोग शस्त्र निरीक्षण दल के पुनर्गठन और ईराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र सकल्पो के अनुपालन की सीमा की व्यापक समीक्षा हेतु भारत ने क्या रवैया अपनाया है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने 31 जनवरी 1999 को दि हिन्दू में पैरालिसिस आफ दि पीसमेकर शोर्षक से छपी खबर को देखा है। इस लेख में हाल में इराक पर हवाई हमले तथा हथियार निरीक्षण प्रणाली को कायम रखने के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर उभरे मतभेदों को उजागर किया गया है। समझा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इराक में भविष्य की निगरानी और जांच प्रणाली की रूपात्मकता तय करने संबंधी प्रस्तावों पर हाल में विचार विमर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रतिबंधों को उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्पों के क्रियान्वयन के लिए इराक द्वारा उठाए गए कदमों का सरकार समर्थन करती है। भारत बल प्रयोग का विरोध करता है तथा इराक की जनता की स्थिति सुधारने का समर्थन करता है। भारत इस संबंध में गुट निरपेक्ष आंदोलन और सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित संबंधित सदस्य राज्यों के साथ संपर्क बनाए हुए है तथा परिषद में होने वाली बातचीत पर नजर रखे हुए है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय संधि

271. डा. मनोरंजन भक्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यातना और अन्य क्रूर अमानवीय, असम्मानजनक व्यवहार और दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय संधि का समर्थन किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का इस संधि का कब तक समर्थन्न करने का विचार है; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक इस संधि का समर्थन नहीं किया है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) भारत ने 14 अक्तूबर, 1997 को उत्पीडन तथा अन्य निर्मम, अमानवीय अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किये। तथापि भारत ने अब तक इस अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है क्योंकि अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप हमारे विधान मे सशोधन किये जाने की आवश्यकता है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, और विधान में आवश्यक संशोधन कर दिये जाते हैं, सरकार इस अभिसमय का अनुसमर्थन करने की स्थिति में होगी।

(घ) उन देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिन्होंने अभी तक अभिसमय का अनुसमर्थन (5.12.1997 की स्थिति के अनुसार) नहीं किया है।

विवरण

उन देशों की सूची जिन्होंने अभी तक अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है।

(5.12.1997 की स्थिति के अनुसार)

1. बहामास
2. बहरीन
3. बंगलादेश
4. बरबाडोस
5. भूटान
6. बोत्सवाना
7. बुनई दारूसलाम
8. बुरकिना फासो
9. मध्य अफ्रीकी गणराज्य
10. कोमोरोख

11. कांगो
12. कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य
13. जिबूती
14. डोमिनिका
15. इक्वाटोरियल गिनी
16. इरीटेरिया
17. फिजी
18. घाना
19. ग्रेनेडा
20. गिनी बिसाउ
21. हैती
22. ईरान
23. ईराक
24. जमैका
25. जापान
26. कजाकस्तान
27. लाओ लोक जनतांत्रिक गणराज्य
28. लेबनान
29 लेसोंथो
30 लाइबेरिया
31. मेडागास्कर
32. मलेशिया
33. मालदीव
34. माली
35. मार्शल द्वीप
36. मारीतानियां
37. क्रोनेशिया
38. मंगोलिया
39. मोजाम्बिक
40. म्यांमा
41. नाइजर
42. ओमान
43. पाकिस्तान
44. पलाऊ
45. पपुआ न्यू गिनी
46. कतर
47. रवान
48. सैंट किट्स और नेविस
49. सेंट लूसिया
50. सेंट ब्रिसेंट और ग्रेनेडाइन्स
51. समोआ
52. सान मैरीनो
53. साओ टोम और प्रिंसिप
54. सिंगापुर
55. सोलोमन द्वीप
56. सूरीनाम
57. स्वाजीलैंड
58. सीरिया अरब गणराज्य
59. थाइलैंड
60. ट्रिनिडाड और टोबेगो
61. तुर्कमेनिस्तान
62. संयुक्त अरब अमीरात
63. वानुआनु
64. वियतनाम
65. जाम्बिया
66. जिम्बाबे

[अनुवाद]

गुणवत्ता वाले बीज

272. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और राष्ट्रीय बीज निगम ने गुणवत्ता वाले बीजों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है;

(ख) यदि हां, तो बीजों के विश्व बाजार में भारत का कौन सा स्थान है;

(ग) क्या कृषि विश्वविद्यालय या अन्य बीज उत्पादक इकाइयां सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली के उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने हेतु कार्य कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या अगले दो वर्षों में गुणवत्ता वाले बीजों की मांग 100 लाख टन से अधिक होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) बीजों के विश्व बाजार में भारत का एक प्रतिशत से कम योगदान है।

(ग) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय सोयाबीन, सूरजमुखी तथा मूंगफली सहित कई फसलों के बढ़िया बीज विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। इन तिलहनी फसलों के बीजों के विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं जो तिलहनी फसलों के प्रजनक बीज संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करती है।

(घ) जी नहीं। सन् 2001–2002 तक प्रमाणित बीज की भावी अनुमानित मांग 109.66 लाख क्विंटल हो जायेगी।

(ङ) मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाये जा रहे हैं :

1. बीज उत्पादन के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा/सुविधाएं पैदा करना तथा उनका सुदृढ़ीकरण।
2. बीज उत्पादन के लिए परिक्रामी निधियों (रिवॉल्विंग फंड) का प्रावधान।
3. प्रायोजित प्रजनक बीज उत्पादन।
4. राष्ट्रीय बीज निगम भारतीय राज्य फार्म निगम तथा अन्य संबंधित एजेंसियों की स्थिति में सुधार।
5. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा इसके करनाल स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र में बड़े पैमाने पर भंडारण (बफर स्टोकिंग) व प्रसंस्करण के लिए केन्द्रों का प्रावधान।
6. वार्षिक तिलहनी फसलों के प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए परियोजना।
7. राज्य बीज निगमों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों, राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम को विश्व बैंक की सहायता के राष्ट्रीय बीज प्रयोजना–III के अंतर्गत सुदृढ़ करना।

[अनुवाद]

रूस के साथ समझौता

273. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दिसम्बर, 1998 में रूस के प्रधान मंत्री के भारत दौरे के अवसर पर बहुत से समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौतों का सारांश क्या है,

(ग) क्या ऐसी किसी समझौते के अंतर्गत आपसी हित के किसी नये क्षेत्र संबंधी समझौते को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) रूसी संघ के प्रधान मंत्री श्री वाई एम प्रीमाकोव की दिसंबर, 1998 की यात्रा के दौरान निम्नलिखित द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए : प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता करार, कोंसली अभिसमय, वर्ष 2010 तक सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी दीर्घकालिक करार, व्यापार, आर्थिक, औद्योगिक, वित्तीय, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास संबंधी संयुक्त दस्तावेज, संचार के क्षेत्र में करार और वायु परिवहन करार।

(ख) से (घ) भारत तथा रूसी संघ के बीच विविध क्षेत्रों में परंपरागत निकट और परस्पर लाभकारी सहयोग है। उपर्युक्त करारों का प्रयोजन वर्तमान द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ बनाना तथा इस सहयोग का संबंधित क्षेत्रों में और अधिक प्रसार करना है। तदनुसार इन करारों में अपने–अपने क्षेत्रों में सहयोग को संवर्धित करने तथा उसे सुकर बनाने के लिए विशिष्ट प्रावधान निहित हैं। उपर्युक्त यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने अपने बहु आयामी संबंधों को दीर्घ कालिक परिदृश्य प्रदान करने तथा उन्हें 21वीं सदी में सक्रिय रूप से विकसित करने के अपने निश्चय की पुनःपुष्टि की।

[हिन्दी]

आलू और प्याज का उत्पादन

274. श्री रामशकल :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री राजो सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में फलों और सब्जियों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान फलों और सब्जियों का राज्य वार वार्षिक उत्पादन कितना था;

(ग) देश में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या फलों और सब्जियों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने फलो और सब्जियों विशेषतः आलू और प्याज के समर्थन मूल्य तय किये है;

(च) किस राज्य ने सब्जियों और फलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी हैं, और

(छ) सरकार द्वारा फलों और सब्जियों का उत्पादन बढाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) वर्ष 1995–96 के उपलब्ध आंकडों के अनुसार सब्जियों में उत्तर प्रदेश एवं फलों में बिहार।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान फलों एवं सब्जियों का राज्यवार वार्षिक उत्पादन उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1993–94, 1994–95, 1995–96 के लिए आंकडे सलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश में फलों एवं सब्जियों की प्रति दिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमशः 95.0 ग्राम एवं 175.0 ग्राम है।

(घ) वर्ष के दौरान फलों के मूल्य मे कोई बडा उतार चढाव नहीं आया है। तथापि, प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के चलते आलू और प्याज की खराब फसल होने के कारण सब्जियों, विशेषकर आलू और प्याज के मूल्यों में अक्तूबर--नवंबर के दौरान विचारणीय वृद्धि हुई। मूल्य अब कम हो गए है एवं आलू तथा प्याज के थोक मूल्य, जो नवंबर–दिसंबर में क्रमशः 1400 रुपये से 2000 रुपये एवं 230 रुपये से 1367 रुपये प्रति क्विंटल के बीच थे अब प्याज के मामले में 350 रुपये से 700 रुपये एवं आलू के मामले में 375 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) केरल ने सब्जियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की थी।

(छ) फलों एवं सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित कर रही है :–

1. उष्ण, शीतोष्ण एवं शुष्क क्षेत्र फलों का समेकित विकास।
2. सब्जी बीजों का उत्पादन एवं आपूर्ति।
3. कन्द एवं मूल फसलों का विकास।
4. खुम्भी का विकास।
5. कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग।
6. फसल, उत्पादकता बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन का विकास।
7. कटाई उपरांत अवसंरचना के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्कीमें।

विवरण

फलों एवं सब्जियों का राज्यवार उत्पादन

उत्पादन मीटरी टन

क्र.स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	फल			सब्जी		
		1993–94	1994–95	1995–96	1993–94	1994–95	1995–96
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5022766	5161528	5469626	1420029	2341204	2444295
2	अरुणाचल प्रदेश	50266	50266	66392	80117	80117	80117
3	असम	1166423	1239064	1211643	1931874	1970007	2484536
4.	बिहार	3583817	3378162	6045390	13610198	11726318	12284700
5.	दिल्ली	9581	1584	3154	463897	551232	613113
6.	गोवा	88260	121450	93599	–	65000	65000
7.	गुजरात	2243756	2447664	2068143	1869900	1729800	2089089
8.	हरियाणा	123300	133500	145000	1155000	1275000	1420000

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	325477	325477	311889	537800	544000	569000
10.	जम्मू और कश्मीर	867528	746143	790309	353706	353706	353706
11	कर्नाटक	4196935	4510728	4726421	5035203	5668400	5705142
12	केरल	1782949	1809796	1826057	2789555	2789555	2789555
13	मध्य प्रदेश	1320210	1118000	1143000	2551300	2241000	2353000
14	महाराष्ट्र	5112549	5099340	4798899	2737625	2808022	2957335
15	मणिपुर	110000	110075	110998	33000	35000	36250
16	मेघालय	236508	202136	239008	238071	199845	2114521
17	मिजोरम	43668	50636	71299	45102	76648	79251
18	नागालैंड	55968	72936	71855	107643	87104	87147
19.	उडीसा	1150900	1272100	1241500	7983536	7896400	8705654
20.	पंजाब	727981	736802	760721	1721379	1721379	1774102
21.	राजस्थान	95005	230134	238475	363164	283357	356908
22	सिक्किम	21557	11500	12000	46911	28792	50640
23	तमिलनाडु	3620646	4818576	4818576	4389043	4397932	4397932
24	त्रिपुरा	325550	325550	400894	320850	320850	358480
25.	उत्तर प्रदेश (पहाडी)	460345	492616	502200	717850	774408	790530
	उत्तर प्रदेश (शहरी)	3010529	2870534	3008828	10359928	11911660	13082540
26	पश्चिम बंगाल	1458123	1219400	1282500	4858500	5340000	5391000
27	अंडमान और निकोबार	16015	16665	16670	18872	16380	15850
28	चंडीगढ	793	–	–	8720	–	–
29.	दादरा और नगर हवेली	7100	7100	7100	13565	13565	13500
30	दमन और दीव	3375	3375	3375	869	1029	1029
31.	लक्षद्वीप	478	575	677	127	132	138
32.	पांडिचेरी	17047	19550	20803	23379	37075	33573
	कुल	37255405	38602962	41507011	65786713	67285917	71594564

प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयुक्त भाषाएं

275. श्री राम टहल चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प प्रदान किया है;

(ख) यदि हा, तो ऐसी समस्त सेवाओं की सूची क्या है,

(ग) क्या इस हेतु संसद द्वारा 18 जनवरी, 1968 में पारित प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इसे कब तक लागू करने का है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री : (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची मे शामिल भाषाओं में से

किसी भी भाषा में उत्तर लिखने का विकल्प संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा मे ही सुलभ है।

(ग) और (घ) डा॰ सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति से अन्य बातों के साथ–साथ, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं का प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों के उत्तर लिखने के माध्यम के रूप में प्रयोग आरंभ किए जाने से संबंधित मुददे की जांच–पडताल करने को कहा गया था। उपर्युक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। उपर्युक्त मामले की महत्ता, नजाकत और इस पर मतान्तर (मत–भिन्नता) के मद्देनजर, सरकार इसके बारे में एक मतैक्य (आमराय) कायम करने का प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

विश्व बाजार तैयार करना

276. श्री मुकुल वासनिक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान कल्टीवेंटिंग ग्लोबल मार्केटस शीर्षक से 'बिजनेस इंडिया' दिनांक 14–27 दिसंबर, 1998 में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपे समाचार से संबंधित तथ्य क्या है,

(ग) क्या बागवानी और पुष्पोत्पादन विकास के क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक संभावनाओं का दोहन करने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) समाचार में यह बताया गया है कि भारत के कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता का अभी दोहन नहीं किया गया है। कटाई पश्चात् के आधारभूत ढांचे का अपर्याप्त तथा पुराना होना, भंडारण तथा प्रशीतन सुविधाओं का अपर्याप्त होना तथा जल्दी खराब होने वाली जिन्सों की तत्काल बिक्री न हो पाना उक्त क्षमता का दोहन न हाने के प्रमुख कारण हैं। निर्यात के लिए क्षमता का दोहन करते समय जनसंख्या वृद्धि के कारण भारतीय उपभोक्ता की विवशता को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिये। यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन का स्तर काफी अच्छा है और खाद्यान्न उद्योग में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सुधार होना, कृषि पैदावार बढ़ेगी, उत्पादकता में सुधार होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बड़ी संख्या में लोगों के जीवनस्तर में सुधार होगा। बागवानी और पुष्पोत्पादन क्षेत्रों में विद्यमान संभावनाओं का विशेष उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) बागवानी तथा पुष्पोत्पादन की क्षमता के महत्व देते हुए भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुष्पोत्पादन सहित बागवानी का आवंटन 1000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है। इस क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों में इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, बीजों तथा अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की उपलब्धता, वर्तमान बागानों की उत्पादकता में सुधार, कटाई पश्चात प्रबंध के लिए आधारभूत ढांचे के विकास, प्रदर्शन एवं निर्यात वृद्धि पर बल दिया गया है।

भू-जल

277. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर जैसे रेगिस्तानी जिलों में भू–जल के स्तर में निरंतर कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भू–जल के स्तर में गिरावट आने के कारण उक्त जिलों में कई पेयजल संबंधी योजनाएं ठप्प हो गई हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन जिलों में भू–जल के स्तर को बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन प्रेक्षणों से यह पता चला है कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर जैसे रेगिस्तानी जिलों में भूजल स्तर में चार मीटर से अधिक गिरावट पाई गई।

(ख) और (ग) जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, निष्पादन, प्रचालन एवं रखरखाव करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। संघ सरकार ने ऐसी किसी भी जल आपूर्ति स्कीम को अभिज्ञात नहीं किया है जो कि पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में ठप्प पड़ी हो। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों सहित देश में भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए संघ सरकार द्वारा उठाए गए कदम में शामिल हैं :–

(i) भूजल प्रबंधन एवं विकास के विनियमन एव नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन।

(ii) राजस्थान सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मॉडल बिल परिचालित करना ताकि वे भूजल विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(iii) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर नियमावली परिचालित करना ताकि

वे भूजल स्तर में गिरावट के रुख को रोकन के लिए क्षेत्र विशेष कृत्रिम पुनर्भरण योजना बना सकें।

(iv) देश के कुछ 'अति दोहित' एवं 'डार्क' ब्लाकों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययनों पर एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का क्रियान्वयन करना।

[हिन्दी]

गौ-तस्करी और गौ-वध

278. श्री आदित्यनाथ :

श्री अमन कुमार नागरा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर दिल्ली में गौ–तस्करी और गौ–वध की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी रोकथाम हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्र सरकार को इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। दिल्ली प्रशासन को भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ) गोपशुओं के संरक्षण और परिरक्षण का मामला संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य की सूची में है। उक्त (क) को तथा संविधान की स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

डी टी एच रिग्स की आपूर्ति

279. श्री चमन लाल गुप्ता : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ, उधमपुर और डोडा जिलों में पानी की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय भूमि बोर्ड जम्मू को डी टी एच रिग्स उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक राज्य में उपलब्ध करा दिया जायेगा और इन्हें कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा संसाधनों की उपलब्धता पर किए आकलन के अनुसार कथुआ जिले की तराई क्षेत्र में भूजल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कथुआ के समीप पहाड़ों की तलहटी में बसे कांडी क्षेत्र में पानी की कमी देखने को मिली है। इसका कारण यह है कि यहां अपेक्षाकृत अधिक गहराई में भूजल उपलब्ध है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने उद्यमपुर और डोडा जिलों में भूजल का सर्वेक्षण किया है। तथापि, इन जिलों में भूजल की उपलब्धता के अन्वेषण और आकलन अभी तक नहीं किए गए हैं।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कथुआ (176), उधमपुर (323), और डोडा (455) जिलों में 954 जल आपूर्ति स्कीमें चल रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने वर्ष 1999–2000 के दौरान जंम्मू व कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में एक डाउन–दी होल (डी टी एच) रिग लगाने की योजना बनाई है।

सकल घरेलू उत्पाद

280. श्री आर. एस. गवई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान कृषि की सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक विकास दर कम रही;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि से सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर के समतुल्य लाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश में खेती और फसलोपरांत बुनियादी सुविधा को सुदृढ बनाने हेतु सार्वजनिक निवेश बढाने के उपाय किए हैं; और

(च) इन उपायों का कृषि क्षेत्र के विकास में क्या प्रभाव पडा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) वर्ष 1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान स्थिर मूल्यों (1993–94) पर, कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः –0.1 प्रतिशत, 9.6 प्रतिशत तथा –1.3 प्रतिशत थी। नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसका राज्यवार ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत बताई गई है, जो जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक है।

(ङ) और (च) सिंचाई प्रबंध में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के अलावा नौंवी योजना में कृषि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने तथा निजी निवेश को बढ़ावा देने का भी सरकार का विचार है। काफी समय से लंबित ग्रामीण अवसरचना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1995–96 से आर आई डी एफ लागू की गयी है ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे सिंचाई (वृहद, मध्यम तथा छोटे) पनधारा प्रबंध, ग्रामीण सडकों, पुलों, बाढ संरक्षण उपायों आदि के लिए ऋण सुलभ कराया जा सके। मंजूर परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 3.5 मिलियन हैक्टेयर को सिंचित करने के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जाएगा और 1 मिलियन से अधिक रोजगार सृजित किए जायंगे नदी घाटी परियोजनाओं के शेष कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम भी चलाया है।

विवरण

कृषि क्षेत्र में विगत वर्ष की तुलना में स्थिर (1980–81) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 18.2.99 की स्थितिनुसार

(प्रतिशत)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995–96	1996–97	1997–98
1	2	3	4
1 आंध्र प्रदेश	8.4	5.2	–16.9
2 अरुणाचल प्रदेश	8.9	–21.7	24.2
3 असम	1.6	2.2	–
4 बिहार	–12.2	2.4	–
5 दिल्ली	–41.9	–11.7	–
6 गोआ	2.1	9.3	–
7 गुजरात	–25.7	29.3	–
8 हरियाणा	–5.7	11.2	–8.4
9 हिमाचल प्रदेश	8.1	–	–
10. जम्मू और कश्मीर	4.3	–	–
11. कर्नाटक	3.6	0.9	–
12. केरल	2.5	3.2	4.1
13. मध्य प्रदेश	0.5	8.1	–
14. महाराष्ट्र	7.9	16.9	–
15. मणिपुर	–6.1	3.1	–
16. मेघालय	19.5	5.9	–
17 नागालैंड	–	–	–
18. उड़ीसा	–3.1	–15.6	–
19. पंजाब	–0.6	9.2	–4.4
20. राजस्थान	–6.3	25.4	–3.3
21. सिक्किम	–	–	–
22. तमिलनाडु	–16.4	–4.7	23.9
23. त्रिपुरा	10.3	6.2	–
24. उत्तर प्रदेश	0.2	10.4	–5.8
25. पश्चिम बंगाल	1.2	8.8	–
26. अंड॰ व निको॰ द्वीपसमूह	4.5	–	–
27 पांडिचेरी	–9.6	–5.5	–
(1993–94) के मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ रु॰)	–0.1	9.6	–1.3

मछली का आपूरण

281. श्री के. येरननायडू : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय महासागर में अधिक मछली पकडे जाने के कारण कई क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तथा प्राकृतिक वास की क्षति हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो मछली के आपूरण तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) एटलांटिक और प्रशांत महासागर की तुलना में हिन्द महासागर में इस समय मछली पकड़ना सामान्य है। तथापि, कतिपय लक्ष्य प्रजातीय/समूहों के संबंध में भारत सहित हिन्द महासागर के सीमावर्ती अधिकांश देशों के तटीय क्षेत्रों से दोहन अनुकूलतम स्तर पर पहुंच गया है।

पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जैसे कि विभिन्न श्रेणियों के मत्स्य यानों की क्षेत्रवार तैनाती करके मत्स्य बेड़े तथा मत्स्य प्रयासों को अनुकूलतम और सुसंगत बनाना, मत्स्य गियर और मैश आकार के उपयुक्त विनियम बनाना, समान रूप से बंद मात्स्यिकी मौसम, विविधीकृत मात्स्यिकी सहित गहन समुद्र मात्स्यिकी का विकास, समुद्री मत्स्य फार्म संबंधी परियोजनाओं को हाथ में लेना, कृत्रिम चट्टानों की स्थापना आदि।

[हिन्दी]

केलो सिंचाई परियोजना

282. श्री अजीत जोगी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश की केलो सिंचाई परियोजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है तथा इस परियोजना पर कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से 57.88 करोड रुपये की अनुमानित लागत की केलो सिंचाई परियोजना की परियोजना रिपोर्ट मई, 1988 के दौरान प्राप्त हुई थी। राज्य द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना न करने के कारण यह परियोजना रिपोर्ट राज्य को लौटा दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई, 1998 के दौरान 188.18 करोड रुपये का अद्यतन अनुमान प्रस्तुत किया। तथापि राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह केन्द्र की टिप्पणियों की अनुपालना कर सुधार करते हुए अद्यतन लागत प्राक्कलन के समय संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

जल भराव

283. श्री हीरा लाल राय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 के दौरान देश में जल भराव के कारण कितनी खेती योग्य भूमि प्रभावित हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को जल भराव के क्षेत्रों से जल निकासी के लिए किसी राज्य सरकार विशेषकर बिहार राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1998–99 के दौरान देश में जल जमाव से प्रभावित कुल कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, कृषि मंत्रालय (1984–85) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार सिंचित एवं असिंचित क्षेत्रों में 85.26 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जल जमाव से प्रभावित है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जल संसाधन मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सिंचित कमानों में जल जमाव वाले क्षेत्रों के सुधार के लिए बिहार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से परियोजनाएं प्राप्त कर रहा है। इस मंत्रालय ने सुधार कार्यों को प्रारंभ करने के लिए समय–समय पर गुणों के आधार पर प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया है।

विवरण

कृषि मंत्रालय (1984–95) द्वारा अनुमानित जल जमाव वाले क्षेत्रों की सीमा

क्र.सं.	राज्य का नाम	जल जमाव वाले क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3.39
2.	असम	4.50
3.	बिहार	7.07
4.	गुजरात	4.84
5.	हरियाणा	6.20
6.	जम्मू एवं कश्मीर	0.10
7.	कर्नाटक	0.10
8.	केरल	0.61
9.	मध्य प्रदेश	0.57
10.	महाराष्ट्र	1.11
11.	उड़ीसा	0.60
12.	पंजाब	10.90
13.	राजस्थान	3.48
14.	तमिलनाडु	0.18
15.	उत्तर प्रदेश	19.80
16.	पश्चिम बंगाल	21.80
17.	दिल्ली	0.01
	कुल	85.26
	मिलियन हैक्टेयर	8.53

सिंचाई परियोजनाएं

284. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में राज्यवार कितनी सिंचाई परियोजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं;

(ग) गत पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितनी सिंचाई क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(घ) इस अवधि के दौरान वास्तविक रूप से उपयोग में लाई गई सिंचाई क्षमता का प्रतिशत क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान चल रही तथा निर्माणाधीन नई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जरिए 5.08 मिलियन हेक्टे. क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 2.08 मिलियन हैक्टे. क्षमता सृजित की गई।

(घ) सृजित क्षमता के उपयोग के लिए 4.25 मिलियन हैक्टै. के लक्ष्य की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2.05 मिलियन हैक्टे. (48 प्रतिशत) का उपयोग किया गया।

विवरण

नौवीं योजना में सिंचाई परियोजना की संख्या

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पिछली योजना से आगे लाई गई परियोजनाओ की सख्या		नौवीं योजना में प्रस्तावित नई परियोजनाओं की सख्या	
		वृहद	मध्यम	वृहद	मध्यम
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12	20	12	3
2	अरुणाचल प्रदेश	–	–		–
3	असम	4	9	-	6
4	बिहार	14	29	7	30
5.	गोवा	1	1		–
6.	गुजरात	9	9	1	4
7.	हरियाणा	5	–	7	–
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1	1	5
9.	जम्मू व कश्मीर	1	9		1
10.	कर्नाटक	14	15	8	8
11.	केरल	7	5	2	–
12.	मध्य प्रदेश	23	32	7	20
13.	महाराष्ट्र	36	66	11	7
14.	मणिपुर	2	2	–	1
15.	मेघालय	–	1	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–
17.	नागालैंड	1	–	–	–
18.	उड़ीसा	5	10	6	4
19.	पंजाब	–	1	–	–
20.	राजस्थान	6	6	6	16
21.	सिक्किम	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	–	2	1	2
23.	त्रिपुरा	–	3	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	18	2	3	14
25.	पश्चिम बंगाल	3	17	6	18
	कुल	162	240	78	139

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना

285. श्री वैद्य विष्णु दत्त क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर के किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) देश में एक व्यापक फसल बीमा स्कीम पहले से ही अर्थात् खरीफ, 1985 से चल रही है। सभी किसान जो गेहूं, धान, कदन्न (मक्का सहित) तिलहन और दहलन उगाने के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थानों यथा सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से फसल ऋण लेते हैं इस स्कीम के अंतर्गत बीमा हेतु कवर किये जाने के पात्र होते हैं। बीमा राशि वितरित फसल ऋण की राशि के बराबर होती है लेकिन प्रति किसान यह अधिकतम 10,000 रुपये तक ही होती

है। भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रभार बीमा राशि का 2 प्रतिशत (गेहूं, धान और कदन्न के लिए) तथा 1 प्रतिशत (तिलहन और दलहन के लिए) है। छोटे और सीमांत किसानों द्वारा अदा किये जाने वाले **प्रीमियम** का 50 प्रतिशत केन्द्र तथा राज्य सरकारें 50:50 के आधार पर वहन करती हैं। यह स्कीम स्वैच्छिक प्रकृति की है और राज्य इस अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) से (ङ) जम्मू व कश्मीर ने केवल रबी 1986–87 और खरीफ 1987 में इस स्कीम में भाग लिया था। इन मौसमों के दौरान, 789.48 लाख रुपये के बीमें से 54,586 किसानों को कवर किया गया। इन मौसमों के दौरान 65.20 लाख रुपये के दावों का भुगतान किया गया।

[हिन्दी]

बागवानी और मत्स्यन

286. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बागवानी, मछली पालन आदि के क्षेत्र में कौन–कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गईं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा राज्यवार कितना धन उपलब्ध कराया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा राज्यवार वास्तविक रूप से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(घ) क्या राज्य सरकारों ने चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त धन की मांग की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान बागवानी और मात्स्यिकी के विकास के लिए क्रियान्वित स्कीमों की सूची विवरण–I में दी गई है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में बागवानी और मात्स्यिकी स्कीमों के तहत धन की राज्यवार निर्मुक्ति/उपयोग का ब्यौरा क्रमशः विवरण–II और III में दिया गया है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष में मांगे गए अतिरिक्त धन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

स्कीम	राज्य	परिव्यय 1998–99	वर्ष 98–99 के दौरान भेजा गया अतिरिक्त धन (लाख रुपये)
कृषि में प्लास्टिक	राजस्थान	384.90	100.00
का उपयोग	आंध्र प्रदेश	1410.75	1000.00
	तमिलनाडु	1060.00	2400.00

विवरण-I

बागवानी

1. उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शुष्क क्षेत्रीय फलों का विकास।
2. सब्जी बीजों का उत्पादन तथा आपूर्ति।
3. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास।
4. सुगंधित एवं औषधिक पौधों का विकास।
5. कोको का विकास।
6. कंदमूल फसलों का विकास।
7. भारत में बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन का विकास।
8. खुम्बी का विकास।
9. समेकित मसाला विकास कार्यक्रम।
10. भारत में काजू के विकास के लिए कार्यक्रम।
11. बागवानी में प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहन।
12. पानी की बेल का विकास। *
13. सुपारी का विकास। *

मात्स्यिकी

1. समेकित तटीय जलकृषि।
2. तटीय समुद्री मात्स्यिकी का विकास
3. मुख्य और आम पत्तनों तथा मछली उतारने के केन्द्रों पर मछली पत्तन सुविधाएं प्रदान करना।
4. ताजा जल जलकृषि का विकास।
5. अंतर्देशीय मछली विपणन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण
6. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण
7. अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी का विकास।
8. प्रशिक्षण एवं विस्तार।

* नौवीं योजना मे छोड़ दिया गया है।

विवरण-II

बागवानी स्कीमों के तहत पिछले 3 वर्षों तथा 1998–99 के दौरान धन की राज्यवार निर्मुक्ति तथा उपयोग

(अनंतिम)
(लाख रु.)

	राज्य का नाम	नि. 95–96	उ. 95–96	नि. 96–97	उ. 96–97	नि. 97–98	उ. 97–98	30.9.98 तक 98–99 की धनराशि की निर्मुक्ति	30.9.98 तक 98–99 के दौरान व्यय
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	466.08	806.59	3045.9	1265.2	1308.49	1770.98	847.57	1245.13
2	अरुणाचल प्रदेश	115.13	127.39	93.49	88.92	142.15	190.06	161.09	0.00
3	असम	39.26	43.53	17.80	17.80	43.51	23.84	41.75	0.00
4	बिहार	8.88	11.47	150.67	154.09	127.82	168.65	168.15	0.00
5	गोवा	140.44	119.91	145.55	128.69	46.90	141.88	110.75	101.92
6.	गुजरात	54.45	104.84	44.12	243.50	206.55	182.53	177.36	3.79
7	हरियाणा	177.61	173.50	126.06	257.53	132.07	141.92	298.15	133.55
8.	हिमाचल प्रदेश	38.25	141.86	53.10	131.69	37.00	122.46	106.27	41.00
9	जम्मू और कश्मीर	533.74	360.59	799.92	715.37	825.91	897.25	262.00	0.00
10.	कर्नाटक	1486.0	1801.5	2262.8	2684.9	2752.18	2705.38	2283.33	1019.64
11	केरल	1801.7	2527.3	2178.7	2184.1	1904.24	1783.22	1345.08	161.38
12	मध्य प्रदेश	497.09	229.13	19.75	484.51	297.66	230.98	233.64	63.00
13.	महाराष्ट्र	2722.3	2178.2	2522.8	3053.5	3263.05	3120.36	1999.91	0.00
14.	मणिपुर	162.69	87.55	209.83	272.80	300.12	137.56	81.62	40.00
15.	मेघालय	75.42	62.20	58.33	66.14	64.46	1.13	86.00	0.00
16	मिजोरम	70.88	88.13	129.08	94.97	109.26	134.22	88.05	73.39
17.	नागालैंड	101.29	128.46	140.10	141.18	169.24	90.84	84.00	82.40
18.	उड़ीसा	391.47	281.70	621.46	590.59	739.30	554.65	223.00	0.00
19.	पंजाब	211.43	134.12	238.56	94.34	103.00	282.08	146.97	0.00
20.	राजस्थान	147.92	244.95	231.76	286.17	443.53	457.83	301.97	192.85
21.	तमिलनाडु	1222.04	947.37	1286.7	1210.8	888.29	381.44	1086.10	353.08
22.	त्रिपुरा	53.61	31.08	29.29	75.94	69.58	19.52	53.10	3.03
23.	उत्तर प्रदेश	93.36	99.51	0.00	70.92	128.74	230.10	34.50	100.08
24.	पश्चिम बंगाल	37.57	32.83	25.31	76.12	110.00	51.41	35.50	36.00
25.	सिक्किम	49.28	119.85	103.51	112.13	147.85	114.76	149.25	98.19
26.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	15.28	15.28	16.18	16.18	34.62	16.08	19.40	6.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27 चंडीगढ़	0.00	0.00	6.00	0.00	12.50	0.00	1.00	0.00
28. दादरा नगर हवेली	0.65	0.65	11.43	0.00	13.30	0.00	2.50	0.00
29. दमन तथा दीव	0.00	0.00	11.33	0.00	14.80	0.00	7.50	0.00
30. दिल्ली	37.00	9.50	11.42	18.44	57.00	16.53	83.47	1.53
31. लक्षद्वीप	11.97	11.97	11.87	11.87	15.40	7.95	10.00	0.00
32. पांडिचेरी	16.62	8.84	11.80	4.38	10.50	3.00	13.13	0.00
कुल	10780	10930	14615	14553	14514.04	13998.61	10542.11	3756.17

* सी. डी. बी./एन. एच. बी. द्वारा स्वय कार्यान्वित की जा रही स्कीमा/कार्यक्रमों को छोड़कर।

विवरण-III

*मात्स्यिकी संबंधी स्कीमों के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त धन**

(लाख रुपये)

	राज्य	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99 (अनतिम)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	359.78	314.96	265.71	3.50
2	अरुणाचल प्रदेश	2.00	26.00	24.00	1.00
3	असम		26.20	59.18	41.50 3.50
4.	बिहार		54.10	35.75	127.80 –
5	गोवा		5.19	35.51	108.77 23.91
6.	गुजरात		692.94	808.54	642.05 544.87
7.	हरियाणा	66.25	30.96	26.42	22.00
8	हिमाचल प्रदेश	32.21	2.13	18.56	15.00
9	जम्मू व कश्मीर	44.40	46.62	75.67	–
10.	कर्नाटक	268.24	213.24	644.44	556.87
11.	केरल		963.33	1229.08	1027.52 399.00
12.	मध्य प्रदेश	201.79	165.13	265.78	203.00
13.	महाराष्ट्र	316.49	780.04	1062.83	359.57
14.	मणिपुर		44.88	28.02	30.24 14.85
15.	मेघालय		52.00	2.00	35.60 –
16.	मिजोरम	5.93	14.50	9.50	–
17	नागालैंड	33.00	105.00	41.12	40.00
18.	उड़ीसा		181.04	423.21	284.02 16.36
19.	पंजाब		51.50	42.00	65.01 –
20.	राजस्थान	36.00	25.60	21.39	3.00

1		2	3	4	5	
21.	सिक्किम	5.00	2.00	5.00	–	
22.	तमिलनाडु	1055.13	848.22	636.17	509.13	
23.	त्रिपुरा		262.76	259.75	33.76	13.40
24.	उत्तर प्रदेश	237.00	365.02	362.16	123.50	
25.	पश्चिम बंगाल	349.00	287.73	463.34	245.50	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.34	1.47	7.93	0.90	
27	चंडीगढ		–	–	–	–
28.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	
29.	दमन और दीव	13.42	48.22	90.00	–	
30.	दिल्ली		–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप		0.83	0.88	–	0.50
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–	
	कुल	5361.75	6200.76	6416.29	3099.36	

* धन उपयोग संबंधी आकड़े अलग से उपलब्ध नही है।

[अनुवाद]

उर्वरकों की कीमतें और उपलब्धता

287. श्री रामनारायण मीणा क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की उपलब्धता और मूल्यों को विनियमित करने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उर्वरकों पर राजसहायता के संबंध में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उर्वरकों विशेषकर डायमोनियम फास्फेट संबंधी नीति बनाने में विलंब के कारण 1998 की खरीफ फसल के दौरान इसकी उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) यूरिया एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत सरकार द्वारा इसका अधिकतम फार्म गेट मूल्य निर्धारित किया जाता है एवं प्रत्येक मौसम में राज्यवार व विनिर्मितावार आबंटन के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। विनियंत्रित फासफेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के मामले में सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य विनिर्दिष्ट करती है और मूल्यों को इस स्तर पर बनाए रखने के लिए राजसहायता वहन करती है। सरकार विनियंत्रित उर्वरकों का कोई आबंटन नहीं करती और न ही उनकी आवाजाही को नियंत्रित करती है।

(ग) उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता उनकी बिक्री की लागत और सरकार द्वारा निर्धारित/विनिर्दिष्ट मूल्यों पर निर्भर करती है। बिक्री की लागत तथा मूल्यों में परिवर्तनों को ध्यान में रखकर राजसहायता की राशि में भी समय–समय पर परिवर्तन किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी जेलों में बंद भारतीय

288. श्री टी. गोविन्दन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों की जेलों में कथित अपराधों के लिए बंद भारतीयों की संख्या क्या है; और

(ख) उन्हें रिहा करवाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय विदेशों में 5116 भारतीय कारावास में हैं।

(ख) जैसे ही भारतीय राजनयिक मिशन/केन्द्र को भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के बारे में सूचना मिलती है, उसी समय मेजवान देश में कांसली संपर्क के लिए अनुरोध किया जाता है। मिशन/केन्द्र का अधिकारी हिरासत में रखे हुए व्यक्ति से मिलते हैं तथा उसकी गिरफ्तारी की परिस्थितियों का पता लगाते हैं। जहां आवश्यक हो, वहां मिशन/केन्द्र मामले को शीघ्र और निष्पक्ष रूप से निपटाने तथा दंड की समीक्षा के लिए भी मेजबान सरकार के साथ कदम उठा सकते हैं। सामान्यतः कैदियों को दंड पूरा होने पर ही रिहा किया जाता है। तथापि उचित मामलों में, प्रायः हमारे मिशन/केन्द्र सजा को माफ कराने या कम कराने में सफल हो जाते हैं।

मत्स्यन पत्तन

289. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने मत्स्यन पत्तन कार्यरत हैं;

(ख) राज्यवार ऐसे कितने मत्स्यन पत्तन है जिन पर कार्य प्रगति पर है और ये कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) क्या मत्स्यन पत्तन बनाए जाने हेतु कई प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) गुजरात में ओखा में 21.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मत्स्य पत्तनों तथा पश्चिम बंगाल में 4.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से डायमंड हारबर की स्थापना के लिए जनवरी, 1999 में कृषि मंत्रालय को प्राप्त दो प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

	पूरे हो गए/चालू किए गए मत्स्य पत्तनों की संख्या	मत्स्य पत्तन जिन पर काम चल रहा है
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1. काकीनाडा	1. मछलीपत्तनम
	2. निजामपतनम	
	3. बवनपाडु	
	4. विशाखापटनम	
गुजरात	1. वेरावल	1. जाखू
	2. मंगरोल	2. मंगरोल स्टेज-2
	3. पोबंदर	
केरल	1. विजिन्जम स्टेज-1	1. चम्बल
	2. पुथियापा	2. मोपला बे
	3. मुनाम्बम	3. कायाकुलम
	4. विजिन्जम स्टेज-II	4. विजिन्जम स्टेज-3
	5. नीन्दाकारा	5. थंगासेरी
	6. कोचीन	
कर्नाटक	1. करवार	1. माल्पे स्टेज-2
	2. होनावर	2. मंगलौर स्टेज-2
	3. टाडरी	3. करवार स्टेज-2
	4. मंगलौर	
	5. मालपे स्टेज-I	
महाराष्ट्र	1. रत्नागिरी	1. अग्राओ
	2. ससून डाक	
उड़ीसा	1. गोपालपुर	1. धामरा स्टेज-2
	2. धामरा	
	3. नौगढ (अस्तरंग)	
	4. पारादीप	
तमिलनाडु	1. टूटीकोरिन	1. चिन्नामुटॉम
	2. मल्लीपतनम	
	3. कोडियाकरई	
	4. वल्लीनोक्कम	
	5. टोन्डी	
	6. पाजायार	
	7. मद्रास	
पश्चिम बंगाल	1. फ्रासेर गंज	1. दीघा स्टेज-2
	2. दीघा स्टेज-I	
	3. राय चौक	
पांडिचेरी	–	1. पांडिचेरी
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1. फोनिक्स बे	

[हिन्दी]

नैफेड

290. श्री मोतीलाल बोरा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "नैफेड में व्यापक स्तर पर सरकारी धन का दुरुपयोग जांच समिति ने खुलासा किया" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) में निधियों के कथित दुर्विनियोजन के संबंध में "राष्ट्रीय सहारा" के 6.1.99 के अंक में एक समाचार प्रकाशित हुआ है। विभाग द्वारा कराई गई जांच तथा इस बारे में प्राप्त कुछ अन्य शिकायतों के आधार पर यह मामला सी. बी. आई. को जांच के लिए भेजा गया था। सी. बी. आई. ने नैफेड के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कथित अनियमितताओं कें संबंध में एक मामला दर्ज किया है।

[अनुवाद]

आई. आई. टी. खड़गपुर में इसरो की शाखा

291. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उपग्रह संचार के संबंध में अनुसंधान करने हेतु आई. आई. टी. खड़गपुर में अपनी शाखा स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो इस शाखा को क्या कार्य सौंपे गए हैं; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान इस शाखा द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) अंतरिक्ष विभाग के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सैल (एस. टी. सी.) और प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रम (रिस्पांड) के तत्वावधान में आई. आई. टी. खड़गपुर में उपग्रह संचार से संबंधित क्षेत्रों में कुछ अनुसंधान एवं विकासात्मक आयोजित किए गए हैं।

(ख) उपग्रह संचार के क्षेत्र में निम्नानुसार अनुसंधान एवं विकासात्मक परियोजनाए शुरू की गई हैं :

(i) जी. टी. ई. एम. सैलों का विश्लेषण, डिजाइन एवं विकास :

यह परियोजना संचार उपग्रहों के विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण, सुसंगतता एवं चुम्बकीय स्पंद मानकों के निर्धारण के लिए विकिरणित उत्सर्जन के मापन हेतु गीगा हर्त्स अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय (जी. टी. ई. एम.) सैल का डिजाइन और विकास करेगी।

(ii) अंकीय उपग्रह संचार के क्षेत्र में उपयोग के लिए स्रोत और चेनल कोडर प्राचलों के पारस्परिक प्रभाव पर अध्ययन।

(iii) बहु–भारित समोच्चरेखीय बीम एन्टेनाओं के लिए बीमा फार्मिंग नेटवर्क विश्लेषण सॉफ्टवेयर का विकास

(ग) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट परियोजना जी. टी. ई. एम. सैल के विकास के अंतिम चरण में पहुंच गई है। विविध सैल प्राचलों का मापन और जांच कर ली गयी है एवं जी. टी. ई. एम. सैल का संविरचन कार्य पूर्णतया पूरा हो गया है। उपर्युक्त (ii) में निर्दिष्ट परियोजना ने उपग्रह आधारित स्थिर एवं मोबाइल संचार प्रणालियों सहित अंकीय बेतार संचार के लिए चैनल कोडन योजनाओं स्रोत कोडन योजनाओं की संकल्पना पर एक सर्वेक्षण किया है। उपर्युक्त (iii) में निर्दिष्ट परियोजना हाल ही में जनवरी 1999 में शुरू हुई है।

[हिन्दी]

समुद्री उत्पादों के लिए आबंटन

292. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वर्ष–वार समुद्री उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को कुल कितनी वित्तीय सहायता राशि मुहैया कराई गई है; और

(ख) उक्त योजना का लाभ कितने मछुआरों को प्राप्त हुआ है और इसके परिणामस्वरूप समुद्री उत्पादों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) और (ख) "तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को "बीस मीटर लम्बाई से कम की यांत्रिकीकृत मात्स्यिकी नौकाओं द्वारा खरीद किए गए हाई स्पीड डीजल आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति" घटक के लिए केन्द्र की हिस्सेदारी के रूप में 1997–98 में 343.44 लाख रुपये और 1998–99 में (15.2.99 तक) 332 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर वर्ष लगभग 6,000 छोटी यांत्रिकीकृत नौकाओं को लाभ पहुंचता है और इस योजना ने दूसरी बातों के

अलावा मत्स्य उत्पादन को 1992–93 में 3.88 लाख टन से बढ़ाकर 1997–98 में 4.53 लाख टन करने में मदद की है।

[अनुवाद]

तिस्ता बैराज

293. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में तिस्ता बैराज परियोजना के संदर्भ में पूरे हुए कार्य का प्रतिशत और इस परियोजना द्वारा सिंचित किए जा रहे कुल क्षेत्र का प्रतिशत आज तक की स्थिति के अनुसार क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना को पूरा करने के कार्य की प्रगति बिलकुल धीमी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्तमान में तिस्ता बैराज परियोजना के फेज–I के चरण–1 का पहला उप–चरण कार्यान्वित किया जा रहा है। दिसंबर, 1998 को इस परियोजना के विभिन्न घटकों का जितना प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है, उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

घटक	प्रतिशत पूर्णता
बैराज	
1. तीस्ता बैराज	100 प्रतिशत
2. महानंदा बराज	100 प्रतिशत
3. डोक बराज	100 प्रतिशत
नहरें	
1. तीस्ता महानंदा संपर्क नहर	100 प्रतिशत
2. महानंदा मुख्य नहर	100 प्रतिशत
3. डोक नगर मुख्य नहर	79 प्रतिशत
4. तीस्ता जल ढाका मुख्य नहर	73 प्रतिशत

इस परियोजना के अंतर्गत 6/98 तक 91.81 हजार हैक्टेयर क्षमता सृजित की गई थी।

(ख) और (ग) भूमि अधिग्रहण समस्या के कारण इस परियोजना के कार्यों की प्रगति धीमी रही है।

[हिन्दी]

इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड

294. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन रेयर अर्थ लि. द्वारा कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई तथा प्रत्येक परियोजना के लिए कितना आबंटन किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और परियोजना–वार उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और वास्तविक उत्पादन कितना रहा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों में आरंभ की गई परियोजनाओं का विवरण तथा उनके लिए आबंटित धनराशि, उनकी उत्पादन क्षमता और उत्पादन/क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	अवस्थिति	परियोजना का विवरण	पूंजीगत लागत (लाख रुपये)	उत्पादन क्षमता (मीटरी टन)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	चवारा, कोल्लम, केरल	खनिज पुनःप्राप्ति संयंत्र–II	2100.00	1.70 लाख सांद्र	सितम्बर, 97 से उत्पादनरत 1997–98 में 1,18,908 मीटरी टन और अप्रैल–दिसंबर 98 में 1.27,253 मीटरी टन उत्पादन
2.	मानवालाकुरूचि, तमिलनाडु	जर्कन/रूटाइल की अतिरिक्त प्राप्ति	656.00	जर्कन का 1040 रूटाइल का 374	क्रियान्वयनाधीन
3.	आल्वे, केरल	प्रथम चरण में	892.00	–	प्रथम चरण पूर्ण

1	2	3	4	5	6
		95 प्रतिशत शुद्ध नियोडाईमियम ऑक्साइड का उत्पादन और द्वितीय चरण में 99 प्रतिशत की शुद्धता वाले का			द्वितीय चरण क्रियान्वयनाधीन
4.	चवारा, कोल्लम, केरल	जर्कन का प्रेषण (महीन)	548.00	तीन माइक्रॉन साइज के जर्कन चूर्ण का 800	जून, 97 से उत्पादनरत 1997–98 में 123.5 मीटरी टन और अप्रैल दिसम्बर, 98 में 145.3 मीटरी टन उत्पादन

किसानों का जीवन स्तर

295. श्री रामपाल सिंह :

श्री महेश कनोडिया :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों का जीवन–स्तर सुधारने के लिये नई कई कृषि नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति कब तक बनायी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि नीति प्रारूपण के अंतिम चरणों में है। इसमें कृषि के सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण की दृष्टि से गैर अवक्रमणीय, आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा सामाजिक से स्वीकार्य सुधार को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इस प्रयोजनार्थ यह नीति आर्थिक उदारीकरण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के परिणाम–स्वरूप उत्पन्न नए अवसरों का इष्टतम उपयोग करेगी। राष्ट्रीय नीति में कृषि विकास के मूल स्रोत तथा लाभानुभोगी दोनों रूपों में किसानों पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रतिबंध उठाना

296. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों ने इन प्रतिबंधों में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन देशों के साथ बातचीत कर रही है ताकि प्रतिबंध पूरी तरह से उठा लिए जाएं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक बातचीत के क्या परिणाम निकलें हैं और सरकार को ये प्रतिबंध कब तक पूरी तरह से उठा लिए जाने की आशा है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) नाभिकीय अप्रसार अधिनियम, 1994 के तहत अमरीका ने कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाये थे। अन्य देशों द्वारा लगाये गये प्रतिबंध मुख्यतः विकास सहायता अथवा रियायती ऋण से संबंधित हैं। इनमें से कुछ देशों ने मानवीय, गरीबी उन्मूलन, खाद्य तथा बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित सहायता को इस प्रतिबंध से अलग रखा है। जी–8 के देशों ने यह संकेत दिया था कि वे बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के लिए विश्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण का विरोध नहीं करेंगे। अमरीका ने इन प्रति–बंधों पर आंशिक रियायत की घोषणा की है।

(ग) और (घ) हालांकि इस बात के लिए निश्चित समय सीमा का संकेत देना संभव नहीं है कि भारत के विरुद्ध लगाये गये प्रति–बंधों का पूर्णतः कब हटाया जाएगा तथापि भारत प्रमुख संभावियों के साथ संबंधित मसलों पर लगातार वार्ता कर रहा है।

जल प्रबंधन

297. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल और जल प्रबंधन पर चर्चा हेतु हाल ही में नयी दिल्ली में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी, हां। नई दिल्ली में 19–21 जनवरी, 1999 के दौरान "वाटर एशिया–1999" नामक शीर्षक से एक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी जल, गंदा जल और संक्षारण उद्योग पर केन्द्रित थी। लगभग 47 कंपनियों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और 1800 लोगों ने इसे देखा। यह आयोजन पूर्णतः व्यावसायिक प्रकृति का था और इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना तथा जल, गंदा जल और संक्षारण उद्योग से संबंधित उत्पादों और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना था। इस प्रदर्शनी के साथ–साथ एक सम्मेलन का भी आयोजना किया गया जिसमें जल और उद्योग क्षेत्र से आए विशेषज्ञों ने प्रौद्योगिकियों पर विचार–विमर्श किया।

प्राकृतिक आपदाएं

298. श्री के. डी. सुल्तानपुरी :

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी :

श्री टी. गोविन्दन :

श्री हरिभाई चौधरी :

डा. रामलखन सिंह :

श्री सोहनवीर सिंह :

श्री ए. जी. जोस :

श्री मित्रसेन यादव :

श्री इन्द्रजीत मिश्र :

श्री चिन्मयानंद स्वामी :

श्री आदित्यनाथ :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों विशेषकर गत 10 महीनों के दौरान भारी वर्षा, ओला–वृष्टि, बादलों के फटने और चक्रवात के कारण विभिन्न राज्यों में जान–माल और खड़ी फसलों की राज्य–वार कितनी क्षति हुई;

(ख) खड़ी फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रत्येक प्रभावित राज्य में भेजे गये केन्द्रीय दलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दलों से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) प्रत्येक प्रभावित राज्य द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत मांगी गई वित्तीय सहायता में से कितनी सहायता आबंटित की गई और वास्तविक रूप में दी गई; और

(ङ) कम आबंटन तथा वित्तीय एवं अन्य सहायता के जारी किये जाने में हुए विलंब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, भारी वर्षा/बाढ़, चक्रवात, भू–स्खलन एवं ओलावृष्टि के कारण 1995–96 से 1997–98 के दौरान एंव 1998–99 (अब तक) में क्षतिग्रस्त फसली क्षेत्र एवं मकान/झोपडियों, मानव एवं पशुओं की मृत्यु का विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	क्षतिग्रस्त फसली क्षेत्र (लाख हे.)	क्षतिग्रस्त मकान/ झोपडियां (लाख)	मृतक मनुष्यों की संख्या (लाख)	मृतक पशुओं की संख्या (लाख)
1995–96	79.84	22.16	0.03	1.03
1996–97	57.14	24.02	0.04	2.09
1997–98	41.52	9.49	0.02	0.32
1998–99	75.19	15.63	0.05	1.09

(ख) से (ङ) उपर्युक्त प्राकृतिक आपदाओं के आने पर स्थिति का जायजा लेने के लिए 1995–96 में 15, 1996–97 में 17, 1997–98 में 14 एवं 1998–99 में अब तक 14 केन्द्रीय दल भेजे गए हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए आपदा राहत कोष से सभी राज्य सरकारों को धनराशि प्रत्येक वर्ष आबंटित की जाती है। इस कोष में राज्य तथा केन्द्र सरकारों की हिस्सेदारी 3:1 के अनुपात में होती है। केन्द्रीय हिस्से को चार समान त्रैमासिक किस्तों में जारी किया जाता है। वर्ष 1995–96 से वर्ष 1998–99 के लिए आपदा राहत कोष के अंतर्गत कुल आबंटन, केन्द्रीय हिस्सा, राज्य के हिस्से का ब्यौरा विवरण I, II, III, एवं IV के रूप में संलग्न है।

आपदा राहत कोष के अतिरिक्त, गंभीर किस्म की आपदा की स्थिति में, निश्चित प्रक्रियाओं के अनुसार, राज्यों को राष्ट्रीय आपदा

राहत कोष से सहायता दी जाती है। सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखकर, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्यों को दी जाने वाली सहायता, यदि कोई हो, की मात्रा पर राष्ट्रीय आपदा राहत समिति निर्णय लेती है। वर्ष 1995–96 से 1998–99 के दौरान उपर्युक्त प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई एवं केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता से दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण IV, V, VI, VII के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

वर्ष 1995–96 से 1998–99 के लिए आपदा राहत कोष

(लाख रुपये में)

राज्य		आपदा राहत कोष			
		1995–96	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11721	12419	13105	13773
2.	अरुणाचल प्रदेश	664	704	743	781
3.	असम	4720	5001	5277	5547
4.	बिहार	4904	5196	5483	5763
5.	गोवा	101	107	113	119
6.	गुजरात	13176	13960	14731	15483
7.	हरियाणा	2365	2505	2644	2779
8.	हिमाचल प्रदेश	2544	2695	2844	2989
9.	जम्मू व कश्मीर	1860	1971	2079	2184
10.	कर्नाटक	3949	4185	4416	4641
11.	केरल	5229	5540	5847	6144
12	मध्य प्रदेश	4821	5108	5389	5665
13.	महाराष्ट्र	6437	6820	7197	7564
14.	मणिपुर	235	248	261	275
15.	मेघालय	263	279	295	309
16.	मिजोरम	120	127	133	140
17.	नागालैंड	160	171	180	188
18.	उड़ीसा	4625	4901	5172	5436
19.	पंजाब	5111	5415	5715	6005
20.	राजस्थान	16899	17904	18893	19856
21.	सिक्किम	444	471	497	523
22.	तमिलनाडु	5602	5935	6263	6583
23.	त्रिपुरा	424	449	475	499
24.	उत्तर प्रदेश	11809	12512	13203	13876
25.	पश्चिम बंगाल	4844	5132	5416	5692
	कुल	113026	119755	126371	132815

विवरण-II

वर्ष 1995–96 से 1998–99 के दौरान आपदा राहत कोष में केन्द्र का हिस्सा

(लाख रुपये में)

राज्य		1995–96	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8791	9314	9829	10330
2.	अरुणाचल प्रदेश	498	528	557	586
3.	असम	3540	3751	3958	4160
4.	बिहार	3678	3897	4112	4322
5.	गोवा	76	80	85	89
6.	गुजरात	9882	10470	11048	11612
7.	हरियाणा	1774	1879	1983	2084
8.	हिमाचल प्रदेश	1908	2021	2133	2242
9.	जम्मू व कश्मीर	1395	1478	1559	1639
10.	कर्नाटक	2962	3139	3312	3481
11.	केरल	3922	4155	4385	4608
12.	मध्य प्रदेश	3616	3831	4042	4249
13.	महाराष्ट्र	4828	5115	5398	5673
14.	मणिपुर	176	186	196	206
15.	मेघालय	197	209	221	232
16.	मिजोरम	90	95	100	105
17.	नागालैंड	120	128	135	141
18.	उड़ीसा	3469	3676	3879	4077
19.	पंजाब	3833	4061	4288	4504
20.	राजस्थान	12674	13428	14170	14892
21.	सिक्किम	333	353	373	392
22.	तमिलनाडु	4201	4451	4697	4937
23.	त्रिपुरा	318	337	356	374

1	2	3	4	5	6
24.	उत्तर प्रदेश	8857	9384	9902	10407
25.	पश्चिम बंगाल	3633	3849	4062	4269
	कुल	84771	89815	94778	99611

विवरण-III

वर्ष 1995–96 से 1998–99 के लिए आपदा राहत कोष में राज्यों का हिस्सा

(लाख रुपये में)

राज्य		1995–96	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2930	3105	3276	3443
2.	अरुणाचल प्रदेश	166	178	188	195
3.	असम	1180	1250	1319	1387
4.	बिहार	1226	1299	1371	1441
5.	गोवा	25	27	28	30
6.	गुजरात	3294	3490	3683	3871
7.	हरियाणा	591	626	661	695
8	हिमाचल प्रदेश	636	674	711	747
9.	जम्मू व कश्मीर	465	493	520	546
10.	कर्नाटक	987	1046	1104	1160
11.	केरल	1307	1385	1462	1536.
12.	मध्य प्रदेश	1205	1277	1347	1416
13.	महाराष्ट्र	1609	1705	1799	1891
14.	मणिपुर	59	62	65	69
15.	मेघालय	66	70	74	77
16.	मिजोरम	30	32	33	35
17.	नागालैंड	40	43	45	47
18.	उड़ीसा	1156	1225	1293	1359
19.	पंजाब	1278	1354	1429	1501
20.	राजस्थान	4225	4476	4723	4964
21.	सिक्किम	111	118	124	131
22.	तमिलनाडु	1400	1484	1566	1646
23.	त्रिपुरा	106	112	119	125
24.	उत्तर प्रदेश	2952	3128	3301	3469

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	1211	1283	1354	1423
	कुल	28255	29940	31593	33204

विवरण-IV

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए अनुरोधों की स्थिति–1995–96

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आपदा	मांगी गई सहायता	दी गई सहायता
1	2-	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	बाढ़/चक्रवात	293.20	–
		बाढ़	582.06	21.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़	50.50	10.00
3.	बिहार	बाढ़	1102.28	21.00
4.	हरियाणा	बाढ़	588.09	39.41
5.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	481.98	12.49
6.	जम्मू व कश्मीर	बाढ़	211.08	18.17
7.	मेघालय	बाढ़/भूस्खलन	41.13	10.00
8.	मिजोरम	बाढ़	59.99	4.71
9.	उड़ीसा	चक्रवात	264.00	25.75
			300.00	5.00
10.	पंजाब	बाढ़	658.00	16.16
11.	राजस्थान	बाढ़	235.99	21.00
12.	उत्तर प्रदेश	बाढ़	357.40	–
13.	पश्चिम बंगाल	बाढ़	631.99	21.00

विवरण-V

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए अनुरोधों की स्थिति–1996–97

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आपदा	मांगी गई सहायता	दी गई सहायता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	बाढ़/चक्रवात	125.74	–
		बाढ़/चक्रवात	550.63	–
		बाढ़/चक्रवात	2143.00	142.00

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़	110.53	3.00
3.	असम	बाढ़	415.91	21.00
4.	बिहार	बाढ़	168.92	7.00
5.	गुजरात	बाढ़	282.01	–
6.	हरियाणा	बाढ़	102.00	–
7.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	458.37	10.56
8.	जम्मू व कश्मीर	बाढ़	273.97	–
9.	कर्नाटक	बाढ़	621.00	–
10.	केरल	बाढ़	342.00	–
11.	मध्य प्रदेश	बाढ़	55.00	–
12.	राजस्थान	बाढ़	321.00	–
13.	सिक्किम	बाढ़	43.92	5.52
14.	तमिलनाडु	बाढ़/चक्रवात	621.55	25.00
15.	उत्तर प्रदेश	बाढ़	589.90	–
16.	पश्चिम बंगाल	बाढ़	309.00	–

विवरण-VI

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए अनुरोधों की स्थिति–1997–98

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आपदा	मांगी गई सहायता	दी गई सहायता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	ओलावृष्टि	82.11	शून्य
		चक्रवात	168.00	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	बाढ़	105.15	–
3.	बिहार	बाढ़/ओलावृष्टि	428.82	10.00
4.	गुजरात	बाढ़	664.33	86.90
5.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	609.78	24.80
6.	केरल	बाढ़/भूस्खलन	1106.26	12.91
7.	मध्य प्रदेश	बाढ़	121.36	22.50
		ओलावृष्टि	129.16	शून्य
		भारी वर्षा	2103.75	$
		ओलावृष्टि	156.09	–
8.	महाराष्ट्र	सूखा, बाढ़ ओलावृष्टि और असमय वर्षा	156.76	–
9.	मणिपुर	बाढ़	59.13	–
10.	उड़ीसा	भारी वर्षा	151.50	–
11.	पंजाब	बाढ़	175.72	शून्य
12.	सिक्किम	भू–स्खलन	107.39	7.00
13.	उत्तर प्रदेश	भारी वर्षा	242.97	शून्य
		बाढ़/भूस्खलन	323.10	–
14.	पश्चिम बंगाल	बाढ़	177.00	शून्य

$ विचाराधीन

विवरण-VII

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए 1998–99 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आपदा	मांगी गई सहायता	दी गई सहायता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	वर्षा/बाढ़	500.00	*
		चक्रवात	100.00	***
2.	अरुणाचल प्रदेश	वर्षा/भूस्खलन	200.23	*
3.	असम	बाढ़	1001.98	*
4.	बिहार	बाढ़	1003.75	*
5.	गुजरात	चक्रवात	610.65	*
		बाढ़	200.00	**
6.	हरियाणा	असमय वर्षा	757.29	*
7.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़/वर्षा	266.06	***
8.	कर्नाटक	वर्षा/बाढ़	1352.13	*
9.	केरल	वर्षा/बाढ़	962.13	*
10.	महाराष्ट्र	बाढ़	152.26	***
11.	पंजाब	असमय वर्षा	1140.60	*
12.	सिक्किम	बाढ़/भूस्खलन	141.41	*
13.	त्रिपुरा	बाढ़	30.11	*

1	2	3	4	5
14.	उत्तर प्रदेश	ओलावृष्टि/वर्षा	114.81	**
		बाढ़/भूस्खलन	2139.49	*
14.	पश्चिम बंगाल	झंझावत	98.83	**
		भूस्खलन	705.60	*

* प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में।

** गंभीर किस्म की आपदा नही समझा गया।

*** विचाराधीन

[हिन्दी]

वीजा न दिया जाना

299. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन ने विभिन्न अमरीकी अनुसंधान परियोजनाओं में कार्यरत कई वैज्ञानिकों को वापिस भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी प्रशासन ने विभिन्न सम्मेलनों तथा अन्य कार्यों के संबंध में अमरीका की यात्रा किए जाने के इच्छुक भारतीय वैज्ञानिकों को वीजा दिए जाने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) जुलाई, 1998 में यू एस नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्टेड्र्डस एंड टैक्नोलाजी (एन आई एस टी) गैथर्सबर्ग मेरी लैंड, यू एस ए में कार्यरत सात भारतीय वैज्ञानिकों को अपना कार्य समाप्त करने और अमरीका छोड़ने के लिए कहा गया था। (एन आई एस टी) में कार्यरत भारत के शेष 23 वैज्ञानिकों के मामले में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी।

अमरीकी सरकार ने स्पष्ट किया कि भारतीय वैज्ञानिकों को छोड़ देने के लिए कहने संबंधी निर्णय उस अमरीकी नामिकीय प्रसार प्रतिबंध अधिनियम, 1974 (ग्लेन संशोधन) की धारा (घ) के तहत लिया गया था। जिसमें भारत और पाकिस्तान के लिए अन्य वित्तीय सहायता से इंकार का प्रस्ताव किया गया है। इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए 23 जुलाई 1998 डी ओ ई ने एक 'तथ्यात्मक' दस्तावेज जारी किया था।

तत्पश्चात् अमरीकी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई भारत के वैज्ञानिकों पर विदेश में कोई प्रतिबंध नहीं थी, किंतु उन संस्थाओं के अनुसंधानकर्ताओं पर है जिन्हें अमरीका भारत के नामिकीय और मिसाईल कार्यक्रम में संलिप्त मानता है। डा. आर. चिदम्बरम, अध्यक्ष परमाणु उर्जा आयोग और सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, जिन्हें जुलाई, 1998 में आरलिंगटन, अमरीका में आयोजित होने वाली (आई यू सी आर) वार्षिक कार्यकारी बैठक में भाग लेने के लिए इंटरनेशनल यूनियन आफ क्रिस्टालोग्राफी (आई यू सी आर) के उपाध्यक्ष की हैसियत से आमंत्रित किया था, अमरीकी प्राधिकारियों ने कोई अमरीकी वीजा नहीं दिया था।

तत्पश्चात् 16 जुलाई, 1998 को नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास ने निम्नलिखित प्रेस वक्तव्य जारी किया था। "डा. आर. चिदम्बरम ने 29 जून को वीजा के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था। 9 जुलाई, को उनका पासपोर्ट और आवेदन-शुल्क वापस कर दिया था उनसे कहा था कि इस प्रकार का आवेदन करने का यह उपयुक्त समय नहीं था तथा तकनीकी रूप से यह इंकार का मामला नहीं बना था।"

द इंटरनेशनल क्रिस्टालोग्राफी यूनियन ने डा. चिदम्बरम के लिए वीजा इंकार का विरोध किया था। द अमरीकन फिजीकल सोसाइटी जिसकी सदस्य सं. 41,000 है, ने भी विरोध किया था और यह चेतावनी दी कि इससे एक खतरनाक परंपरा की नींव पड सकती है। अमरीकी कांग्रेस सदस्य फ्रेंक पालोनने सात भारतीय वैज्ञानिकों के वीजा को रद्द करने संबंधी स्टेट डिपार्टमेंट के निर्णय पर सवाल उठाते हुए अमरीकी सेक्रेटरी आफ स्टेट, मेडेलिने अलब्राईट ने एक पत्र लिखा था।

सरकार वीजा देने से इंकार करने और कतिपय भारतीय वैज्ञानिकों की अनुसंधान परियोजानाओं को समाप्त करने के अमरीकी निर्णय को अनुचित मानती है। हम इंकार और वीजा निरस्त करने की किसी सोची-समझी नीति विशेष रूप से जो वैज्ञानिक आदान-प्रदान और क्रियाकलाप के आड़े आती हो, सहमत नहीं है। डा. चिदम्बरम और अन्य वैज्ञानिकों संबंधी मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाया गया है। इस मसले के संबंध में भारत सरकार का यह दृष्टिकोण है कि चाहे आर्थिक क्षेत्र हो अथवा तकनीकी क्षेत्र उत्पीड़क और एक-तरफा उपाय हानिकर हैं।

[अनुवाद]

हीराकुंड बांध

300. श्री तथागत सत्पथी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुंड बांध में हाल में कोई दरार आ गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन दरारों की मरम्मत हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बांध के मरम्मत तथा रख-रखाव कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) हीराकुंड बांध दरार समीक्षा पैनल एवं बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल के सुझाव पर नए दरार वाले क्षेत्रों पर जल मानचित्रण और सामग्री के नमूनों की जांच का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

(ग) दिनांक 31.12.98 तक जल मानचित्रण का सर्वेक्षण और दरारों की मरम्मत पर 3.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

मुल्लापेरियार बांध

301. डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुल्लापेरियार बांध के जल स्तर के मामले में केरल और तमिलनाडु सरकारों के बीच चल रहे विवाद को हल कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे के हल के लिए गत तीन वर्षो के दौरान दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों और अधिकारियों की कोई बैठक हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन बैठकों के क्या परिणाम रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) यह मामला केरल और तमिलनाडु के बीच है तथा उन्हें इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान करना चाहिए। तथापि, केन्द्र सरकार ने इसके सौहार्दपूर्ण समाधान के प्रयास किए थे। जल संसाधन मंत्रालय में 25.6.98 को तमिलनाडु और केरल सरकार के अधिकारियों के साथ एक अधिकारी स्तर की बैठक की गई थी। इसके पश्चात् इस मुद्दे पर विचार–विमर्श करने के लिए इन दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठकें हो रही थीं।

सीमा संबंधी मामलों पर वार्ताएं

302. श्री नरेश पुगलीया :

श्री शकील अहमद :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने वार्ता के लिए कोई तारीख नियत करने से इंकार करते हुए सीमा संबंधी मामले पर संयुक्त कार्य दल की बैठक के अगले दौर को टाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो चीन द्वारा इस मुददे पर आगे बात करने से इंकार क्यों किया गया;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच इस मुददे पर हुई वार्ताओं का ब्यौरा और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(घ) सरकार मामले को सुलझाने हेतु और क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सीमा के प्रश्न का उचित, तर्कसंगत तथा परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के लिए 1988 में सीमा मसले से संबद्ध भारत–चीन संयुक्त कार्यदल की स्थापना की गई थी। चीनी पक्ष की ओर से उप विदेश मंत्री तथा भारतीय पक्ष की ओर से विदेश सचिव संयुक्त कार्यदल के अध्यक्ष हैं। संयुक्त कार्यदल की अब तक दस बैठकें हो चुकी हैं। इसकी अंतिम बैठक अगस्त, 1997 में नई दिल्ली में हुई। 1998 में बीजिंग में होने वाली संयुक्त कार्यदल की 11वीं बैठक नहीं बुलाई जा सकी।

यह प्रस्ताव था कि संयुक्त कार्यदल की 11वीं बैठक 1998 की अंतिम तिमाही में बुलाई जाए। तथापि चीनी पक्ष ने यह सुझाव दिया कि संयुक्त कार्यदल पर विचार करने से पूर्व एक "तैयारी" बैठक बुलाई जाए। यह सहमति हुई कि इस विषय पर अगस्त 1997 में संपन्न प्रोतोकोल के ढांचे में 25–26 फरवरी, 1999 में बीजिंग में विदेश कार्यालय परामर्श संपन्न किया जाए।

(घ) हम चीन सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। हम चीन के साथ सभी बकाया मतभेदों को हल करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया तथा मैत्रीपूर्ण, सहयोगी, अच्छे पड़ोसी एवं परस्पर लाभकारी संबंधों को विकसित करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाएं

303. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कई मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर असाधारण रूप से अधिक समय लगा और मूल लागत से अधिक खर्च हुआ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिंचाई परियोजनाओं की मूल लागत सहित परियोजना वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समय और लागत में इतनी अधिक वृद्धि होने के मुख्य क्या कारण हैं;

(घ) उक्त परियोजनाओं की परियोजना वार वर्तमान स्थिति, संशोधित लागत और इन्हें पूरा करने के लिए निर्धारित समयावधि क्या है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित धनराशि में से वर्ष 1999–2000 के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय

होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों में से उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। वृहद परियोजनाओं को पूरा करने की सामान्य अवधि 10–15 वर्ष है और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 5–10 वर्ष है। इस अवधि और परियोजना की अनुमानित लागत में होने वाली वृद्धि परियोजना के आकार, भूमि की उपलब्धता, विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों से स्वीकृति, भौगोलिक स्थितियों आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को आबंटित निधियों का समान महत्व है। इस समय कर्नाटक में 11 चल रही वृहद परियोजनाएं और 12 चल रही मध्यम परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं के नाम, अनुमोदित लागत, अद्यतन अनुमानित लागत, आठवीं योजना के अंत तक व्यय, वार्षिक योजना 1997–98 के दौरान व्यय, नौवीं योजना के दौरान योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा सस्तुत परिव्यय तथा पूरा करने का संशोधित कार्यक्रम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 1999–2000 के दौरान परिव्यय उपलब्ध नहीं है क्योंकि वार्षिक योजना 1999–2000 को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही परियोजनाएं –कर्नाटक

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू की गई	लागत		व्यय		3/98 (97–98) के अंत तक संचित व्यय	कार्यकारी दल द्वारा संस्तुत नौवीं योजना परिव्यय	पूरा करने का संशोधित कार्यक्रम
			अनुमानित	अद्यतन अनुमोदित –	आठवीं योजना के अंत तक और 3/97	वर्ष 1997–98 के दौरान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चल रही वृहद परियोजना									
1.	माद्रा	I	31.93	155.23	143.06	7.11	150.17	17	1998–99
2	तुगभद्रा बाध और बायां तट नहर	I	33.41	230.33	203.69	12.51	216.2	27	98–99
3	तुगभद्रा दायां तट उच्चस्तरीय नहर	II	2.57	62.93	43.33	2.31	45.64	10	1998–99
4.	कबीनी (एन पी)	II	यू.ए.	1251	301.07	17.41	318.48	–	
5.	मालप्रभा	III	19.91	603.56	427.04	41.41	468.45	190	2002
6.	हारंगी (एन पी)	III	यू.ए.	310	229.65	18.14	247.79	–	
7.	हेमवती (एन पी) ए.पी.–66–69		यू.ए.	2484.73	1092.79	134.32	1227.11	–	
8.	अपर कृष्णा चरण–I	IV	58.2	3785.46	2457.07	784.87	3241.94	1450	2000
9.	करांजा	V	98	284.92	162.58	21.55	184.11	98	2002
10.	बेनीथोर	V	.25	153	74.02	25.58	99.6	85	1998–99
11.	हिप्पारगी	V	यू.ए.	524.21	21.19	4.89	26.08	200	9वीं के बाद
मझली परियोजना									
1.	मनचनबाले	IV	0.77	57.5	47.36	7.89	55.25	12	1997–98
2.	इग्गालूर (एन पी)	IV	यू.ए.	70	30.21	4.38	34.59	–	
3.	वोटहोल	V	2.05	47.5	34.02	1.32	35.34	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	अमरजा	V	5.7	79.25	54.28	11.07	65.35	24	1998–99
5.	लोअर मुल्लामारी	V	8.37	100	59.63	16.84	76.47	37	1998–99
6.	मस्कीनाला	V	3.11	25.28	12.96	5.21	18.17	13	1997–98
7.	एफ. सी. रानीकेरे	V	यू.ए.	9.19	8.9	0.29	9.19	0.35	
8.	चुलकीनाला	V	3.8	53.5	33.47	10.75	44.22	20	1998–99
9	अरकावथी	V	यू.ए.	106.5	40.03	5.58	45.61	–	
10.	चिकलीहोल (एनपी)								
	ए.पी. 78–80		यू.ए.	17.35	16.25	0.59	16.84	–	
11	उद्थोरहाला (एनपी)								
	ए.पी. 78–80		यू.ए.	144.1	76.25	6.53	82.78	–	
12.	हिरेहाला	VI	6.35	90	67.52	17.12	84.64	23	1998–99

टिप्पणी : एन. पी. – कावेरी बेसिन में गैर–योजना परियोजनाएं योजना आयोग द्वारा परिव्यय प्रदान नहीं किया गया है।

यू.ए. – अननुमोदित

ए.पी. – वार्षिक योजना

[हिन्दी]

पासपोर्ट शुल्क

304. श्री हरिभाई चौधरी :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट शुल्क में कोई वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी नहीं। पासपोर्ट शुल्क मे अंतिम संशोधन 1993 में हुआ था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को कारगर बनाया जाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पासपोर्टों को शीघ्रता से जारी करने के लिए क्रियाविधियों के सरलीकरण और उन्हें कारगर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :

(क) आवेदन पत्रों की त्वरित छंटनी तथा प्रक्रिया के लिए कम्प्यूटरीकरण सहित कार्यलय सुविधाओं का उन्नयन,

(ख) स्व–सत्यापित दस्तावेज स्वीकार करना,

(ग) जिन मामलों में पुलिस रिपोद्ट चार सप्ताह की निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न हो, उनमें पश्च पुलिस सत्यापन के आधार पर पासपोर्ट जारी कर देना,

(घ) आवेदन पत्र लेते समय उसकी पूर्णता/शुद्धता की सब तरह से पूरी–पूरी जांच करना,

(ङ) लंबित मामलों के निपटान के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना,

(च) प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी सत्यापन प्रमाण पत्रों के बल पर बिना बारी के विशिष्ट आपात स्थितियों में पासपोर्ट जारी करने का प्रावधान,

(छ) सत्यापन प्रमाण–पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची का विस्तार,

(ज) 20 वर्ष के लिए वैध पासपोर्ट की शुरूआत,

(झ) वैधता समाप्त होने पर पश्च पुलिस सत्यापन आधार पर पासपोर्ट को स्वतः पुनः जारी करना।

[अनुवाद]

हार्डवेयर पर सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट

305. श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

श्री विठ्ठल तुपे :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट में हार्डवेयर के संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के निष्कर्षों पर कुछ वर्गो ने कोई आपत्ति उठाई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) देश में मॉनीटर के निर्माण के संबंध में फैरिफील्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने टिप्पणियां भेजी थीं, एक श्रमिक संघ ने श्रम कानून से संबंधित टिप्पणियां भेजी थीं।

(ग) प्राप्त टिप्पणियां सामान्य प्रकृति की थीं और इन पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी।

पानी और बिजली की कमी

306. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पानी और बिजली की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इसकी कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय नदी

307. डा० विजय सोनकर शास्त्री : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जल के राज्य का विषय होने के कारण किसी नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा–भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को अक्टूबर, 1986 से राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। इस जल मार्ग को बंडलिंग और तलकर्षण नौवहन चैनल, चैनल मार्किंग, पिलोटाज, 24 घंटे नौवहन संबंधी सहायता और चुने हुए स्थानों पर टर्मिनलों जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए जहाजरानी और नौवहन के लिए विकसित किया जा रहा है।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सी. टी. बी. टी.)

308. श्री माधव राव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध (सी टी बी टी) पर हस्ताक्षर करने हेतु कुछ शर्तें लगाई हैं,

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बताई गई ठीक–ठीक शर्तें क्या हैं;

(ग) इस पर अमरीका तथा अन्य परमाणु शक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारत द्वारा व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सी टी बी टी) पर कब तक हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के संबंध में सरकार की स्थिति संसद में बता दी गई है। 15 दिसंबर, 1998 को प्रधान मंत्री ने कहा था "अब भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सहित अनेक मुददों पर प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत कर रहा है। हम सफल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ताकि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को लागू करने में सितम्बर, 1999 से अधिक समय न लगे। हमें आशा है कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुच्छेद चौदह में निर्दिष्ट अन्य देश बिना शर्त संधि का पालन करेंगे। हमारी वही स्थिति बनी हुई है। बातचीत को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे वार्ताकार एक सकारात्मक वातावरण तैयार करें"। हमारे बयान का प्रभाव सकारात्मक रहा है और इसे सही दिशा में रचनात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

309. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस अंतर को कम करने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) के अर्थ में तैयार किए गए वर्ष 1970–71, 1980–81 और 1990–91 (अंनतिम) के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय के अनुमान इस प्रकार हैं :

प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद

(वर्तमान कीमतों पर रु./वर्ष)

		1970–71	1980–81	1990–91 (पी)
1	ग्रामीण	529	1245	3510
2	शहरी	1294	2888	9579
3	शहरी–ग्रामीण असमानता (2)/(1)	2.4	2.3	2.7

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में असमानता 1970–71 के 2.4 गुना से कम होकर 1980–81 में 2.3 गुना हो गयी। तथापि, वर्ष 1990–91 के लिए अनतिम अनुमान में समनुरूप अनुपात 2.7 है।

(ग) शहरी ग्रामीण असमानताओं में विशेष रूप से आय और उपभोग में, कृषि और अन्य ग्रामीण कार्यकलापों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के माध्यम से कमी लाने का लक्ष्य है। पर्याप्त उत्पादक रोजगार प्रदान करने और गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना, नौवीं योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।

[अनुवाद]

ईसाइयों पर हमले

310. श्री यू. वी. कृष्णमराजू :

श्री जयराम आई. एम. शेट्टी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाक 13 जनवरी, 1999 के "स्टेटसमैन" में "एम ई ए स्टैप्स इन लेट टू कंट्रोल इंटरनेशनल डेमेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में ईसाइयों पर हमलों के कारण विश्व में विशेष रूप से विदेश में रह रहे भारतीय मूल के ईसाइयों में सरकार की छवि बिगड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवत सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बहुवादी समाज के ढांचे में धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की भारत की परंपरा सर्वविदित है। भारत सरकार ने इस परंपरा को कायम रखने के प्रति भारत की कठोर एवं लगातार जारी प्रतिबद्धता पर बल दिया है। हाल की घटनाओ की निंदा करने वाले भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के वक्तव्य ऐसी घटनाओं की भारत की सार्वभौमिक सार्वजनिक निंदा तथा हिंसा की ऐसी सभी कार्रवाइयों की जांच करने तथा कानून के अंतर्गत कार्रवाई में सरकार द्वारा उठाए गए तुरत कदमों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। विदेशी सरकारें, लोकमत तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उपर्युक्त तथ्यों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। विदेश स्थित हमारे मिशन/केन्द्र अपने प्रयासों में लगे हैं। इन उपायों से इस प्रयोजन में सरकार की गंभीरता के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पुनः आश्वस्त करने में मदद मिली है। भारत की स्थिति के प्रति समझबूझ दिखाई गई है और विशेष तौर पर इस तथ्य के प्रति कि ऐसी घटनाएं आपराधिक तत्वों की गतिविधियों से उत्पन्न हुई अनिवार्यता के कारण हुई हैं।

खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने की नीति

311. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

श्री एस. एस. ओवेसी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एसोचेम ने खाद्यान्न का उत्पादन बढाने के लिये बहु आयामी नीति का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) वर्ष 2020 तक खाद्यान्न उत्पादन के 500 मिलियन टन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपायों को शामिल करते हुए वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ (एसोचेम) ने "भारतीय कृषि क्षेत्र, जुलाई, 1998 के लिए नीतिगत योजना" शीर्षक के अपने दस्तावेज में भारतीय कृषि से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया है। सुझावों में पट्टा भूमि शर्तों में संशोधन भूजल संसाधनों को उपयोग में लाना, छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए बैंक से धन उपलब्ध कराना, निजी क्षेत्र की

अधिक भागीदारी तथा ठेके पर खेती करना शामिल है। देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नीतियां बनाते समय चैम्बर द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जाएगा।

नारियल उत्पादक कृषकों के हित

312. श्री पी. सी. थामस : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नारियल उत्पादक कृषकों को कीमतों में गिरावट, पेडों की बीमारी तथा उपयुक्त खाद एवं सिंचाई की कमी के कारण सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नारियल उत्पादक कृषकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं –

1. किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। 1999 मौसम में मिलिंग कोपरा के लिए निर्धारित 3100 रुपया प्रति क्विंटल तथा बाल कोपरा के लिए निर्धारित 3325 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 200 रुपया अधिक है।

2. ऊंचा मूल्य पाने के लिए किसानों को 10,000 रुपये तक या आधुनिक कोपरा ड्रायर लगाने पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अच्छी गुणवत्ता वाले कोपरा का उत्पादन कर सकें।

3. उत्पादों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए नारियल विकास बोर्ड ने विभिन्न नारियल उत्पादों की प्रौद्योगिकियों का विकास किया है।

4. "उत्पादकता में सुधार हेतु नारियल बागानों में समेकित कृषि" नामक परियोजना के अंतर्गत कीटों और रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए किसानों को कटिंग और रोगग्रस्त/जराजीर्ण पामों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रति पाम 200 रुपये; पादप संरक्षण रसायनों और उर्वरकों प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रति 8 रुपये; और बहु प्रजातीय फसल प्रणाली को अपनाने के लिए 200 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता दी जाती है।

5. नारियल के पत्तों को खा जाने वाले कैटरपिलरों पर जैव वैज्ञानिक नियंत्रण पाने के लिए परजीवी प्रजनन प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है/का रखरखाव किया जा रहा है।

6. उन्नत विधियों के पैकेज क्षेत्र का विस्तार करने के लिये 3 वार्षिक किस्तों में 6000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता दी जाती है।

7. किसानों को ड्रिप सिंचाई ईकाइयां लगाने के लिए 25,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता दी जा रही है।

चीन, भारत और रूस गठजोड़

313. श्री भर्तृहरि मेहताब :

श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीन, भारत और रूस गठजोड़ के लिए रूसी प्रधान मंत्री श्री प्राइमाकोव द्वारा सुझाए गए विचार के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बनाए गए विशिष्ट मुददे क्या हैं और इस पर रूस की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस पर चीन सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रूस और चीन की तुलना में विश्वास पैदा करने वाले उपायों के लिए क्या अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) रूसी संघ के प्रधानमंत्री श्री बाई. एम. प्रिमाकोव ने 20 से 22 दिसंबर, 1998 तक भारत की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया था तथापि 21 दिसंबर, 1998 को मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते समय श्री प्रिमाकोव ने सामान्य रूप में बात पर गौर करते हुए ऐसे त्रिपक्षीय सहयोग के विचार का उल्लेख किया था कि "इस क्षेत्र में बहुत कुछ रूस, भारत और चीन द्वारा अपनायी जा रही नीतियों पर निर्भर करता है, और यह कि ऐसा करना क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए अच्छा होगा।"

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ऐसा बताया जाता है कि 3 से 5 जनवरी, 1999 तक मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान चीन के विदेश मंत्री श्री तांग जियायान ने मिस्र के एक प्रमुख दैनिक अल–अहरान के प्रश्न के उत्तर में जो कि नई दिल्ली में रूस के प्रधान मंत्री, प्रिमाकोव द्वारा भारत–चीन रूस सामरिक गुट के संदर्भ में था, यह कहा था कि रूस ने इस 'प्रस्ताव' पर चीन से पहले परामर्श नहीं किया था और चीन के लिए ऐसे किसी गुट में शामिल होना अनिवार्य भी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाणसागर सिंचाई परियोजना

314. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाणसागर अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य कब आरंभ किया गया था;

(ख) इस परियोजना का कार्य आरंभ करते समय इसकी अनुमानित लागत कितनी थी और आज तक इस पर कुल कितना व्यय किया गया,

(ग) इस परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है और इसको शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) बाणसागर अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना संबंधी निर्माण कार्य वर्ष 1978 में शुरू किया गया था।

(ख) बाणसागर बांध परियोजना की शुरूआत के समय वर्ष 1978 में अनुमानित लागत 91.3 करोड़ रुपये और भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास सहित दिसंबर, 1998 तक कुल व्यय 556.10 करोड़ रुपये था।

(ग) इसके सिंचाई का कार्य 97.6 प्रतिशत और क्रंकीट का 78 प्रतिशत पूरा हो गया है।

यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार द्वारा वित्तपोषित एक अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत इस परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता भी प्रदान की है। वर्ष वार दी गई राशि क्रमशः 1996–97 में 23.25 करोड़ रुपये, 1997–98 में 65.50 करोड़ रुपये और 1993–99 में 37.50 करोड़ रुपये थी।

(घ) परियोजना के पूरे होने की तिथि पक्षकार राज्यों द्वारा इस परियोजना के लिए नियत प्राथमिकता और उपलब्ध कराए जा रहे वित्त पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

भारत-जापान संबंध

315. श्री ए. गणेश मूर्ति : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) मौजूदा परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु जापान ने क्या शर्तें रखी हैं;

(ग) भारत और जापान के बीच पिछली अधिकारिक स्तर की बातचीत कब हुई थी;

(घ) क्या जापान द्वारा वित्त पोषित मौजूदा परियोजनाएं रूक गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को आगे चलाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) हम जापान के साथ अपने संबंधों को महत्व देते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे बहुआयामी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर संयुक्त वार्ता परस्पर लाभकारी है। इस वर्ष की शुरूआत से ही श्रृंखलागत अधिकारिक स्तर की वार्ताएं हुईं। इन वार्ताओं में शामिल है विदेश सचिव स्तर की बातचीत (जनवरी 17–21, 1999) व्यापार वार्ता (वाणिज्य सचिव स्तर पर फरवरी 5–6, 1999) और विदेश मंत्रालय एम आई टी आई वार्ता (सचिव स्तर पर फरवरी 22, 1999)। अन्य बैठकों का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

चालू परियोजनाओं के लिए ऋण के संबंध में जापान का कहना है कि वह ऐसी परियोजनाओं की मामला–दर–मामला आधार पर समीक्षा करेगा। जापान यह चाहता है कि भारत नाभिकीय अप्रसार मसले पर कुछ सकारात्मक कदम उठाए ताकि वह सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सके।

जापान सरकार ने आपातकालीन, मानवीय आधार पर तथा बुनियादी परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता को छोड़ कर येन–ऋण कार्यक्रम तथा नई परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता पर रोक लगा दी है। चालू परियोजनाओं के लिए संवितरण (ऋण और अनुदान दोनों) जारी हैं। 1998–99 के दौरान संवितरण पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। तथापि अगर प्रतिबंधात्मक उपाय जारी रहे तो उन पर 1999–2000 से प्रभाव पड़ेगा चालू परियोजनाओं के लिए दूसरी तथा बाद की ऋण की किस्तों पर मामला–दर–मामला आधार पर जापान सरकार को वचनबद्ध किया जाना है।

[हिन्दी]

बागवानी और पुष्प कृषि का विकास

316. श्री मोहन रावले :

श्री के. पी. मोहन :

श्री मुकुल वासनिक :

श्री चिन्मयानंद स्वामी :

श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा :

श्री रामपाल उपाध्याय :

श्री मदन पाटील :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बागवानी और पुष्प कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष राज्यवार बागवानी और पुष्प कृषि विकास के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है;

(ग) क्या उक्त फसलों के उत्पादन से संबंधित आंकड़े को रखने की कोई प्रणाली है;

(घ) क्या सरकार ने पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के दौरान खराब होने वाले फलों, सब्जियों और फूलों से होने वाली वार्षिक राजस्व हानि का अनुमान लगाया है;

(ङ) क्या सरकार ने इजराइल जैसे अन्य देशों से इनका उत्पादन बढ़वाने के लिए सहायता मांगी है;

(च) यदि हां, तो मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या देश में पिछडे क्षेत्रों में बागवानी और पुष्प कृषि के विकास के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ज) देश में बागवानी और पुष्प कृषि को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) आठवीं योजना से बागवानी विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित बागवानी स्कीमों के जरिए क्षेत्र विस्तार, उत्पादन और उत्पादकता में त्वरित वृद्धि प्राप्त करने के लिए कार्य–नीतियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इन स्कीमों में फलों, सब्जियों, कंद और मूल फसलों, खुंभी, पुष्पों, मसालों काजू, नारियल, कोको, औषधीय और सुंगधित पौधों, मधुमक्खीपालन, कृषि में प्लास्टिक का उपयोग और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

(ख) वर्ष 1995–96 से 1998–99 की अवधि के दौरान (ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं) कृषि और सहकारिता विभाग की विभिन्न बागवानी स्कीमों, जिसमें पुष्पकृषि भी शामिल है, के तहत राज्यों को लगभग 504,51 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी है।

(ग) बहुत सी बागवानी फसलों, जिनका उत्पादन में अधिक अंश हैं, के लिए उत्पादन आकलन के सृजन की प्रणाली विद्यमान है।

(घ) अनुमान लगाया गया है कि छटाई पश्चात संभाल और विपणन के अपर्याप्त अवसंरचना के कारण फलों, सब्जियों और पुष्पों के उत्पादन का लगभग 25–30 प्रतिशत नष्ट हो जाता है। जिनका मूल्य लगभग 5000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है।

(ङ) और (च) उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग ने इजराइल जैसे देशों से कोई सहायता नहीं मांगी है।

(छ) नौवीं योजना के दौरान जनजातीय और पिछडे क्षेत्र के विकास के लिए नई पहल किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे अभी अनुमोदित किया जाना है।

(ज) कृषि और सहकारिता विभाग निम्नलिखित बागवानी स्कीमों के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्र को सहायता देता है :

1. उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और अर्द्ध शीतोष्ण क्षेत्रों में फलों का विकास,
2. कंद और मूल फसलों सहित सब्जियों का विकास,
3. खुम्भी का विकास,
4. वाणिज्यिक पुष्प कृषि का विकास,
5. समेकित मसाला विकास,
6. काजू और कोको का विकास,
7. औषधीय और सुंगधित पौधों का विकास,
8. मधुमक्खी पालन का प्रवर्धन,
9. कृषि में प्लास्टिक
10. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रम
11. सी. डी. बी. के कार्यक्रम

इन स्कीमों के अधीन महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं :

(क) विभिन्न फसलों के अधीन क्षेत्र विस्तार,

(ख) अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज/पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता में सुधार,

(ग) वर्तमान बागानों की उत्पादकता सुधारना,

(घ) कटाई पश्चात् प्रबंध और विपणन के लिए अवसरंचना विकास,

(ङ) प्रौद्योगिकी अंतरण और प्रदर्शन,

(च) निर्यात प्रवर्धन।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति।

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम		निर्मुक्ति 95–96	निर्मुक्ति 96–97	निर्मुक्ति 97–98	आबंटन 98–99	वर्ष 1998–99 के दौरान निधियों की निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1 आंध्र प्रदेश	*	466.08	3045.9	1308.49	2107.55	847.57
2. अरुणाचल प्रदेश	*	115.13	93.49	142.15	253.07	161.09
3. असम	*	39.26	17.80	43.51	142.59	41.75
4. बिहार	*	8.88	150.67	127.82	446.20	168.15
5. गोवा	*	140.44	145.55	46.90	234.83	110.75
6. गुजरात	*	54.45	44.12	206.55	461.84	177.36
7. हरियाणा	2	177.61	126.06	132.07	387.87	298.15
8. हिमाचल प्रदेश	*	38.25	53.10	37.00	291.22	106.27
9. जम्मू और कश्मीर	*	533.74	799.92	825.91	785.37	262.00
10. कर्नाटक	*	1486.0	2262.8	2752.18	3232.29	2283.33
11. केरल	*	1801.7	2178.7	1904.24	1936.98	1345.08
12. मध्य प्रदेश	*	497.09	19.75	297.66	623.18	233.64
13. महाराष्ट्र	*	2722.3	2522.8	3263.05	4032.48	1999.91
14. मणिपुर	*	162.69	209.83	300.12	261.84	81.62
15. मेघालय	8	75.42	58.33	64.48	216.60	86.00
16. मिजोरम	6	70.88	129.08	109.26	154.64	88.05
17. नागालैंड	8	101.29	140.10	169.24	224.90	84.00
18. उड़ीसा	*	391.47	621.46	739.30	959.17	223.00
19. पंजाब	8	211.43	238.56	103.00	287.68	146.97
20. राजस्थान	*	147.92	231.76	443.53	640.42	301.97
21. तमिलनाडु	*	1222.4	1286.7	883.29	1648.86	1086.10
22. त्रिपुरा	9	53.61	29.29	69.58	161.89	53.10
23. उत्तर प्रदेश	*	93.36	0.00	128.74	307.27	34.50

1	2	3	4	5	6	7
24. पश्चिम बंगाल	*	37.57	25.31	110.00	234.91	35.50
25. सिक्किम	0	49.28	103.51	147.85	239.03	149.25
26. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	15.28	16.18	34.62	36.19	19.40
27 चंडीगढ़	0	0.00	6.00	12.50	2.50	1.00
28. दादरा और नगर हवेली	0	0.65	11.43	13.30	13.71	2.50
29. दमन और दीव	0	0.00	11.33	14.80	15.56	7.50
30. दिल्ली	0	37.00	11.42	57.00	122.70	83.47
31. लक्षद्वीप	0	11.97	11.87	15.40	19.95	10.00
32. पांडिचेरी	5	16.62	11.80	10.50	59.21	13.13
कुल		10780	14615	14514.04	20542.50	10542.11

नोट : ये आकड़े नारियल विकास बोर्ड और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रमों को छोड़कर हैं।

[अनुवाद]

श्रीलंका के साथ व्यापार संबंध

317. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री एम. बागा रेड्डी :

श्री रवि सीताराम नायक :

डा. रवि मल्लू :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की प्रधान मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं से उन्होंने किन द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की और इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) क्या नई दिल्ली, में भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस समझौते के नियम और शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या भारत ने बहुपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए श्रीलंका के परम मित्र राष्ट्र का दर्जा देने की पेशकश भी की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) जी नहीं।

भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका भंडारनायके कुमारातुंगा 27 से 30 दिसंबर, 1998 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आईं।

2. अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति श्रीमती कुमारातुंगा ने राष्ट्रपति श्री के. आर. नारायणन से भेंट की और प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से बातचीत की। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर परस्पर हित के अनेक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों को शामिल किया गया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की उत्कृष्ट स्थिति तथा दोनों देशों के बीच विद्यमान घनिष्टता एवं समझबूझ पर संतोष व्यक्त किया। भारत श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना के संबंध में भारत के विदेश मंत्री और श्रीलंका के विदेश मंत्री के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह फाउंडेशन कला, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करेगी।

3. यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री श्री अटल बिहार वाजपेयी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका भंडारनायके कुमारातुंगा ने भारत और श्रीलंका के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किए। मुक्त व्यापार व्यवस्था से सीमा शुल्कों में धीरे–धीरे कटौती होने से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के बढ़ने की आशा है। भारत श्रीलंका की वस्तुओं पर से तीन वर्ष से शुल्क हटा देगा, श्रीलंका को भारतीय वस्तुओं पर से शुल्क हटाने में आठ वर्ष लगेंगे। करार में दोनों पक्षों के संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों में बाजार विघटन को रोकने के उपाय सन्निहित हैं।

सीमा शुल्कों और व्यापार पर सामान्य करार (गैट) तथा विश्व व्यापार संगठन का संस्थापन सदस्य होने के कारण भारत और श्रीलंका दोनों की एक–दूसरे को पहले ही अनुकूलतम राष्ट्र का दर्जा दे चुके हैं।

[हिन्दी]

बांधों का रखरखाव

318. श्री मित्रेसन यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश की विभिन्न नदियों में अनेक बांध ध्वंस्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बांधों के रखरखाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वार्षिक धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1998 के मानसून के दौरान उत्तर प्रदेश में राप्ती, गंडक और घाघरा नदियों पर बने कई बाढ़ तटबंधों में बाढ़ों के कारण आंशिक रूप से क्षति हुई थी।

(ख) क्षतिग्रस्त तटबंधों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य का विषय होने के कारण बांधों एवं तटबंधों का रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी राज्य गैर–योजना निधियों में से किया जाता है। संघ सरकार ऐसे क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है।

विवरण

वर्ष 1998 के दौरान उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबंध का विवरण

क्र.सं.	तटबंध का नाम	नदी का नाम
1	2	3
1.	मदारहवा–अशोकगया (सिद्धार्थ नगर)	बूढ़ी राप्ती
2.	गोबर्धनपुर (सिद्धार्थ नगर)	कुरा
3.	मोहम्मद नगर (सिद्धार्थ नगर)	बुधियार नाला
4.	उत्तर लखनपुर (सिद्धार्थ नगर)	कुरा
5.	गोंरा धोवाहा जमिंदारी बांध (सिद्धार्थ नगर)	राप्ती
6.	बांसी डुमरियागंज (सिद्धार्थ नगर)	राप्ती
7.	बांसी पनघटिया (सिद्धार्थ नगर)	बूढ़ी राप्ती
8.	ककराही गोहना (सिद्धार्थ नगर)	बूढ़ी राप्ती
9.	करीराम मलौली (गोरखपुर)	राप्ती एवं अन्ना मुहाना
10.	बर्दी पथ (गोरखपुर)	गुर्रा
11.	बिनहा रिंग बांध (गोरखपुर)	राप्ती
12.	कंसासुर खुतमार रिंग बांध (गोरखपुर)	राप्ती
13.	बासवनपुर रिंग बांध (गोरखपुर)	राप्ती
14.	बेलसार रिगौली (गोरखपुर)	राप्ती
15.	रिगौली बध्या (गोरखपुर)	राप्ती
16.	मालोनी बांध (गोरखपुर)	राप्ती
17.	विस्तिया रिंग बांध (गोरखपुर)	कुआनो–बाया
18.	विलवारी गुन्नी बांध (गोरखपुर)	राप्ती–बायां
19.	बखरिया रिंग बांध (गोरखपुर)	राप्ती–बायां
20.	बदनया कोथा (गोरखपुर)	राप्ती–बायां
21.	नुआसादा कलानी (गोरखपुर)	राप्ती–बायां
22.	सहजनवा डुमरिया बांध (गोरखपुर)	राप्ती–बायां
23.	नगवा छपरा (देवरिया)	राप्ती
24.	पालिया छपरा (देवरिया)	गुर्रा
25.	तिघरा भराची (देवरिया)	गुर्रा
26.	मदनपुर केवतालिया (देवरिया)	राप्ती
27.	केवतलिया मोहन (देवरिया)	राप्ती
28.	तुरतिपार चुरिया (देवरिया)	घाघरा
29.	पिपरा पिपरासी (कुशी नगर)	गंडक
30.	अयोध्या बिलवा हारी घाट (फैजाबाद)	घाघरा
31.	नैथला (मुरादनगर)	यमुना
32.	प्रजापति पुर कल्याण पट्टी (संत कबीर नगर)	कुआनो

[अनुवाद]

किसान कल्याण कोष की स्थापना करना

319. श्री बालासाहिब विखे पाटील :

श्री चमन लाल गुप्त :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फसल के नष्ट हो जाने की स्थिति में किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए किसान कल्याण कोष की स्थापना करने हेतु महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की मांग की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) कृषक कल्याण कोष का सृजन किये जाने के लिये कर्नाटक और अन्य राज्यों की सरकारों से कृषि एवं सहकारिता विभाग के पास फसल खराब हो जाने पर किसानों को प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रस्ताव आये हैं।

इस मामले पर विचार किया गया है कि केन्द्र सरकार पहले से ही एक संशोधित फसल बीमा स्कीम तैयार कर रही है जिसके तहत फसल खराब हो जाने पर किसानों को विधिवत् प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसके अलावा, एक प्राकृतिक आपदा कोष का सृजन पहले ही किया जा चुका है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल खराब हो जाने पर उनकी वित्तीय मदद कर सकें। इन बातों को देखते हुए अलग से कृषक कल्याण कोष का सृजन किया जाना जरूरी नहीं समझा गया।

[हिन्दी]

कोणार सिंचाई परियोजना

320. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कोणार सिंचाई परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना के बारे में कोई विवाद है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विवाद का समाधान कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस मामले के समाधान हेतु क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) बिहार में गिरिडीह और हजारी बाग जिलों में वार्षिक रूप से 61923 हैक्टेयर की सिंचाई करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने मार्च, 1984 में 93.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कोनार सिंचाई परियोजना पर विचार किया था। अंतर राज्यीय मामलों के कारण इस परियोजना को स्वीकार नहीं किया गया। मार्च, 1998 तक इस परियोजना पर व्यय 93.31 करोड़ रुपये था। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए वर्ष 1998–99 हेतु 12.33 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। बिहार सरकार ने 5.12.97 को हुई अंतरराज्यीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परियोजना के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये हैं।

दस करोड़ बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार

321. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले दस वर्षों के दौरान दस करोड़ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त, 1998 को उनके स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की गई घोषणा के अनुपालन में सरकार ने अगले दस वर्षों में दस करोड़ लोगों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोजगार सृजन की कार्य नीतियों के सुझाव देने हेतु एक कार्य दल का गठन किया है। इसमें प्रतिवर्ष औसतन 1 करोड़ लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करने की कार्यनीतियां अंतर्निहित हैं, योजना आयोग द्वारा गठित कार्य दल पहले ही इस कार्य में लगा है।

सकल घरेलू उत्पाद में राज्यों का अंशदान

322. डा. चिंता मोहन :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सकल घरेलू उत्पाद में राज्यों द्वारा किये गये अंशदान का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक राज्य का अंशदान क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन–किन राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद अंशदान स्वतंत्रता के पश्चात् बढ़ा है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान किन–किन राज्यों का अंशदान लगातार कम हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) सकल घरेलू (देशीय) उत्पाद का आकलन (जीडीपी) पूरी अर्थव्यवस्था हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित किया जाता है क्योंकि सामान तथा सेवाओं का पूर्ण योग समग्र अर्थव्यवस्था में उत्पादित है। राज्यों के सकल राज्य घरेलू (देशीय) उत्पाद (जीएसडीपी) का आकलन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संकलित किया जाता है। सैनिक, अर्द्ध–सैनिक तथा महासमुद्र आदि के क्रियाकलापों के अंशदान को अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू

(देशीय) उत्पाद में लिया जाता है, परंतु सकल राज्य घरेलू (देशीय) उत्पाद में नहीं लिया जाता है।

(ख) पूरी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू (देशीय) उत्पाद (जीडीपी) में प्रत्येक राज्य के सकल राज्य घरेलू (देशीय) उत्पाद के अंशदान को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) हरियाणा और महाराष्ट्र।

(घ) असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल।

विवरण

सकल घरेलू (देशीय) उत्पाद (प्रतिशत अंशदान) में राज्यों का अंशदान।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994–95	1995–96	1996–97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.2	7.4	7.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.1	0.1	0.1
3.	असम	1.9	1.8	1.7
4.	बिहार	4.8	4.1	4.0
5.	गोवा	0.3	0.3	0.3
6.	गुजरात	6.7	6.0	6.2
7.	हरियाणा	2.8	2.8	3.0
8.	हिमाचल प्रदेश	0.6	0.5	उ.न.
9.	जम्मू व कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.
10.	कर्नाटक	5.1	5.1	4.9
11.	केरल	3.1	3.2	3.2
12.	मध्य प्रदेश	5.7	5.5	5.6
13.	महाराष्ट्र	14.3	14.7	14.7
14.	मणिपुर	0.2	0.2	0.2
15.	मेघालय	0.2	0.2	0.2
16.	मिजोरम	0.1	0.1	उ.न.
17.	नागालैंड	0.2	0.2	उ.न.
18.	उड़ीसा	2.4	2.4	2.2
19.	पंजाब	4.1	4.0	4.0
20.	राजस्थान	4.0	3.8	4.1
21.	सिक्किम	न.अ.	न.अ.	उ.न.
22.	तमिलनाडु	7.0	6.7	6.8
23.	त्रिपुरा	0.2	0.2	0.2
24.	उत्तर प्रदेश	10.4	10.1	10.3
25.	पश्चिम बंगाल	6.9	6.8	6.8
26.	दिल्ली	2.7	2.7	2.5
27.	पांडिचेरी	0.1	0.1	0.1

टिप्पणी : अद्यतन तीन वर्षों हेतु उपलब्ध सूचना।

न.अ. 0.1 प्रतिशत से कम अंशदान नगण्य का संकेत करता है।

उ. न. उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

इन्दिरा गांधी नहर

323. कर्नल सोना राम चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कब तक पूरी होने की संभावना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों तथा चालू वित्त वर्ष के लिए इसमें प्रस्तावित वृद्धि क्या है;

(ग) क्या कमान क्षेत्र में नहर के निर्माण का कार्य निर्धारित समय में पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नहर संबंधी कार्य वर्ष 2005 तक पूरा होने का प्रस्ताव है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है :

वर्ष	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता	कुल
1995–96	60 करोड रुपये	–	60 करोड़ रुपये
1996–97	60 करोड़ रुपये	–	60 करोड़ रुपये
1997–98	60 करोड़ रुपये	36 करोड़ रुपये	96 करोड़ रुपये

चालू वित्त वर्ष 1998–99 के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में 30 करोड रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 15 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने के लिए पहले ही सिफारिश की जा चुकी है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 40 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता अनुमोदित की गई है जिसमें से 20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(ग) कार्यक्रम के अनुसार कमान क्षेत्र में नहरों को वर्ष 2005 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) आठवीं योजना के अंत तक दो चरणों में वितरिका प्रणाली की 9180 कि.मी. की अनुमानित लंबाई वाली पक्की नहरों की तुलना में लगभग 5930 कि.मी. लंबाई का कार्य पूरा किया जा चुका है। नौवीं योजना में 1941 कि.मी. लंबाई का कार्य और शेष 1309 कि.मी. लंबाई का कार्य दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

प्रत्येक नागरिक के लिए बुनियादी सुविधाएं

324. श्री आदित्यनाथ : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजादी के पचास वर्ष बाद भी देश के प्रत्येक नागरिक को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की सरकारी योजनाएं विफल हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं को हल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जबसे योजना प्रक्रिया शुरू हुई है सरकार का यह प्रयास रहा है कि देश के सभी लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। हालांकि इस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की गई है, फिर भी सारी आबादी को पूरी तरह से कवर करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है।

प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित पेयजल सभी को सुलभ हो, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, देश की कुल 83 प्रतिशत आबादी के लिए 1 कि.मी. की पैदल दूरी के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय है। वर्ष 1951 में 6–11 आयु वर्ग के बच्चों, जिनको प्राथमिक शिक्षा सुलभ थी के केवल 37.8 प्रतिशत (जिसे सकल नामांकन अनुपात कहा जाता है) की तुलना में वर्ष 1995–96 तक इस आयु–वर्ग के 104.3 प्रतिशत बच्चे कवर किए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई है। अखिल भारतीय स्तर पर, उप केन्द्रों (एससीज) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसीज) के नेटवर्क की स्थापना के उद्देश्य को मानदंडों के अनुसार पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रबंध में सुधरी हुई स्थिति स्वास्थ्य सूचकांकों में हुए उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती है, अकाल मृत्यु दर (सीडीआर) जो 1951 में 25.1 थी। 1996 में घट कर 8.9 रह गई है, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) जो 1951 में 146 थी, 1996 में घटकर 72 रह गई है और जीवन की संभावना जो 1947 में 32 वर्ष थी 1991 में बढ़कर 61.1 वर्ष हो गई है। जहां तक सुरक्षित पेय जल की सुलभता का संबंध है, इसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के संबंध में, 1.4.98 की स्थिति के अनुसार 74.1 प्रतिशत परिवारों को सुरक्षित पेयजल सुलभ था, 21.9 % परिवारों को पेय जल आंशिक रूप से उपलब्ध था और केवल 4 प्रतिशत परिवारों को ही सुरक्षित पेयजल का अभाव था। शहरी क्षेत्रों में, 31.3.93 की स्थिति के अनुसार, कुल 85 प्रतिशत शहरी आबादी को मानदंडों के अनुरूप सुरक्षित पेयजल उपलब्ध था।

(ग) और (घ) ग्रामीण और शहरी जनता दोनों को मूलभूत सुख–सुविधाएं पूर्ण रूप से सुलभ हों, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1996 में न्यूनतम बुनियादी सेवा (बीएमएस) कार्यक्रम शुरू किया गया। प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने के लिए, सात बुनियादी सेवाओं की पहचान की गई थी। वे सेवाएं है : सभी के लिए सुरक्षित पेय जल, सभी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, सभी आश्रय विहीन गरीबों के लिए सार्वजनिक आवास सहायता का प्रावधान, कुछ अलाभान्वित वर्गों को पोषण, सभी असम्बद्ध गांवों को जोड़ने का प्रावधान और आवास तथा गरीबों पर ध्यान देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाना।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में बीएमएस के लिए किए गए निधियों के प्रावधान और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से दी गई निधियों के अतिरिक्त, वर्ष 1996 में केन्द्र ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बीएमएस के लिए अनन्य रूप से, एक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्रणाली शुरू की। वर्ष 1996–97 में, केन्द्र ने, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बीएमएस हेतु एसीए के रूप में 2244 करोड़ रुपये आबंटित किए जो 1997–98 में बढ़ाकर 2970 करोड़ रुपये कर दिए गए और वर्ष 1998–99 में जिन्हें और अधिक बढ़ाकर 3410 करोड़ रुपये कर दिया गया। राज्यों के मध्य एसीए का वितरण, राज्यों में बीएमएस आधार संरचना के सापेक्ष अंतरालों पर आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कुल बीएमएस परिव्यय उनकी वार्षिक योजनाओं में उद्दिष्ट है जिससे कि गैर–बीएमएस क्षेत्रकों के लिए कोई विचलन संभव न हो। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार सात बीएमएस क्षेत्रों के मध्य एसीए को खर्च करने की पूर्ण स्वतन्त्रता और लोच

प्राप्त है। बीएमएस कार्यक्रम का कार्यान्वयन पूर्णतः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर आधारित है।

नौवीं योजना में सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा और आश्रयविहीन गरीबों के लिए आवास के बीएमएस क्षेत्रकों के लिए विशेष कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।

[अनुवाद]

कृषि विश्वविद्यालय

325. श्री चमन लाल गुप्त :

श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न राज्यों में मौजूद कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान देने हेतु मौजूदा मानदंड क्या है;

(ग) कृषि विश्वविद्यालयों को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का जम्मू-कश्मीर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश में 28 राज्य में कृषि विश्वविद्यालय और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। (सूची संलग्न विवरण में दी गई है।)

(ख) कृषि शिक्षा नियंत्रित करने में परिषद् की अनिवार्य भूमिका को ध्यान में रखते हुए, परिषद् वर्षों से विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्यक्रम विकसित करने और उन्हें मजबूत बनाने में विश्वविद्यालयों की सहायता कर रहा है। परिषद् ने भिन्न-भिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को विभिन्न शैक्षिणक गतिविधियों के विकास में पर्याप्त सहायता दी है। नवीं योजना के दौरान कुशलता पर प्रमुख जोर दिया गया है जिसके लिए "राज्य कृषि विश्वविद्यालयों" पर योजना के लिए संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार तदनुरूपी सहायता दी गई है।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) जम्मू और कश्मीर में शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से एक पहले ही से राज्य कृषि विश्वविद्यालय स्थित है।

केन्द्र सरकार जम्मू में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय स्थापित नहीं करेगी। कृषि शिक्षा, राज्य का विषय है और राज्य सरकार से अनुरोध किया जाता है कि जम्मू में एक पृथक राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

(ङ) सैद्धांतिक रूप से योजना आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और राज्य सरकार जम्मू में एक राज्य कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार को इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी करनी है।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए परिषद् और योजना आयोग नवीं योजना में सहायता करेगी।

विवरण

राज्य कृषि विश्वविद्यालयो एवं केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किया गया अनुदान।

(~~रुपये लाख~~ में)

क्र.सं.	राज्य तथा विश्वविद्यालय का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	**आंध्र प्रदेश**				
	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	-	146.00	80.00	226.00
2.	**असम**				
	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	88.76	-	270.00	358.76
3.	**बिहार**				
	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर (बिहार)	20.24	30.00	70.00	120.24

1	2	3	4	5	6
4.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची	–	146.74	95.00	241.74
5.	**गुजरात**				
	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, बनासकांठा	128.86	56.04	85.00	269.00
	हिमाचल प्रदेश				
6.	हिमाचल प्रदेश, कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	80.00	64.00	62.00	206.00
7.	डा॰ वाई॰ एस॰ परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	81.00	77.26	99.00	257.26
8.	**हरियाणा**				
	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	73.00	35.00	71.00	179.00
9.	**जम्मू एवं कश्मीर**				
	शेरे–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	10.00	109.78	80.00	199.78
10.	**केरल**				
	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर	57.93	15.24	70.00	143.17
	कर्नाटक				
11.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	17.93	49.31	80.00	147.24
12.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड	24.99	105.37	60.00	190.36
	महाराष्ट्र				
13.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	18.61	56.71	75.00	150.32
14.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी	66.45	49.80	72.00	188.25
15	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी	55.00	30.53	68.00	153.53
16.	डा॰ पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	85.25	33.95	57.00	176.20
	मध्य प्रदेश				
17.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	90.00	115.36	108.00	313.36
18.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	43.67	36.28	69.00	148.95
19.	**उड़ीसा**				
	उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	221.00	–	70.00	291.00
20.	**पंजाब**				
	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	–	57.00	70.00	127.00

1	2	3	4	5	6
21.	**राजस्थान**				
	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	239.25	51.00	150.00	440.25
	तमिलनाडु				
22	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	17.93	57.69	55.00	130.62
23	तमिलनाडु पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	15.00	61.00	60.00	136.00
	उत्तर प्रदेश				
24.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	78.22	–	63.00	141.22
25.	गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	62.00	49.70	95.00	206.70
26.	नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	–	58.00	55.00	113.00
	पश्चिम बंगाल				
27.	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	43.10	153.55	61.00	257.65
28.	पश्चिम बंगाल पशु तथा मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कलकत्ता	–	25.00	60.00	85.00
	कुल				5598.50
29.	**केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय**				
	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	300	360	500	1160

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अंतर्गत अर्जित ब्याज का उपयोग

326. श्री आर. एस. गवई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत दिए गए अनुदानों पर मिलने वाले ब्याज के उपयोग हेतु विशेष उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा हाल में उक्त योजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्रगति की कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ब्याज की राशि का उपयोग किस तरह करने का विचार रखती है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क), (ख) और (ङ) जी हां। सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज को उसी प्रयोजन पर खर्च किया जाए जिसके लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों की मूल राशि का आबंटन किया गया था।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। 31.1.1999 तक सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 3398.38 करोड़ रुपये की राशि का अवमोचन किया गया। संबंधित कलक्टरों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2940.68 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि सरकार द्वारा अवमोचित निधियों में से, 2208.39 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय होने की सूचना है।

[हिन्दी]

भारतीय प्रबंध प्रणाली

327. श्री अजीत जोगी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में भारतीय पनधारा और खेती प्रबंध केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की सभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं। भारतीय पनधारा एवं कृषि प्रबध केन्द्र की स्थापना के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पाकिस्तान को प्रक्षेपास्त्रों की बिक्री

328. श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 दिसबर, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यू. एस. गेट न्यू डाटा आन चाइनाज मिजाइल टेक सेल टु पाक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने पाकिस्तान को प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के अंतरण से उत्पन्न हुए खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने वाशिंगटन टाइम्स की खबर पर गौर किया है। इस रिपोर्ट में अमरीकी आसूचना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों, जिन्होंनें पाकिस्तान की "शाहीन" नामक मध्यम श्रेणी की मिसाइल के लिए चीन द्वारा प्रौद्योगिकी अंतरण के संबंध में नई सूचना रखने का दावा किया है, को उद्धृत करते हुए यह खबर छापी गई है। समाचार में बताया गया है कि इस अंतरण में टेलीमीट्री उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें मध्यम श्रेणी की मिसाइलों का परीक्षण करने में प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) भारत विभिन्न मंचों पर बराबर इस बात को कहता रहा है कि बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं, एक पक्षीय प्रति-बंधात्मक घोषणाओं और आपूर्ति प्रतिबंधों की मौजूदगी के बावजूद आपूर्तिकर्ता देशों द्वारा पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को निरंतर समर्थन मिल रहा है। सरकार देश के सुरक्षा हितों की प्रभावशाली ढंग से रक्षा करने के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है।

विदेशी जेलों में भारतीय

329. श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1998 की स्थिति के अनुसार खाड़ी देशों की विभिन्न जेलों में कितने भारतीय बंद हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ को मृत्युदंड दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसंबर, 1998 को खाड़ी देशों की विभिन्न जेलों में 2605 भारतीय बंदी हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। ऐसे 14 मामलें हैं जिनमें मृत्युदंड दिया गया है। बहुत से मामलों में कैदी हत्या, बलात्कार तथा नशीले पदार्थों के दुव्यापार जैसे संगीन अपराधों में शामिल थे।

नारियल के पेड़ो में रोग

330. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से केरल में नारियल के पेड़ भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगों के कारण नष्ट हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को इससे कितना वार्षिक घाटा हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा इन रोगों को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केरल सहित देश के विभिन्न भागों में नारियल वृक्ष निम्नलिखित रोगों से प्रभावित हो रहे हैं :-

1. बड रौट, स्टेम ब्लीडिंग एवं लीफ स्पॉट
2. रूट विल्ट
3. गैनोडरमा विल्ट
4. थटटीपाका

केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कसरगोड, केरल के अनुसार इन रोगों से हुई क्षति इस प्रकार है :-

बड रोट – यह बीमारी मानसून के दौरान कभी–कभार हो जाती है। इससे 40 प्रतिशत तक की क्षति हो सकती है।

स्टेम ब्लीडिंग – केरल के कन्नूर एवं कसरगोड जिलों में कराए गए एक अत्यंत सीमित सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुछ स्थानों पर इसका अवक्रमण 80 प्रतिशत तक हो सकता है। इस संबंध में फसल क्षति अनुमान उपलब्ध नहीं है।

रूट विल्ट – केरल में इस बीमारी के कारण हुई उत्पादन क्षति पर नारियल विकास बोर्ड द्वारा 1984–85 के दौरान कराए, गए सर्वेक्षण से पता चला है कि वार्षिक क्षति 1000 मिलियन नग तक हो सकती है।

गैनोडरमा – तमिलनाडु में कराए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अवक्रमण 0.6–4.9 प्रतिशत तक हो सकता है। फसल क्षति के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

थटटीपाका – आंध्र प्रदेश में लगभग 25000 वृक्ष प्रभावित हुए हैं।

(ग) प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा बीमारी को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं :

बड़ रौट – फसल पर मानसून आगमन के समय 1 प्रतिशत बोर्डो मिश्रण का छिड़काव/सभी प्रभावित ऊतकों को हटाना एवं नष्ट किया जाना, इसके बाद जख्म का 10 प्रतिशत बोर्डो पेस्ट या मान्कोजैब स्लरी से उपचार करना एवं उसके बाद जख्म को प्लास्टिक शीट से कवर करना।

स्टेम ब्लीडिंग – प्रभावित ऊतकों को हटाना एवं तने को किसी भी यांत्रिक क्षति से बचाते हुए गर्म कोलतार या बोर्डो पेस्ट से उपचार करना एवं छिद्रों को सीमेंट या मिट्टी से भरना।

रूट विल्ट – 10 नग/वर्ष से कम उपज देने वाले सभी नारियल पेड़ों को हटाया जाना एवं नारियल वृक्षों के स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक प्रतिरोधी क्षमता में सुधार के लिए उचित खाद डालना एवं प्रबंधन। नारियल वृक्षों की वृद्धि एवं सामान्य स्थिति में सुधार लाने के लिए मिश्रित कृषि की सिफारिश की जाती है।

थटटीपाका – बीमारी को रोकने के लिए प्रभावित वृक्षों को नष्ट करने की सिफारिश की जाती है।

गैनोडर्मा – बीमारी नियंत्रण के प्रबंधन तरीकों में शामिल है– मृत वृक्षों का नाश पर्याप्त उर्वरकों एवं 5 कि.ग्रा. नीम केक के साथ जैव पदार्थों का प्रयोग, 5 प्रतिशत ट्राइडमौर्फ के साथ जड़–पोषण।

लीफ स्पोंट – नारियल वृक्ष की सामान्य स्थितियों में सुधार के लिए उचित खाद डालना एवं प्रबंधन की सिफारिश की जाती है।

नारियल विकास बोर्ड कोचीन रोगों के विस्तार को रोकने के एवं बीमारी प्रभावित बागों की उत्पादकता में सुधार के लिए नारियल जोतों में समेकित कृषि नामक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। ताकि रोगग्रस्त बागानों की उत्पादकता सुधारी जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं– (क) 200 रुपये प्रति वृक्ष की दर से, रोगग्रस्त वृद्ध एवं अनुत्पादक वृक्षों की कटाई एवं उन्हें हटाया जाना (ख) 5 रुपये प्रति बीज की दर से अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का पुनः रोपण (ग) 8 रुपये प्रति वृक्ष की दर से उर्वरक उपयोग एवं पौध संरक्षण उपाय, एवं (घ) 200 रुपये प्रति है. की दर से बहुप्रजातीय कृषि का अपनाया जाना।

परमाणु मुद्दा

331. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने परमाणु मुददे पर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को यह बता दिया है कि वह उसे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं मानेगा;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) अब तक कितने देश भारत में परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए सहमत हो गए हैं?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) 4 दिसंबर, 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नाभिकीय परीक्षण पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें दक्षिण एशिया में किए गए नाभिकीय परीक्षणों की घोर निंदा की गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में 117 और विपक्ष में 9 मत पड़े तथा 34 उपस्थित रहे। भारत ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। प्रस्ताव का पाठ और मतदान का चार्ट संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार को अमरीकी अधिकारियों के इस कथन की जानकारी है कि भारत को 1968 की नाभिकीय अप्रसार संधि में निर्दिष्ट वैधानिक परिभाषा के कारण नाभिकीय हथियार संपन्न राज्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य के साथ भारत की वार्ता इस तथ्य पर आधारित है कि भारत एक ऐसा राज्य है जिसके पास नाभिकीय हथियार हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में अपने मूल्यांकन के अनुसार न्यूनतम विश्वसनीय नाभिकीय निवारक रखने के लिए वचनबद्ध है। अमरीका हमारे साथ बातचीत उस आधार पर कर रहा है जिस पर कि अन्य देश कर रहे हैं और इस तरह से उनके द्वारा इस वास्तविकता को स्वीकार करने का संकेत मिलता है।

विवरण

प्रस्ताव का पाठ - नाभिकीय परीक्षण

सहप्रयोजक (23) : आस्ट्रेलिया, कनाडा, माल्टा, बहामास, बेल्जियम, बोल्विया, कांगो, कोस्टा–रिका, इक्वाडोर, फिजी, हंगरी, आयरलैंड, कजाकस्तान, लाटाबिया, लेसोयो, लिथुआनिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, नार्वे, पुर्तगाल, कोरिया गणराज्य, सोलोमन द्वीप और उरूग्वे।

(1) इस बात की पुनः पुष्टि करते हुए कि सभी नाभिकीय परीक्षणों पर रोक लगाने में अपने सभी पहलुओं में नाभिकीय हथियारों के अप्रसार, नाभिकीय हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने के अंतिम उद्देश्य की दिशा में नाभिकीय निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया और इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का और संवर्द्धन करने में योगदान मिलेगा।

(2) नाभिकीय निरस्त्रीकरण का अनुपालन करने के लिए अनिवार्य आधार के रूप में और नाभिकीय शस्त्र अप्रसार से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति नाभिकीय शस्त्र अप्रसार और व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि की निर्णायक महत्ता के प्रति अपनी वचनबद्धता की भी पुनः पुष्टि करते हुए।

(3) इस बात के प्रति आश्वस्त है कि सभी राज्यों को जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, नाभिकीय शस्त्र अप्रसार संधि का पालन करना चाहिए और अविलंब तथा बिना शर्त व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने चाहिए और उसका अनुसमर्थन करना चाहिए,

(4) हाल में हुए नाभिदीय परीक्षणों पर अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त चेतावनी पर सहमत होते हुए,

(5) 6 जून, 1998 को एकमत से पारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प 1172 को दोहराते हुए,

1 दक्षिण एशिया में हाल में हुए नाभिकीय परीक्षणों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है और उसकी घोर निंदा करती है।

2. इस बात पर गौर करती है कि संबंधित राज्यों ने अपनी ओर से और परीक्षण न करने की घोषणा की है और यह कहा है कि वे कोई और नाभिकीय परीक्षण न करने के लिए वैधानिक वचनबद्धताओं में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, और इस बात को दोहराती है कि व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करके और उसका अनुसमर्थन करके वैधानित रूप में ऐसी वैधानिक वचनबद्धताओं को अभिव्यक्त किए जाने की आवश्यकता है।

मतदान का चार्ट
अनुबंध-IV

संख्या 37	महासभा	पृष्ठ 1
मद : 71	तिरेपनवां सत्र	पृष्ठ 3
एं/53/584	पूर्ण बैठक : 79	दिनांक :4
प्रस्ताव का प्रारूप जी	अभिलिखित मत	पारित समय : 1
		मत : 9
प्रस्ताव 53/77 जी		हां :
		नहीं :
		अनुपस्थित : अनु.

विषय : नाभिकीय परीक्षण

अफगानिस्तान	हां
अल्बानिया	हां
अल्जीरिया	अनु.
एन्डोरा	हां
अंगोला	नहीं
एंटीगुआबारबुडा	नहीं
अर्जेन्टीना	हां
अर्मेनिया	हां
आस्ट्रेलिया	हां
आस्ट्रिया	हां
अजरबैजान	हां
बहामास	हां
बहरीन	हां
बंगलादेश	अनु.
बारबाडोस	हां
बेलारूस	हां
बेल्जीयम	हां
बेलिज	हां
बेनिन	हां
भूटान	नहीं
बोल्वीया	हां
बोस्निया/हर्जेगोविना	हां
बोत्स्वाना	हां
डेनमार्क	हां

जिबूती डोमेनिका	हां	मैक्सिको	हां
डोमेनिकन गणराज्य	हां	माइक्रोनेसिया (एम एस)	हां
इक्वाडोर	हां	मोनैको	हां
मिस्र	हा	मंगोलिया	हा
अल–सल्वाडोर	हां	मोरक्को	अनु.
इक्वा गिनी	हां	मोजाम्बिक	अनु.
एरीत्रिया	अनु.	म्यामां	हां
एस्तोनिया	हां	नामिबिया	नहीं
एथोपिया	अनु.	सेट किट्स–ने	अनु.
फिजी	हां	सेंट लुसिया	अनु.
फिनलैंड	हां	सेंट क्सिंट	हा
फ्रांस	हां	समोआ	हा
गैबोन	हां	सैन मैरिनो	हा
गांबिया		टोम प्रिंस	
जार्जिया	हा	सऊदी अरब	
जर्मनी	हां	सेनेगल	हां
घाना	अनु.	सेसेल्स	
यूनान	हां	सियेरा लियोन	हां
ग्रेनाडा	अनु.	सिंगापुर	हां
ग्वाटेमाला	हां	स्लोवाकिया	हां
गिनी	हां	स्लोवेनिया	हां
लेसोथो	हा	सोलोमन द्वीप	हां
लाइबेरिया		सोमालिया	
लिबियान एजे	अनु.	दक्षिण अफ्रीका	हां
लिचटेंसटेन	हां	स्पेन	हां
लिथुआनिया	हां	श्रीलंका	अनु.
लक्समबर्ग	हां	सूडान	अनु.
मेडागास्कर	हां	सूरीनाम	हां
मलावी	नहीं	स्वाजीलैंड	हां
मलेशिया	हां	स्वीडन	हां
मालद्वीव	अनु.	सीरिया ए आर	अनु.
माली		ब्राजील	हां
माल्टा	हा	ब्रुनी–दारे–सलाम	हां
मार्सल प्रायद्वीप मारीतानीया	हां	बुल्गारिया	हां
मारीशस	अनु.	बुरकिना फासो	

ब्रुंडी		जमैका	हा
कम्बोडिया		जापान	हा
कैमरोन	हां	जोर्डन	अनु.
कनाडा	हां	कजाकस्तान	हां
केपवर्दी		किनीया	अनु.
मध्य अफ्रीकी ग.	हां	कुवैत	हां
चाड	हां	किंगिस्तान	हा
चिली	हां	लावो पीडीआर	
चीन	हां	लातविया	हां
कोलम्बीया	हां	लेबनान	अनु.
कोमोरोस	हां	नेपाल	अनु
कागों		नीदरलैंड	हां
कोस्टारिका	हां	न्यूजीलैंड	हां
कोटे आइवरी	हां	निकारागुआ	हां
क्रोशिया	हां	नाइजर	अनु.
क्यूबा	अनु.	नाइजीरिया	नहीं
साइप्रस	अनु.	नार्वे	हां
चेक गणराज्य	हा	ओमान	अनु.
डीपीआर कोरिया	अनु.	पाकिस्तान	नहीं
कोगों लोक गणराज्य		पलाऊ	
गिनी–बिसाऊ	हां	पनामा	हां
गयाना	अनु.	पपुआ न्यू गिनी	हां
हैती	हां	परागुवे	हां
होंडरस	हां	पेरू	हां
हंगरी	हा	फिलिपींस	हां
आइस लैंड	हां	पोलैंड	हां
भारत	नहीं	पुर्तगाल	हां
इंडोनेशिया	हां	कतर	
ईरान (इस. गणराज्य)	हां	कोरिया गणराज्य	हां
ईराक		माल्दीवा गणराज्य	हां
आयरलैंड	हां	रोमानिया	हां
इजरायल	अनु.	रूसी परिसंघ	हां
इटली	हां	रूआंडा	

ताजिकिस्तान	हां
थाईलैंड	हां
टी एफ वाई आर मैसीडोन	हां
टोबो	हां
त्रिनीडाड टोबेगो	अनु.
टयूनिसीया	अनु.
तुर्की	अनु.
तुर्कमेनिस्तान	
उगांडा	
उक्रेन	हां
सयुक्त अरब अमीरात	
युनाईटेड किंगडम	हां
यू आर तंजानिया	अनु.
सयुक्त राज्य अमेरिका	हां
उरूग्वे	हां
उजबेकिस्तान	हां
बनुतु	हां
वेनेजुएला	हां
वियतनाम	अनु.
यमन	अनु.
युगोस्लाविया	
जामिबया	अनु.
जिम्बाब्वे	नहीं

[हिन्दी]

अनुसंधान कार्य के लिए धन

332. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि अनुसंधान कार्य चलाने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा रही है ताकि हमारे वैज्ञानिक विश्व के वैज्ञानिकों के साथ स्पर्धा कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) और (ख) जहां तक कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का संबंध हैं, कृषि अनुसंधान में योजना निधि का निवेश, कृषि के सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 और 0.4 प्रतिशत के बीच है। फिर भी योजनागत और गैर–योजनागत सहित कुल निवेश सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.66 प्रतिशत होगा।

संसाधन संबंधी अवरोधों के कारण कृषि अनुसंधान की सहायता के लिए पर्याप्त आबंटन संभव नहीं हो सका है। फिर भी हमारे वैज्ञानिक सीमित संसाधनों के भीतर अपनी ओर से श्रेष्ठ काम कर रहे हैं।

फसल बीमा योजना

333. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री डी. एम. अहिरे :

श्री अभय सिंह एस. भोंसले :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को कोई धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास दावे की कोई धनराशि बकाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस धनराशि का कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) व्यापक फसल बीमा स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) व्यापक फसल बीमा स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ भोगी किसानों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्ष के सभी स्वीकृति योग्य दावों को स्वीकृति दे दी गई है। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित खरीफ, 1997 के दावे शामिल नहीं है क्योंकि इस पर क्रियान्वयन एजेंसी को कुछ एतराज था। इसे शीघ्र ही निपटा दिया जाएगा।

कुछ राज्यों, यानि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के संबंध में दावे क्रियान्वयन एजेंसी यानि भारतीय साधारण बीमा निगम के पास लंबित हैं क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों से उनका 1/3 हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से आवश्यक अंशदान प्राप्त होने के बाद इन दावों का निपटारा किया जाएगा।

विवरण-I

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1859.72	8272.42	8197.76
2.	असम	0.66	2.00	0.57
3.	बिहार	347.59	228.11	210.19
4.	गोवा	0.12	0.06	0.02
5.	गुजरात	8422.20	389.42	172.42
6.	हिमाचल प्रदेश	0.08	0.26	0.00
7.	कर्नाटक	367.82	469.45	0.00
8.	केरल	33.75	202.39	64.95
9.	मध्य प्रदेश	479.89	1081.69	363.10
10.	महाराष्ट्र	1405.85	513.37	2738.17
11.	मेघालय	0.22	1.48	0.00
12.	उड़ीसा	579.30	4431.81	0.00
13.	तमिलनाडु	766.22	1438.77	210.97
14.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
15.	पश्चिम बंगाल	423.77	114.98	0.00
16.	अंडमान निकोबार	0.00	0.01	1.35
17.	पांडिचेरी	0.00	4.79	11.29
	कुल	14867.19	17151.01	11970.79

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	163964	321424	388355
2.	असम	78	90	104
3.	बिहार	34409	23567	12366
4.	गोवा	82	57	5
5.	गुजरात	384318	29848	24997
6.	हिमाचल प्रदेश	8	246	0
7.	कर्नाटक	48981	54306	0
8.	केरल	5874	10945	8980
9.	मध्य प्रदेश	134956	220148	46692
10.	महाराष्ट्र	130250	61562	417873
11.	मेघालय	194	559	0
12.	उड़ीसा	109243	296417	0
13.	तमिलनाडु	46775	62530	16645
14.	त्रिपुरा	0	0	0
15.	पश्चिम बंगाल	112887	25575	0
16.	अंडमान निकोबार	8	6	88
17.	पांडिचेरी	0	715	807
	कुल	1172019	1107995	916912

[अनुवाद]

फसल पूर्वानुमान प्रणाली

334. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का केन्द्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर फसल पूर्वानुमान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फसल पूर्वानुमान केन्द्रों की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सरकार ने कृषि क्षेत्र में निर्णय लेने तथा प्रबंध करने की परिक्रमा को सुदृढ करने के लिए कृषि मंत्रालय में राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र की स्थापना की है। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र ने कृषि और सहकारिता विभाग के वर्तमान संसाधनों में से बनाए गए छोटे से व्यावसायिक दल के साथ 3.12.98 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

प्रारंभ में 13 मुख्य फसलों, अर्थात चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, तुर, चना, मूंगफली, तोरिया और सरसों, सोयाबीन, गन्ना, कपास, आलू और प्याज के लिए फसल संभावनाओं का पता लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र को समस्त फसल पूर्वानुमान प्रणाली, जिसमें अद्यतन प्रणालियों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए विभिन्न स्रोतों से आंकड़ों का प्रवाह तथा इसका समावेश और विश्लेषण शामिल है, के लिए प्रभावी तथा एकीकृत संस्थागत ढांचा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

राज्य सरकारों को कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क पर आंकड़ों/सूचना के एकीकरण और समय पर प्रवाह के लिए शीर्षास्थ एजेंसी नामित करने के लिए कहा गया है। मानव संसाधन विकास को भी इस प्रयास का एक भाग बनाया गया है।

शुक्ला आयोग की सिफारिशें

335. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शुक्ला आयोग की रिपोर्ट में निहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्यन हेतु संसाधनों का एक केन्द्रीय पूल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्रीय पूल के अंतर्गत एकत्रित संसाधन क्या हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में प्रत्येक विशिष्ट परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) पूर्वोत्तर एवं सिक्किम में आधार संरचना क्षेत्रक सहित विकास परियोजनाओं को सहायता देने के लिए संसाधनों का एक गैर–व्यपगत पूल बनाया गया है। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस पूल में दी जा रही निधियों से चालू वित्तीय वर्ष में प्रारंभिक आवश्यकताएं पूरी हो पाने की आशा है।

2. अन्य बातों के साथ–साथ शुक्ला आयोग की सिफारिशों से संबंधित परियोजना प्रस्तावों की उपयुक्त केन्द्रीय/राज्य अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय पूल से गुणावगुण के आधार पर सहायता के लिए समय–समय पर, पहचान किए जाने पर विचार किया गया है। पूर्वोत्तर में चल रही परियोजनाओं के लिए अभी तक 93.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

दूध और दुग्ध उत्पाद

336. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार प्रतिवर्ष दूध का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और देश में दूध की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या दूध और दुग्ध उत्पादों में पर्याप्त उत्पादन के बावजूद इसके अनुचित वितरण के कारण कई राज्यों में दूध की कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दूध और दुग्ध उत्पादों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इनकी कमी वाले राज्यों में इस हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान दूध और उसके उत्पादों के आयात एवं निर्यात का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) 1997–98 के दौरान, देश में दुग्ध उत्पादन तथा इसकी आवश्यकता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) दूध तथा दुग्ध उत्पादों की कमी संबंधी कोई जानकारी किसी राज्य से प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान दूध तथा इसके उत्पादों के आयात तथा निर्यात संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

1997–98 के दौरान दुग्ध उत्पादन तथा इसकी आवश्यकता

क्र.सं.	राज्य	दुग्ध उत्पादन (अनन्तिम) (000 मी. टन)	दुध की आवश्यकता (000 मी. टन)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4510	5968
2.	अरुणाचल प्रदेश	44	82
3.	असम	775	2065
4.	बिहार	3475	7975
5.	गोवा	39	107
6.	गुजरात	4860	3723
7.	हरियाणा	4082	1516
8.	हिमाचल प्रदेश	707	471
9.	जम्मू और कश्मीर	938	715
10.	कर्नाटक	3970	3980
11.	केरल	2348	2557
12.	मध्य प्रदेश	5378	6035
13.	महाराष्ट्र	5193	7196
14.	मणिपुर	62	172

1	2	3	4
15	मेघालय	59	166
16	मिजोरम	20	68
17.	नागालैंड	46	120
18	उड़ीसा	670	2860
19	पंजाब	7165	1791
20.	राजस्थान	5500	4039
21	सिक्किम	35	40
22.	तमिलनाडु	4000	4779
23	त्रिपुरा	47	258
24	उत्तर प्रदेश	12934	12505
25	पश्चिम बंगाल	3415	6090
	संघ शासित प्रदेश		
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	22	29
27.	चंडीगढ़	43	68
28.	दादरा एवं नगर हवेली	4	13
29.	दिल्ली	266	952
30.	लक्षद्वीप	1	5
31.	दमन एवं दीव	1	9
32	पांडिचेरी	36	74
	कुल	70645	76428

* भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पौष्टिक आवश्यकता पर आधारित।

विवरण-II

1995–96 से 1997–98 तक के दौरान दूध तथा दुग्ध उत्पादों (मूल्य के सदर्भ में) के आयातों तथा निर्यातों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिंस का नाम	1995–96	1996–97	1997–98
क. आयात				
1.	स्कीम्ड दूध	807.6	196.4	412.1
2.	दूध तथा मलाईयुक्त चूर्ण	2513.0	0.8	3.8
3	शिशु के लिए दूध	20.2	42.7	54.0
4.	मक्खन/बटर आयल/मेल्टेड बटर	2489.6	162.4	2200.4
5.	सभी प्रकार के पनीर	95.6	72.6	64.4
6.	अन्य	292.7	29.4	193.2
ख. निर्यात				
1.	स्कीम्ड दूध	1538.3	250.0	790.0
2	संपूर्ण दूध	66.6	107.2	85.5
3.	शिशुओं के लिए दूध/दुग्ध आहार	37.9	142.9	7.3
4.	बटर/मेल्टेड बटर	660.5	528.5	318.6
5.	सभी प्रकार के पनीर	1.8	63.7	24.3
6.	अन्य	268.1	103.6	54.7

[अनुवाद]

घुसपैठ को रोकना

337. श्री यू. वी. कृष्णमराजू :

श्री जयराम आई. एम. शेट्टी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंत–क्षेत्रों के आदान–प्रदान के मुद्दे पर बंगलादेश के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) भारत–बंगलादेश सीमा से घुसपैठ और तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) (क) और (ख) बंगलादेश में 111 भारतीय अंतःक्षेत्र हैं, और भारत में 51 बंगलादेशी अंतःक्षेत्र हैं जिनसे संबंधित रिकार्डों को दोनों देशों के सर्वेक्षण प्राधिकारियों ने मिलकर मिलान कर लिया है। इन अन्तःक्षेत्रों का आदान–प्रदान सीधे 1974 के भू–सीमा करार के अनुसमर्थन से जुड़ा है जो भारत और बंगलादेश के बीच सीमा के अंकन को पूरा करेगा जिसका कार्य अभी चल रहा है। सरकार बंगलादेश के साथ सीमा–संबंधी सभी मसलों का शीघ्र निपटान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

(ग) भारत–बंगलादेश सीमा पर घुसपैठ तथा तस्करी की समस्या पर भारत और बंगलादेश की सरकारों के बीच चर्चा होती रही है। दोनों देश तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए सहयोग देने के लिए सहमत हो गए हैं और सिविल प्रशासन तथा स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर समुचित उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नवंबर, 1998 में बंगलादेश के साथ गृह सचिव स्तर की वार्ता में बंगलादेश के पक्ष ने भारतीय पक्ष को आश्वासन दिया है कि अवैध तरीके से सीमा पार करने पर रोक लगाने के लिए सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय किए जाएंगे।

[हिन्दी]

जैव उर्वरक का उपयोग

338. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार को लोगों के स्वास्थ्य पर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के विपरित प्रभाव पड़ने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा इनका विकल्प उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) फसलों हेतु पूरक स्रोत के रूप में जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जैव उर्वरकों के विकास तथा उपयोग संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम में जैव उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनुदान देती है। कृषक समुदाय में जैव उर्वरकों के महत्व तथा उपयोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत खेत पर प्रदर्शन/कृषक मेलों तथा विस्तार कार्मिकों एवं डीलरों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

देश में जैव उर्वरक यूनिटों की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 16300 मी. टन है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है;

(ग) और (घ) वर्ष 1997–98 के दौरान रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से पौध पोषक तत्वों की औसत खपत 87.0 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी। मृदा/फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की दृष्टि से यह स्तर अधिक नहीं समझा जाता। तथापि इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकार रासायनिक उर्वरकों, कार्बनिक खाद तथा जैव उर्वरकों के संतुलित तथा समेकित उपयोग को बढ़ावा देती है।

रासायनिक कीटनाशियों द्वारा संभावित नुकसान से सुरक्षा के लिए समेकित कीट प्रबंध प्रथाओं को किसानों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इसके अलावा कीटनाशी अधिनियम 1968 के कारगर कार्यान्वयन से मानव पशुओं तथा पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से कीटनाशियों के निर्यात विनिर्माण वितरण परिवहन तथा उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है।

विवरण

यूनिट	भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित यूनिटें		अन्य	
	क्षमता मी. टन	जारी धनराशि लाख रु. में	यूनिट	क्षमता (मी. टन)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1. एम एफ एल विजयवाड़ा	75	13.00	1. ए एन जी रंगाा कृषि विश्वविद्यालय, अमरावती गुंटूर	70

1	2	3	4	5
2. ए पी ए यू हैदराबाद	75	13.00	2. क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हैदराबाद	7
3. जी एफ एल सिकन्दराबाद	100	13.00		
असम				
1. असम कृषि उद्योग निगम, गौहाटी	150	20.00		
2. एच एफ सी, नामरूप	75	13.00		
3. एच एफ सी, सिलचर	150	20.00		
बिहार				
1. एस सी ए डी ए	150	20.00	1. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	11
2. पी पी सी एल, अमझोर	75	9.83		
3. एच एफ सी, सिन्दरी	75	13.00		
4. एच एफ सी, बरौनी	75	13.00		
गुजरात				
1. कृभकों, सूरत	225	32.50		
2. गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ, अहमदाबाद	125	10.50		
3. जी एस एफ सी, बडोदा	475	53.00		
4 गुजरात कृषि उद्योग निगम	150	20.00		
हरियाणा				
1 सी सी एस एच ए यू, हिसार	75	13.00		
2. आर बी डी सी, हिसार	50	ड़ीएसी		
हिमाचल प्रदेश				
1 कृषि विभाग शिमला	–	11.16		
कर्नाटक				
1. कर्नाटक कम्पोस्ट विकास, निगम	150	20.00	1. अजो फर्टीलाइजर प्राइवेट लि.	375
2 कर्नाटक राज्य कृषि उद्योग, निगम	150	20.00	2. के सी डी सहकारिता, बंगलौर	150
3. आर बी डी सी, बंगलौर	50	डीएसी	3. यू ए एस धारवाड़	5
4. एन एफ एल, बंगलौर	75	13.00	4. यू ए एस (जीकेवीके), बंगलौर	50
			5. कडूर एग्रोमैलासंडू, बंगलौर	100
केरल				
1. कृषि विभाग पटटाम्बी	75	7.83		
2. एफ ए सी टी, त्रावणकोर	150	20.00		
मध्य प्रदेश				
1. एन एफ एल, इन्दौर	100	12.50		

1	2	3	4	5
2 म. प्र. कृषि उद्योग निगम, भोपाल	450	29.30		
3. एच एफ सी, ग्वालियर	75	13.00		
4. एच एफ सी, भोपाल	75	13.00		
5. नैफेड जैव उर्वरक, इन्दौर	200	13.00		
6. मध्य प्रदेश तिलहन संघ धार	150	17.70		
7. आर बी डी सी जबलपुर	50	डीएसी		
राजस्थान				
1. आरएआईसी, जयपुर	75	13.00	1. आरसीएल कृषि विभाग, दुर्गापुर	50
2 एसएफसीआई, सूरतगढ	150	20.00	2. राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर	2
			3. जयपुर, जैव उर्वरक जयपुर	1000
तमिलनाडु				
1 एमएफएल, चैन्नई	75	13.00	1. लक्ष्मी बोयोटेक, कुडडालौर	150
2 कृषि विभाग, सेलम	250	13.00	2 इसवीन बायोसीस्टम इरोड	20
3. कृषि विभाग, कुडुमैमालाय	75	13.00	3. मगनम एसोसिएट चैन्नई	250
4. टी. स्टेन्स एंड को. कोयम्बटूर	925	13.00	4. मेन बायोकंट्रोल रिसर्च चेंगलपटटू	300
5. एसपीआईसी बायोअटैक डिवि. चैन्नई	75	13.00	5. मोनर्च बोफ रिसर्च सेन्टर, चैन्नई	22
6. सीमा कोटन डेवलपमेंट रिसर्च			6. कृषि विभाग पुडुकोटटाई	250
एसोसिएसन, कोयम्बटूर	75	13.00	7. टीएनएयू, कोयम्बटूर	17
उत्तर प्रदेश				
1. इफको, फुलपूर	75	13.00	1. कृषि विभाग, मेरठ, अलीगढ, लखनऊ, बदायूं, इटावा, सुल्तानपुर, बांदा, झासी, आजमगढ, और वाराणसी	300
2 कृषि विभाग, एटा बहराइच तथा उरई	150	20.00		
3. एनबीडीसी, गाजियाबाद	75	डीएसी		
महाराष्ट्र				
1. बी एआईएफ, पुणे	1000	12.60	1. इंडियन ओरगीनक केमिकल खुपोली, रायगढ़	300
2. आरसी एफ, चैम्बूर	75	12.50	2. कुमार कृषि मित्रा प्रा. लि. पुणे	2400
3. आरबीडीसी, नागपुर	50	डीएसी	3. अजयबोटच (इंडिया) पुणे	1500
			4. एमपीएयू, पुणे	36
			5. एमएआईडीसी, चिंचवाड, पुणे	300
			6. के–फर्टस लैबोरेटरिज, नान्देड	60
मणिपुर				
1. आरबीडीसी, इम्फाल	50	डीएसी		
मिजोरम				
1. कृषि विभाग आइजोल	75	13.00		

1	2	3	4	5
नागालैंड				
1. कृषि विभाग, नागालैंड	150	20.00		
उड़ीसा				
1. ओएआईसी, भुवनेश्वर	75	13.00		
2. ओएआईसी, सम्बलपुर	150	20.00		
3. ओएआईसी, रायगढ़	150	20.00		
4. एच एफ सी कटक	150	20.00		
5. आरबीडीसी, भुवनेश्वर	50	डीएसी		
पंजाब				
1. पीएआईसी, लुधियाणा	75	11.83	1. पीएयू, लुधियाना	3
पश्चिम बंगाल				
1. बीसीकेवी, कल्याणी	75	13.00	1. निटराफिक्स लैब कलकत्ता	150
2. एच एफ सी, दुर्गापुर	75	12.50	2. माईकरों बैंक इंडिया, श्यामनगर	84
3. एचएफसी, सिलिगुडी	150	20.00		
पांडिचेरी				
1. पांडिचेरी कृषि सेवा तथा उद्योग निगम, पांडिचेरी	75	13.00		
दिल्ली				
			1. आईएआरआई, पूसा नई दिल्ली	3
त्रिपुरा				
			1. कृषि विभाग, त्रिपुरा	10
कुल	8350	812.43		7975
कुल योग				16325

[अनुवाद]

दूषित सब्जियां

339. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बाजार में आने वाली सब्जियां कीटनाशक छिड़क कर या मिलाकर बेची जाती हैं ताकि उन पर कीड़े न लगें और वे ताजा दिखाई दें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सब्जियों पर कीटनाशकों के प्रयोग को रोकने और इन्हें खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के निवारण प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों के अंतर्गत (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित) सब्जियों समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों में कीटनाशी अवशेषों की सहायता सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। अधिनियम के तहत इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है।

सब्जियों समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों में कीटनाशी–अवशेषों को उपस्थिति पर सख्ती से निगरानी रखने के लिए खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के निवारण संबंधी प्रावधानों को लागू करने का दायित्व राज्यों/के. शा. प्रदेशों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों का है।

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग

340. श्री ए. सी. जोस : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को हर प्रकार की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय पर हाल में नई दिल्ली में कोई सम्मेलन हुआ था;

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिए गए;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वे सुझाव मान लिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास संबंधी राष्ट्रीय कार्यदल ने इनफो इन्फ्रास्ट्रकचर अभियान पूरा करने, सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का 50 बिलियन डालर का वार्षिक निर्यात और 2008 तक सभी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए सिफारिशें की हैं। इसने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए सॉफ्ट बॉडेड यूनिट, राजकोषीय वित्तीय नीतियों, कार्यविधि सरलीकरण, निर्यात, निवेश और आर बी आई से संबंधित मामलों, बैंकिंग मामलों, कपनी विधि-मामलों, श्रमिक, नियमों, डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी यूनिटों, सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विकास के संबंध में विभिन्न उपाय सुझाए हैं।

(ग) राष्ट्रीय कार्य दल द्वारा यथा-प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सहायता प्रदान करने के संबंध में हाल ही में कोई सम्मेलन नहीं हुआ है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

ईराक पर शक्ति का प्रयोग

341. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका सुरक्षा परिषद की स्वीकृति के बिना ईराक पर अपनी मर्जी से शक्ति का प्रयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर सरकार का क्या दृष्टि कोण है; और

(ग) सरकार द्वारा पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईराक संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन करे, क्या भूमिका निभाये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) 17 दिसंबर, 1998 को प्रधान मंत्री ने इस मसले पर सदन में एक वक्तव्य दिया था इस वक्तव्य की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) पश्चिमी एशिया भारत के निकटतम पड़ोस का प्रतिनिधित्व करता है। अतः भारत इस क्षेत्र की शांति और खुशहाली में विशेष रूप से रुचि लेता है और ईराक से संबद्ध संकटों को समाप्त करने के लिए सभी प्रयासों का समर्थन किया है। भारत ने बार-बार संगत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों के ईराक के अनुपालन के अनुरूप प्रतिबंधों को उठाने की मांग की है। हम ईराकी जनता की पीडाओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रभावी प्रतिक्रिया के भी इच्छुक है। इन उद्देश्यों की दिशा में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में राजनयिक प्रयासों की बहाली के लिए मांग की है। भारत गुट-निरपेक्ष आंदोलन और सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित सभी संबंधित सदस्य-राज्यों से संपर्क बनाए हुए हैं।

विवरण

1. इराक से संबंधित घटनाओं पर हम कड़ी नजर रखे हुए हैं। भारत के इस क्षेत्र के देशों और लोगों के साथ ऐतिहासिक संबंध और गहरी बन्धुता है। हमें इराक के लोगों की तकलीफों के बारे में भारी चिंता है और हमने इराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संगत संकल्पों का अनुपालन करते हुए एक-एक करके प्रतिबंधों को उठा लेने की मांग की है। हमने समय-समय पर उभरे मतभेदों को इराक के साथ संयुक्त राष्ट्र विशेष आयोग की बातचीत में संयम और नरमी के साथ दूर करने की निरंतर मांग की है।

2. संयुक्त राज्य अमरीका और यू. के. द्वारा इराक पर किए जा रहे इन हवाई हमलों से भारत सरकार अत्यंत चिन्तित हैं और इसकी घोर निंदा करती है। यह विशेष रूप से खेदजनक बात है कि यह एक तरफा कदम उस समय उठाया गया है जब कि यू. एन. एस. सी. ओ. एम. के अध्यक्ष की रिपोर्ट से उत्पन्न गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए जो कि संयुक्त राष्ट्र महा सचिव ने अपनी सिफारिशों और कार्यवाही के वैकल्पिक उपायों के साथ परिषद को भेजी थी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का सत्र चल रहा था। इस आक्रमण के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सामूहिक और परामर्शी प्रक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। इससे इराक द्वारा परिषद के संगत संकल्पों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए परिषद की योग्यता पर भी प्रश्न चिह्न लगता है।

3. हमारा यह निश्चित मत रहा है कि ऐसी परिस्थिति में बल प्रयोग हानिकारक ही सिद्ध होगा। इस मुद्दे को शांतिपूर्ण

तरीकों और बातचीत के माध्यम से राजनयिक रूप से हल किए जाने की आवश्यकता है। हमने इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन किया है। हमने संयुक्त राष्ट्र महा सचिव के वक्तव्य पर गौर किया है जिसमें अद्यतन गतिविधि पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है। हम सैन्य कार्यवाही को तुरंत रोकने और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में राजनयिक प्रयासों को पुनः आरंभ किए जाने की मांग करते हैं।

4. इराक में भारतीय समुदाय के लगभग 50 व्यक्ति हैं और वे सुरक्षित हैं। हम अपने दूतावास से संपर्क बनाए हुए हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं।

मछुआरों हेतु कल्याण कार्य

342. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उड़ीसा में छोटे मछुआरों का बड़े मछली व्यापारियों और झींगा माफियाओं द्वारा शोषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सब की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) उड़ीसा में कुछ स्थानों पर बडे मत्स्य व्यापारियों और ट्रेडरों द्वारा छोटे मछुआरों के शोषण के संबंध में कुछ खबरें हैं। इन स्थानों पर समुद्री क्षेत्र के छोटे मछुआरों ने अपने लकड़ी के बेडों के स्थान पर एफ आर पी मोटरीकृत बेड़ों को खरीदने के लिए मत्स्य व्यापारियों और ट्रेडरों सहित अनौपचारिक स्रोतों से अत्याधिक ब्याज दर पर ऋण लिए हैं।

(ग) सरकार ने छोटे मछुआरों को संगठित करके सहकारी समितियां बनाने के जरिए इस प्रकार की प्रणालियों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं ताकि वे इन समितियों के माध्यम से बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इत्यादि से आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके। इसके अलावा, उड़ीसा समुद्री मात्स्यिकी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत मछली पकड़ने के लिए केवल पारंपरिक मछुआरों के लिए तट से पांच किलोमीटर तक एक मात्स्यिकी क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया गया है।

पोखरन में परमाणु विस्फोट से प्रभावित लोगों को मुआवजा

343. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 11 और 13 मई, 1998 को किये गये परमाणु परीक्षणों के कारण किसी प्रकार का नुकसान उठाने वाले पोखरन क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विस्फोट से प्रभावित लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पोखरण में परीक्षित युक्तियों के उत्पादों का ध्यानपूर्वक चयन यह सुनिश्चित करने के लिए क्या गया था कि निकटवर्ती गांवों की इमारतों को न्यूनतम क्षति पहुंचेगी या बिलकुल नहीं पहुंचेगी। राजस्थान सरकार ने विस्तृत सर्वेक्षण किया है और इस संबंध में मुआवजा देने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

गन्ना

344. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अगस्त, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "इंडियन शुगरकेन इज फार स्वीटर आन फारेन सोएल" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपे समाचारों से संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(ग) गन्ने की कटाई के 24 से 48 घंटे की भीतर उसे चीनी मिलों तक पहुंचाने की परिवहन व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ताकि स्वकिएन प्रक्रिया के द्वारा गन्ने की शर्करा को एल्कोहल (मद्यसार) में बदलने से रोका जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में विकसित गन्ने की बहुत सी किस्में, जिन्हें कं. केन्स नाम दिया है, को विभिन्न गन्ना उत्पादक विदेशी देशों द्वारा या तो उनके अपने गन्ना अनुसंधान संगठन की स्थापना के प्रारंभिक स्तर के दौरान सामान्य खेती के लिए वाणिज्यिक किस्मों के रूप में या स्थानीय रूप से उपयुक्त किस्मों के विकास के लिए मूल (आनुवंशिक स्टॉक) के रूप में उपयोग किया गया है।

(ग) महाराष्ट्र गुजरात और उत्तरी कर्नाटक की सहकारी मिलें गन्ने की कटाई और ढुलाई का कार्य स्वयं करती हैं। जबकि दूसरे राज्यों में कटाई एवं ढुलाई का कार्य उत्पादक स्वयं करते हैं।

उत्तरी राज्यों में जहां कटाई और ढुलाई फैक्टरी द्वारा स्वयं नहीं की जाती वहां उत्पादकों को गन्ने को फैक्टरी में ही पहुंचाना होता है जबकि विशेषतः उन किसानों की सुविधा के लिए जो मिलों से दूर हैं, क्रय केन्द्र स्थापित किए जाते हैं। कटाई और पेराई के बीच मुश्किल से 24 घंटे का अंतर होता है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में निवेश

345. श्री अजीत जोगी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कृषि क्षेत्र में कितनी पूंजी निवेश की गई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश में कमी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान चालू और 1993–94 के मूल्यों के आधार पर कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और कुल पूंजी निवेश का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जहां चालू मूल्यों के आधार पर सकल पूंजी निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है, 1993–94 के मूल्य के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्रीय निवेश में कमी आयी है जिसका कारण संसाधनों का निवेश के बजाय राजसहायता के रूप में खर्च किया जाना है।

विवरण

कृषि में सकल पूंजी विनिर्माण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल कृषि		निजी कृषि		सार्वजनिक कृषि	
	चालू मूल्य पर	1993–94 के मूल्य पर	चालू मूल्य पर	1993–94 के मूल्य पर	चालू मूल्य पर	1993–94 के मूल्य पर
1	2	3	4	5	6	7
1995–96	23942	19944	17954	15168	5988	4776
1996–97	26296	19902	20184	15555	6112	4347
1997–98*	29700	20995	22767	16579	6933	4416

* तात्कालिक अनुमान

[अनुवाद]

हज यात्री

346. श्री तथागत सत्पथी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत वर्ष हज एवं मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों के समक्ष प्रस्तुत समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार इन तीर्थयात्रियों की कठिनाइयों को कम करने की दिशा में अनेक कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. हज

सऊदी अरब में हज यात्रियों को परेशानी वहां की निर्वाह–परिस्थितियों के प्रति उनके पास जानकारी का न होना और अपनी सुरक्षा के लिए अपेक्षित मात्रा में उपायों के न होने से उत्पन्न होती है। हज 98 के दौरान हज यात्रियों को जो विशेष समस्याएं उठानी पड़ी थी वे विमान में तकनीकी अड़चनों के फलस्वरूप उनकी उड़ानों में विशेषकर वापिसी यात्रा में विलंब के कारण थी।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए हज समिति, मुम्बई को हज–99 के लिए हज यात्रियों के लिए विशेषकर, जिला स्तर पर तैयारी/प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने थे। अनेक राज्यों में ऐसा किया जा रहा है। पुनः ऐसे हज यात्रियों, जो ऐसे तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते, की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जद्दाह स्थित प्रधान कोंसलावास ने 5 भाषाओं (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, मलयालम और तमिल) में विस्तृत मार्ग निर्देशन तैयार किए हैं जो हज यात्रियों

को उनके वहां पहुंचने पर विपरीत किए जा रहे हैं। हमारे हज यात्रियों की आवश्कताओं, विशेषकर आपात स्थितियों में सुरक्षा संबंधी उपायों के सबंध में, की पूर्ति के लिए भारत आस्थानी और स्थानीय स्टाफ को भी तैयार रहने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हज–99 के लिए हज चार्टर उडानों में कम से कम व्यवधान हो। हज समिति मुम्बई ने नागर विमानन मंत्रालय, एयर इंडिया और नागर विमानन महानिदेशालय के साथ मिलकर उस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं जो नए विमान उपलब्ध करा रही है। अभी तक हज वायु चार्टर प्रचालन कार्य संतोषजनक चल रहा है।

2. कैलाश मानसरोवर यात्रा

पिछले वर्ष 17 अगस्त, 1998 को इस यात्रा के बारहवें जत्थे पर असाधारण राष्ट्रीय विपदा आ पडी थी। जिस समय तीर्थयात्री मालपा गांव, जिला पिथोरागढ (उ.प्र.) में ठहरे हुए थे। एक बहुत बडे भूस्खलन ने गांव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बताया जाता है कि इस जत्थे के सभी 60 तीर्थयात्री कालग्रस्ति हो गए थे और इस दुखद घटना के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी।

इस वर्ष की यात्रा की व्यवस्थाओं में उपरोक्त दुखद घटना को ध्यान में रखा गया है। यात्रा की बढती हुई लोकप्रियता, मौजूदा मार्ग की बाधाओं और सीमा से लगे क्षेत्रों विशेषकर लद्दाख के निवासियों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करने की संभावनाओं पर चीन के साथ 1993 से बातचीत चल रही है। चीन के अधिकारियों को अभी हमारे सुझावों पर सकारात्मक उत्तर देना है। एक नया मार्ग खोलने के संबंध में सरकार के प्रयास जारी हैं।

डी. ए. पी. के लिए राज सहायता

347. श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 दिसंबर, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी. ए. पी. सब्सिडी हाइक डिलेड डयू टु आफीसियल फॉक्स पास" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में बताए गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा इस मामले में निर्णय लिये जाने के पश्चात खरीफ 1998 और रबी 1998–99 के लिए फास्फेट युक्त व पोटाश युक्त उर्वरकों हेतु छूट (राजसहायता) की घोषणा करने में कोई विलंब नहीं हुआ था।

मछली पालन को बढावा देना

348. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारत सरकार जलकृषि के विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन दोनों योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ताजा जल, जलकृषि के विकास संबंधी योजना के लिए वर्ष 1998–99 के दौरान 1850 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है और एकीकृत तटवर्ती जलकृषि के विकास संबंधी योजना के लिए 300 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। धनराशि का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों को धनराशि उपर्युक्त औचित्य और उपयोगिता प्रमाण पत्रों द्वारा विधिवत् समर्पित दस्तावेजों के साथ उनकी आवश्यकतानुसार जारी की जाती है।

विवरण

1. ताजा जल, जलकृषि का विकास

मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों के जरिए "ताजा जल, जलकृषि का विकास" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस समय 422 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। जिसमें देश के प्रमुख संभावित जिले शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत नए तालाबों के निर्माण, तालाबों और टेंकों की मरम्मत, प्रथम वर्ष के आदान (मत्स्य डिंब, आहारा, उर्वरक, खाद) आदि बहते पानी में मछली पालन, एरेटरों, एकीकृत मछली पालन, मत्स्य डिंब हैचरियों, मत्स्य आहार मिलों, सहायक स्टाफ के वेतन, वाहनों की लागत, मत्स्य किसानों को प्रशिक्षण आदि जैसी विकसित गतिविधियों पर खर्च भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है। तथापि, बेस स्टाफ के वेतन, वाहनों के रखरखाव और कार्यालय के आकस्मिक खर्चों को 100

प्रतिशत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

2. एकीकृत तटवर्ती जलकृषि का विकास

"एकीकृत तटवर्ती जलकृषि का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत देश के तटवर्ती राज्यों और संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गठित 39 खारा जल मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों के माध्यम से छोटे झींगा किसानों को वित्तीय, तकनीकी और विस्तार समर्थन प्रदान किया जाता है। विकासीय लागत और आदानों के लिए लाभभोगियों को प्रति हैक्टेयर जल क्षेत्र के लिए 30,000 रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष 2–5 मिलियन क्षमता वाले प्रॉन डिंब हैचरियों को प्रति हैचरी एक लाख रुपये अथवा लागत की दस प्रतिशत की सहायता, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है। प्रशिक्षकों को दो महीने के प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन 25 रुपये की दर से वृत्ति और प्रति प्रशिक्षु 140 रुपये तक सीमित यात्रा भत्ता दिया जाता है।

भारत-पाकिस्तान वार्ता

349. प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री के. पी. नायडू :

श्री टी. गोविन्दन :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री पी. सी. थामस :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री सुरेश कुरूप :

श्री सत्यपाल जैन :

श्री सुशील कुमार शिन्दे :

श्री आदित्यनाथ :

श्री सतनाम सिंह कैंथ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विवादास्पद विषयों पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरकारी स्तर पर होने वाली वार्ता में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या कश्मीर मुद्दे और आणविक हथियारों के मामलों के संबंध में कोई ठोस समाधान निकला है;

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने में क्या–क्या मुख्य बाधाएं हैं; और

(ङ) इन सभी लम्बित मामलों के निपटाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ङ) भारत और पाकिस्तान के बीच सयुक्त वार्ता प्रक्रिया की दुबारा शुरूआत शान्ति तथा सुरक्षा सहित विश्वासोत्पादक उपायों एवं जम्मू और कश्मीर से सम्बद्ध विषयों पर विचार–विमर्श के लिए 15 से 18 अक्तूबर, 1998 को इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक के साथ हुई। यह बातचीत सुरक्षा संकल्पनाओं और नाभिकीय सिद्धान्तों, नाभिकीय तथा परम्परागत विश्वासोत्पादक उपायों के विचारों के आदान–प्रदान, ऐसे संचार सम्पर्क तैयार करना जो अचूक, सुरक्षित और समर्पित हों, और अधिक पारदर्शिता तथा पूर्वानुमान के लिए अधिक सूचना के प्रवाह के साथ–साथ आवधिक समीक्षा के लिए परामर्शी तंत्र की स्थापना करना और विश्वासोत्पादक उपायों को कार्यान्वित करने पर संकेन्द्रित रही। इन मुद्दों पर विचारों में समानता थी और इन विचार–विमर्शों को जारी रखने पर सहमति हुई। जम्मू और कश्मीर से सम्बद्ध विचार–विमर्श में हमने यह बात स्पष्ट कर दी है कि जम्मू और कश्मीर का सम्पूर्ण राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है तथा इस वैधानिक स्थिति में किसी परिवर्तन की अनुमति नही है। हमने यह भी मांग की है कि पाकिस्तान आतंकवाद के अपने निरर्थक प्रयोजन को बन्द करे और शिमला समझौते के प्रावधानों का अनुपालन करे जिसमें वह यथास्थिति भी शामिल है जो उक्त समझौते के तहत जम्मू तथा कश्मीर में स्थापित की गयी थी।

तुलबुल नौवहन परियोजना, सियाचीन, सिर क्रीक, आतंकवाद तथा नशीली दवाओं के गैर–कानूनी व्यापार, आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान–प्रदानों के संवर्धन के विषयों पर बातचीत शुरू करते हुए संयुक्त वार्ता प्रक्रिया नई दिल्ली में 5 से 13 नवम्बर, 1998 को जारी रही।

आतंकवाद और नशीली दवाओं के गैरकानूनी व्यापार पर चर्चा के दौरान सरकार ने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध आतंकवाद के प्रयोजन में उसकी भूमिका के संबंध में विस्तृत साक्ष्य दिए तथा मांग की इसे बन्द किया जाए। सरकार ने पाकिस्तान से आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को बन्द करने तथा आतंकवादियों और कानून से भागने वाले उन भगोड़ों जिनको पाकिस्तान में शरण दी गई है, को सौंपने के लिए भी कहा।

आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग के संबंध में चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने पर्यावरण तथा सामाजिक खण्ड जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग की उपयोगिता को स्वीकार किया तथा आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों पर और अधिक सूचना के आदान–प्रदान की आवश्यकता महसूस की। इन चर्चाओं के फलस्वरूप पाकिस्तान से भारत द्वारा बिजली की सम्भावित खरीद के संबंध में पाकिस्तान तथा भारत में विशेषज्ञ स्तर की बातचीत हुई। इन चर्चाओं के दूसरे दौरे के बाद पाकिस्तानी शिष्टमंडल ने अगले दस वर्षों के लिए

भारत को निर्यात करने के लिए 300 मेगावाट क्षमता की उपलब्धता की पुष्टि की जिसमें 600 मेगावाट आवधिक बढ़ोत्तरी की व्यवस्था है। यह निर्णय लिया गया कि मार्च, 1999 में पाकिस्तान में होने वाली चर्चाओं के अगले दौर में टैरिफ तथा बिजली की खरीद के लिए अन्य वाणिज्यिक शर्तों पर विचार किया जाएगा।

विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान–प्रदानों के संवर्धन के विषय पर दोनों पक्ष असैनिक कैदियों, रेलवे ट्रेफिक तथा दिल्ली–लाहौर के बीच बस–सेवा शुरू करने के बारे में विशषज्ञ स्तर की बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि वे मछुआरे जो निष्कपट रूप से एक–दूसरे के प्रादेशिक जल क्षेत्र में भटक गए थे, को आवश्यक प्रक्रिया के पूरा होने पर तत्काल रिहा कर दिया जाए इन बातचीतों के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी–अपनी हिरासत में बन्द मछुआरों को रिहा किया। वीजा व्यवस्था के उदारीकरण पर भी चर्चा हुई। दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा के संबंध में विशेषज्ञ स्तर की बातचीत के बाद 17 फरवरी, 1999 को इस्लामाबाद में भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के बीच इस बस सेवा को विनियमित करने के संबंध में एक करार तथा प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर हुए। दिल्ली–लाहौर के बीच बस–सेवा का शुभारम्भ 20 फरवरी, 1999 को हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की।

सियाचीन, सिरक्रीक तथा तुलबुल नोवहन परियोजना से सम्बद्ध विषयों पर सरकार ने पाकिस्तान को युक्तिसंगत, व्यवहार्य तथा यथार्थ प्रस्ताव दिए। सभी तय विषयों पर चर्चा जारी रखने पर सहमति हुई।

संयुक्त वार्ता प्रक्रिया की बातचीत के पहले दौर के दौरान कुछ प्रगति हुई। इस प्रक्रिया के प्रति भारत का दृष्टिकोण सकारात्मक और रचनात्मक है तथा हमारे संबंधों के सभी पहलुओं अर्थात् सहयोग, विश्वास पैदा करने और अनसुलझे मसलों के समाधान के संबंध में हम पाकिस्तान को सतत् बातचीत में शामिल करने के उत्सुक हैं।

दिल्ली–लाहौर बस सेवा के शुभारम्भ पर प्रधान मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा से व्यापक वार्ता प्रक्रिया को अत्याधिक बल मिला। प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच बातचीत में इस प्रक्रिया को तींव्र करने का निर्णय लिया गया।

संयुक्त वार्ता प्रक्रिया के तहत आधिकारिक स्तर की बातचीत के अगले दौर की तारीख दोनों सरकारों के बीच परस्पर परामर्श के जरिए तय की जाएंगी।

राज्यों में निराशाजनक वित्तीय स्थिति

350. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अपनी हाल की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि राज्यों में निराशाजनक वित्तीय स्थिति है और राज्यों की योजनाएं ऋण राशि से ही चलाई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस रिपोर्ट पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कर्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) उधार राशि 1998–99 में 25 राज्यों की राज्य योजनाओं के वित्त–पोषण हेतु कुल संसाधनों की औसतन 84 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सहायता का एक बड़ा हिस्सा, जो राज्यों के योजना संसाधनों का 43 प्रतिशत था, भी राज्यों को ऋण के रूप में है। योजना आयोग राज्यों पर, कर और गैर–कर राजस्व में वृद्धि के माध्यम से तथा साथ ही गैर–योजना व्यय का नियंत्रण करके निजी संसाधन सृजित करने के लिए दबाव डाल रहा है।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

351. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उच्चायोगों और दूतावासों में हिन्दी का उत्कृष्ट रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने हिन्दी के प्रयोग के प्रचार–प्रसार के लिए क्या कदम उठाए है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पत्रिकाओं के लिए किए गए कुल आबंटन में से दूतावासों में हिन्दी की पुस्तकों, समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं इत्यादि पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया है; और

(घ) भारतीय दूतावासों में उपलब्ध सभी फार्मों का (प्रपत्रों) द्विभाषिक रूप में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) यद्यपि विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित मिशन/केन्द्र का प्रमुख तौर पर विदेशी सरकारों और उनके कर्मचारियों के साथ वास्ता पड़ता है फिर भी हमारे मिशन/केन्द्र विदेशों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए सभी प्रकार से प्रयास करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। राष्ट्रीय दिवस समारोहों सहित विदेश में भारतीय समुदाय के विचार विमर्श हिन्दी में ही किया जा रहा है।

(ख) मंत्रालय ने विदेशों में हिन्दी के प्रचार–प्रसार की सुविचारित योजना तैयार की है इसमें विदेशों में भारतीय मिशनों में हिन्दी पुस्तकालय बनाने के लिए तथा विदेशों में हिन्दी की प्रगति एवं प्रचार में लगी हुई शैक्षिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों को

दान में देने के लिए हिन्दी साहित्य की पुस्तकें जिसमें सांस्कृतिक, कला, साहित्य, भाषा, इतिहास, दर्शन जैसे विभिन्न विषयों पर हिन्दी की पुस्तकें भेजी जाती हैं। हिन्दी पाठ्य सामग्री जिसमें पाठ्य–पुस्तकें, शब्दकोष, दृश्य–श्रव्य कैसेटें, कम्प्यूटर हिन्दी साफ्टवेयर सी डी रॉम इत्यादि शामिल हैं, विदेशों में भिजवाई जा रही है। मिशन अपनी ओर से स्थानीय संगठनों और भारतीय समुदाय आदि के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखते हैं तथा उनकी हिन्दी भाषा से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मिशन भारत सरकार की छात्रवृत्ति पर केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा में हिन्दी पढ़ने के लिए विदेशी छात्रों के चयन से संबंधित कार्य का समन्वयन भी करते हैं। हमारे कुछ मिशन अपने–अपने स्थानों के देशों में हिन्दी के संवर्धन के लिए हिन्दी सम्मेलन, साहित्यिक कार्यक्रम, हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करते हैं। विदेश स्थित कुछ मिशन हिन्दी सीखने के इच्छुक स्थानीय व्यक्तियों के लिए हिन्दी कक्षाएं चलाते हैं। विदेश में हिन्दी के विकास एवं प्रचार–प्रसार में लगे संगठनों को उदार वित्तीय सहायता दी जाती है।

हिन्दी विदेश सेवा संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न भाग है। विदेश में तैनाती पर जाने वाले कर्मचारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा उसके क्रियान्वयन के तौर–तरीकों के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) लगभग 15 प्रतिशत।

(घ) मंत्रालय द्वारा विदेश स्थित मिशनों को भेजे गए पासपोर्ट तथा अन्य कोंसली सेवाओं से संबंधित सभी प्रकार के फार्म द्विभाषी रूप में हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच

352. डॉ. सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आवश्यक उनके अनुमोदन हेतु कोई याचिका प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जनवरी, 1999 के "फ्री प्रैस जरनल" मुम्बई में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह प्रकाशित हुआ है कि एक केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने पूरी कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) (क) से (ङ) डॉ. सुब्रहम्ण्यम स्वामी, संसद–सदस्य से एक याचिका प्राप्त हुई है जिसमें भ्रष्टाचार–निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत एक केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाये जाने की मंजूरी मांगी गई है तथा सरकार इस पर ध्यान दे रही है।

[हिन्दी]

परम्परागत फसलें

353. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में परम्परागत फसलों का विकास विकसित देशों में किए जा रहे विकास के अनुसार किए जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) अनुसंधान, विकास एवं विस्तार संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से देश में पारंपरिक फसलों के मूल्यांकन एवं विकास की प्रक्रिया जारी है। इन कार्यक्रमों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजनाओं के साथ–साथ केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें शामिल हैं।

[अनुवाद]

केरल में मिट्टी का कटाव

354. श्री ए. सी. जोस : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल राज्य को विभिन्न नदियों के तटों पर मिट्टी का कटाव जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खतरे की रोकथाम के लिये गत तीन वर्षों के दौरान आज तक केन्द्र सरकार द्वारा केरल सरकार को दी गई वित्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में मुवात्तुपुझा, पेरियार, कोड्डोर, मीनाचिल और मुत्तेर नदियों के तटों पर मृदा कटाव की सूचना मिली है।

(ग) मृदा कटाव रोधी कार्यों सहित बाढ़ प्रबंधन कार्य राज्य का विषय है तथा उनका कार्यान्वयन राज्यों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता के अनुसार अपनी योजना निधियों से किया जाता है। योजना आयोग राज्य को ब्लाक अनुदानों और ऋणों के रूप में निधियां आबंटित करता है। पिछले तीन वर्षों में केरल सरकार को बाढ़ नियंत्रण उप क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए परिव्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :

1995–96	21.00 करोड़ रु
1996–97	35.50 करोड़ रु.
1997–98	25.50 करोड़ रु.

केरल सरकार इन निधियों में से विभिन्न नदियों पर नदी तट सुरक्षा कार्य कर रही है।

यूनाइटेड किंगडम के साथ संबंध

355. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार युनाइटेड किंग्डम के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का है;

(ख) क्या इस मामले में दोनों देशों द्वारा कोई पहल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कब की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव 20–21 जनवरी, 1999 को यू. के. गए थे। विदेश मंत्री ने 2 से 7 फरवरी, 1999 तक यू. के. की यात्रा की। इन यात्राओं से ब्रिटेन के राजनीतिक नेताओं के साथ अनेक मसलों पर स्पष्ट विचार विमर्श के अवसर मिले जिनमें अन्य मसलों के साथ–साथ द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय घटनाओं और नाभिकीय निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार के मसले शामिल हैं।

[हिन्दी]

नेशनल जीन बैंक

356. श्री अजीत जोगी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितनी धन राशि खर्च की गई है; और

(घ) ऐसे बैंकों की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय जीन बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में स्थित है। राष्ट्रीय जीन में मध्यम अवधि (4 डिग्री से.) और दीर्घ अवधि भण्डारण (–20 डिग्री सें.) के तहत 10 लाख प्रविष्टियां संरक्षित करने की क्षमता है। इसमें एक क्रायो बैंक है जिसकी क्षमता अतिरिक्त 2.5 लाख प्रविष्टियां रखने की है।

फिलहाल जीन बैंक में कृषि–बागानी फसलों के 80 वंशों की 1,70,000 प्रविष्टियां आधार भूत संग्रह (–20 डिग्री सें.) के रूप में, क्रायो बैंक में (ताल/–196 डिग्री सें.) पर वाष्पित नाइट्रोजन में बीज के 1250 नमूने और लगभग 25 वंशों की 850 ऊतक संवर्धन सामग्री संरक्षित की गई है।

मध्यम क्षमता वाले बीज जीन बैंकों का एक नेटवर्क जीन बैंक को सहयोग देता है। बीज मीन बैंकों का यह नेटवर्क भा. कृ. अ. प. के फसल आधारित विभिन्न संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, विभिन्न राज्यों में स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरों के केन्द्र के राष्ट्रीय सक्रिय जननद्रव्य स्थलों में स्थित हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई हैं:–

1. उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर का क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, शिलॉग, मेघालय।
2. केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.प.), कटक, उडीसा।
3. भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान (भा.कृ.अ.प.), झांसी, उत्तर प्रदेश।
4. भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.प.) कानपुर, उत्तर प्रदेश।
5. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.प.) नागपुर, महाराष्ट्र।
6. गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल, हरियाणा।
7. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर, कर्नाटक।
8. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, मध्य प्रदेश।
9. राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र (भा.कृ.अ.प.) जूनागढ़, गुजरात।
10. सब्जी अनुसंधान निदेशालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
11. तिलहन अनुसंधान निदेशालय, (भा.कृ.अ.प.) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।

12. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलौर, कर्नाटक।

13. एम. एस. स्वामीनाथन, अनुसंधान ट्रस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु।

14. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, क्षेत्रीय केन्द्र, त्रिचूर केरल।

15. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, क्षेत्रीय केन्द्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।

16. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, क्षेत्रीय केन्द्र, अकोला, महाराष्ट्र।

17. राष्ट्रीय पादप आनंवशिक संसाधन ब्यूरो, क्षेत्रीय केन्द्र, जोधपुर, राजस्थान।

18. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, क्षेत्रीय केन्द्र, शिलांग, मेघालय।

19. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला, हिमाचल प्रदेश।

20. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, क्षेत्रीय केन्द्र, भवाली, उत्तर प्रदेश।

(ग) इनकी स्थापना पर लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत आई है।

(घ) राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्देश्य नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों की आनुवंशिक संपदा को संरक्षित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों के खेतों पर उपलब्ध विविधता नई उन्नत किस्मों का प्रयोग शुरू करने के कारण नष्ट न हो जाए। ये पौधे आनुवंशिक संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करते है, जो पौधे प्रजनकों द्वारा कृषि बागानी पौधे की नई उच्च उपजशील किस्मों का विकास करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला एक मूल कच्चा माल है। जीन बैंक में कृषि बागानी पौधों की समृद्ध वंश परम्परा तथा उनके वन्य वंशज, जो मानव जाति को भोजन मुहैया कराते हैं और अस्तित्व बनाए रखते हैं और वर्तमान एवं भावी उपयोग के लिए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है, बीज, ऊतक संवर्धित पौधों, भ्रूणों, परागकर्णो, डी.एन.ए. इत्यादि के रूप में संरक्षित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

पासपोर्ट हेतु आवेदन

357. श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.01.99 तक केरल के प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में कितने आवेदन लम्बित थे;

(ख) क्या इन आवेदन पत्रों को समयबद्ध कार्यक्रमों के तहत निपटा दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 31.01.99 को केरल के तीन पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित आवेदन पत्रों की संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय	कुल लंबित मामले
1.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन	8737
2.	पासपोर्ट कार्यालय, कोजीकोड	29018
3.	पासपोर्ट कार्यालय, त्रिवेन्द्रम	7331

(ख) और (ग) पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलम्ब के मुख्य कारण आवेदनों की संख्या में वृद्धि, पुलिस प्राधिकारियों से नकारात्मक या अधूरी रिपोर्ट की प्राप्ति, आवेदकों द्वारा जमा किये गये कागजात/आवेदनों में विसंगतियां, जिन आवेदकों से अतिरिक्त कागजात की मांग की गयी, उनके द्वारा जवाब न मिलना आदि है।

विचाराधीन आवेदनों को शीघ्र निपटाने तथा आवेदनों के ढेर को कम करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल तथा सुगम बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। पासपोर्ट आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई किये जाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं: कार्रवाई करने की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण, नये पासपोर्ट कार्यालय तथा संग्रहण केन्द्र खोलना, पासपोर्ट की वैधता 20 वर्ष के लिए बढ़ाना, स्पीड पोस्ट से पासपोर्ट भेजा जाना, इत्यादि।

ईसाइयों पर हमले

358. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री गुरूदास कामत :

श्री पी. सी. थामस :

श्री जी. एम बनातवाला :

श्री तारिक अनवर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न हिस्सों में ईसाइयों/ईसाई मिशनों के साथ हुई हिंसा की घटनाओं पर किन्हीं देशों या विदेशी विशिष्टजनों ने अपनी प्रतिक्रिया/चिंता जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन देशों/विशिष्टजनों ने क्या–क्या मुददे उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनका उत्तर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) भारत में हुई कतिपय हाल ही की हिंसक वारदातों के पश्चात् जिसमें ईसाई समुदाय के सदस्य संलिप्त हैं, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमरीका तथा यूरोपीय संसद सहित कतिपय देशों में चिंता व्यक्त की गई है। इंग्लैंड के उच्च सदन में इस मसले पर 10 फरवरी 1999 को एक स्थगन प्रस्ताव में चर्चा हुई। विदेश और राष्ट्रमंडल राज्यमंत्री श्री टोनी लायड ने अपनी प्रतिक्रिया में उल्लेख किया कि भारत एक सफल विविधतापूर्ण और प्रजातांत्रिक राज्य का आदर्श रहा है। यूरोपीय संसद में अपने तात्कालिक संकल्प क्रियाविधियों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता एक अबाध्यकारी संकल्प स्वीकार किया। विभिन्न देशों में धार्मिक अल्प संख्यकों के उत्पीड़न में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, इस संकल्प में धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए और भारतीय प्राधिकारियों से अपराधियों को दंडित करने का आह्वान करते हुए प्रधान मंत्री के राष्ट्र को संबोधित भाषण की भी सराहना की। आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने अपनी सरकार की चिंता और दुख व्यक्त करते हुए एक वक्तव्य जारी किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार हाई कमिशनर ने मध्य फरवरी, 1999 में अपनी भारत यात्रा के दौरान हुई अपनी चर्चाओं में इन मसलों पर आमतौर पर अपनी चिंता व्यक्त की।

भारत सरकार ने अपनी चिरकाल से स्थापित धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की परंपरा को बनाए रखने की भारत की पक्की और सतत् वचनबद्धता पर बल दिया। हाल की घटनाओं की निंदा करते हुए भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के वक्तव्य तथा इन घटनाओं की व्यापक सार्वजनिक निंदा ने भी उन देशों में वार्ताकारों का ध्यान आकृष्ट किया जिनमें चिंता जाहिर की गई है। इस बात पर और अधिक बल दिया गया कि सरकार सभी नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने के प्रति पूर्णरूपेण वचनबद्ध है, और यह अधिकार संविधान में प्रतिपादित है। सरकार की तात्कालिक रूप से पूर्ण जांच करने की कार्रवाई और इस प्रकार के सभी हिंसक कृत्यों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने और सभी विभिन्न धर्म आस्था के लोगों के बीच शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व और सामाजिक समरसता की भारत की चिरकालिक परंपरा को संरक्षित करने की भी जानकारी दी है। विदेशी सरकारों, लोक राय और अतर्राष्ट्रीय मीडिया उक्त तथ्यों के प्रति पूर्ण रूप से अवगत रहा है। इन प्रयासों में विदेश स्थित हमारे मिशन और केन्द्र समुचित रूप से शामिल रहे हैं।

इन उपायों से इन तथ्यों को भी प्रभावकारी ढंग से संप्रेषित किया गया है कि ये हाल की घटनाएं निश्चित रूप से असामान्य हैं।

अन्तरिक्ष नीति

359. श्री ए. सी. जोस : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति तैयर कर रही है ताकि निजी क्षेत्र उपग्रह प्रक्षेपण और अनुरक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी प्रसारण कर्ताओं को भारत से 'अपलिंक' करने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने एक नीतिगत ढांचे को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें निजी स्वामित्व और संचार उपग्रहों के अनुरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्न सात निजी प्रसारणकर्ताओं को भारत से अपलिंक करने की अनुमति प्रदान की गई है :

(1) मैसर्स उदय टी. वी.
268–269, (द्वितीय तल), अन्ना सलाई त्येनमपेट, चेन्नई–600018

(2) मैसर्स इन्नाडू टी. वी.
शांतिशिखर कम्पलेक्स, राजभवन रोड, हैदराबाद–500082

(3) मैसर्स सुमंगली पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, 93–कोदम्बक्कम हाई रोड, चेन्नई–600034

(4) मैसर्स जैमिनी टी. वी.
268–269, (द्वितीय तल), अन्ना सलाई त्येनमपेट, चेन्नई–600018

(5) मैसर्स टेलीविजन इंटरनेशनल,
268, मस्जिद मोठ, उदय पार्क, नई दिल्ली–110049

(6) मैसर्स एशियानेट कम्यूनिकेशन लिमिटेड,
1–सी, नुगम्बक्कम हाई रोड, चेन्नई–600034

(7) मैसर्स विजय टी. वी.
मैकडोवल हाउस, 3 सेकेण्ड लाइन बीच, चेन्नई–600001

निजी प्रसारणकर्ताओं को भारतीय भूमि से अपलिंक करने की अनुमति प्रदान करने के निम्न कारण हैं :

(1) इससे डाउनलिंक करने की अनुमति प्रदान करने तथा अपलिंक की अनुमति नहीं देने के संबंध में पहले से विद्यमान असंतुलन दूर होगा।

(2) इससे इन प्राइवेट पार्टियों द्वारा अपलिंक सुविधाओं को विदेश से किराये पर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी की जा रही बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन में बचत होगी।

(3) भारतीय भूमि से अपलिंक करने की अनुमति प्रदान करते समय अब यह शर्त लगाई गई है कि निजी चैनल प्रचालकों को प्रसार भारती के कार्यक्रम और विज्ञापन संबंधी आचार संहिता का पालन करना होगा।

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

360. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है;

(ख) उनमें से अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) शेष परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में उडीसा सरकार ने अनुमोदन के लिए ग्यारह सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र को भेजा है। इनमें से एक वृहद परियोजना को योजना आयोग ने निवेश स्वीकृति प्रदान की है।

(ग) शेष दस परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
	वृहद परियोजनाएं	
1.	अपर इंद्रावती एक्सटेंशन	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत बशर्ते कुछ प्रेक्षणों का अनुपालन हो।
2.	कानपुर	तदैव
3.	ओंग बांध	तदैव
4.	ईब	राज्य सरकार से पत्राचार किया जा रहा है।
5.	ब्रुटेंग	तदैव
6.	अपर कोलाब एक्सटेंशन	तदैव
	मध्यम परियोजना	
7.	धौरागोथ	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत बशर्ते कुछ प्रेक्षणों का पालन किया जाए।
8.	तेलंगीर	तदैव
9.	रेट	तदैव
10.	अपर लैंथ	तदैव

[हिन्दी]

किसानों को राज सहायता

361. श्री अजीत जोगी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न मदों पर कितनी–कितनी राज सहायता दी जा रही है;

(ख) इन राज सहायताओं को कम करने या खत्म करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) यूरिया एव अन्य उर्वरकों पर कम की गई राज सहायता की राशि कितनी है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) हमारे देश की तुलना में अन्य विकासशील देशों में कृषि पर कितनी राशि की राज सहायता दी जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) प्रमुख कृषि आदान जिन पर किसानों को राजसहायता दी जाती है, उर्वरक सिंचाई तथा बिजली है। इस राजसहायता का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। सिंचाई और बिजली पर राजसहायता सीधे राज्य सरकार द्वारा वास्तविक लागत से कम दरें लेकर दी जाती हैं। उर्वरकों पर राजसहायता उर्वरकों के विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से दी जाती है।

(ख) सरकार की नीति राजसहायता को यथोचित सीमा के भीतर रखते हुए किसानों को वहन योग्य मूल्यों पर आदानों को उपलब्ध कराना है।

(ग) यूरिया को मूल्य, जो कि सांविधिक मूल्य नियंत्रक के अधीन है, में 29.1.1999 से 3400 रुपये प्रति टन की वृद्धि करके इसे 3660 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपया प्रति टन कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का औचित्य है –

(1) वित्तीय स्थिरता लाना

(2) उर्वरकों के प्रयोग में संतुलन लाना।

(घ) आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा निकाले गये कृषि उत्पादन के मूल्य के प्रतिशत के रूप में उत्पादकों की राजसहायता (निवल आदान राजसहायता और उत्पाद कर) अनुमान इस प्रकार है :

जापान	68
ई. सी.	48
यू. एस. ए.	30
कनाडा	41
आस्ट्रेलिया	11

भारत में ओ. ई. सी. डी. द्वारा ऐसे अनुमान तैयार नहीं किये जाते हैं। हालांकि भारतीय उर्वरक संघ ने इसको 5 प्रतिशत बताया है।

विवरण

कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली राजसहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

मद	1993–94 (वास्त.)	1994–95 (वास्त.)	1995–96 (वास्त.)	1996–97 (वास्त.)	1997–98 संशो. अनु.	1998–99 बजट अनु.
1	2	3	4	5	6	7
आदानों के रूप में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी						
1. उर्वरक (योग्य)	4562	5769	6735	7578	10026	9983
1.1 स्वदेशी उर्वरक	3800	4075	4300	4743	6600	6000
1.2 आयातित उर्वरक	762	1166	1935	1163	826	983
1.3 छोटे और सीमांत किसानों को दी जाने वाली उर्वरक सब्सिडी	–	–	–	–	–	–
1.4 विनियंत्रण उर्वरक की रियायती-दर पर किसानों को बिक्री		528	500	1672	2600	3000
2. बिजली**	2400	2338	1828	उ.न.	उ.न.	उ.न.
3. सिंचाई***	5872	6769	7909	9256	9778 +	उ.न.
4. बीज, तिलहन दलहन विकास के रूप में छोटे और सीमांत किसानों तथा कृषक सहकारी समितियों को दी जाने वाली सब्सिडी	1169	1176	262	उ.न.	उ.न.	उ.न.

स्रोत : 1. उर्वरक : भारत सरकार का व्यय बजट 1998-99 खड–1

2. बिजली तथा सिंचाई – केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

नोट : उ.न. उपलब्ध नहीं है।

** बिजली में विद्युत बोर्ड और निगमो को दी जाने वाली सभी सब्सिडी शामिल है। कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी का अलग से कोई अनुमान उपलब्ध नही है।

*** नीतिगत रूप से किसानो की आपूर्ति किए जाने वाले पानी की दर को कम रखा जाता है। जिसके कारण सरकारी सिंचाई व्यवस्था को घाटा उठाना पड़ता है। सकल राजस्व के ऊपर प्रचालन लागत के आधिक्य को आरोपित सिंचाई राजसहायता माना गया है।

– त्वरित अनुमान

[अनुवाद]

जल की उपलब्धता

362. श्री मोइनुल हसन अहमद : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलहाल देश में राज्य–वार, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी है; और

(ख) कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों में जल के बंटवारे का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश में सतही जल संसाधनों की औसत वार्षिक उपलब्धता का आकलन नदी बेसिन–वार किया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार नदी बेसिन को जल संसाधन विकास का एक यूनिट माना गया है। देश में नदी बेसिनों में प्रति व्यक्ति सतही जल उपलब्धता और पुनर्भरणीय भूजल संसाधन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल का वर्तमान (1997) उपयोग (सतही और भूजल संयुक्त) इस प्रकार है :

प्रयोजन	उपयोग (मिलियन घन मीटर)	
सिंचाई	501.00	82.8 प्रतिशत
घरेलू	30.00	5 प्रतिशत
औद्योगिक	20.00	3.3 प्रतिशत
ऊर्जा	20.00	3.3 प्रतिशत
अन्य	34.00	5.6 प्रतिशत
कुल	605.00	

विवरण

नदी बेसिन	नदी बेसिन जल उपलब्धता					
	जलग्रहण क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)	औसत वार्षिक सतही जल उपलब्धता (बीसीएम)	पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (बीसीएम)	अनुमानित वर्ष 1991 की आबादी (मिलियन)	प्रति व्यक्ति उपलब्ध सतही जल (घन मीटर)	प्रति व्यक्ति सतही और भूजल (घन मीटर)
1	2	3	4	5	6	7
सिन्धु	32.13	73.71	26.55	41.90	1.749	2383.29
गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली (गंगा और ब्रह्मपुत्र एवं बराक सहित)	109.76	1110.62	206.07	392.04	18.061	3358.56
गंगा	86.15	525.02	171	356.80	1.471	1950.73
ब्रह्मपुत्र और बराक	23.61	585.60	35.07	35.24	16.589	17612.66
गोदावरी	31.28	110.54	40.6	53.98	2.048	2799.93
कृष्णा	25.89	78.12	26.4	60.78	1.285	1719.64
कावेरी	8.12	21.36	12.3	29.33	728	1147.63
सुवर्ण रेखा	2.92	12.37	1.8	9.46	1.307	1497.89
ब्राह्मणी–बैतरणी	5.18	28.48	4.05	9.77	2.915	3329.58
महानदी	14.16	66.68	16.5	26.60	2.513	3134.59
पेन्नार	5.52	6.32	4.93	9.70	651	1159.79
माही	3.48	11.02		10.48	1.052	1051.53
साबरमती	2.17	3.81		10.58	360	360.11
नर्मदा	9.88	45.64	10.80	14.70	3,109	3839.4[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
तापी	6.51	14.88	8.27	14.80	1,007	1564.19
पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां			28.90			
क तापी से ताद्री	5.59	87.41		25.80	3,383	3387.98
ख. ताद्री से कन्याकुमारी	5.62	113.53		32.60	3,480	3482.52
ग. कच्छ और सौराष्ट्र लूनी सहित	32.19	15.10		22.10	683	683.26
पूर्व की ओर बहने वाली नदियां			18.20			
क. महानदी से गोदावरी	8.66	22.52		23.60	953	954.24
ख. पेन्नार से कन्याकुमारी	10.01	16.46		45.20	366	364.16
राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकास क्षेत्र	6			7.10		
बंगलादेश और म्यांमार में पहुंचने वाली छोटी नदियां	3.63	31.00		2.10	14,623	

प्रतिभूति घोटाले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कार्यवाही

363. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभूति घोटाले में फेयरग्रोथ, फिनांशियल सर्विसेज लिमिटेड से संबंधित मामले में एक संसद सदस्य की ओर से एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध सी. बी. आई. में यह शिकायत प्राप्त हुई है कि उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोग चलाया जाए;

(ख) यदि हां, तो शिकायत प्राप्ति की तिथि क्या है तथा सी. बी.आई. द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, उसे डा. सुब्रमण्यन स्वामी, संसद सदस्य से 13.7.1998 को एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ऐसी ही एक शिकायत पहले विशेष न्यायाधीश दिल्ली तथा दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों के ही द्वारा खारिज कर दी गयी थी। उपर्युक्त मामले की गहराई से छानबीन करने के पश्चात्, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वर्तमान शिकायत ऐसी कोई नई सामग्री–जानकारी प्रकट नहीं करती जिसके आधार पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार 'निवारण' अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई मामला बनता हो।

बाद में, डा. सुब्रमण्यन स्वामी, संसद सदस्य से दिनांक फरवरी 16, 1999 को एक और पत्र प्राप्त हुआ है जो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को उसकी टिप्पणियों हेतु भेज दिया गया है।

पासपोर्ट जारी करना

364. श्री एम. बागा रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1993 में दाउद इब्राहिम की मां के लिए पासपोर्ट जारी करने में मंत्रालय के जिम्मेदार होने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने बिना समुचित सत्यापन के ही पासपोर्ट जारी कर दिया था चूंकि दक्षिणी जिला पुलिस अथवा विशेष बोर्ड के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इसका पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है कि बिना उचित सत्यापन के पासपोर्ट कैसे जारी किया गया; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली ने 19.7.93 को श्रीमती अमीना बी. शेख इब्राहीम कसकर के पक्ष में पासपोर्ट जारी किया था। उम्मीदवार द्वारा दिए गए बयान के आधार पर, उन्हें दुबई की तत्काल यात्रा करने की जरूरत पड़ी क्योंकि उनके बेटे की दुबई में गंभीर दुर्घटना हो गयी थी, उन्हें केवल संयुक्त अरब अमीरात के लिए वैध अल्पावधिक पासपोर्ट जारी किया था। उनके आवेदन पत्र में कहीं इस बात का संकेत नहीं था कि अभ्यर्थी दाउद इब्राहीम की

माता थी। चूंकि श्रीमती कसकर के पास पहले से ही पासपोर्ट था जिसकी अवधि 14.1.93 को समाप्त हो गई वर्तमान मार्ग–निदेशों के अंतर्गत नए पासपोर्ट जारी करने से पूर्व पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पुलिस सत्यापन करना अनिवार्य नहीं था।

इस समय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

गेहूं, चावल, तिलहन और दालों का उत्पादन

365. श्री अशोक नामदेव राव मोहोल :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री रमेश सी जिगाजिनागी :

श्री मदन पाटील :

श्री पुन्नु लाल मोहले :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कुल कितनी भूमि में गेहूं, चावल, तिलहन और दालों की खेती हुई और इनका वार्षिक उत्पादन कितना था;

(ख) इस समय देश में खाद्यान्न, दालों और तिलहन की कितनी अनुमानित मांग उत्पादन और खपत कितनी है;

(ग) क्या देश खाद्यान्नों, दालों और तिलहन की घरेलू मांग पूरा करने हेतु आत्मनिर्भर हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उपरोक्त जिन्सों का उत्पादन बढाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1995–96, 1996–97 एवं 1997–98 के दौरान गेहूं, चावल, तिलहन एवं दलहन का अखिल भारतीय एवं राज्यवार क्षेत्र तथा उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) वर्ष 1998–99 के दौरान उत्पादन एवं आवश्यकता के अनुमान इस प्रकार हैं :

(मिलियन टन में)

जिंस	आवश्यकता	उत्पादन
खाद्यान्न	197.33	195.25
दलहन	16.27	14.78
खाद्य तेल	8.20	6.80

देश अनाजों के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त कर चुका है। तथापि दलहन एवं खाद्य तेल/तिलहनों के मामले में अभी भी कमी है।

(ङ) इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए, सरकार फसल विशिष्ट केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम/स्कीम चला रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, स्थान विशिष्ट अधिक उपज देने वाली/संकर किस्मों, समेकित कृमि प्रबंध के उपयोग, लघु सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध का विस्तार उन्नत फार्म उपकरण इत्यादि का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी के प्रभावी स्थानान्तरण के लिए किसानों एवं कृषि मजदूरों के प्रशिक्षण सहित किसानों की जोतों पर क्षेत्र प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं इसके बाद, शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के अंतर्गत, सरकार ने क्षेत्र विशिष्ट विकास नीति अपनाने, कृषि अवसंरचना के निर्माण एवं संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग के माध्यम से अगले दस वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन को दुगुना करने पर विशेष जोर दिया है।

विवरण

क्षेत्र मि. है. (उत्पादन मि. टन)

राज्य	चावल						गेहूं						कुल दलहन						कुल तिलहन					
	95–96		96–97		97–98		95–96		96–97		97–98		95–96		96–97		97–98		95–96		96–97		97–98	
	क्षे.	उ.	क्षे.	उ.	क्षे.	उ.	क्षे.	उ.	क्षे.	उ.	क्षे.	उ.	क्षे.	उ.	क्षे.	उ.	क्षे.	उ.	क्षे.	उ.	क्षे.	उ.	क्षे.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. आंध्र प्रदेश	3.7	9.0	4.1	10.7	3.5	8.5	–	–	–	–	–	–	1.6	0.8	1.6	0.8	1.5	0.6	3.1	3.0	3.0	2.4	2.5	1.5
2. असम	2.5	3.4	2.5	3.3	2.5	3.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
3. बिहार	5.0	6.6	5.1	7.3	5.0	6.8	2.1	4.2	2.1	4.6	2.1	4.2	0.9	0.6	0.9	0.7	0.9	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
4. गुजरात	0.6	0.8	0.6	0.9	0.7	1.0	0.5	1.1	0.6	1.3	0.7	1.6	0.8	0.5	0.9	0.7	0.9	0.6	2.9	2.2	2.8	3.8	2.9	3.8
5. हरियाणा	0.8	1.8	0.8	2.5	0.9	2.5	2.0	7.3	2.0	7.8	2.1	7.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	0.7	1.0	0.6	0.4
6. हिमाचल प्रदेश	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7 जम्मू व कश्मीर	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	–	–	–	–	–	–	0.1	–	0.1	–	0.1	–
8 कर्नाटक	1.3	3.0	1.4	3.2	1.4	3.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	1.5	0.7	1.8	0.7	1.7	0.5	2.6	1.7	2.6	1.8	2.2	1.3
9. केरल	0.5	1.0	0.4	0.8	0.4	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. मध्य प्रदेश	5.3	5.8	5.4	5.9	5.4	4.5	4.0	6.7	4.3	7.8	4.5	7.3	5.2	3.1	5.0	3.5	5.0	3.3	5.6	4.9	6.0	5.1	6.1	5.8
11 महाराष्ट्र	1.5	2.6	1.5	2.6	1.5	2.4	0.7	0.9	0.8	1.2	0.7	0.7	3.3	1.6	3.3	2.0	3.3	1.2	2.6	2.0	2.7	2.4	2.6	1.7
12. उडीसा	4.5	6.2	4.5	4.4	4.5	6.2	–	–	–	–	–	–	0.9	0.4	0.7	0.2	0.8	0.3	0.5	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2
13 पंजाब	2.2	6.8	2.2	7.3	2.3	7.9	3.2	12.5	3.2	13.7	3.3	12.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
14 राजस्थान	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	2.5	5.5	2.5	6.8	2.7	6.7	3.6	1.5	3.8	1.8	4.4	2.6	3.8	3.1	3.9	3.5	4.4	3.3
15 तमिलनाडु	1.2	5.3	2.2	5.8	2.4	7.1	–	–	–	–	–	–	0.6	0.2	0.6	0.2	0.6	0.3	1.1	1.6	1.1	1.5	1.3	1.9
16 उत्तर प्रदेश	5.6	10.4	5.5	11.8	5.7	12.2	8.9	21.8	9.0	24.0	9.2	23.0	2.8	2.2	2.8	2.6	2.8	2.3	1.6	1.4	1.8	1.5	1.7	1.0
17 पश्चिम बंगाल	6.0	11.9	5.8	12.6	5.9	13.2	0.3	0.7	0.4	0.8	0.4	0.8	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
संपूर्ण भारत	42.8	77.0	43.4	81.7	43.4	82.3	25.0	62.1	25.9	69.4	26.7	65.9	22.3	12.3	22.4	14.2	22.8	13.1	26.0	22.1	26.3	24.4	26.2	22.0

विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान

366. श्री जी. गंगा रेड्डी :

श्री के. येरन्नायडू :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पूर्वोत्तर विद्रोही ग्रुपों द्वारा भूटान को सैन्य अड्डा बनाने पर चिंता व्यक्त की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए भूटान को कितनी सहायता दी गई है/दिये जाने का विचार है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) भूटान के क्षेत्र में उत्तर–पूर्व के उग्रवादियों की उपस्थिति भूटान के साथ चर्चा का विषय रहा है। दोनों पक्ष इस मसले को लेकर चिंतित हैं तथा इस पर भूटान की नेशनल असेम्बली में जून–जुलाई 1998 में आयोजित अंतिम सत्र में चर्चा हुई। नेशनल असेम्बली ने इन उग्रवादियों द्वारा स्वयं भूटान के लिए उत्पन्न किये गये खतरों को स्वीकारा तथा उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका ढूंढने का प्रयास किया। भारत और भूटान इस मसले का समाधान पाने के लिए लगातार संपर्क में हैं तथा इस संबंध में एक–दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि

367. डा. रवि मल्लू क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यूरोपीय संघ और रूस के साथ राजनयिक वार्ताओं के बाद परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर अंतिम दृष्टिकोण बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इन देशों के साथ कोई ठोस वार्ताएं की थीं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सहित अनेक मुद्दों पर प्रमुख देशों में प्रमुख वार्ताकारों को लगाने के सरकार के प्रयासों के भाग के रूप में अन्य देशों के साथ–साथ रूस और यूरोपीय संघ के साथ भी बातचीत की गई है।

(ग) व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के संबंध में सरकार की स्थिति संसद में बता दी गई है। 15 दिसम्बर, 1998 को प्रधान मंत्री ने कहा था "अब भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सहित अनेक मुद्दों पर प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत कर रहा है। हम सफल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ताकि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को लागू करने में सितम्बर, 1999 से अधिक समय न लगे। हमें आशा है कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुच्छेद चौदह में निर्दिष्ट अन्य देश बिना शर्त संधि का पालन करेंगे। हमारी वही स्थिति बनी हुई है। बातचीत को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे वार्ताकार एक सकारात्मक वातावरण तैयार करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आर्थिक सर्वेक्षण 1998-99

[अनुवाद]

वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा महोदय, मैं आर्थिक सर्वेक्षण 1998–99 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[मंत्रालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 2424/98]

नारियल विकास बोर्ड कोच्चि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1997–98 के लेखाओं के बारे में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर बोर्ड की टिप्पणीयों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[मंत्रालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 2425/98]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, के अन्तर्गत अधिसूचनायें

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) तीसरा संशोधन नियम, 1998 जो 7 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 719 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) संशोधन नियम, 1999 जो 14 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 35 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1998 जो 2 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1 में प्रकाशित हुये थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) बाईसवां संशोधन नियम, 1998 जो 2 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2 में प्रकाशित हुये थे।

(पाँच) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1998 जो 2 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3 में प्रकाशित हुये थे।

[मंत्रालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 2426/98]

अपराह्न 12.01 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) महोदय मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.1½ बजे

रेल अभिसमय समिति

दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री विजय हाण्डिक (जोरहाट) : महोदय, मैं 1998–99 के लिए "लाभांश" की दर और अन्य आनुषंगिक मामलों के संबध में रेल अभिसमय समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उससे संबधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री मुरली देवरा (मुम्बई-दक्षिण) : महोदय, मैं संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1998 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब शून्य काल शुरु होगा, श्री बैको

...*(व्यवधान)*

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी सूची के हिसाब से चल रहा हूं।

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा नाम भी सूची में होना चाहिये।

अपराह्न 12.03 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, मुझे शून्य काल के दौरान एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए अनुमति देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं सरकार का ध्यान एक बहुत गम्भीर समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं जिससे किसानों, खेतीहरों के मन में गम्भीर चिंता पैदा हो गई है खासतौर पर दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में।

भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के अनुसार, यह प्रस्ताव किया गया है कि 5,100 वस्तुओं में से 1,000 वस्तुओं को शुल्क मुक्त बाजार में सम्मिलित किया जाएगा।... *(व्यवधान)*

महोदय, यदि रबड़, चाय, कॉफी, नारियल–जटा उत्पादों, नारियल और मसाले खासतौर पर इलायची को शुल्क मुक्त आयात किया जाता है तो इससे किसानों और बागान मालिकों को नुकसान होगा।

मेरे विचार से समझौते के अनुसार 28 फरवरी वस्तुओं की नकारात्मक सूची को अंतिम रुप देने की अंतिम तारीख है और यदि इन वस्तुओं जैसे चाय, कॉफी, रबड़, नारियल जटा उत्पादों, नारियल, मसालों आदि को इस नकारात्मक सूची में शामिल नहीं किया जाता तो इससे वे पूरी तरह बरबाद हो जाएंगे और इसका विनाशकारी प्रभाव होगा। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में बहुत शोर हो रहा है, कृपया शांत हो जायें।

डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : कांग्रेस पार्टी के सदस्य शोर मचा रहे हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री वैको : यह एक बहुत गम्भीर मुद्दा है। कई हजार परिवार इससे संकट में आ जायेगें, क्योंकि कई लोग इन वस्तुओं पर निर्भर हैं, उदाहरण के लिए चाय उगाने वाले बाजार में चाय 60 रु. प्रति किलो के हिसाब से बेचेंगे, लेकिन जब इसे श्रीलंका से शुल्क मुक्त आयात किया जाएगा तो यह 35–40 रु. के हिसाब से बिकेगी और इससे निश्चित रुप से निर्यात की सभी सम्भावनाएं समाप्त हो जाएंगी।

हमारे देश में, खासतौर पर दक्षिणी राज्यों में हम घरेलू खपत से ज्यादा पैदा करते हैं। इसलिए हम निर्यात पर निर्भर करते हैं और खासतौर पर तमिलनाडु में हम नारियल बागान बड़े पैमाने पर लगाने जा रहे हैं और यदि हम श्री लंका से आयात करेंगे जैसा कि उन्होंने नई प्रौद्योगिकी विकसित की है, तो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन होगा ।

मेरी समझ में यह तर्क नहीं आता कि सरकार के मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ा और इन वस्तुओं को शुल्क मुक्त सूची में इस बात पर ध्यान दिए बिना क्यों शामिल किया गया है कि इससे इन किसानों, खेतीहरों, बागान मालिकों और इसी तरह कर्मचारियों को कितना उकसाना होगा जो चाय, रबड, नारियल और कॉफी की बागवानी पर निर्भर हैं।

यह एक दुःखद विरोधाभास है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में हजारों की संख्या में मजदूर श्रीलंका गए, अपने कठिन परिश्रम से वे रबड़ बागान लगाने की तकनीक को यहाँ लाए और छः लाख लोग शरणार्थियों के रुप में यहां आ गए और ये वे ही लोग हैं जो इन बागानों पर आश्रित हैं। इसलिए दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था खासतौर पर केरल, तमिलनाडु के किसान–विशेषकर नीलगिरी और कन्याकुमारी जिले और कर्नाटक इससे प्रभावित होगें, इससे उनका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या करवाना चाहते हैं।

श्री वैको : सरकार को इन वस्तुओं को नकारात्मक सूची में शामिल करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको कल भी कई माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए थे, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी हमारे पास वक्ताओं की लम्बी सूची है। आप अपनी बात संक्षेप में रखे और तत्पश्चात् सरकार से कहें कि आप क्या चाहते हैं, आप अपना अंतिम प्रश्न पूछें।

श्री वैको : अब 26 फरवरी आनें में केवल तीन दिन शेष हैं जो कि नकारात्मक वस्तुओं की सूची को अंतिम रुप देने की तारीख है। इन वस्तुओं को नकारात्मक वस्तुओं की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि दक्षिणी राज्यों के सभी दलों के संसद सदस्यों की इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक बैठक बुलाएं और उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें सरकार को भी इस गंभीर मुद्दे पर एक वक्तव्य देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, सरकार भी इस पर कुछ कहना चाहती है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी नोटिस दिया है।

श्री के. करुणाकरन (तिरुअनन्तपुरम) : प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर वक्तव्य देना चाहिए।

श्री वैको : महोदय, माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं कृपया उन्हें कहने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री करुणाकरन ने भी इसी विषय पर नोटिस दिया है, मैं उन्हें बोलने के लिए कह रहा हूं।

श्री के. करुणाकरण : केरल के किसान वास्तव में डरे हुये हैं, केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पडेगा। इस समझौते के कारण केरल का किसान समुदाय बहुत चिंतित हैं, ये वस्तुएं नारियल, रबड़, इलायची आदि हैं, ये वस्तुयें भारत और श्रीलंका दोनों में ही पैदा की जाती हैं। केरल भी इन वस्तुओं को पैदा करता है। दुर्भाग्यवश न केवल हम श्रीलंका से आयात करने पर चिंतित हैं लेकिन इस बात की भी पूरी सम्भावना है कि अन्य देश श्रीलंका के जरिए अपनी वस्तुएं यहां भेज सकते हैं और ये उत्पाद भारत में आ सकते हैं। इससे इस देश के किसानों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री को स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और इस मुद्दे का कोई समाधान निकालना चाहिए।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन): हम सब इसका समर्थन करते हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): माननीय सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं से माननीय वाणिज्य मंत्री को अवगत कराउंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री वैको : वाणिज्य मंत्री को यहां आना चाहिये और वक्तव्य देना चाहिए, ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, यह 'शून्य काल' है। आपने मामला उठाया है और सरकार ने इसका उत्तर दे दिया है। सभा का समय बर्बाद न करें, अन्यथा सभी वक्ताओं को समय नहीं मिल पाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए निर्देश दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, 28 फरवरी अंतिम तारीख है।

श्री वैको : वाणिज्य मंत्री को इस मुद्दे पर वक्तव्य देने के लिए सभा में आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है। अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, 28 फरवरी अंतिम तारीख है।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल में जब भी आप कोई मुद्दा उठाते हैं तो सरकार उसका जवाब देती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकार ने इस बात को नोट कर लिया है। कृपया सभा का समय बर्बाद न करें।

श्री वैको : वाणिज्य मंत्री को वक्तव्य देने के लिए यहां आना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि देश के उत्तर-भारत के प्रदेशों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एव राजस्थान के पुलिस स्टेशनों पर अनुसूचित जाति/जनजाति, विमुक्ति जाति (पासी) वर्ग के लोग चौकीदार के पदों पर अपनी कर्मठता मेहनत और स्वाभिमानी कौम के कारण सैंकड़ों वर्षों से कार्यरत हैं। जिन्हें शुरु में 20 रुपए तथा वर्तमान में 100 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो वर्तमान समय की बढ़ती हुई महंगाई में बहुत कम है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इनको केन्द्र एवं प्रदेश में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर वेतन दे और इनको तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर दर्जा मिले जिससे इनका जीवनयापन ठीक से हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में इन दिनों भयंकर भुखमरी की स्थिति है। वहां आकाल के कारण करीब तीन लाख लोग पलायन कर चुके हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के खिल्लारी विधानसभा क्षेत्र में भुखोऊ आदिवासी बिंजवार की मृत्यु भूख से हो चुकी है और वहां राज्य शासन ने किसी भी प्रकार का कोई राहत कार्य चालू नहीं किया है। पलायन, आकाल, भुखमरी और बदहाली के कारण इतने लोग पीड़ित हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में 55 लाख के करीब ग्रामीण आबादी इससे प्रभवित है। शासकीय आबंटन के अभाव में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह तत्काल केन्द्रीय सहायता मुहैया कराए ताकि वहां भुखमरी की स्थिति से उबरा जा सके। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : महोदय, मेरा क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बुलाया जाएगा। उन्होंने उसी विषय पर सूचना दी है।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरु) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो हर काम में आगे है। ...*(व्यवधान)* भारत को बहादुर सैनिक और दूध राजस्थान देता है तथा और भी बहुत से खनिज देता है। आज राजस्थान अकाल से जूझ रहा है। राजस्थान में करीब 2070 गांव भयंकर अकाल से पीड़ित हैं। राजस्थान में अकाल के कारण पीने का पानी नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था न होने के कारण उनकी हालत को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। राजस्थान सरकार के सीमित साधनों के बावजूद अकाल से राहत के लिए वहाँ सवा तीन लाख लोग राहत कार्य में लगे हुए हैं. राजस्थान के जो प्रमुख अखबार हैं उनमें इस बारे में भयंकर चिंता जताई गयी है। भारत सरकार का राजस्थान की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार होने के कारण भारत सरकार सहायता देने में दोगली नीति अपना रही है। राजस्थान आपदा कोष में 95 करोड रुपया शेष बचा है, लेकिन भारत सरकार राजस्थान को सहायता देने के संबंध में ध्यान नहीं दे रही है। अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान की पूर्व भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज राजस्थान के खजाने में पैसा नहीं है। उन्होंने भारत सरकार से 1500 करोड़ रुपये की मांग की है, इन्होंने पैसा नहीं दिया है। यह बहुत गंभीर विषय है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह लोक सभा के अंदर एक बयान जारी करे और एक केन्द्रीय टीम राजस्थान भेजे। राजस्थान सरकार ने जो अतिरिक्त सहायता की मांग की है वह सहायता उन्हें उपलब्ध कराए, ताकि राजस्थान सरकार अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करा सके व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करा सके तथा चारे के लिए सब्सिडी दे सके।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान बैंक कर्मचारियों द्वारा 25 एवं 26 तारीख को देश भर में की जाने वाली हड़ताल से संबंधित समाचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। बैंकिंग व्यवसाय हमारे जीवन के रोजमर्रा कार्यों का हिस्स है और बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री सभा को बताने की कृपा करेंगे कि कल और परसों की जाने वाली हड़ताल को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं चूंकि हम बहुत मुसीबत में पड़ जाएगें ? कर्मचारी लड़ने के लिए तैयार हैं। न केवल अधिकारी बल्कि कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहें हैं। पूरी बैंकिंग व्यवस्था, जिसमें मुद्रा हस्तांतरण शामिल है ठप्प पड़ जाएगी। वित्त मंत्री दो दिन बाद बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो, जब बजट प्रस्तुत हो रहा होगा, तब हड़ताल होगी और वह भी बैंक कर्मचारियों द्वारा। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वह सभा में अपना वक्तव्य दें, हड़ताल रोकें और इसे सच न होने दें अन्यथा हम बहुत बड़ी मुसीबत मे पड़ जाएगें। मैं आशा करता हूं कि वे स्थिति का निबटारा करने के लिए/स्थिति की मांग को देखते हुए हमें संतोषजनक उत्तर देगें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने भी उसी विषय पर सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपका नाम है। आपको अवसर मिलेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने इसी विषय पर सूचना दी है।

महोदय, दो दिनों तक पूरा बैकिंग उद्योग ठप्प रहेगा। .....*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, वित्त मंत्री उपस्थित हैं, उन्हें उत्तर देने दें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वारकला राधाकृष्णन, श्री बसुदेव आचार्य ने भी उसी विषय पर सूचना दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आई. बी. ए. और बैंकिग उद्योग के सभी संघों के बीच अनेक बैठकें हो चुकी हैं लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। बैंकिग उद्योग के कर्मचारी अपने वेतन और मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनके वेतन और मजदूरी में संशोधन पिछले एक वर्ष से नही किया गया है किंतु सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है, सिवाय कुछ बैठकों के जो आई. बी. ए. और बैंकिंग के संघों के बीच हुई थीं।

महोदय, इन दो दिनों की हड़ताल के बाद यदि इस मामले का कोई हल नहीं निकलता है तो उन्होंने फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई है। चूंकि वित्त मंत्री समा में उपस्थित हैं मैं मांग करता हूँ कि वे एक वक्तव्य दें कि वे शीघ्र कार्रवाई करेंगे ताकि बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही इस हड़ताल से बचा जा सके उसे टाला जा सके, उनकी मांग मान ली जाए और वेतन संशोधन के मामले का तुरन्त निपटान हो। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, बार-बार मत उठिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, दोनों मंत्री यहाँ उपस्थित हैं।

वित्त मंत्री यहाँ उपस्थित हैं और उन्हें सभा को आश्वस्त करना चाहिए कि वे इस मामले को निपटाने के लिए कदम उठाएगें। ...*(व्यवधान)* महोदय, जब वित्त मंत्री यहाँ हैं तो आप मंत्री जी को इस मामले के निपटान हेतु निर्देश दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वित्त मंत्री को कैसे निदेश दे सकता हूँ। वे यहाँ बैठे हैं। यदि वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें, तो कर सकते हैं। मैं उन्हें निदेश नहीं दे सकता।

....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोद्य, आप उन्हें निदेश दे सकते हैं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं उन्हें निदेश नहीं दे सकता। ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बैंकिग उद्योग का कार्य कल और परसों, दो दिनों के लिए ठप्प हो जाएगा।...*(व्यवधान)* महोदय, उन्हें उत्तर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* महोदय, वित्त मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें उत्तर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अशोक अर्गल।

...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री की भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई रुचि नहीं रही। जो हड़ताल होने जा रही है वह एक बहुत बड़ी हड़ताल होगी। ....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह क्या है? जो हमारे यहां सरकार है वह कुछ कार्य नहीं कर रही। महोदय, वित्त मंत्री को उत्तर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वे यहाँ हैं। यदि वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें, तो कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य वे यहाँ उपस्थित हैं। आपको उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने का निदेश देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने का निदेश दे सकता हूँ ?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : वे तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री बसुदेव आचार्य : बैंकिग उद्योग दो दिनों तक ठप्प रहेगा और सरकार खामोश है। महोदय, मंत्री को कुछ कहना चाहिए। .. *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगें ?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : दोनों मंत्री यहां उपस्थित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं उन्हें निदेश कैसे दे सकता हूँ ?

श्री बसुदेव आचार्य : हमारी सरकार कोई कार्य ही नहीं कर रही, यह सरकार सो रही है जबकि समस्त बैकिंग उद्योग ठप्प होने जा रहा है। सरकार कुछ नही कह रही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं खड़ा हुआ हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अशोक अर्गल ।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष जी, अन्तर्राज्यीय चम्बल दाहिनी नहर जो राजस्थान से मध्य प्रदेश को निकलती है, पूर्व में वहाँ से मध्य प्रदेश को 3900 क्यूसेक पानी दिया जाता था लेकिन वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 2300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे मेरे संसदीय क्षेत्र श्योपुर कलाँ, मुरैना एवं पास में जो भिंड जिला लगता है, उसे पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ के किसानों की फसल बरबाद हो रही है। राज्य सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान से पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जाए। नहीं तो पूर्व की तरह डाकू समस्या फिर से पैदा हो जाएगी और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की होगी।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योगों में मंदी छाई हुई है। कीमतें ऊपर न जाने से बड़ी दिक्कत आ रही है। इससे बहुत से उद्योग बंद होने के कगार पर पहुँच गए हैं। गन्ना काश्तकार बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तथ्यों की जल्दी से जल्दी समीक्षा कर कदम उठाए जिससे काश्तकार सुरक्षित महसूस कर सकें।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्त तमिलों की दुर्दशा की ओर मैं इस सम्माननीय सदन और विशेष रुप से माननीय एम. आर.

कादम्बूर जनार्दनन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कर्मचारी चयन आयोग ने योग्यता के आधार पर 23 तमिल भाषी आवेदकों का चयन किया था और उनकी नियुक्ति कर्नाटक के महालेखापाल के कार्यालय में की। 23 में से 19 तमिलों को इस आधार पर महालेखापाल, कर्नाटक के कार्यालय में नियुक्ति रिपोर्ट देने की अनुमति नहीं दी गयी कि नियुक्त किए जाने वाले स्थानीय भाषा – कन्नड़ नहीं जानते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 में निर्दिष्ट सिद्धान्त के नितांत विरुद्ध और 1996 के "श्री राधेश्याम" बनाम "भारत सरकार" के मामले में दिये गये निर्णय के भी विरुद्ध है।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में, माननीय प्रधानमंत्री से इस विषय में हस्तक्षेप करने के लिए पहले से ही अनुरोध किया है ताकि तमिलनाडु के 19 चयनित व्यक्तियों को उसी विभाग में नियुक्ति की अनुमति दी जाए।

एक बार पुनः मैं माननीय कादम्बूर जनार्दनन से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया इस विषय में हस्तक्षेप करें और देखें कि जो 19 तमिल भाषी आवेदक योग्यता के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित हुए हैं, वे महालेखापाल का कार्यालय, कर्नाटक, में बिना विलम्ब किए नियुक्त किए जाएं। यह तमिलों के लिए एक संवेदनशील विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के मामले में संकुचित राजनीति को हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा निर्दिष्ट सिद्धान्त के विरुद्ध है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मन्त्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मन्त्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : श्रीमन, कर्मचारी चयन आयोग ऐसी संस्था है, जो केन्द्रीय सरकार में रोजगार दिलाती है। चयनित व्यक्तियों की कुल संख्या 23 है, 19 नहीं, 23 में से चार को पहले ही रोजगार दिया जा चुका है और 15 और बंगलौर में ही केन्द्र सरकार की नौकरी पा रहे हैं ... *(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू : उनकी नियुक्ति उस विशेष विभाग में ही होनी चाहिए। उन्हें महालेखापाल के कार्यालय में सेवा आरम्भ करने के अवसर से वंचित क्यों किया जाए ?

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : कर्मचारी चयन आयोग ऐसी संस्था है जो बेरोजगारों को केन्द्र सरकार के विभागों में रोजगार देती है और उन्हें केन्द्र सरकार के विभागों में रोजगार दिया गया है।

श्री टी. आर. बालू : नहीं, उनका चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया गया है। उनकी नियुक्ति उसी विशेष विभाग में होनी चाहिए।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, हमेशा की तरह, डी. एम. के. को गलत सूचना दी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालू, आप मंत्री महोदय के बयान से असहमत हो सकते हैं, किन्तु उन्होंने स्थिति की व्याख्या कर दी है।

श्री टी. आर. बालू : उन्हें मात्र महालेखापाल, कर्नाटक के कार्यालय में ही सेवा आरम्भ करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालू, उन्होंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री टी. आर. बालू : यह राष्ट्रीय एकता के सर्वथा विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालू, उन्होंने सरकार का दृष्टिकोण पहले ही बता दिया है। आप इससे असहमत हो सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।

श्री टी. आर. बालू : जब लोग महालेखापाल, कर्नाटक के कार्यालय में नियुक्त किए गए तो उन्हें उसी कार्यालय में लिया जाना चाहिए कहीं और नहीं। इसमें गलत क्या है?

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : इनके तथ्य गलत हैं और संसद को यहां गुमराह कि जा रहा है।

श्री टी. आर. बालू : राजनीतिक संगठनों ने इन लोगों को वहां ज्वाइन करने से रोका।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालू, शून्य काल के दौरान आपने इस विषय को उठाया था और माननीय मंत्री ने इसका उत्तर दिया था। दूसरे लोग भी हैं जो बोलना चाहते हैं। इसलिए, मुझे उनको बोलने के लिए कहने दीजिए।

श्री टी.आर. बालू : मंत्री महोदय को चयनित तमिल व्यक्तियों के महालेखापाल, कर्नाटक के कार्यालय में नियुक्ति हेतु अनुमति देने की आज्ञा दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालू आपको पर्याप्त अवसर मिला है। आप इसे दूसरे रुप में भी ला सकते हैं। आपने पहने ही 'शून्य काल' के दौरान इसकी चर्चा की है।

श्री टी. आर. बालू : चयनित अभ्यार्थी महालेखापाल कर्नाटक के कार्यालय में ही नियुक्त किए जाने चाहिए, कहीं और नहीं।

डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी : वे तमिलनाडु में तमिलों के लिए रोजगार ढूंढने में समर्थ नहीं हैं, लेकिन इस विषय में ये चिन्तित हैं।

श्री टी. आर. बालू : उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है, जिसमें कहा गया है कि लोगों की नियुक्ति में क्षेत्रीय आधार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति 'कर्मचारी चयन आयोग' द्वारा नियुक्त किए गए हैं उन्हें महालेखापाल के कार्यालय में ही लिया जाना चाहिए कहीं और नहीं ...*(व्यवधान)*

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैंने एडमिरल भागवत के मामले में एक सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी हो, आपकी सूचना 10 बजे के बाद प्राप्त हुई।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने 10 बजे से पहले दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है।

...*(व्यवधान)*

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मेरे नोटिस के संबध में आपका क्या निर्णय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस समय पर प्राप्त हुआ था किन्तु उसे माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खाँ (दुर्गापुर) : क्या मुझे बोलने की अनुमति है। महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, मैंने श्री सुनील खाँ का नाम पुकारा है। मैं आपको अगली बार बुलाऊंगा।

श्री सुनील खाँ : महोदय, मैं एक अत्यन्त गम्भीर मुद्दा उठाना चाहता हूं । एम. ए. एम. सी., साइकिल कार्पोरेशन आफ इण्डिया बी. ओ. जी. एल., आर. आई. सी., नेशनल इन्सट्रूमेंटेशन, बी. पी. एम. ई. एल., वेगबर्ड लि., चमड़ा और जूता उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों नें कई रातें जागकर काटी हैं। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बन्द होने के विरोध में, सभी राजनैतिक दलों के समर्थन से 9 फरवरी से 15 फरवरी, 1999 तक देवीपुर से आसनसोल तक 130 किमी. लम्बी दूरी की पद–यात्रा पहले ही की जा चुकी है। आपको इस बात की जानकारी है कि हजारों लोग सड़कों पर आ गये और इन उपक्रमों के लिए पुररुद्धार पैकेज के पक्ष में पद–यात्रा का समर्थन किया। वित्त मंत्रालय ने केवल स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के लिए लगभग 517 करोड़ रुपये का आंबटन किया था। किन्तु वे पुनरुद्धार पैकेज के लिए 375 करोड़ रुपये का आबंटन नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार किया जायेगा अथवा नहीं। मैं अनुरोध करता हूँ कि बी. ओ. जी. एल. के लिऐ 4 करोड़ रुपये और एम.ए.एम.सी. के लिये कुछ धनराशि का आबंटन किया जाना चाहिये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री सुनील खाँ : महोदय, मैं इस मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

अपराह्न 12.31 बजे

इस समय श्री सुनील खाँ आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खाँ, कृपया आप अपने स्थान पर जाइये। क्या सभा में इस प्रकार व्यवहार किया जाता है ?

अपराह्न 12.31¼ बजे

इस समय श्री सुनील खाँ अपने स्थान पर वापिस चले गये।

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक गम्भीर मामला है। सरकार को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, गम्भीर मामले ही सदैव शून्य काल में उठाये जाते हैं। यदि कोई मंत्री अथवा सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है, तो मैं उसे अनुमति दे सकता हूँ। यह सभा में पेश आने का कोई तरीका नहीं है।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई, उत्तर-पश्चिम) : महोदय, वे सरकार से उत्तर देने के लिए जोर नहीं डाल सकते। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार को कोई आश्वासन देना चाहिये। उन्होंने आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय लिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आपको मौका मिला था और आप मामला उठा चुके हैं। यहाँ और भी माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने नोटिस दिये हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूँ। क्या आप पीठासीन अधिकारी को भी बोलने की अनुमति नहीं देगें ?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कल कई माननीय सदस्यों ने नोटिस दिये थे किन्तु किसी को भी अपने मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिला। मैं आज सभी को मौका देना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग आपसे नाराज़ नहीं हैं तो आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : गुस्सा इसलिए हो रहा हूँ कि उन लोगों को चान्स मिला है, मगर जिन लोगों को चान्स नहीं मिला है वह भी बैठे हैं। सबको चान्स मिलना चाहिए। यह ज़ीरो अवर है। हाऊस कैसे कंडक्ट होगा ? जीरो आवर में इधर आकर बैठना ठीक नहीं हैं। इन सब सदस्यों को संभालना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, 28 फरवरी अन्तिम तिथि है तब उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का क्या होगा ? हम सरकार से यह जानना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : सभा में पेश आने का यह तरीका नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप वरिष्ठ सदस्यों में से हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, वह इस तरह सभा में बार-बार शान्ति भंग नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम सभा की शान्ति भंग नहीं कर रहे हैं। हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री आचार्य जैसे वरिष्ठ सदस्य ऐसा व्यवहार करते हैं, तो नये सदस्यों का क्या कहिये।

......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बासवराज पाटील सेडाम (गुलबर्गा) : आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज़ के बारे में बोलिये। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप क्यों बोल रहे हैं। आप बैठिये।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अब अपनी जगह बैठेगें।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि 'शून्य काल' के दौरान कई मुद्दे सभा में उठाये जाते हैं जिसके लिये सरकार को पहले से सूचना नहीं दी जाती। उन मुद्दों पर, जिनके बारे में सरकार के पास निश्चित जानकारी होती है, वह उत्तर देने की कोशिश करती है। कुछ अन्य मुद्दों पर, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है उस पर सरकार के किसी प्रतिनिधि की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं होता।

ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है कोई सदस्य जो शून्य काल के दौरान मुद्दा उठाता है, उत्तर दिया जायेगा, यह भी निश्चित है। किन्तु यह कहना कि जो कोई भी सरकार की ओर से यहाँ बैठा है, वह उन सभी मुद्दो का उत्तर देने की स्थिति में होगा, जो इस सभा में उठाये जा रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : ये अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : वे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, किन्तु मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मेरे पास सूचना नहीं थी कि आप बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे को उठाने बाले हैं। मेरे पास सूचना नहीं है कि आप आठ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम का मुद्दा उठाने जा रहें हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, क्या आप नहीं चाहते कि माननीय वित्त मंत्री उत्तर दें। यह क्या हो रहा है ? यह तो तरीका नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : अतः मैं तत्काल सरकार की ओर से उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि मैं पूरे तथ्यों के साथ उत्तर दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : कब देगें ?

श्री यशवन्त सिन्हा : जब भी मुझे माननीय अध्यक्ष निर्देश देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, यह प्रश्नकाल नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के संबंध में अन्तिम तिथि 28 फरवरी निश्चित की है। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : वे सभा को अपने ढ़ंग से कैसे चला सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय़ आज 24 तारीख हो चुकी है, और यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास इस बारे जानकारी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खाँ, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूँ। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाईये।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे 'प्रश्नकाल' नहीं बनाया जा सकता है। आपको मालूम है कि 'शून्य काल' के दौरान हरेक अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाना चाहता है। सरकार ऐसी स्थिति में तुरंत उत्तर नहीं दे सकती है, यदि उनके पास तथ्य और आंकड़े या सूचना उपलब्ध हो तभी वे उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आप तो मेरी बात भी सुनना भी नहीं चाहते हैं, यह क्या बात है ?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, वे इस बात को जानते हैं, वे हमें इस बारे में बता सकते हैं कि स्थिति क्या है। ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष माहोदय, मैं यहाँ सभा में एक गम्भीर मुद्दा उठा रहा हूँ जो इस देश की अधिसंख्यक जनता के लिए गम्भीर चिंता का विषय है। मैं इस मौके प्र सरकार द्वारा विदेशी नागरिक सलमान रुशदी को इस देश में आने के लिए वीजा

दिए जाने के निर्णय के विरुद्ध मुस्लिम समुदाय के रोष को भी कम करना चाहता हूँ।

महोदय, सलमान रुशदी, पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय के विचार से, धर्मनिन्दक हैं। उन्होंने इस्लाम के पैगम्बर और उनके परिवार को गाली दे कर धर्म निन्दा की है। उन्होंने अभी तक इसके लिए माफी नहीं मांगी है और इससे पूरे देश में और विश्व के मुस्लमानों की भावनाओं को आघात पहुंचा है उन्होंने वास्तव में इस देश की जनता का एक बहुत बड़े वर्ग की भावनाओं को आघात पहुंचाया है। इस तरह के व्यक्ति का इस देश की भूमि पर स्वागत नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य दूसरों को आघात पहुंचाने की स्वतंत्रता से नहीं है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मुस्लमानों ने इस मुद्दे पर एक निश्चित रुख अपनाया है। पैगम्बर के प्रति मुसलमानों की भावनाओं को व्यक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी व्याख्या करना सम्भव नहीं है।

ऐसे अवसर पर, श्री सलमान रुशदी ने पैगम्बर मोहम्मद और उनके परिवार को गाली दे कर, धर्म की निन्दा करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने धर्म निन्दा की है, उन्होंने अपने कृत्य के लिए पश्चाताप नहीं किया। ऐसे व्यक्ति को भारत आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस देश के लोगों की भावनाओं का आदर करे। सरकार का कर्त्तव्य यह नहीं है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस देश में लाए जिसने इस देश की जनता की भावनाओं को आघात पहुंचाया है। यह देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रश्न है। लेकिन हमारी सरकार समझती है कि यह उनके लिए चिन्ता का विषय नहीं है। सलमान रुशदी को वीजा देना विवेकपूर्ण नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और उसे वीज़ा देने के निर्णय को निरस्त करे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी यही प्रश्न दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका मामला बाद में लिया जायेगा।

श्री अजीत योगी (रायगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक ऐसी बात उठाई है जो देश के करोड़ों लोगों के जज्बातों से संबंधित है और हम इसका समर्थन करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जिस मैटर का नोटिस दिया हुआ है वह यह है--

[अनुवाद]

'औरग्नाइज्ड अटैकस ऑन क्रिश्चियन रिलिजियस प्लेरा इन गुजरात'

.....*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : सर, जो विषय मैं उठाना चाहता हूं वह मेरे नोटिस में दिया गया है और यह वही विषय है जो अभी श्री ई॰ अहमद द्वारा उठाया गया है। मेरे नोटिस को आप देखने की कृपा करें उसमें वह दिया हुआ है। ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद का विषय तो श्री सलमान रुश्दी को वीज़ा न देने के बारे में है।

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी वही विषय है। मैं भी उसी पर बोलना चाहता हूं। इसका उल्लेख भी मैंने अपने नोटिस में किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं तो आपको बोलने के लिए समय दे रहा हूं।

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री अहमद साहब ने जो विषय उठाया है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की एक योजना है जिसके अनुसार यह सरकार चाहती है कि देश के पूरे समाज को साम्प्रदायिक आधार पर बांट दिया जाए और उसी योजना के तहत सलमान रुश्दी को सरकार ने वीजा दिया है और उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं इस देश में सरकार की सांठ–गांठ से हो रही हैं और इस देश में साम्प्रदायिक दंगे कराने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है जिससे वे इसका राजनीतिक लाभ उठा सकें। मैं सरकार की इस मंशा का विरोध करता हूँ और आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि सलमान रुश्दी को जो वीजा दिया गया है वह किसी खास मकसद से दिया गया है, जो गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, सलमान रुश्दी ने न केवल पैगम्बर मोहम्मद साहब के बारे में बातें कही हैं बल्कि जो हिन्दू देवी–देवता हैं उनके बारे में भी उनके द्वारा अनेक टिप्पणियां की गई हैं, वे हमारे हिन्दू समाज को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल मुस्लिम समाज का ही सवाल नहीं है, हिन्दू समाज के बारे में भी रुशदी की जो विचारधारा है, वह हमारे हिन्दू समाज के सैंटीमेंट को, हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय मेहमान बनाकर भारत में बुलाकर भारत को साम्प्रदायिक दंगों की आग में झोंकने का प्रयास भारत सरकार की ओर से किया गया है। मैं उसकी निन्दा करता हूँ और आपके माध्यम से इल्तिजा करता हूं कि उनके वीजा को तुरन्त खारिज किया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, ये किस योजना की बात कर रहें हैं, जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह बिलकुल ठीक नहीं है । ... *(व्यवधान)*

श्री अजीत योगी (रायगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय श्री ई॰ अहमद ने उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और उनका हम समर्थन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आपने तो नोटिस नहीं दिया। आप नहीं बोल सकते हैं। कृपया बैठिए।

***श्री मुलायम सिंह यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पूरे देश* को दंगों की आग में झोंकना चाहती है। इसमें केवल मुस्लिम समाज का ही सवाल नहीं है बल्कि हिन्दू समाज का भी प्रश्न है। .....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप इस प्रकार से बिना नोटिस के नहीं बोल सकते।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यदि हमारी बात आप नहीं सुनेंगें, तो कौन सुनेगा? क्या ये हमारी बात सुनेंगें। ये सिर्फ हिन्दू विरोधी ही नहीं बल्कि मुसलमान विरोधी भी हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप बिना नोटिस के कैसे बोल सकते हैं। यह कैसे चलेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सलमान रुश्दी की किताब पर प्रतिबन्ध लगा है और उनको यहाँ आने की अनुमति देकर इस देश में दंगे कराने की साजिश की जा रही है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मुस्लिम कम्युनिटी को अपमानित करने के लिए इस सरकार ने सलमान रुश्दी को वीजा दिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी, आप बैठिए। कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री रामदास अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, सलमान रुशदी को भारत आने के लिए दिया गया वीजा निरस्त करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत योगी (रायगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री सलमान रुश्दी को वीज़ा देने पर सरकार पुरर्विचार करे क्योंकि उनकी विचारधारा देश के समी वर्गों के विचारों के विरुद्ध है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके साथ पूरी सहानुभूति है। यदि सदन के नेता बीच में बाधा खडी करते हैं तो सभा का कार्य चलना असम्भव हो जाएगा। यह सांसदों को शोभा नहीं देता है। माननीय सदस्यों द्वारा सभा में इस तरह का व्यवहार करना जनता को भी पसंद नहीं होता है।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

श्रीमती गीता मुखर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस सभा का कार्य कैसे चला सकते हैं ? ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे खेद है, यदि सभा में इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो कोई भी सभा की कार्यवाही नहीं चला सकता, मेरी आपके साथ पूरी सहानुभूति है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी के लिए भी इस सभा पर काबू रख पाना असम्भव है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह हम लोगों को शोभा नहीं देता है क्योंकि जब हम लोग सभा से बाहर जाते हैं तो लोग हमसे नफरत करते हैं।

जो बात मैं उठाना चाहती हूँ वह देश की संप्रभुता से संबंधित है। तथाकथित 'तथ्यान्वेषण मिशन' जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन सीमाशुल्क अधिकारी शामिल हैं, वह भारत में इस बात का पता लगाने के लिए पहुँच गया है कि क्या भारत का कालीन उद्योग–उत्पाद निर्यात के योग्य है। स्वामी अग्निवेष जो बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं उन्होंने विदेश राज्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को इसके खिलाफ विरोध पत्र भेजा था लेकिन उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं मिला।

यह पहला मौका है जब भारत सरकार ने इस तरह के दौरे की अनुमति दी है। यह स्पष्ट है कि यह दौरा विश्व व्यापार संगठन के सामाजिक खंड से संबंधित है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह यह कह कर हमारे कालीन–निर्यात को अवरुद्ध करना चाहते हैं कि हमने बाल मजदूरों को इसमें लगा रखा है। यह हमारा मामला है और हम बाल मजदूरों को बचाने के लिए हर प्रयास करेंगें यदि बाल मजदूरों के मानव अधिकारों का हनन हुआ है तो यह अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के चिन्ता का मामला है न कि विश्व व्यापार संगठन का। इस तरह का दौरा हमारे देश की संप्रभुता के उल्लंघन के बराबर है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार को इस पर उस दृष्टि से विचार करना चाहिए और अमेरिका के अधिकारियों के इस तरह के तथाकथित 'तथ्यान्वेषण मिशन' को भारत आने से रोकना चाहिए।

* कार्यवाही वृतांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री बासवराज पाटील सेडाम : उपाध्यक्ष महोदय, लगभग एक साल से मैं एक मामला उठा रहा हूँ कि सिकन्दराबाद से बाम्बे जाने वाली हुसैन सागर एक्सप्रैस चिन्तापुर रेलवे स्टेशन। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रुपचन्द पाल (हुगली) : मैं इसी मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आपका नाम सूची में नहीं है।

श्री रुपचन्द पाल : मेरा नाम क्रम स. 25 पर है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, आपका नाम सूची में है।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, कलोई गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया, मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम सूची में है, कृपया उन्हें बोलने दें।

श्री रुपचन्द पाल : अमेरिका का यह दल आज मिर्जापुर का दौरा कर रहा है। हमने विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार बहुपक्षीय व्यवस्था के उल्लंघन में सामाजिक खंड को लागू करने या इसे जबरदस्ती लागू करने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। इसके परिणामस्वरुप हमारे कालीन–निर्यात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाल मजदूर एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में यह सभा बहुत चिंतित है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इस बारे में विस्तार से बता दिया है, आपको केवल इतना कहना है कि 'मैं सहमत हूँ'।

श्री रुपचन्द पाल : मैं उनसे सहमत हूँ। सरकार को इस गम्भीर मुद्दे पर वक्तव्य देना चाहिए। अमेरिका के इस दल ने सभी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किया है और जबरदस्ती इस सामाजिक खंड को लागू करवाना चाहता है। ......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर हमको भी बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर बोलने के लिए उन्होंने नोटिस दिया था लेकिन आपने नोटिस नहीं दिया है।

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : आप तो हमारे यहाँ के ही हैं। .....*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ......*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप नोटिस देते तो मैं आपको इसी तरह एलाऊ करता।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री बासवराज पाटिल सेडाम : उपाध्यक्ष महोदय, गये तीन साल से गुलबर्गा जिले के चित्तापुर रेलवे स्टेशन पर हुसैन सागर गाड़ी (मुम्बई से हैदराबाद) की डिमांड की जा रही है। इस कारण पुलिस केस हुआ जिससे कई लोगों को जेल जाना पड़ा और अब वे हर महीने कोर्ट घूम रहे हैं। वह गाड़ी पांच हजार पापुलेशन के टाऊन पर न रुककर तीस हजार पापुलेशन के टाऊन पर रुकती है। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि वहां पर ट्रेन रोकना न्यायसंगत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हुसैनसागर गाड़ी चित्तापुर रेलवे स्टेशन पर रोकने के लिए तुरन्त कदम उठायें। इसके साथ–साथ केस को भी विदड्रा करें।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण पब्लिक ईशू पर ले जाना चाहता हूँ। हाल ही में जरुरी चीजों की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उससे आम लोगों में बहुत चिन्ता है और गरीब वर्ग बहुत पीड़ित हुआ है। कुछ चीजों कीमतें तो घटाई गई हैं लेकिन उससे काम नहीं चलता। मैं समझता हूँ कि यूरिया की कीमतें जो बढ़ी हैं, उससे किसान वर्ग बहुत पीड़ित हुआ है। कृषि के क्षेत्र में पहले ही खड़ोत आ गई है, स्टैगनेशन हैं, पर एकड़ यील्ड कम हुई है। पिछली बार बारिश से बहुत ज्यादा फसलें खराब हुई लेकिन सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला। किसान पहले ही खुदकुशी कर रहे हैं अब यूरिया के दाम बढ़ाने से कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान होगा जिसे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य विशेष रुप से पीड़ित होगें। पिछली बार माननीय वित्त मंत्री जी ने यूरिया के दामों में जो वृद्धि की थी, वह वापिस ले ली थी। इस हाऊस ने कहा, हम भी मिले थे, उन्होंने हमारी बात मान ली थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यूरिया और दूसरी जरुरी चीजों के दामों में जो वृद्धि की गई है, उसे वापिस लिया जाए।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस में पिछले पन्द्रह दिनों से डाक्टरों की हड़ताल चल रही है। वहां लगभग पाँच सौ आप्रेशन प्रतिदिन होते थे लेकिन केन्द्र शासन का ध्यान उस ओर नहीं गया

* कार्यवाही वृतांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि 24 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म की जाए लेकिन केन्द्र सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। सरकार ने इसके लिए बख्शी कमेटी गठित की थी। बख्शी कमेटी की रिपोर्ट को आए हुए लगभग आठ महीनें हो चुके हैं और इन आठ महीनों के बाद भी डाक्टरों की हड़ताल, जो पन्द्रह दिन से चल रही है, पर केन्द्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। देश के कोने-कोने से जो मरीज वहां आते हैं, उन्हें आज भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्री अभी यहा पर नहीं हैं, उनसे निवेदन करुगा कि वे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करें, पता लगता है कि यह सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर पूरी तरह से उतारु है।

[अनुवाद]

डॉ. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले को उठाने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। श्री वोरा द्वारा प्रकट किए विचारों का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ मैं यहां विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अ.भा.आ.वि.सं. में मौजूदा स्थिति की जिम्मेवार मुख्यतः सरकार है। हालात इतने खराब हैं कि अ. भा. आ. वि. सं. के संकाय के सदस्यों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, यह शर्मनाक बात है। यह लोक हित के विरुद्ध है और मैं इसका समर्थन नहीं करता लेकिन मौजूदा स्थिति की मुख्यतः जिम्मेवार सरकार ही है। अतः सरकार को तत्काल सक्रिय होकर हड़ताल समाप्त करवानी चाहिए जोकि पीड़ित लोगों के बड़े हित में होगा। सरकार को हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए और इस मामने में उन्हें शीघ्र ही कोई वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर (कटिहार) उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री मोती लाल वोरा ने जिस बात की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मैं भी उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। भारत सरकार की उदासीनता दिखाई पड़ रही है कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की हड़ताल को सोलह दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। यह बात बिल्कुल सच है, सब लोग जानते हैं कि उत्तर भारत के गरीब और निर्धन मरीज उस संस्थान में बडी तादात में आते हैं। आज हजारों मरीज सड़क पर हैं और कोई उनका इलाज करने वाला नहीं है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी भारत सरकार की ओर से कोई ऐसा कारगर कदम अभी तक नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में बहुत निराशा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से चाहूंगा कि इस बारे में डाक्टरों से बातचीत करे और कोई रास्ता, कोई समाधान निकालें।

[अनुवाद]

डॉ. रवि मल्लू (नगर कुरनूल) सत्ता पक्ष से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मान्यवर सदस्यों ने 'एम्स' की हड़ताल के कारण मरीजों को जो तकलीफ हो रही है, उसके बारे में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उन्हें मैं हैल्थ मिनिस्टिर के पास पहुँचा दूंगा।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : जब हड़ताल समाप्त हो जाए जो सदन को भी बताइये।

श्री कांति लाल भूरिया (झाबुआ) : खबर पहुँचने तक आपका काम खत्म हो गया।

[अनुवाद]

श्री विकास.चौधरी (आसनसोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान साईकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पिछले तीन अथवा चार वर्षों से भुगतान किए जाने सम्बंधी कानूनी देयताओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। इसकी वजह से हजारों भूतपूर्व श्रमिक परेशान हैं। चूंकि उन्हें अपनी देय राशियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए उनके परिवार भूखों मर रहे हैं। यदि पंद्रह दिनों के अंदर उन्हें उनकी देय राशि का भुगतान न हुआ तो वे उद्योग मंत्रालय के सामने धरने पर बैठेगें। यह बहुत ही गंभीर मामला है। सेवा-निवृत्त कर्मचारियों का तत्काल ही देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण चंद्र सेठ आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया ?.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल वही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल होगा जो श्री लक्ष्मण चंद्र सेठ कहेगें।

...*(व्यवधान)* *

श्री लक्ष्मण चंद्र सेठ (तामलुक) : महोदय, कुछ समय पहले भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेल सेवा होती थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. जोगेन्द्र कवाडे, आपका नाम सूची में नहीं है।

---

* कार्यवाही वृतांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : यह एक गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : गम्भीर मामले का 10 बजे के पहले नोटिस देना चाहिए।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : यह अभी आया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आया तो कल आएगा, आज नहीं अभी इसके पूरा होने के बाद आपके मामले को देखेगें।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण चंद्र सेठ : महोदय, पहले भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेल सेवा होती थी। लेकिन इस रेल सेवा को बीच में रोक दिया गया था। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री ने पहले ही इस रेल सेवा को पुनः प्रारम्भ करने की माँग की थी। इससे भारत और बांग्लादेश के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा। त्रिपुरा से गैस भी बांग्लादेश के माध्यम से लाई जा सकती है। हमें बांग्लादेश से राजनीतिक/कूटनीतिक संबंध बनाने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जो यहाँ उपस्थित हैं का ध्यान चाहूँगा। यह मामला केरल के कृषि उत्पाद, मुख्यतः रबड़ और नारियल के संबंध में है। रबड़ और नारियल की कीमतों में गिरावट आने के कारण कृषकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रबड़ का मूल्य 65 रुपये से गिर कर 22 रुपये हो गया है जबकि नारियल का मूल्य 6 रुपये गिर कर 3 रुपये और 3 रुपये से भी कम हो गया है।

मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहूँगा कि पॉलियूरीथीन जो रबड़ की जगह प्रयोग किया जाता है पर शुल्क 80 प्रतिशत था कम करके 30 प्रतिशत कर दिया गया है, उस पर तत्काल शुल्क बड़ा दिया जाना चाहिए ताकि रबड़ उत्पादकों को लाभ पहुँचे। रबड़ का आयात पूर्णतः बंद कर दिया जाना चाहिए।

अपराह्न 1.00 बजे

हाल ही में, कृषि मंत्री श्री सोमपाल ने आधार मूल्य घोषित किया है। यह उस उचित मूल्य से कहीं कम है जो एक किसान को मिलना चाहिए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करुँगा कि वे इस पर फिर से विचार करें और नारियल के लिए नया उचित मूल्य घोषित करें।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बिल्हा रेल्वे स्टेशन हैं, जहां से लगभग पांच करोड़ रुपये का राजस्व प्रत्येक वर्ष रेल्वे को प्राप्त होता है। मैं वहां सारनाथ एवम् अहमदाबाद एक्सप्रेस को रोकने की बाबत आपसे निवेदन करना चाहता हूँ बिल्हा रेल्वे स्टेशन पर नागरिकों को आने-जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। सारनाथ एक्सप्रेस तथा बिलासपुर-विशाखापटटनम की ओर जाने वाली गाड़ी के वहां नहीं रुकने के कारण अहमदाबाद एक्सप्रेस भी नहीं रुकती है। इस कारण उड़ीसा की ओर कोई आने-जाने की सुविधा नहीं है। सरनाथ एक्सप्रेस बनारस-इलाहाबाद दिशा की ओर जाने वाली एकमात्र ट्रेन है, जिसे बहुसंख्यक समाज के सभी सुख-दुख के कार्य इसी दिशा में प्रयागराज इलाहाबाद में सम्पन्न होते हैं। मेरा निवेदन है कि बिल्हा स्टेशन पर सारनाथ एक्सप्रेस और अहमदाबाद एक्सप्रेस का दो मिनट का स्टापेज रखने का काम किया जाए।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के रोहतक जिले के एक गाँव कलोई में एक वाल्मीकि विधवा की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को कुछ लोग अगुवा करके ले गए और दो दिन उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वे पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहे हैं कि उनका मकान उजाड़ देंगे। लेकिन इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस सवर्ण जाति के लड़कों द्वारा उस दलित लड़की को बहला-फुसलाकर वहां के जमींदार के घर ले जाया गया, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की है ?...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चॉयल) : यह बहुत गम्भीर मामला है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह समय नष्ट न करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अवसर दिया था। उन्हें भी अवसर लेने दें।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विकास योजना के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन जल संसाधन मंत्रालय ने 13.9.96 को किया था। राष्ट्रीय आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ पेय, सिंचाई, औद्योगिक, बाढ़ नियंत्रण और अन्य उपयोगों के लिए जल संसाधनों के विकास की एक एकीकृत जल योजना तैयार करने के उद्देश्य से नदियों को परस्पर जोड़ कर जल की कमी वाले बेसिन को अधिशेष जल का हस्तांतरण करने सम्बन्धी तौर-तरीकों का सुझाव देना शामिल है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इससे राज्य और देश का अहित हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस आयोग के सुझाव प्राप्त कर इस पर कार्यवाही करे।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

मध्याह्न भोजन पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.07 बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा असर डालने वाले "शक्तिमान" तथा अन्य धारावाहिकों/विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले शीतल पेय के विज्ञापन की नकल करने के चक्कर में लखनऊ के छः वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत, एक टी. वी. फिल्म में एक अदाकारा को आत्महत्या करते देख दिल्ली के सीलमपुर की नौ वर्षीय छात्रा की खुदकुशी तथा "शक्तिमान" धारावाहिक के शिकार होते बच्चों की बढ़ती संख्या ने दूरदर्शन के बढते दुष्प्रभाव को उजागर कर दिया है।

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले दृश्य बच्चों मे अवचेतन में गहराई से बैठ जाते हैं और उसका असर किसी भी समय हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दूरदर्शन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव बच्चों पर ही पड़ता है क्योंकि वे तर्क–वितर्क किये बिना दूरदर्शन के संदेशों और दृश्यों को सही मान बैठते हैं और उनकी नकल करने लगते हैं।

आस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के अनुसार दूरदर्शन से निकलने वाली विशेष किरणें मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बंद कर देती हैं और बच्चों का मस्तिष्क टी. वी. विकिरण सहन नहीं कर पाता है और जब एक बार दिमाग सुन्न हो जाता है तो आँखें टी. वी. के पर्दे पर टिक जाती हैं तथा एक तरह से बच्चा टी. वी. देखते समय सम्मोहित हो जाता है जिसका कुप्रभाव बच्चों के मस्तिष्क पर होता है।

"शक्तिमान" धारावाहिक के दुष्प्रभाव में अब तक लगभग आधा दर्जन बच्चों के हताहत होने के समाचार आ चुके हैं। ये घटनायें यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि बच्चे टी. वी. से किस हद तक प्रभावित हो रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि "शक्तिमान" सहित अनेक ऐसे धारावाहिक और विज्ञापनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाये जिनको देखने से देश के बच्चों पर दुष्प्रभाव हो रहा है।

[अनुवाद]

(दो) महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में हुई बेमौसम ओलावृष्टि के कारण विभिन्न फसलों को पहुँची क्षति का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने तथा किसानों को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त निधियां जारी कराने की आवश्यकता

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील (इरन्दोल) : महोदय, पिछले दो दिनों के दौरान हुए ओलावृष्टि और असामयिक भारी वर्षा से महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में रबी फसल को नुकसान हुआ है। विदर्भ, उत्तरी और दक्षिणी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अंगूर, संतरा, टमाटर, गेहूँ और ज्वार की फसल इन क्षेत्रों में लगभग नष्ट हो गयी है।

हाल ही में, नासिक, जलगाँव, अहमदनगर, सतारा, सांगली और कोल्हापुर जिले में वर्षा और ओलावृष्टि हुई जिससे इस क्षेत्र का सामान्य जीवन बाधित हो गया था।

विदर्भ और खानदेश क्षेत्र के कई गाँवों में टेलीफोन के खम्भे उखड़ जाने से संचार व्यवस्था ठप्प हो जाने और तूफान के कारण बिजली गुल हो जाने की सूचना है। क्षेत्रों में राजमार्ग और अन्य मार्गों पर यातायात उखड़े वृक्षों के कारण अवरुद्ध हो गया। विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश क्षेत्र में एकाधिकार खरीद केन्द्रों पर जमा कपास को आकस्मिक अतिवृष्टि से नुकसान पहुँचा है।

इन परिस्थितियों में, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एक दल को भेजें जो बेमौसम की ओलावृष्टि के कारण विभिन्न फसलों को हुए नुकसान और हानि का आकलन करे और किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दे।

(तीन) इंडियन एयर-लाइन्स की उड़ानें अंतिम समय में रद्द नहीं हों, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री के. एस. राव (मछलीपत्तनम) : सभा का ध्यान अन्ति क्षण में इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ानें रद्द किए जाने के कारण यात्रियों को हो रही असुविधा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा।

विशाखापत्तनम अब देश का वृहत्तम बन्दरगाह हो गया है और यह भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां दोनों के निवेश का प्रमुख केन्द्र है। कोरिया की और अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने विशाखापत्तनम में अपने व्यवसाय को बढ़ाया है। विशाखापत्तनम और हैदराबाद से इन्डियन एयर लाइन्स की उड़ानों को रद्द किये जाने के कारण बड़ी संख्या में विदेशी गणमान्य लोगों को दुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है और इसके फलस्वरुप अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिए बिना लौटाना पड़ा। इसके अतिरिक्त, पूर्व अवसरों पर भी, जब कोरिया की निवेश कंपनियों का एक दल 'कोरिया का औद्योगिक पार्क' स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए विशाखापत्तनम जाने वाला था इन्डियन एयरलाइन्स ने अचानक विशाखापत्तनम जाने वाली उड़ान निरस्त कर दी और अन्ततः दल को विशाखापत्तनम गए बिना ही कोरिया लौटना पड़ा।

उपर्युक्त को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन्डियन एयरलाइन्स को निर्देश दे कि वे अन्तिम क्षण में उड़ान निरस्त न करें और यात्रियों को उत्तम श्रेणी की उडान सेवाएँ उपलब्ध कराए।

(चार) पश्चिमी राजस्थान के पिछड़े इलाकों के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता

कर्नल सोना राम चौधरी (बाडमेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि प्रत्येक दस वर्षो में औसतन आठ वर्ष पश्चिमी राजस्थान भयंकर सूखे की स्थिति में रहता है क्योंकि इस क्षेत्र में अत्यअल्प वृष्टि होती है।

ज्यादातर क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुछ जगहों पर जहाँ भूमिगत जल या उथले कुएँ हैं वहाँ जलस्तर तेजी से घट रहा है। परिणामस्वरुप, जलापूर्ति योजनाओं पर व्यय किये जा रहे करोड़ों रुपये व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि ऐसी अधिकांश योजनाएं निष्क्रिय हो गयी हैं।

राष्ट्रीय रिकार्ड के अनुसार लगभग 34 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या गरीबी के नीचे हैं। इसकी तुलना में पश्चिमी राजस्थान के सूखा सम्भावित जिलों में 55 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार विशेष रियायतें देकर पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सब कुछ कर रही है किन्तु पश्चिमी राजस्थान के पिछड़े/रेगिस्तानी क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त मेरे एक पूरक प्रश्न के उत्तर में संसद के इस सदन में, 3 जून, 1998 को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि,

"सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न उस क्षेत्र से सम्बद्ध है जो अत्यन्त उपेक्षित है और थार मरूभूमि का हिस्सा है। मैं सहमत हूँ कि रियायत पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र को दी गयी है और वैसी ही रियायतें पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों को नहीं दी गयी हैं। सदस्य का सुझाव उत्तम है। हम इस पर अवश्य विचार करेंगे और यथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे।"

यद्यपि आठ महीनें का समय बीत गया है, पश्चिमी राजस्थान के पिछड़े/रेगिस्तानी इलाकों को पैकेज देने पर कोई विचार नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह समय बताएं पैकेज कब तक घोषित होगा।

(पाँच) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजस्थान को खाद्यान्नों का कोटा बढ़ानें की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : महोदय, राजस्थान में खासकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आदिवासी लोग उचित दर की दुकान से मिलने वाले राशन पर ही निर्भर हैं। इन लोगों के पास गुजारा करने लायक न तो पर्याप्त जमीन है और न ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यहां हमेशा पीने के पानी की कमी रहने के कारण पशुओं को चारा और पानी नहीं मिल पाता है।

सन् 1980 में उचित मूल्य की दुकान से 10 से 15 किलो प्रतिव्यक्ति गेहूं 1.50 की दर से दिया जाता था तथा पशुओं के लिए चारा मुफ्त उपलब्ध कराया जाता था परन्तु काफी समय से खाद्यान्न की आपूर्ति राज्य में न के बराबर है । 1991 से 1996 में 10 कि ग्रा. प्रतिव्यक्ति गेहूँ की आपूर्ति राज्य को दी गयी थी लेकिन पिछले 3–4 साल से गेहूँ की आपूर्ति नहीं की गई है, जिसका नतीजा यह निकला है कि राज्य में लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र खाद्यान्न का कोटा, जैसे तेल, चीनी, गेहूँ, चावल आदि और प्रत्येक व्यक्ति को 15 कि ग्रा. गेहूं उचित दर की दुकान से बढ़ा कर दिया जाये। यदि समय रहते आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार नहीं किया गया तो ऐसी आशंका है कि राज्य स्तर पर महामारी एवं भुखमरी फैल जायेगी। भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह राज्य में ऐसी स्थिति पैदा न होने दे और समय पर उचित कदम उठा कर आवश्यक उपभोक्ता की आपूर्ति में सुधार करें।

[अनुवाद]

(छः) दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों के कैप्टिव पावर प्लांट्स पर संयुक्त उद्यम संबंधी प्रस्ताव को वापस लेने की आवश्यकता

श्री सुनील खाँ (दुर्गापुर) : महोदय, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों के केप्टिव पावर प्लांटस का सयुंक्त उद्यम का प्रस्ताव है। मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से विरोध करता हूँ।

इस्पात मजदूरों का अतीत का कडवा अनुभव यह रहा है कि आई॰ आई॰ एस॰ सी॰ ओ॰ समेत लगभग सभी इस्पात सयंत्रों को केप्टिव पावर सयंत्र स्थापित करने के लिए इसलिए बाध्य होना पडा क्योंकि बाहरी एजेन्सियों द्वारा उत्पादित विद्युत को प्राथमिकता के आधार पर कभी भी इस्पात सयंत्रों को वितरित नहीं किया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की संचित हानि के मुख्य भाग का कारण दामोदर घाटी निगम द्वारा इस्पात संयंत्र को कोई प्राथमिकता न देना है।

दुर्गापुर इस्पात सयंत्र तथा मिश्र धातु इस्पात सयंत्र को पूर्ण रुप से चलाने के लिए विद्युत की अधिकतम मांग 160 मेगावाट है। दुर्गापुर इस्पात सयंत्र की विद्युत की मांग 120 मेगावाट है जिसमें से औसतन केप्टिव उत्पादन 60–120 मेगावाट है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दामोदर घाटी निगम से अधिकतम 80 मेगावाट विद्युत ले सकता है। औसतन मेगावाट विद्युत भार के कम ज्यादा होने के कारण विद्युत बीच–बीच में बाहर जाती रहती है। ऐसी रुक–रुक कर बाहर जाने वाली विद्युत के लिए बाहरी ग्राहक पाना संभव नहीं है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. में अध्यक्ष के कथन के अनुसार, वे ऐनरॉन के प्रति मेगावाट विद्युत केवल 60 लाख की दर से बेचने वाले है जबकि प्रति मेगावाट विद्युत लगाने का मूल्य चार करोड़ रुपये है। केप्टिव पावर प्लांट उत्पादन की कीमत न केवल सिर्फ 0.90 पैसे प्रति यूनिट है बल्कि यदि उत्पादन पूरा हैं और ऐनरॉन इसे अपने हाथ में ले तो प्रभार 3.90 रुपये प्रति यूनिट होगा। तब उत्पादन मूल्य अधिक होगा जिसके परिणामस्वरुप भारतीय इस्पात प्रधिकरण लि. का संपूर्ण इस्पात उद्योग संकट का सामना करेगा। जहां तक दुर्गापुर का संबध है, डी. वी. सी. दर के अनुसार प्रत्येक वर्ष 110 करोड़ रुपये का अतिरक्ति भार पड़ेगा।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि ऐसा आत्मघाती कदम न उठाये।

(सात) बलरामपुर संसदीय क्षेत्र में उतरौला-तुलसीपुर राजमार्ग पर राप्ती नदी के ऊपर पिपराघाट में पक्के पुल निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री रिज़वान जहीर खाँ (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत उतरौला – तुलसीपुर मार्ग में राप्ती नदी पर बने एक अस्थायी पुल "पिपरा घाट" की ओर दिलाना चाहता हूँ। अस्थायी पुल होने के कारण इस क्षेत्र की जनता को मात्र 16 कि. मी. का रास्ता 55 कि. मी. का लम्बा सफर तय करके काटना पड़ता है। यह पुल साल में लगभग 8 महीने बंद रहता है जिसके कारण यहाँ की लगभग 10 लाख जनता को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस कारण यहां का मजदूर व कर्मचारी वर्ग जोकि दैनिक यात्री होते हैं, बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरे इस कच्चे व अस्थायी पुल के कारण यहां हरित क्रांति व विकास भी सम्भव नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि संसदीय क्षेत्र बलरामपुर में उतरौला–तुलसीपुर मार्ग पर राप्ती नदी पर बने इस अस्थायी "पिपरा घाट पुल" को स्थायी एवं पक्का बनवाने का कष्ट करें ताकि क्षेत्र की लगभग 10 लाख जनता प्रभावित होने से बच सके। इस क्षेत्र में हरित क्रांति आ सके और तेजी से विकास हो सके। इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध करायें।

[अनुवाद]

(आठ) तमिलनाडु में कुड्डालोर पत्तन को महापत्तन के रुप में घोषित करने की आवश्यकता

डॉ. श्री एस. सी. दामोदरन (कुड्डालोर): महोदय, तमिलनाडु में कुड्डालोर पत्तन बहुत ही पुराना पत्तन है। यह कई शताब्दियों तक एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र था। लेकिन हाल के वर्षों में इसने अपनी पुरानी गरिमा खो दी है।

फिर भी, स्टीमर इस पत्तन का मछली पकडने समेत कई उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। कुड्डलोर की तटीय सीमाओं के नजदीक कई हजार परिवार जीवनयापन कर रहे हैं जो अपनी जीविका के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर रहते हैं। वे कुड्डालोर के इस पत्तन का प्रयोग कर मछली पकड़ने जाते हैं।

लेकिन विगत कुछ महीनों के दौरान ये मछुआरे बन्दरगाह पर गाद होने की वजह से इस पत्तन का प्रयोग करने में असमर्थ रहे। चूंकि बन्दरगाह गाद होने के कारण उथला हो गया है, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए स्टीमरों को समुद्र में ले जाने में असमर्थ हैं। इसके परिणामस्वरुप मछुआरों के सामने बहुत बड़ी कठिनाई आ गयी है। वे भुखमरी के खतरे में है। यदि बन्दरगाह से तुरंत गाद नहीं हटायी जाती तो हजारों मछुआरों को भूखे करना पड़ेगा।

चूंकि ऐसे कार्यों के लिए राज्य सरकार धन प्रदान करनें में असमर्थ हैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूँ कि वह कुड्डालोर पत्तन को प्रमुख पत्तन घोषित करे तथा हमारे मछुआरों को बचायें। यदि गाद हटा दी जाती है तो, मछुआरे पहले की तरह मछली पकड़ने के लिए जा सकेगें। इससे मछली और झींगा जैसे समुद्री खाद्यों को निर्यात करने में सहायता होगी जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

यदि इसे एक प्रमुख पत्तन के रुप में विकसित कर दिया जाता है तो इससे कुड्डालोर, बिल्लापुरम, तांजावूर, त्रिची, सलेम तथा चेनागालपट्टू जिलो का उद्योगीकरण करने में सहायता मिलेगी क्योंकि नयावेली में ताप विद्युत संयंत्र तथा कुड्डालोर में 2000 मेगावाट ताप विद्युत सयंत्र के लिए कोयला तथा अन्य कच्चा माल आसानी से पहुँचाया जा सकेगा। और जिसका मूल्य किफायती होगा। कुड्डालोर में अन्य उद्योग काम्प्लेक्स एस. आई. पी. सी. औ. टी. को भी फायदा होगा। बन्दरगाह से सीफूड को सीधे ही निर्यात किया जा सकेगा। इसलिए, केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि वह कुड्डलोर पत्तन को प्रमुख पत्तन घेषित करे तथा मछुआरों को बचाये।

(नौ) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले किसानों को सहायता देने के लिए किसान कल्याण कोष की स्थापना करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष जी, किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कृषि कार्य अधिकांश जनसंख्या का केवल व्यवसाय ही नहीं यहां की जीवनशैली है। राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः इस पर विशष ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले दिनों देश के विभिन्न भागों में अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसानों को आपार क्षति हुई है। अकेले बिहार में ही सैकड़ों करोड़ रुपये की हानि हुई है। सारे देश की हानि का योग तो सैकड़ों अरब में ही आंका जा सकेगा। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा राहत इस अनुपात में अपर्याप्त नहीं,

नगण्य ही कहा जायेगा। किसानों के राहत के लिए सम्प्रति निम्नलिखित योजनाएं हैं :–

1. अल्पकालिक ऋण को मध्यकालिक ऋण में परिवर्तित करना।
2. फसल बीमा।
3. एग्रिकल्चर क्रेडिट गारंटी के तहत राहत एवं
4. राहत कोष।

अल्पकालिक ऋण का मध्यकालिक ऋण में परिवर्तन किसानों का स्थायी राहत प्रदान नहीं करता है। फसल बीमा का लाभ सिर्फ एक फसल तक ही सीमित रहता है तथा एग्रिकल्चर क्रेडिट योजना से फसल की बर्बादी से प्रभावित समय कृषक समुदाय लाभान्वित नहीं होता है।

उपरोक्त परिस्थिति में मेरी मांग है कि केन्द्रीय सरकार प्रारम्भ से 10,000 करोड़ लगाकर कृषक कल्याण कोष की स्थापना करें जिससे प्राकृतिक आपदा ग्रस्त राज्यों के किसानों के हित में समुचित राहत कार्य किया जा सके।

(दस) मुम्बई, महाराष्ट्र में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यालय में कतिपय मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई करने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई नगर में रेल और वन डिपार्टमैंट की जगह बसे झोंपड़–पट्टी में रहने वाले लाखों लोंगों का केन्द्र और राज्य सरकार ने जीना दूभर कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले जी, आपको केवल स्वीकृत पाठ ही पढ़ना है। आपको अन्य मामले नहीं पढ़ने चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य सामग्री से पढ़ना अच्छी आदत नहीं है। आपको केवल स्वीकृत पाठ से पढ़ना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले जी, आपने मुम्बई महाराष्ट्र में क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड के कार्यालय में कतिपय मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाई करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाने का नोटिस दिया है।

......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं हमेशा आपको नियम का पालन करने के लिए बताता हूँ।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, खेलों से विभिन्न देशों के बीच में आपसी प्रेम एवं भाईचारा की भावना बढ़ती है, किन्तु हाल ही में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने भारत आयी। तब एक विशेष पार्टी ने इस टीम को देश में न खेलने देने की धमकी दी। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इस पार्टी के लोगों ने पिच खोद डाली तथा मुम्बई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यालय में रखे उपहारों तथा अन्य चीजों को तहस–नहस कर काफी नुकसान पहुंचाया। इससे देश की इज्जत को धक्का लगा है तथा विदेशों में देश की छवि धूमिल हुई है। अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अतः मेरा केन्द्रीय गृह मंत्री से अनुरोध है कि अपराधियों को शीघ्र कठोर दंड दिया जाए तथा ऐसी व्यवस्था की जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

[अनुवाद]

(ग्यारह) दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली): दिल्ली लगातार विकास और उन्नति की ओर अग्रसर है। फिर भी यह विकास के अनुरुप स्तर तक नहीं पहुंच सका है क्योंकि इसके विकास से सम्बन्धित अनेकों समस्याएं बिना सुलझी रह गई हैं।

विकास की प्राथमिकता में अनाधिकृत कालोनियां जो कि हजारों की संख्या में हैं तथा सारे शहर में फैली हैं, को नियमित किए जाने का प्रश्न है। दिल्ली विधान सभा ने पाँच वर्ष पूर्व पूरे शहर में फैली अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केन्द्र सरकार से उक्त कालोनियों को नियमित करने की सिफारिश की गई थी। किन्तु अब तक इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है। इन कालोनियों में रहने वाले लोग अत्यंत अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली सरकार के बीच सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है ताकि इन कालोनियों में विकास कार्य की गति को तेज किया जा सके। सरकार को भी न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को रद्द कराने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

(बारह) गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलने की आवश्यकता

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में रह रहे केन्द्र सरकार के हजारों वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारियों की एक गंभीर समस्या की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट

होने के कारण यहां पर बहुत बड़ी संख्या में केन्द्र सरकार के कर्मचारी रहते हैं और प्रतिदिन दिल्ली आते-जाते हैं। इसमें पूर्व कर्मचारी भी बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए सी. जी. एच. एस. डिस्पेंसरी की पूरी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इन्हें निजी डाक्टरों के पास जाना पड़ता है।

अंतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि यहां पर कर्मचारियों की गंभीर समस्या को देखते हुये सी. जी. एच. एस. डिस्पेंसरी खोलने की व्यवस्था करें।

गोवा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

अपराह्न 2.32 बजे

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ :-

"कि यह सभा गोवा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 10 फरवरी, 1999 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष जी, मैं धारा 356 के अधीन पहली बार सदन में इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आरम्भ में हमारी सरकार का यह मत रहा कि संविधान के उस अध्याय का यह प्रावधान जिसे इमरजेंसी प्रोवीजन कहते हैं, इसका कभी भी राजनैतिक कारणों से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये। स्वयं डा. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस बात को स्वीकार किया था कि इसकी संभावना रहेगी। उन्होनें कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं होगा लेकिन जिस प्रकार से इसका उपयोग विगत वर्षों से हो रहा है, उसके कारण सरकारिया कमीशन बना तो उसने बड़ी गहराई में जाकर इसका विश्लेषण किया कि कितनी बार इसका उपयोग हुआ और कितनी बार इसका उपयोग विशुद्ध कारणों से हुआ। फिर उन्होंने अपनी सिफारिशें दी। यह बताया कि इस बात की सावधानी बरतनी चाहिये। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि सरकारिया कमीशन ने ब्रेक डाउन ऑफ कांस्टीट्यूशनल मशीनरी की व्याख्या करते हुये पेज 171 पर कहा है :

[अनुवाद]

"संवैधानिक मशीनरी अनेक प्रकार से विफल हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति को पैदा करने वाले तत्व भिन्न हैं और अति सूक्ष्म हैं। तथापि, कुछ स्थितियों में इस अनुच्छेद के अर्न्तगत संवैधानिक तन्त्र की सफलता और असफलता निम्न शीर्षों में रखी जा सकती है और इन पर चर्चा की जा सकती है : ..."

मैं इनके हैडिंग पढ़कर सुनाता हूं :

1. राजनैतिक संकट
2. अन्तरिक तोड़फोड़
3. कानून और व्यवस्था भंग होना
4. केन्द्र सरकार की कार्यपालिका के संवैधानिक अनुदेशों का अनुपालन न होना।

[हिन्दी]

मैं जब आगे चलकर बिहार के संदर्भ में इसी प्रकार का प्रस्ताव रखूंगा तब शायद मुझे इंटरनल सबवर्शन और फिज़िकल ब्रेक डाउन की चर्चा करनी पड़ेगी।

आज गोवा का जहां तक सवाल है, मै समझता हूं कि शायद पिछले पचास सालों के इतिहास में ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं हुआ होगा जिसमें सरकारी पार्टी भी और विरोधी पार्टियां भी सब मिलकर इस प्रकार की सिफारिश करें जैसी उन्होंने गोवा के संदर्भ में की। सामान्यतः मै मानता हूं कि हर एक लोक सभा का सदस्य या हर एक विधान सभा का सदस्य हमेशा चाहता है कि उसका पांच साल का कार्यकाल पूरा हो। वह कभी नहीं चाहता कि उसका कार्यकाल बीच अवधि में काट दिया जाए और यहां ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जहां सदन के 40 सदस्यों में से 36 ने जाकर यह सिफारिश की कि आप हमारा कार्यकाल समाप्त करिये चाहे उसमें अभी समय पड़ा था, आठ-दस महीने पड़े थे, मगर उन्होंने कहा कि आप इसे समाप्त करिये और यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके चुनाव करवा दीजिये। इसलिए मैं मानता हूं कि यह एक अद्भुत मामला है। यह राष्ट्रपति शासन का अनोखा मामला है जो कि विवाद का एक मुद्दा भी नहीं है। कहीं विवाद का भी विषय नहीं है।

सदन को जानकारी होगी कि गोवा विधान सभा के चुनाव 1994 में हुए थे। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। किन्तु कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और इसीलिए राज्यपाल ने कांग्रेस पार्टी के नेता श्री प्रताप सिंह राणे को आमंत्रित किया, उनका मंत्रिमंडल गठित किया और उनसे कहा कि एक महीने के भीतर आप अपना बहुमत प्रमाणित करें। दिसम्बर के महीने में यह बात हुई और जनवरी के महीने में एक और डेवलपमेंट हुआ कि वहां की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के चार एम. एल. एज. ने अपनी पार्टी से अलग होकर एक नयी पार्टी बनाई और कहा कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगें। इसीलिए जब 16 जनवरी 1995 को सदन में मतदान हुआ तो श्री प्रताप सिंह राणे को बहुमत प्राप्त हुआ और राणे जी औपचारिक रुप से मुख्य मंत्री के रुप में अपना बहुमत प्रमाणित कर सके। तीन-साढ़े तीन साल तक यह शासन चला। उस शासन की मीमांसा करने का कोई प्रसंग नही, कारण भी नही, लेकिन 1998 में जुलाई के महीने में कांग्रेस पार्टी के दस एम. एल. एज. ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी से अलग

होते हैं और गोवा राज्य कांग्रेस पार्टी के नाम से एक नयी पार्टी का गठन करते हैं। उनके नेता डॉ. विलफ्रेड डिसूज़ा चुने गये और उन्होंने जाकर राज्यपाल को कहा कि जो राणे जी की सरकार थी, वह बहुमत खो चुकी है और इसीलिए आप हमारी सरकार बनाइए। राज्यपाल ने स्वाभाविक रुप से जो उन्हें कहना चाहिए था, उन्होंने कहा कि आप सदन में प्रमाणित करिये और सदन में परीक्षण हुआ जिसमें राणे जी की सरकार हार गई और उसके बाद डॉ. विलफ्रेड डिसूजा की सरकार बनी। यह जुलाई 1998 की बात है। जुलाई के बाद अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर तीन महीनें वह सरकार चली होगी। नवम्बर के महीनें में 'गोवा राज्य कांग्रेस पार्टी में से चार एम. एल. एज. ने अलग होकर कहा कि हम विपक्ष कांग्रेस पार्टी में जा रहे है। इनका बहुमत खत्म हो गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने जाकर दावा किया कि हमारी पार्टी का बहुमत है, हमारी सरकार बना दीजिए। फिर प्रतापसिंह राणे तो नहीं आए, लेकिन लोज़ियानो फैलीरो के नेतृत्व में एक नयी सरकार फिर से बनी। यह सरकार 26 नवंबर को बनी। दिसंबर और जनवरी दो महीनें बीते तो फरवरी के आरंभ में फैलीरो मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों ने जाकर राज्यपाल को कहा कि हम इस पार्टी से अलग हो रहे हैं और वापस फिर से डा. विलफ्रेड डिसूजा को सपोर्ट कर रहे हैं।

यह तमाशा लगातार इन 4–6 महीनों में होता रहा, जिसके परिणामस्वरुप राज्यपाल सोच ही रहे थे कि क्या उनको कहे कि आप बहुमत प्रमाणित करिये या क्या करें। 8 फरवरी को श्री फैलेरियो, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, उनके पास चले गये और अपना त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देकर कहा कि न केवल मै त्यागपत्र दे रहा हूं, लेकिन कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी ने प्रस्ताव करके कहा है कि आप सदन को भंग करिये और शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करवाइये। यह प्रस्ताव उन्होंने लिखित में दे दिया। राज्यपाल को जो करना चाहिए उन्होंने वह किया और वह सब फिर से मैं आपको पढ़कर सुनाऊं कि पॉलिटीकल क्राइसिस किसको कहते हैं। उसमें उन्होंने दूसरे पैरा मे कहा है कि पोलिटीकल क्राइसिस इसे कहा जाए, जिसको कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन भी कहा जा सकता है –

[अनुवाद]

"यदि कोई मंत्रीमंडल त्याग पत्र दे देता है अथवा सदन में बहुमत का समर्थन खोने पर भंग कर दिया जाता है और सदन के विश्वास की किसी वैकल्पिक सरकार का गठन नहीं किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

यह सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है। राज्यपाल ने सभी पार्टियों को बारी–बारी बुलाया। उन्होंने महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी को बुलाया, भाजपा को बुलाया और उन्होंने गोवा राजीव कांग्रेस को भी बुलाया, जिसने पहले सरकार बनाई थी और बारी–बारी करके सब लोंग मिले और सबसे लगभग एक मत से, कुछ–कुछ मतभेद थे, लेकिन लगभग एक ही मत से, जिसमें कुल मिलाकर जो रिपोर्ट राज्यपाल ने हमारे भेजी, उसके अनुसार 40 सदस्यों में से 36 सदस्यों ने इस बात की पुष्टि की कि अब कोई सरकार नहीं बन सकती। अब किसी का बहुमत नहीं होगा। अच्छा होगा नई विधान सभा का गठन किया जाए और प्रदेश को राष्ट्रपति शासन के अधीन किया जाए। उसके बाद राज्यपाल ने हमें रिपोर्ट भेजकर सिफारिश की और कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। केन्द्र में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस बैठक में इन सब बातों पर विचार किया। उसमें विवाद का विषय जिस पर हमें विचार करना पड़ा, वह यह था कि इस बीच में बोम्मई का जजमैंट हुआ था जिसमें एक बात कही गई थी कि राष्ट्रपति को किसी सदन को भंग करने का अधिकार नही है, जब तक संसद पहले उसे स्वीकार न करे। इसके अपने कुछ लीगल इम्पलीकेशंस हैं और मैं चाहूंगा कि लीगल इम्पलीकेशंस सॉर्ट आउट हो जाए, कोर्ट द्वारा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम उसके अनुसार चल रहे है, हमने विचार किया और विचार करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह एक नये प्रकार का केस है जिसमें विधान सभा के सभी सदस्यों ने नियर यूनानिमिटी से कहा है कि भंग करो, डिजॉल्व करो। इसके लिए भी हमने चिंता की थी, अगर अभी लीगली स्टिकली इंटरप्रिट करते हुए बोम्मई के निर्णय को हम कहें कि पहले इसको भंग करे, इसको अंडर सस्पेंडिड एनीमेशन में रखे तो इस बात की पूरी संभावना है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो। वहां के बारे में पहले भी ऐसी शिकायतें हुई थीं। लेकिन इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल ने जो सिफारिश की, वह सिफारिश आपके सामने है और वह यह थी कि आज की स्थिति में उचित होगा कि विधान सभा को भंग किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और शीघ्रातिशीघ्र चुनाव की व्यवस्था करवाई जाए। इस दृष्टि से राज्यपाल जब पिछले दिनों वहां आये थे तब उन्होंने चुनाव आयोग से भी बात की थी और राष्ट्रपति जी ने जब इसकी सम्पुष्टि की तब प्रोक्लेमेशन जारी हुआ और आज वह प्रोक्लेमेशन सदन के अनुमोदन के लिए मैं लोक सभा में लेकर आया हूं और राज्य सभा में भी ले जाऊंगा। मैं चाहूंगा सदन इस पर अपने विचार व्यक्त करे। राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति कहां–कहां आ सकती है, उसमें यह एक क्लासिक केस है जिसको निश्चित रुप से राजनैतिक संकट जिसके कारण संवैधानिक मशीनरी में खराबी आ जायेगी कहा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, संविधान के निर्देश के अनुसार प्रोक्लेमेशन की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी गई है और परम्परा के अनुसार लोक सभा मे राज्यपाल की जो रिपोर्ट है, वह भी रखी जाती है, इसलिए वह भी प्रस्तुत की गई है। मैं सदन से सिफारिश करता हूं कि इस प्रस्ताव की सर्वसम्मति से स्वीकर करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है :

"कि यह सभा गोवा राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंर्तगत राष्ट्रपति द्वारा 10 फरवरी 1999 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

आबंटित समय दो घंटे।

श्री के. एस. राव (मछलीपत्तनम) : महोदय, मैंने माननीय गृह मंत्री जी को गोवा में, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 लगाने के बारे में इसकी यथार्थता की व्याख्या करते सुना।

केन्द्र में कांग्रेस सरकार के शासन काल में मैंने माननीय गृहमंत्री श्री आडवानी को विपक्ष के नेता के रुप में भी सुना है। आज उनके तेवर, उनके तर्क आज भिन्न हैं तथा उनके तौर–तरीके आज भिन्न हैं। उन दिनों, विपक्ष के नेता के रुप में अथवा भा. ज. पा. के नेता के रुप में, किसी भी राज्य मे अनुच्छेद 356 के कांग्रेस सरकार द्वारा उपयोग किए जाने पर उनके उत्साह, क्रोध और तर्क दोष निकालने के लिए पूर्णतः भिन्न होते थे। केवल वह ही नहीं। अनेक पहलुओं पर, नैतिक पहलू, कानूनी पहलू, संवैधानिक पहलू और विफलता के मामले पर, जब भी सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 के उपयोग की बात करती थी तो वह इससे राजनैतिक लाभ उठाया करते थे।

कांग्रेस सरकार सदैव अनुच्छेद 356 के प्रयोग को वास्तविक कारणों के आधार पर प्रयोग करना चाहती थी। आज, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हम श्री आडवानी जी की तरह नहीं बोलना चाहते जैसे कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेता के रुप में बोला करते थे किन्तु जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया है, यद्यपि प्रत्येक सांसद, विधान सभा का सदस्य अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल को पूरा करना चाहेगा। इस विशेष मामले में विधान सभा के सभी सदस्यों ने विधान सभा भंग करने की सिफारिश की है। हम इससे सहमत हैं।

बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है ? इसको ध्यान में रखते हुए, इन दिनों प्रधान मंत्री के रुप में श्री राजीव गाँधी ने दलबदल विरोधी विधेयक पर विचार किया। श्री राजीव गाँधी की पहल पर उसे प्रस्तुत किया गया। हमने दलबदल विरोधी विधेयक पर विस्तृत चर्चा की। उन दिनों भी हमने दल बदल, विरोधी विधेयक में कमियां तलाशी। किन्तु हमने सोचा था कि एक निश्चित अवधि में दल–बदल विरोधी अधिनियम लागू करके, हम कमियों की पहचान करेंगे और पार्टियां बदलने और राष्ट्रीय हित और लोगों के हित को एक तरफ रखकर व्यक्तिगत प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ तथा पार्टी लाभ के लिये सरकार बदलने की ऐसी घटनाओं को टालने के लिये दल–बदल विरोधी विधेयक की समीक्षा करेंगे।

जबकि मेरी पार्टी गोवा में इस अनुच्छेद 356 के प्रयोग के विरुद्ध नहीं है, किन्तु मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि इसे बिहार में क्यों लागू किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राणे सरकार और फलैरो सरकार को विशेष सत्र आयोजित किये जाने के लिये कहकर अपना बहुमत सिद्ध करने पर पर्याप्त अवसर दिया गया था, किन्तु बिहार में वहां के मुख्य मंत्री के बहुमत सिद्ध करने के लिये विधान सभा का विशेष सत्र आयोजित करने के लिये नहीं कहा गया।

मुख्यमंत्री में विपक्षी पार्टियों द्वारा उन्हें हराने के भरसक प्रयास करने के बावजूद इसे स्वीकार करने, विधान सभा आयोजित करने और विधान सभा में अपना बहुमत साबित करने का साहस है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में वे किसी भी तरीके से चुने जा सकते हैं किन्तु उन्हें सबके द्वारा बनाये गये समान नियमों और विनियमों द्वारा चुना जाता है। चुनाव आयोग चुनावों में विभिन्न पार्टियों के कार्य निष्पादन पर नजर रखता है। जबकि चुनाव आयोग को चुनावों में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं मिली तथा कानूनी रुप से चुने गए विधायक एक बार पुनः राज्यपाल के कहने और केन्द्र सरकार के आदेश पर बहुमत सिद्ध करते हैं तो माननीय गृह मंत्री विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीकों में विभिन्न मानक प्रयोग करे, इसका कोई औचित्य नहीं है जबकि उन्होंने स्वंय कहा था, कि एक राज्य में एक नियम और दूसरे राज्य में दूसरा नियम नहीं हो सकता है। यह केवल इसलिये लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि एक विशेष पार्टी ऐसा चाहती है अथवा एक विशेष राज्य में इसे लागू नहीं करना चाहती। दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिये। श्री आडवानी जी दिल्ली में केन्द्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पूर्व तक सम्पूर्ण राष्ट्र में लोगों की एक ही राय थी कि आप लोग अलग हो सकते हैं। किन्तु उत्तर प्रदेश में आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण और उसी अनुच्छेद को लागू करने, उसी विधान, उन्हीं दिशा–निर्देशों और सरकारिया आयोग के दिशा–निर्देशों को लागू करने समेत सब कुछ लागू करने का तरीका बिल्कुल अलग था और इसे हम राष्ट्र के लोग पहले ही समझ चुके हैं।

आन्ध्र प्रदेश से संसद के एक सदस्य के रुप में, मैं भली–भांति जानता हूं कि भा. ज. पा. क्या है उसके मूल–सिद्धांत क्या हैं। आन्ध्र प्रदेश में भा. ज. पा. ना के बराबर है। किन्तु कुछ ऐसे लोग, जो तेलुगु देशम का समर्थन कर रहे हैं और कुछ अंन्य लोग जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, वे कांग्रेस और तेलुगु देशम् पार्टी दोनों से ही प्रसन्न नहीं हैं। उन्होंने यह सोचा कि इस बार भा. ज. पा. को क्यों न परखा जाये, जबकि आन्ध्र प्रदेश में भाजपा का अधिकतम अथवा यहां तक कि पर्याप्त संख्या में सीटें जीतने के लिये अपना कोई आधार नहीं है। अभी तक इसने 42 में से केवल 4 सीटें जीती हैं। वह भी आपके प्रवचनों, आपके भाषणों, नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों, संविधान दिशा–निर्देशों, इत्यादि के कारण ऐसा हुआ कि इन सभी वर्षों में लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि आप कांग्रेस से कुछ हट के करें, जो कि कांग्रेस ने इन वर्षों में नहीं कर पाई। ...*(व्यवधान)* और क्या कहूं ? क्या मैं वह कहूं, जो आप चाहते हैं ?

आन्ध्र प्रदेश में उन्होंने आपसे कुछ शब्द कहे थे, किन्तु आन्ध्र प्रदेश में आज वही युवक, यह अनुभव कर रहे हैं कि आप कुछ अलग हैं, भाजपा के साथ नहीं हैं। यहां तक कि आप एक प्रतिशत भी भाजपा के साथ नहीं हैं। वह यह भी अनुभव कर रहे हैं कि भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है, जो सही सलामत राज कर सकती है। वे विपक्षी पार्टी के रुप में बैठने में अच्छे हो सकते हैं, किन्तु निसंदेह प्रशासन और सत्ता में अच्छे नहीं है। यही कारण है कि आप आन्ध्र प्रदेश में भाजपा वापिस......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : आप अपने विषय पर बोलिये। ..*(व्यवधान)* आप क्यों सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी आप इनसे कहिये कि यह विषय पर बोलें।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। मुझे बताने दीजिए वह पहले ही समझ गये हैं। ...*(व्यवधान)* इसका कोई फायदा नहीं है। गोवा के संबंध में, कांग्रेस सरकार का भी यही मत है कि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वहां अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वहां उसका इस्तेमाल किया भी गया। हम इसके विरोध में नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। किन्तु आपको अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए वही चीज लागू नहीं करनी चाहिये। वही चीज, जो आपने कही, वह श्री अम्बेडकर ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि इसका राजनैतिक स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये। आप वही चीज कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वह जो आपने कहा था उससे भिन्न है। यह तब भी बिल्कुल अलग था और अब भी सिवाय इसके कि लहजा और तर्क अलग-अलग हैं। आज आप जो बोल रहे हैं वह जो आप पहले बोलते चले आ रहे थे उससे बिल्कुल भिन्न हैं। इस मामले में नहीं लेकिन बिहार के संबंध में जो आपने कहा वह असंवैधानिक और अनैतिक है। उसी ढंग से सोचना आपके लिए उचित नहीं है। इस तरह की स्थिति में पहले जब कांग्रेस ने यही बात कही थी, आपने सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी। आपने ऐसा ही किया था। इसलिए आपको कांग्रेस पार्टी पर दोषारोपण इसलिए नहीं करना चाहिए कि क्योंकि वह अब विपक्षी पार्टी है और आप सत्तापक्ष की पार्टी हैं चाहे आप विपक्ष में हों सत्तापक्ष में इस पर ध्यान दिए बिना एक ही मानदंड, एक ही मूल्य, एक ही नैतिकता का सिद्धान्त लागू होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : आप बिहार को कब से जानते हैं ?...*(व्यवधान)* इसलिए बिहार में सफाया हो गया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में न बोलें।

श्री के. एस. राव : क्या आडवाणी जी कहते हैं कि अनुच्छेद 356 ऐसे हर राज्य में लागू किया जाना चाहिए, जहां कुछ गुंडों ने कोई वारदात की हो सरकार के कहने पर नहीं अपितु विभिन्न कारणों से?.....*(व्यवधान)* अन्य राज्यों में भी हत्या की अनेक वारदातें हो रही हैं। आन्ध्र प्रदेश में आज भी लोगों की नृशंस हत्याएं की जा रही हैं। ......*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आप गोवा के बारे में बोलिए।

श्री के. एस. राव : मैं गोवा पर ही तो बोल रहा हूं। मैं आपको केवल यह बता रहा हूं कि किस तरह सत्तापक्ष की पार्टी झूठ बोल रही है। आन्ध्र प्रदेश में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जहां दिन-दहाड़े लोगों की हत्याएं की गई हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, हम गोवा और बिहार पर अलग-अलग चर्चा कर रहे हैं, कृपया इस बात को ध्यान में रखें।

श्री के. एस. राव : महोदय, मैं उसी विषय पर बोल रहा हूं, मैं कोई अलग नहीं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : आप लाभ पहुंचा रहे हैं तो उस लाभ को हम ग्रहण कर रहे हैं। इसमें क्या एतराज है।

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : मैंने जब आन्ध्र प्रदेश का मामला उठाया तो अध्यक्ष महोदय परेशान से हो गए। आन्ध्र प्रदेश में भी लोग कुछ संगठनों और कुछ घटनाओं के नाम पर मारे जा रहे हैं लेकिन आप आन्ध्र प्रदेश में अनुच्छेद 356 लगाने और वहां सरकार को गिराने के बारे में उसी रुप में नहीं सोच रहे हैं। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं ? ...*(व्यवधान)* और यही बात महाराष्ट्र पर लागू होती है। इसलिए मेरा माननीय गृहमंत्री से विनम्र निवेदन है कि हम केवल इस गोवा के मामले में ही आपका विरोध कर रहे हैं लेकिन आपको एक जैसा मानदंड हर जगह अपनाना चाहिए। आपको एक जैसा मानदंड, एक जैसे मूल्य और एक जैसे आचार नियम। ...*(व्यवधान)* आप बिहार के संबंध में यही बात बताएंगें। मैं आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में भी यही बात कहूँगा। क्या आप हर राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना चाहते हैं ? हम क्या करेंगे? एक जैसी स्थिति के लिए केन्द्र सरकार ने इतना भी नहीं किया। केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी के बारे में हमें क्या करना है ? क्या केन्द्र सरकार के पास उसके बने रहने का कोई अधिकार है जबकि एक ही तरह की घटनाएं अन्य राज्यों में हर जगह हो रही हैं ? क्या यही एक विशेष राज्य है जिसे शिकार बनाया गया है ? और किसलिए ? क्या यह राजनैतिक फायदे के लिए नहीं किया गया? क्या यह आपके कुछ सहयोगियों के कहने पर नहीं किया गया है जो कि शुरु से ही इस सरकार को गिराने को कह रहे हैं ? मैं बिहार के बारे में बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आप गोवा के बारे में बोलें।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं।

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : जब आप गोवा के बारे में बोलते हैं तो आप क्या केवल 'गोवा' शब्द का ही उच्चारण करते हैं और दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करते। क्या आप केवल गोवा के बारे में ही बोलने के लिए तैयार हैं और किसी अन्य चीज़ के बारे में नहीं?

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल) : श्री राव आपकी पार्टी ने इस बात पर बल दिया था कि गोवा और बिहार पर अलग-अलग चर्चा की जाए, अब आप दोनों विषयों को जोड़ रहे हैं।

श्री के. एस. राव : जब मैं अनुच्छेद 356 गोवा में लागू करने की बात करता हूं तो मैं आपको यह भी बता दूं कि और जगह वह कैसे लागू हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहले क्या किया था, आपने पहले क्या कहा है और पहले आपने किस तरह के नारों का प्रयोग किया है कम से कम आपकी आंखे खोलने के लिए मुझे यह करना होगा। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने पहले क्या कहा है। केवल वही नहीं है जो मंत्री जी ने आज कहा है। हाँ, उन्होंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक, बहुत ही सुखद ढंग से, बहुत ही तर्कसंगत बात कही है।.....*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : श्री राव, क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने श्री रामाराव के साथ क्या किया था? वे भी एक मुख्यमंत्री थे, क्या मैं आपको याद दिलाऊँ आपने उन्हें कैसे बाहर निकाला था ?... *(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

श्री के.एस. राव : मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेला स्वाईं : मैं उन्हें यह भी याद दिला सकता हूँ कि उन्होंने आन्ध्र प्रदेश में श्री रामाराव के विरुद्ध क्या किया था। उन्होंने आंध्र प्रदेश में भी वही किया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : स्वाइन, कृपया उनके भाषण में व्यवधान न करें।

श्री के. एस. राव : मुझे याद है उन दिनों आडवाणी जी कितने प्रभावशाली ढंग से बोले थे। लेकिन वही तर्क, वही मूल्य, वही नैतिकताएं, वही संविधान और वही डा. अम्बेडकर के शब्द सही मायनों में उसी मापदंड से लागू किए जाने चाहिए, मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें हर राज्य में उसी प्रकार लागू नहीं किया जा रहा जबकि हम उसका समर्थन करते हैं और हमें अनुच्छेद 356 तथा गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं गोवा में धारा 356 के अर्न्तगत जो राष्ट्रपति जी ने आदेश जारी किया है और जिसके अनुमोदन के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने अपना प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय आडवाणी जी ने अपने इस प्रस्ताव को रखते हुए गोवा के राजनैतिक घटनाक्रम के सम्बन्ध में बहुत शॉर्ट में सारी घटनाओं को हमारे सामने रखा पिछले तीन-चार साल के दौर में गोवा के अन्दर कांग्रेस पार्टी, जिसे लोगों ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था, परन्तु इस पार्टी ने कुछ इधर से, कुछ उधर से जोड़-तोड़ करके सरकार चलाने की कोशिश की और वे सरकार चलाने में कामयाब नही हो पाये। इन्होंने कभी एक तरफ से एम.एल.एज. तोड़े, कभी दूसरी तरफ से एम.एल.एज. तोड़े, लेकिन अन्त में स्थिति यहां तक आ गई कि 40 में से 36 विधायकों ने आकर स्वयं राज्यपाल से कहा कि राज्यपाल महोदय, यह विधान सभा नहीं चल पाएगी।

अपराह्न 3.02 बजे

(श्री पी. सी. चाक्को *पीठासीन हुए)*

इस विधान सभा को भंग कर दिया जाना चाहिए। राज्यपाल महोदय ने जो अपनी रिपोर्ट सेंटर को भेजी है, उस रिपोर्ट में विस्तार के साथ उन्होंने उस सारे घटनाक्रम का जिक्र किया है।

मुझे खुशी है कि राव साहब, जो अभी कांग्रेस की तरफ से बोलकर हटे है, वे अपने उन विधायकों से, अपनी पार्टी की यूनिट से सहमत हैं। क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई यह विश्वास से नहीं कह सकता कि अगर उनकी राज्य की यूनिट अपनी विधान सभा को भंग करने का समर्थन करे या सरकार को भंग करने का समर्थन करे तो यहां से भी उसका समर्थन होगा, बिहार हमारे सामने उसका उदाहरण है। जब वे बोलने लगे बहुत उत्सुकता के साथ मैं उनका भाषण सुन रहा था कि बिहार की तरह कहीं यहां भी वे पलटी न खायें। बिहार की अपनी यूनिट को नजरअंदाज करते हुए जैसे आपने बिहार में विरोध करने का निर्णय लिया है, शायद गोवा के सम्बन्ध में भी आपका निर्णय दूसरा होता। पर मुझे खुशी है कि आप कम से कम अपनी गोवा यूनिट के साथ तो सहमत हैं।

आपने बड़े अच्छे प्रश्न रेज किये हैं, मुझे खुशी है, राव साहब, आपने बोला और आडवाणी जी को याद दिलाया कि आडवाणी जी, जब आप वहां बैठा करते थे तो आपकी भाषा कुछ और होती थी। अच्छा होता यदि आपने उनके बयान ध्यान से पढ़े होते। जब से यह

सरकार आई है, माननीय आडवाणी जी ने अपने भाषण के शुरु में कहा, शायद पहला धारा 356 के अन्तर्गत हमारा प्रस्ताव आया है और वह प्रस्ताव भी उस राज्य से आया है, जहां 40 में से 36 विधायकों ने स्वयं लिख कर दिया, स्वयं लिखकर कहा कि इस विधान सभा का कोई प्रसंग बाकी नही रह गया है, इसको भंग कर दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : वे पहली बार सत्ता में आए हैं अतः इस अनुच्छेद को पहली बार प्रयोग करने के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : जरा ध्यान से सुनिये, आराम से सुनिये।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न तो धारा 356 का आज तक दुरुपयोग किया है, न कर रही है, न कहीं आगे करेगी। हमने तो धारा 356 का अगर राजनैतिक हितों के लिए प्रयोग करना होता तो बहुत देर पहले करके अपनी कई राजनैतिक दिक्कतो से, परेशानियों से बचकर हम निकल सकते थे। यह भारतीय जनता पार्टी का कन्विक्शन है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का कन्विक्शन है, लाल कृष्ण आडवाणी का कन्विक्शन है, हमने धारा 356 का दुरुपयोग नहीं किया और आज आप हमें 356 के दुरुपयोग के बारे में बताना चाहते थे। आप हमें बताना चाहते हैं? किसी और पार्टी के सदस्य ने, किसी नई पार्टी के मैम्बर ने अगर जिक्र किया होता तो मेरी समझ में बात आ सकती थी। 90 बार आपकी सरकार ने 356 का दुरुपयोग किया।

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : हम अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जब हम उसे प्रयोग कर रहे थे, तब वे उपदेश दे रहे थे। अब वे स्वयं ही इसका प्रयोग कर रहे हैं .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपस में बात मत कीजिए, शांति बनाए रखिए। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया श्री जैन के भाषण में व्यवधान न डालिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : श्री सोमनाथ चटर्जी उनको हमारी भाषा के बारे में याद दिला रहे थे। मैं कम्युनिस्ट भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले धारा 356 की शिकार आपकी नम्बूदरीपाद की सरकार केरल में 1956 में हुई थी और तब आप उसके खिलाफ बोले थे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें हमें परामर्श देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपनी सरकार को समझाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : आज आप बिहार में उन्हीं ताकतों के साथ मिलकर दूसरी बात करना चाहते हैं, जिन्होंने धारा 356 का दुरुपयोग शुरु किया था। आप उनके साथ मिलकर आज उन्हीं ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसलिए सोमनाथ चटर्जी साहब, ये वही ताकतें हैं जिनका आप समर्थन करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया और आप राव साहब हमसे इसका जिक्र करना चाहते हैं। 6 दिसम्बर, 1992 को घटना तो उत्तर प्रदेश में हुई थी, हिमाचल प्रदेश मे तो एक पत्ता भी नहीं हिला था। राजस्थान और मध्य प्रदश में भी कुछ नहीं हुआ था। वहां की सरकारें राज्यपालों से रिपोर्ट मंगा-मंगाकर आपने एक घंटे के अंदर डिसमिस की थीं। आज आप बिहार में जो दलितों की हत्या हुई है, उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने वहां धारा 356 लगाई है इसलिए हम इसका विरोध करना चाहते हैं। बरनाला साहब यहां बैठे है, जब ये पंजाब के मुख्य मंत्री थे तो वहां एक बस से कुछ लोगों को उतारकर मारा गया था। स्वयं आपकी सरकार ने बरनाला साहब की सरकार डिसमिस की और राष्ट्रपति शासन लागू किया था। आज आप हमें बताना चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की उचित भूमिका नहीं है। इसको अलग-अलग दृष्टिकोण से न देखे।

मैं गोवा के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। वहां के स्पीकर के पास दो बार डिफेक्शन का मामला आया। गोवा के साथ एक और मामला जुड़ा हुआ है, वह एंटी डिफेक्शन एक्ट का मामला है। हमने वहां के राज्यपाल की रिपोर्ट पढ़ी है। वहां के स्पीकर ने जिस तरीके से एंटी डिफेक्शन एक्ट के अन्दर एक स्टेज के ऊपर आकर कुछ विधायकों को बिना नोटिस दिए, बिना ट्रायल किए डिसक्वालिफाई किया, उसमें सवाल एक पार्टी का नही हैं। आज स्पीकर एक पार्टी का हो सकता है, विधायक डिसक्वालिफाई दूसरी पार्टी के हो सकते हैं। कल किसी और पार्टी का स्पीकर हो सकता है। यह बेसिक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या कोई विधान सभा का स्पीकर या लोक सभा का स्पीकर खुद एंटी डिफेक्शन ला के अंतर्गत निर्णय करता है, तो क्या वह राजनैतिक पार्टी के आधार पर निर्णय करेगा या वह किसी कानून के अनुसार चलेगा? मूल राजनीतिक दल में विभाजन के सबंध में कहीं व्याख्या नहीं की गई है। एंटी डिफेक्शन एक्ट के बारे में मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सब लोग विचार करें और इसमें संशोधन करने के बारे में विचार करना चाहिए। एंटी डिफेक्शन एक्ट की बहुत सी क्लाजेज ऐसी हैं, जिनमें संशोधन की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि गोवा के बाद जो मामला आया है इस सम्बंध

(श्री सत्यपाल जैन)

में हमें विचार करना चाहिए। यहां पर जो विधायक डिसक्वालिफाई किए गए, स्पीकर ने अपनी दो रिपोर्ट भेजीं। पहली रिपोर्ट में कहा कि इतने मत से सरकार गिर गई, दूसरी रिपोर्ट में कहा कि इतने मत से जीत गई। इतने लोगों को डिसक्वालिफाई किया गया, वे लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने उस आर्डर को सेट असाइड किया। जहां तक गोवा का ताल्लुक है, गोवा के साथ जुडा हुआ एंटी डिफेक्शन एक्ट का भी मामला है, इसके सम्बन्ध में भी विचार किया जाना चाहिए था। राव साहब ने अम्बेडकर जी का जिक्र किया। आपने कहा कि पोलिटिकल एंड्स के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम गोवा का जो मामला आया है, मैं बताना चाहता हूं जहां बाकी राज्यों में भाजपा की सरकार ने धारा 356 इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, जहां पर और कोई रिजाट नहीं था, वहां इसका इस्तेमाल किया है। इस गलतफहमी में मत रहें कि धारा 356 वहां लगाई जा सकती है जहां मुख्य मंत्री का बहुमत न हो।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस (मुकुन्दपुरम्) : महोदय, माननीय संसद ने कहा है कि भाजपा अनुच्छेद 356 का अनावश्यक प्रयोग नहीं करेगी क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि गोवा और बिहार में अनुच्छेद 356 लगाने के क्या मापदंड प्रयोग किए गये हैं? क्या वे दोनों मामलों में अंतर कर सकते हैं ?

श्री सत्यपाल जैन : हम बिहार पर कल चर्चा करेंगे, लेकिन दोनो राज्यों में भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाना मुश्किल हो गया था। दोनों मामलों में वही समानता है। उनके लिए, कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि बिहार के संबंध में वे कुछ राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं जो उन्हें गोवा में नहीं मिल सकता। वह उनकी राजनैतिक बाध्यता है, लेकिन, जहाँ तक हमारा संबंध है, दोनों राज्यों में स्थितियां समान थीं और भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकारें चलाना कठिन था उन्हें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि यदि मुख्य मंत्री के पास बहुमत हो तो ऐसा नहीं हो सकता। श्री राव कह रहे थे किसी विशेष मुख्यमंत्री के पास बहुमत था किंतु हम फिर भी अनुच्छेद 356 लगाना चाहते थे यदि मैं उन्हें उनके द्वारा लगाए अनुच्छेद 356 के उदाहरण दूं तो वे पाएगें कि अधिकांश सभी मामलों में मुख्यमंत्रियों के पास बहुमत था। गुजरात में उन्होंने हमारी सुरेश मेहता सरकार को बर्खास्त किया था जबकि उनके पास पूर्व बहुमत था। उन्होंने उसे बर्खास्त किया, संयुक्त मार्चा सरकार ने उसे बर्खास्त किया। संयुक्त मोर्चा सरकार ने उसे बर्खास्त किया अतः उन्हें राजनैतिक दुरुपयोग की बात नहीं करनी चाहिए उनके मुख से यह कहना शोभा नहीं देता। हम अपनी अवधारणाओं के बारे में स्पष्ट हैं। हमने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं किया है और भविष्य में भी कभी इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, धारा 356 के तहत गोआ में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में जिन लचर दलीलों के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा, उसमें उनके व्यक्तित्व की दुविधा को समझ सकता हूं। जिनका सारा जीवन इस धारा के दुरुपयोग के खिलाफ इस सदन में और इस सदन के बाहर अपने दल में और जनता के बीच में इसकी वकालत करने में बीता हो, जब वह आधे और अधूरे मन से उसी धारा के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने की वकालत इस सदन से करते हैं तो एक व्यक्तिगत को दुविधा दिखाई पड़ती है। वैसे यह बात सही है कि जो राजनैतिक परिस्थिति गोआ के अंदर पैदा हुई, उसमें धारा 356 का उपयोग करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नही था लेकिन यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, क्योंकि इस धारा के दुरुपयोग का जो इल्जाम केन्द्र सरकार के ऊपर लगता था कि भारत सरकार जानबूझकर राज्यपाल के गरिमामय पद का इस्तेमाल राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने के लिए करती है, मेरा इल्जाम है कि भारत सरकार ने उस गलत परम्परा का प्रतिपादन इस सदन के भीतर किया। इस सदन के बाहर गोआ राज्य में वहां के राज्यपाल, वहां के जो पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने अपने पद का जिस तरह उपयोग किया, उसमें इस तरह की स्थिति का निर्माण होना स्वाभाविक था। मेरी शिकायत है कि राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों को भुलाने में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पचास वर्ष लगे लेकिन अपने पचास वर्ष की राजनैतिक प्रतिबद्धताओं को भुलाने में आपको केवल एक वर्ष लगा, मैं इसकी शिकायत करना चाहता हूं।

मुझे इस बात का दुख है कि अभी यह जिक्र किया जा रहा था कि तीन राज्यों में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद राष्ट्रपति शासन जानबूझकर लागू किया गया, मैं कहना चाहता हूं कि उन तीन राज्यों में बाद में चलकर जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई। यह इस बात का सबूत है कि वहां की जनता की भावनाओं के अनुसार ही उस समय केन्द्र सरकार ने काम किया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह आपने दल बदली कराकर अपनी सरकार स्थापित की, वह कोई अंतिम अध्याय नहीं था। उसका प्रथम अध्याय राजस्थान में शुरु हुआ था जब अल्पमत में रहते हुए निर्दलीय विधायकों को मिलाकर आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को बहुमत दिलाया और उन सभी निर्दलीय विधायकों को अपनी सरकार में स्थान दिया। राजनैतिक कुकर्म की शुरुआत राजस्थान में हुई और उसका चरम उत्कर्ष उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया और उसकी एक झलक यहां भारत सरकार में भी दिखलाई पड़ी। जिस तरह जोड़–तोड़ से आपने केन्द्र में सरकार चलाई, उसमें गृह मंत्री जी ने धारा 356 के बारे में डा. अम्बेडकर के भाषण का उल्लेख जो संविधान निर्मात्री परिषद थी, उसमें उन्होंने किया लेकिन वह एक बात भूल गए कि डा. अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि किन्हीं मजबूरियों में यह धारा हमारे संविधान

का हिस्सा बन रही है लेकिन वह एक डैड लैटर के रुप में रहेगी। इसका न्यूनतम उपयोग विशेष परिस्थितियों में आकर सरकारें करेगी, ऐसी अपेक्षा उन्होंने की थी और जो अंतिम भाषण संविधान सभा में उन्होंने किया था, उसमें यह कहा था कि संविधान में बहुत सारी धाराएं अच्छी हैं और बहुत सारी धाराएं जोड़-तोड़ से बनी हैं जो अच्छी नहीं हो सकती लेकिन संविधान इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि इसकी शब्दावली और इसकी मंशा कैसी है। संविधान इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके संचालनकर्ता, किस तरह के लोग गद्दी पर बैठे हैं और वे किस तरह इन धाराओं का संचालन करते हैं।

मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिस पार्टी ने पचास वर्ष तक धारा 356 के बारे में अनेक प्रस्ताव इस संसद में पारित किए हैं, सबसे अधिक संविधान की किसी धारा के ऊपर बहस हुई है तो वह धारा 356 है। सबसे अधिक चालीस वर्षों तक इस संसद के भीतर धारा 356 के ऊपर अपना मन्तव्य करने वाले व्यक्ति आज भारत के प्रधान मंत्री हैं लेकिन जब इस धारा के बारे में इसके उपयोग और दुरुपयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो प्रधान मंत्री जी उससे मुकरने के लिए कहते हैं कि इस पर राष्ट्रीय बहस की जरुरत है। जिन्होंने चालीस वर्षों तक इसी धारा के ऊपर बहस की हो, आज की तारीख में जब उनके ऊपर इस धारा के संचालन की जिम्मेदारी आ गई तो वह कहते है कि इसके ऊपर बहस की जरुरत है, मैं ऐसा समझता हूं कि यह कोई राजनैतिक बात नहीं है। किसी प्रधान मंत्री के मुंह से, जिनका पचास वर्ष का संसदीय जीवन, जिसके ऊपर किताब प्रकाशित हुई है, वह आज इस धारा के ऊपर बहस की बात करते हैं। मैं उस दिन का साक्षी हूं जब आडवाणी जी यहां बैठकर सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के एक के बाद एक उद्धरण दे रहे थे और इस धारा के दुरुपयोग की वकालत के विरोध में अपनी बात कर रहे थे। इस धारा के बारे में सरकारिया कमीशन एक मात्र और अंतिम कमीशन नहीं है। 1967 में तमिलनाडु की उस समय की सरकार ने एक राजभंडार कमीशन नियुक्त किया था और तब से लेकर आज तक इस धारा के बारे में हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय, हिन्दुस्तान के उच्च न्यायालय और हिन्दुस्तान के एक के बाद एक कमीशन तथा इस संसद की कार्यवाही सबसे अधिक व्याख्या कर चुकी है। लेकिन एक नया आयाम इसमें जोड़ दिया गया है और यह वह है, दलबदल कानून लागू होने के बाद स्पीकर द्वारा इस धारा के तहत दुरुपयोग और उपयोग। अब तक यह इल्जाम था कि केवल इस धारा का दुरुपयोग भारत सरकार राज्यपाल के गरिमामय पद के जरिए करती है, लेकिन 1984 के बाद जो दलबदल कानून इस संसद ने पास किया, उस कानून के चलते, जो स्पीकर का गरिमामय पद था, उसका दुरुपयोग और उपयोग होने लगा। उस कानून में एक धारा उसी समय जोड़ी गई कि दलबदल के बारे में स्पीकर का जो निर्णय होगा, वह सर्वमान्य होगा। लेकिन एक राज्य के भीतर इस कानून का दुरुपयोग पीठासीन अधिकारी ने तब तक किया, जब तक कि उस विधान मे उनके स्वयं के पीछे खड़े होने वाले विधायकों की संख्या सर्वाधिक नहीं हो गई। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने उस धारा को स्ट्राइक डाउन किया और यह कहा कि दलबदल कानून को स्क्रूटिनाइज करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में सुरक्षित रहेगा। इसके रहने के बावजूद गोवा राज्य में दलबदल के जरिए बहुमत की जो सरकार बनाई गई, उसमें निर्णय लेने के लिए आज की तारीख तक सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च पीठ तक गठित नहीं हो रही है। यह दुःख और चिन्ता का विषय है।

महोदय, हम कहना चाहता हूं कि गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू होने का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जो-जो राजनीतिक परिस्थितियां गोवा में पैदा हुईं, उसके लिए हम केन्द्रीय सरकार की मज़म्मत करना चाहते हैं और उसकी निंदा करना चाहते है। इस प्रकार की गतिविधियों की भर्त्सना करना चाहते है कि राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण भारत सरकार ने जान-बूझकर गोवा में पैदा किया। वहां ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि सारे पक्षों को कहना पड़ा कि राष्ट्रपति शासन लागू हो।

इन शब्दों के साथ, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का तो समर्थन करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक असंतुलन भारत सरकार ने वहां पैदा किया, अस्थिरता पैदा की, उसकी घोर भर्त्सना करते हुए, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उत्तमसिंह पवार (जालना) : सभापति महोदय, मैं गोवा के बारे में ही कहूंगा, क्योंकि अगर बिहार के बारे में कहने लगूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि यह चर्चा सात बजे तक भी खत्म हो पाएगी। पिछले तीन सालों से इस सदन में बिहार ही बिहार नजर आता है और कोई दूसरा राज्य नजर नहीं आता है। अभी मेरे साथी ने कहा कि यह राजनीतिक अस्थिरता भाजपा ने निर्माण की है। मैं इस को नहीं मानता हूं और हममें से भी बहुत से सदस्य इस बात को नहीं मानेगें कि कोई भी दल दूसरे राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का निर्माण करता है। दुर्भाग्य से राजनीतिक अस्थिरता संख्या निर्माण करती है और हमें आगे चलकर सोचना चाहिए कि हमारी सरकारें संख्या पर चलती हैं, सिद्धान्तों पर नहीं। पिछले पचास सालों में अर्थात् 1990 तक धारा 356 का दुरुपयोग हर राज्य में हुआ है, उस समय तक संख्या की समस्या नहीं थी। लेकिन आज जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, वे उदाहरण केवल इसलिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि हम इधर बैठे हैं और आप उधर बैठे हैं। किस तरीके से हमें सरकारों को चलाना चाहिए, इस बारे में कोई भी अपने विचार नहीं देता है।

महोदय, जहां तक गोवा का सवाल है, गोवा में 40 से 36 लोगों ने कहा है, जो क्रिस्टल क्लीयर है, कि वहां यह स्थिति है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सचमुच में धारा 356 का उपयोग आगे हम किसी राज्य में नही करेंगे। क्यों? मैं सदन को बताना चाहता हूं कि दलबदल कानून में बहुत सी खामियां हैं। काश! हम उस बिल में संशोधन करें, तो फिर यह धारा 356 की समस्या पैदा ही न हो। लाठी के बल पर और पैसे के बल पर हमारे

(श्री उत्तमपाल सिंह पवार)

यहां काम हो रहे हैं। मैं पूछता हूं, क्या यह लोकशाही के लिए अच्छी स्थिति है? किस तरीके की लोकशाही हमें चाहिए। आज पचास साल की आजादी के बाद हम 356 के बारे में कह रहे हैं लेकिन यह नहीं कह रहे है कि 50 सालों में हम पानी नहीं दे सके, शिक्षा नहीं दे सके। जब किसी सरकार पर टीका करते हैं तो 10 महीनें की सरकार पर क्या टीका करनी चाहिए, पचास साल की सरकारों ने क्या किया, यह देखिये।...*(व्यवधान)* दस महीने किसी सरकार के लिए बहुत कम होते हैं। हम तो इतना कहते हैं कि जब हम बच्चे की शादी करते हैं तो नवासे का मुंह देखने के लिए कम से कम साल भर मानते हैं चार महीने में तो मुंह नहीं देखते हैं। अब आपकी इच्छा है चार महीने में मुंह दिखाएं, लेकिन मुझे पॉसिबल नहीं लगता है।...*(व्यवधान)* गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है उसका समर्थन तो हम करते हैं पर बिहार में जो प्रमाण है... *(व्यवधान)* बिहार का इश्यू तो हम कल लेंगे। गोवा में तो 40 में से 36 ने कहा है और जो एक ने ही कहा है वह सभी स्पीकर थे। ...*(व्यवधान)* यह जो गोवा में स्थिति हुई है वह कांग्रेसी पक्ष ने की है। मुलायम सिंह जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस सरकार का काम ही ऐसा है कि जहां अच्छा चल रहा है वहां तोड़–फोड़, जोड़–तोड़ कर दी। हमारे शरद पवार जी की सरकार 1978 में अच्छी चल रही थी लेकिन उनको भी इसका शिकार होना पड़ा था। हर राज्य इसका शिकार हुआ है। कौन है जो इसका शिकार नहीं हुआ है। पर यह समय–समय की बात है। आज हमारी बारी है तो हम उसकी टीका के पात्र न होते हुए भी उसके ऊपर टीका झेल रहे हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि टीका तब करे जब वह सचमुच में जरुरी हो। बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, संविधान में अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है। बार–बार केन्द्र सरकार द्वारा नापसन्द राज्य सरकारों को बरखास्त करने के लिए यह अनुच्छेद लगाया गया है। 1959 से लेकर इस अनुच्छेद का लगातार दुरुपयोग हुआ है।

महोदय, इन सभी वर्षों में कोई भी राज्य सरकार जो केन्द्र में शासन कर रही पार्टी से सम्बद्ध हो, इस अनुच्छेद के उपयोग से बर्खास्त नहीं की गयी। प्रत्येक सरकार जो गिराई गई वह उन दलों से सम्बद्ध थी जो केन्द्र में शासन कर रहे दल की विरोधी थी। इसलिए, यह अपने आप में उस पक्षपात पूर्ण तरीके को दर्शाता है जिसमें यह अनुच्छेद प्रयोग में लाया जा रहा है।

गोवा का राजनैतिक नाटक दल–बदल विरोधी कानून की गम्भीर कमियों को प्रदर्शित करता है। जब दल–बदल विरोधी कानून इस सदन में पारित हुआ था तब हमें हर प्रकार की अपेक्षाएँ थीं, हमने सोचा था कि यह दल–बदल पर अन्ततः रोक लगा देगा, इत्यादि। विधान सभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया था कि वे निर्णय करें कि क्या सदस्य ने दल–बदल किया है अथवा नहीं ? अध्यक्ष से यह अपेक्षा थी कि वह निष्पक्ष ढंग से कार्य करेंगे। लेकिन हमने अनेक मामले देखें हैं जिसमें अध्यक्ष ने पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य किया है। पिछले छः माह के दौरान हमने इसे उत्तर प्रदेश और गोवा में भी देखा है। पीठासीन अधिकारियों द्वारा दलबदल विरोधी कानून और उसके प्रावधानों की गलत व्याख्या की गयी।

श्री आडवाणी गोवा की दशा बता रहे थे जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया। एक तरह से वे कह रहे थे कि वे सभी तरह से लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुसार काम कर रहे हैं।

लेकिन दो सप्ताह पहले ये वही केन्द्र सरकार है जिसने इस अनुच्छेद का बिहार की बहुमत सरकार के विरुद्ध प्रयोग किया। गोवा की यह विशेष परिस्थिति हो सकती है कि इस अनुच्छेद के प्रयोग को न्यायोचित ठहराए किन्तु केन्द्र में शासन करने वाले प्रत्येक दल ने इस अनुच्छेद का पक्षपातपूर्ण ढंग से दुरुपयोग किया है। मैं गोवा की परिस्थिति के गुणदोष/औचित्य–अनौचित्य में नहीं जा रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र गोवा राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए और जनादेश की विजय होनी चाहिए। आज गोवा में जो स्थिति है उसके लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। दल–बदल एक रोजमर्रा की बात बन गयी है। इसलिए लोग विधान सभा के इन दलों और नेताओं से उकता गए हैं।

सिद्धान्ततः मैं राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने और अनुच्छेद 356 के प्रयोग के विरुद्ध हूँ। केन्द्र सरकार जो कारण चाहे सामने रखे, केन्द्र में सत्तासीन दल द्वारा इस अनुच्छेद का बारम्बार दुरुपयोग होगा जो सभी प्रकार से संघीय सिद्धान्तों के विरुद्ध है इन शब्दों के साथ, मैं समाप्त करना चाहूँगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, गोवा में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सदन को मान्यता के लिए एक प्रस्ताव सदन के सामने रखा। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारा देश राज्यो में बंटा है और उस पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण रहना है। इस नियंत्रण को रखने के लिए संविधान में धारा 356 का प्रावधान किया गया है। इसलिए धारा 356 का होना जरुरी है लेकिन इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए? ऐसी मांग हर बार होती भी रही है। जिस गोवा में धारा 356 का प्रयोग किया गया, वहां जो राजनैतिक समस्याएं उत्पन्न हुईं उनका यहां जिक्र अभी आडवाणी जी ने किया। वहां राणे जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार थी उस कांग्रेस के 10 विधायक पार्टी से बाहर निकल गए और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। ऐसे में राणे सरकार अल्पमत में आ गई। जिन 10 विधायकों ने राजीव कांग्रेस बनायी, उनकी विलफ्रेड डिसूजा सरकार बन गई। कुछ महीने बाद विलफ्रेड

डिसूजा सरकार में से चार विधायक जो राजीव कांग्रेस के थे, वे फिर बाहर निकल गए। फिर विलफ्रेड डिसूजा सरकार अल्पमत में आ गई। यह लड़ाई किन लोगों के बीच में हुई यह चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी कांग्रेसी थे। राणे सरकार को परास्त करने वाले कांग्रेसी, विलफ्रेड डिसूजा को बनाने वाले कांग्रेसी और फिर विलफ्रेड डिसूजा को परास्त करने वाले कांग्रेसी। इसके बाद कांग्रेस की फिलेरो सरकार आ गई। उनकी सरकार के जिन 10 मंत्रियो ने इस्तीफा दिया, वे भी कांग्रेसी थे। फिलेरो सरकार को परास्त करने वाले कांग्रेसी थे। कोई दूसरी राजनैतिक पार्टी नहीं थी जिन्होंने इनकी सरकार अल्पमत में ला दी। बाद में 40 विधायकों में से 36 विधायकों ने मांग की कि गोवा की विधान सभा भंग की जाए।

सभापति जी, आज हम गोवा में संविधान की धारा 356 के इस्तेमाल किये जाने के बारे में चर्चा कर रहे है। मुझे लगा था कि कांग्रेस की ओर से कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री शरद पवार यहां पर बोलेंगे लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई नेता नहीं बोले, उनके एक विधायक श्री के. एस. राव बोले।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : चाहे वह सांसद हो या विधायक, प्रश्न माननीय सदस्य के प्रति रवैये का है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : ठीक है एक आनरेबल सांसद यहां पर बोल रहे थे। श्री के. एस. राव कोई नेता नहीं हैं। इन कांग्रेसियों ने अपने समय में धारा 356 का सदुपयोग या दुरुपयोग 90 बार किया है। जब कांग्रेस राज में थी तो इसका सदुपयोग किया गया और जब हमने किया तो....

श्री राजो सिंह : क्या उस समय आपका जन्म हुआ था?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। इस प्रकार विध्न नहीं डाले। श्री गीते, आप अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: आज आपको पता लगा कि आपका जन्म कब हुआ था लेकिन कांग्रेस का अंत तो निकट है, शायद उसके लिए हमारा जन्म हुआ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, जब टोका-टाकी होगी तो क्या करें?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें। कृपया बैठ जाएं। कोई भी विघ्न नहीं डाला जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं आपकी तरफ देखकर ही बोल रहा हूं। कांग्रेस ने 90 बार धारा 356 का दुरुपयोग किया ...*(व्यवधान)*. इसमें कोई राज्य नहीं बचा जहां इस धारा का दुरुपयोग न किया गया हो। अब इस सदन में गोवा और उसके बाद बिहार में धारा 356 के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हो रही है। आज की कार्य सूची की मद संख्या 9 पर गोवा और 10 पर बिहार दिये हुये हैं। ये दोनों विषय आज सदन के सामने हैं। गोवा में राष्ट्रपति राज्य लगाये जाने का कांग्रेसी मित्रों ने समर्थन कर दिया लेकिन बिहार के बारे में उनकी भूमिका अलग है।

सभापति जी, मैं 11वीं लोकसभा का सदस्य था और अब 12वीं लोकसभा का सदस्य भी चुनकर आया हूं। केवल डेढ साल के भीतर ही 11वीं लोक सभा भंग हो गई। जब 11वीं लोक सभा अस्तित्व में आई तो कांग्रेस के समर्थन के बल पर श्री देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया लेकिन उसी कांग्रेस ने श्री देवगोड़ा को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से श्री गुजराल प्रधानमंत्री बने लेकिन इसी कांग्रेस ने श्री गुजराल को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया यानी 11वीं लोकसभा को इसी कांग्रेस के कारण भंग करना पड़ा। इस प्रकार हजारों करोड़ रुपये चुनाव पर खर्च करने पड़े और देश की जनता को वह आर्थिक बोझा ढोना पड़ा। हम लोग यहां पर किसानों की चर्चा करते हैं। जब भारत एक गरीब देश है तो क्यों चुनाव पर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर जनता को बोझा ढोने के लिये विवश किया गया? इन्हीं कांग्रेसियों की वजह से 12वीं लोकसभा अस्तित्व में आई और भाजपा के नेतृत्व में मित्र पक्षों की सरकार केन्द्र में बनाई गई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री बन गए। अब इसी कांग्रेस के साथी प्रधान पंत्री पद से वाजपेयी जी को हटाना चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट बिहार में नहीं है। बिहार में दलितों का जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के बारे में कांग्रेस को कोई दुख नहीं है। उनका इंटरेस्ट प्रधान मंत्री पद से वाजपेयी जी को हटाने का है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस प्रकार विध्न न डाले। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : दलितों का नरसंहार हो गया और ये वोट चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : हमको भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि वे केवल तभी बोल सकते हैं जब वक्ता उनकी बात को स्वीकार कर ले। अन्यथा, आप इस तरह नहीं बोल सकते हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : वह आक्षेप करेंगे तो हम चुप कैसे रहेंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गीते, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं तो आपको ही ऐड्रेस कर रहा हूं। सभापति जी, मैं उस तरफ नहीं देखता, मैं सिर्फ आपको ही देख रहा हूं।

सभापति जी, मैं जो कांग्रेस की दोगली भूमिका है, उसके ऊपर यहां पर बोल रहा हूं। एक तरफ ये गोवा में धारा 356 लगाने का समर्थन करते हैं और उसी सदन के अंदर उसी समय दूसरे राज्य में 356 लगाने का विरोध कर रहे हैं। यह कौन सी भूमिका यहां पर निभा रहे हैं ? जब 90 बार इस देश के अंदर 356 का दुरुपयोग हुआ तब कांग्रेस पार्टी का राज था। लगातार दलितों का नरसंहार बिहार में हुआ। जब पहली बार हमारे प्रधान मंत्री और इस भारत के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति जी को बिहार में धारा 356 लगाने की सिफारिश की तो राष्ट्रपति जी ने प्रस्ताव वापस भेज दिया और इकार किया। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्हें बोलने दो। अब उनकी बारी है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने मंत्रिमंडल द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रपति जी का निर्णय प्रधान मंत्री जी ने और मंत्रिमंडल ने मान लिया। बाद में फिर दलितों का नरसंहार हो गया तो राष्ट्रपति भी विवश हो गए वहां धारा 356 लगाने के लिए... *(व्यवधान)* मुझे बिहार पर नहीं बोलना है लेकिन जो दोगली भूमिका कांग्रेस वाले निभा रहे हैं, सत्ता में आने के लिए इनको दलित चाहिए, चुनाव जीतने के लिए दलित चाहिए, लेकिन जब दलितों पर नरसंहार होता है, तब दलितों के लिए ये आंसू नहीं बहाते, उनसे राजनीति करना चाहते हैं और उनकी इस दोगली नीति पर मैं प्रहार करना चाहता हूं।

आज गोवा में जो राजनीतिक समस्याएं पैदा हुईं तो उनकी वजह से वहां पर धारा 356 लगाई गई है और उसको समर्थन यहां पर बैठे सदन के सभी सदस्य कर रहे हैं। मैं भी उसका समर्थन करता हूं लेकिन समर्थन करते हुए मैं इस बात का भी जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि हमारा राष्ट्र जो अलग–अलग राज्यों से बना है, इसके एक बने रहने के लिए धारा 356 की जरूरत है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए इस बात को भी हम मानते हैं। आज यहां पर कानून और व्यवस्था की चर्चा है। जब महाराष्ट्र में कुछ होता है तो यहां पर कानून और व्यवस्था के नारे लगाए जाते हैं, मांग की जाती है कि महाराष्ट्र सरकार बर्खास्त करो। कौन मांग करता है कि महाराष्ट्र की सरकार भंग करो ?

श्री रामदास आठवले : हम करते है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप करते हैं, कांग्रेस के लोग करते हैं। कई बार इस प्रकार की मांग की गई है।...*(व्यवधान)* जब रमाबाई नगर की घटना हुई तो इसी ओर से महाराष्ट्र सरकार को भंग करने की मांग की गई। कौन सी धारा के तहत आप यह मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र में जब भी कुछ बात हुई है तो राजनीतिक लाभ के लिए महाराष्ट्र सरकार को भंग करने की मांग करते हैं। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा तो चार राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया गया। कानून और व्यवस्था सिर्फ उत्तर प्रदेश में बिगड़ गई थी, लेकिन चार–चार राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया गया। जब इनके फायदे की बात होती है, राजनीतिक लाभ की बात होती है तो कहते हैं कि धारा 356 सही है और जब आपको राजनीतिक लाभ नहीं होता, जब आप राजनीतिक मुसीबत में आते हैं तब आपको लगता है कि धारा 356 का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसलिए कांग्रेस को दोगली, दोहरी और दलित विरोध भूमिका का में यहां जिक्र करना चाहता हूं। देश के हित में जहां पर धारा 356 को लागू करने की आवश्यकता है, कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिए जहां धारा 356 लगाने की आवश्यकता है, वहां इसे लागू करना राष्ट्र और इस सरकार का कर्तव्य है और इस कर्तव्य को यह सरकार निभा रही है, इसलिए में इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गीते आपने एक अच्छा भाषण दिया। कृपया शांत रहें। कृपया बहस न करें। हमें एक प्रभावशाली चर्चा करनी चाहिए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, हम सैद्धान्तिक रूप से तथा नैतिक रुप से बिहार या गोवा या अन्य किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ हैं। हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक उद्देश्य से केरल, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाते हुए देखा है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्य अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के शिकार हो चुके हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जो भा.ज.पा. के शक्तिशाली व्यक्ति को याद दिलाना चाहता हूं कि सदन के अन्दर तथा सदन के बाहर अनुच्छेद 356 के प्रयोग किये जाने के खिलाफ अनेक बार जोर–शोर से वकालत की थी। मुझे माननीय गृह मंत्री जी को उनकी पार्टी का सरकारिया आयोग से पहले के दृष्टिकोण भी याद दिलाना चाहता हूं। उनके प्रतिनिधि ने सरकारिया आयोग के सामने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के खिलाफ जोर–शोर से वकालत की थी।

महोदय, संयुक्त मोर्चा की सरकार के दिनों में तत्कालीन माननीय गृह मंत्री जी ने एक लम्बी अवधि के बाद अन्तर्राज्जीय परिषद की बैठक बुलाई थी तथा इसी बैठक में अकाली दल के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने अनुच्छेद 356 को पूर्ण रुप से समाप्त करने की जोर–शोर से वकालत की थी तथा इस बारे में मांग भी उठाई थी। कुछ मुख्य मंत्रियों ने अनुच्छेद 356 के तहत् राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में कुछ सुरक्षोपाय भी उठाये थे। कौन से सुरक्षोपाय जिनके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ? मैं तो इस बात पर हैरान हूं तथा यह कहते हुए अफसोस होता है कि पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री के इस रुख के बावजूद भी, उनकी पार्टी अकाली दल बिहार में अनुच्छेद 356 को लगाने के लिए सरकार का समर्थन कर रही है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपना रुख बदलें तथा अपने सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से न हटें। हमारे संघीय देश में विभिन्न राज्यो अनुच्छेद 356 के प्रयोग के बारे में आपत्ति प्रकट कर रहे है तथा हमारी पार्टी और वामपंथी पार्टियां सैद्धान्तिक रुप से अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के खिलाफ है।

वर्तमान में गोवा में राजनैतिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। हम दल–बदल की निंदा करते हैं। हम सदस्यों की खरीद फरोख्त के खिलाफ हैं। हम दल–बदल का समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह अनैतिक, यह असैद्धान्तिक है तथा असंवैधानिक भी है। यह जनमत के खिलाफ है। हम उस राजनैतिक ड्रामे की भी निंदा करते हैं जो घटा तथा जिसे विधायिका द्वारा प्रस्तुत किया गया।

भाजपा और इसके मित्र दलों ने बिहार में राष्ट्रपति शासन को लगाने की वकालत की है। यदि ऐसी ही बात है तो, उसी पैमाने का महाराष्ट्र और गुजरात में प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? मेरे विचार से गोवा के राज्यपाल के सामने मामले का पता लगाने तथा गोवा विधान सभा में इसे सुलझाने के लिए पर्याप्त अवसर है। लेकिन गोवा के राज्यपाल ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। लेकिन हमें सैद्धान्तिक रुप से तथा नैतिकता के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का समर्थन नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : महोदय, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि केवल एक माननीय सदस्य ने अनुच्छेद 356 के अधीन गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का विरोध किया है। उनके अलावा, अन्य सभी सदस्यों ने इस कदम का समर्थन किया है, हालांकि उन्होंने अन्य अनेक मामले भी उठाये हैं।

श्री मोहन सिंह ने राज्यपाल द्वारा किये गये गलत व्यवहार के बारे में एक प्रश्न उठाया था। श्री के. एस. राव ने भी वर्तमान सरकार के बारे में कई मुद्दे उठाये हैं....*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि सभा के अधिकतर सदस्य संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाने का समर्थन करें। मेरा पहला मुद्दा यह है कि माननीय गृहमंत्री ने पहले ही वह स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसमें गोवा में अनुच्छेद 356 लगाई गई है। सभा में 40 सदस्यों में से 36 सदस्य माननीय राज्यपाल के पास गये और उन्हें बताया कि सभा को भंग कर दिया जाना चाहिये और वहां एक ओर चुनाव होने चाहिये। बामदल के मेरे एक मित्र के कहा कि वे किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 356 के लगाने का समर्थन नहीं करते। वे ऐसा कह रहे थे। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि इस विशेष स्थिति में और क्या किया जा सकता है ...*(व्यवधान)* 36 सदस्यों ने पहले ही बताया है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिये और केवल चार सदस्य इसके पक्ष में नहीं हैं। माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी, वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे है....*(व्यवधान)*

महोदय, मैं आपकी सुरक्षा चाहता हू। मैं केवल आपको देख रहा हूं और अध्यक्षपीठ के सम्बोधित कर रहा हूं। मैं किसी से तर्क नहीं कर रहा हूं। यदि आप चाहते है कि मैं बोलू, तभी मैं बोलूंगा।

सभापति महोदय : यह अच्छी बात है। कृपया आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री खारबेल स्वाई : सी. पी. एम. के एक वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी मुझे कुछ सलाह देने के लिए अपने स्थान से उठ रहे थे। किन्तु कुछ समय पहले, जब कोई कुछ आरोप लगा था, उन्होंने मुझे उन्हें सलाह न देने के लिये कहा। वे ही एक मात्र व्यक्ति हैं, जो हमें सलाह दे सकते हैं....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या मैंने उनको कुछ कहा है?

श्री खारबेल स्वाई : वह किसी से भी कोई सलाह नहीं सुनना चाहते। वह ही एकमात्र सदस्य हैं, जो सलाह दे सकते हैं क्योंकि वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। वह किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। किन्तु वे मुझे सलाह देने जा रहे थे। अब वे मुझे भी सलाह देने के लिए खड़े हुये हैं ......*(व्यवधान)*

(श्री खारबेल स्वाईं)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे से यह आशा नहीं की जा सकती कि मैं इस सभा में किसी को सिखाऊं ....*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : मैं उन्हें बोलने का अवसर नहीं देना चाहता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने उनसे बात नहीं की है। कुछ भी और सब कुछ सभा में नहीं कहा जा सकता। मैंने उनसे बात नहीं की है। मैं उनसे बात नहीं करना चाहता।

वह किन्हीं काल्पनिक बातों का संदर्भ दे रहे हैं। मैं नहीं जानता, क्या हो रहा है। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्रीमान स्वाइन कृपया उनकी बात सुनें। मैं कुछ कहना चाहता हूं। कृपया मेरी बात सुनें। श्री सोमनाथ चटर्जी इस चर्चा में वक्ता नहीं थे।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय कुछ देर पूर्व वह मुझे सलाह देने जा रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। इसीलिये मैंने उनका उल्लेख किया।

सभापति महोदय : उनका नाम सूची मैं नही हैं और वे बोले भी नहीं थे। इन्होंने इस चर्चा में भाग नहीं लिया। एकमात्र मुद्दा यह है कि आप एक ओर वक्ता का उल्लेख कर सकते हैं किन्तु किसी के द्वारा बैठे हुये अथवा इसी तरह किसी और तरह से की गई कुछ टिप्पणियों का संदर्भ नहीं दिया जा सकता। श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस चर्चा में भाग नहीं लिया था। अतः कृपया इस तरह नामों का प्रयोग न करें।

श्री खारबेल स्वाईं : वह उठे और मुझ से बातचीत की। इस कारण मैंने इसका उल्लेख किया।

सभापति महोदय : आपको व्यक्तिगत रुप से जो कहा वह एक अलग मामला है। किन्तु वे इस चर्चा में वक्ता नहीं हैं। उनकी ओर से कहा गया कुछ भी रिकार्ड में नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं : ठीक है। किन्तु कृपया उन्हें मुझे सलाह न देने के लिए कहें।

महोदय, मैं कह रहा था कि गोवा में ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने के अतिरिक्त कोई भी अन्य विकल्प नहीं था। इसीलिए संवैधानिक सभा में बहुत सोच-विचार के बाद संविधान में अनुच्छेद 356 का प्रावधान किया गया।

महोदय, श्री ए. सी. जोस पूछ रहे थे कि राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 को किन स्थितियों में लगाया जाना चाहिए। राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मुझे पता है कि चार विशेष स्थितियां है जिनके अंतर्गत किसी भी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 को लगाया जा सकता है। पहली स्थिति संवैधानिक तंत्र के विफल होने की है, जैसा कि गोवा में हुआ है। दूसरी स्थिति आंतरिक अशांति जैसा कि बिहार में हुआ। तीसरी स्थिति सशस्त्र विद्रोह की है जो किसी भी राज्य में हो सकती है जैसाकि कभी-कभी पंजाब, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में होता रहता है। चौथी स्थिति बलवा होने की है। सामान्यतः ये चार परिस्थितियां हैं जिनके अर्न्तगत किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 लगाया जा सकता है। गोवा में, इनमें से परिस्थिति अर्थात संवैधानिक तंत्र का विफल होने की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि विधानसभा के 36 सदस्य राज्यपाल के पास गये और कहा कि वे तत्कालीन सरकार को आगे नहीं चलाना चाहते तथा चुनाव चाहते हैं। इसीलिए, अनुच्छेद 356 का लगाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया था तथा यह ठीक भी था।

दूसरी बात, माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह द्वारा राज्यपाल पर यह कहकर इल्जाम लगाया गया है, कि के अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। मैं उन महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का क्रमवार विवरण देना चाहता हूँ जो गोवा में घटी हैं। माननीय सदस्यों में से एक ने गोवा विधान सभा के अध्यक्ष की भूमिका का उल्लेख भी किया था। 27.7.1998 को (उप-मुखमंत्री, डा. विलफर्ड डिसूजा ने कांग्रेस पार्टी के नौ अन्य सदस्यों के साथ पार्टी का विभाजन करके गोवा कांग्रेस पार्टी बनाई। उन्होंने आठ मा. गो. पा. तथा चार भाजपा विधायकों का समर्थन प्राप्त कर सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। 28.7.1988 को अध्यक्ष श्री तोमाजिनहो लाभबर्टो कारडोजो ने उनके समक्ष पेश की गयी दो निरर्हता याचिकाओं के बारे में एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें गोवा राजीव कांग्रेस पार्टी के 10 विधायकों पर विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने पर रोक लगा दी। यह बहुत ही अजीब बात है। अध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों ने दूसरी पार्टी बना ली है वे विधान सभा की कार्यवाही में भी भाग नहीं ले सकते हैं। तब राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 175 (2) के अंतर्गत अध्यक्ष को एक संदेश भेजा कि वह राणे के नेतृत्व वाली सरकार से विश्वास मत प्राप्त करने के साथ-साथ सदन की कार्यवाही चलाए। तब मुख्य मंत्री राज्यपाल के पास गये तथा उन्हें 16-0 से ध्वनि मत से विश्वास मत जीतने की सूचना दी।

जबकि अध्यक्ष ने पहली बार कहा था कि यह जीत 17-13 से थी दो दिन बाद में उन्होंने कहा कि यह जीत 16-13 से थी। जबकि मुख्य मंत्री ने कहा कि वे 16-0 से जीत गये हैं। इसलिए पहले अध्यक्ष ने इसे 17-13 बताया तथा उन्होंने इसे बदल दिया और इसे 16-13 से बताया।

अतः तीन संख्याएं हैं अर्थात् 17-13, 16-13 तथा 16-01 क्या यह संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना नही है? मैं इसी बात का उल्लेख करना चाहता था। राज्यपाल द्वारा दिये गये कथन को कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता है। विपक्ष का दावा है, कि कार्यवाही ठीक प्रकार चली।

तब राज्यपाल ने सदन का सत्रावसान कर दिया। गोवा राजीव कांग्रेस पार्टी के दस विधायकों ने उच्च न्यायालय में अध्यक्ष के अंतरिम आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। 18.8.98 को उच्च न्यायालय ने श्री राणे की उन्हें हटाये जाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया तथा अंत में 7.9.98 को उच्च न्यायालय ने गोवा राजीव कांग्रेस पार्टी के विधायकों की निरर्हता संबंधी अध्यक्ष के आदेशों को रद्द कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी राज्यपाल ने किया वह सब संविधान के प्रावधानों के अनुरुप था। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उनके निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी। इसलिए राज्यपाल द्वारा गलती किये जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

महोदय, अब मैं बिहार के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। क्योंकि बिहार पर चर्चा बाद में की जायेगी। परंतु कुछ सदस्यों ने बिहार के बारे में प्रश्न किए हैं। यहां तक कि श्री मोहन सिंह ने भी बिहार के बारे में बोला है। उन्होंने यह भी कहा :"

[हिन्दी]

"जनता की भावना के अनुरुप मध्य-प्रदेश में डिसमिस किया गया, उत्तर प्रदेश में डिसमिस किया गया, हिमाचल प्रदेश में डिसमिस किया गया, राजस्थान में डिसमिस किया गया। परंतु, मुझे खेद है कि संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है जनता के अनुरूप वही किया जायेगा, आर्टिकल 356 लागू किया जायेगा। यह इंडियन कांस्टीट्यूशन है, आर्टिकल 356 में कही है कि जनता की भावना के अनुरुप किया जाएगा ?

[अनुवाद]

महोदय, यहां तक कि मेरे अपने राज्य उड़ीसा में भाजपा और बीजू जनता दल पिछले चुनावों में 21 में बने 16 सीटें जीती हैं। क्या उनका तात्पर्य यह है कि भारत सरकार अथवा माननीय गृह मंत्री को उड़ीसा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए? अब जनता भी उनके साथ नहीं है। स्वंय कांग्रेस पार्टी ने ही मुख्य मंत्री श्री जे. बी. पटनायक को बर्खास्त कर दिया है। वे नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने उन पर किस प्रकार का नैतिक दायित्व थोपा था*। उन कांग्रेसी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी कहां थी? अब वे नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने झूठा आरोप लगाया था कि वहां ईसाइयों पर अत्याचार हुए हैं। मैं अब नहीं बाद में इस पर विस्तार से बोलूंगा।

सभापति महोदय : मेरे विचार में आपने गोआ पर अपना भाषण पूरा कर लिया है।

श्री खारबेल स्वाईं : मैं मात्र एक वाक्य बोलूंगा और फिर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। कल जब माननीय गृहमंत्री बोल रहे थे। मैंने जानबूझकर ईसाइयों पर अत्याचार के संबंध में कुछ नहीं बोला।

मेरे पास बहुत से प्रमाण हैं, जिनके बारे में मैं बताऊंगा। कल मैंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। परंतु झूठे आरोपों के आधार पर उन्होंने अपनी सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब वे कह रहें हैं कि बिहार में 356 अनुच्छेद लागू करना अनैतिक है। मैं इस पर बाद में बोलूंगा। परन्तु महोदय, आखिरकार मुझे नहीं मालूम कि यह सब क्यों हो रहा है। अध्यक्ष की भूमिका के बारे में एक प्रश्न था। दलबदल अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में एक प्रश्न था।

अंत में मैं माननीय मंत्री से एक अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करुंगा कि उन्हें संविधान की समीक्षा के सम्बंधी अपने प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। महोदय, ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसका सबंध प्रधान मंत्री के चयन की प्रक्रिया से हैं। देश के प्रधान मंत्री का चयन कैसे होना चाहिए? क्या उसका चयन सभा द्वारा किया जाना चाहिए? क्या इसका चयन पार्टी द्वारा किया जाना चाहिए जैसाकि अब किया जा रहा है? यह मूल प्रश्नों में से एक प्रश्न है।

विधायिकाओं की अवधि के निर्धारण के संबंध एक अन्य मौलिक प्रश्न है। यह एक अन्य मत है।

अपराह्न 4.00 बजे

इन दो बातों की वजह है यह दल-बदल हो रहा है मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करुंगा कि उन्हें संविधान तथा अनुच्छेद 356 में परिवर्तन सम्बंधी अपने प्रस्ताव पर एक राष्ट्रीय बहस करनी चाहिए। मैं अनुरोध करुंगा कि उन्हें इन सब का कार्यान्वयन करना चाहिए। मैं गोवा में अनुच्छेद 356 को लागू करने संबंधी सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूँ।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : धन्यवाद सभापति महोदय, सबसे पहले मैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले अनुच्छेद 356 के प्रयोग का भी विरोध करता हूं।

पिछले 49 वर्षों से हमारे संविधान का अनुच्छेद 356 एक विवादास्पद अनुच्छेद रहा है और इसका प्रयोग उस प्रकार बदला लेने के लिए उन राज्यों के विरुद्ध किया जाता है जो केन्द्र के राजनीतिक हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यह केन्द्र के हाथों में राज्य सरकारों को सबक सिखाने का राजनीतिक हथियार है।

भारत के इतिहास में, पिछले 49 वर्षों के दौरान सन् 1959 में पहली साम्यवादी सरकार जो केरल में चुनकर सत्ता में आई थी उसे बिना किसी कारण के कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की वजह से बर्खास्त कर दिया था। यह अब तक चल रहा है बिहार में भी, हमने यही सब देखा है। मैं बिहार के मामले और गोवा के मामले से सम्बन्धित तथ्यों के बारे में चर्चा नहीं करुंगा। चर्चा के लिए प्रासंगिक मुद्दा यह है कि अनुच्छेद 356 कब प्रयोग किया जा

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतात से निकाल दिया गया।

(श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन)

सकता है और क्या यह बहुत ही आवश्यक है अथवा इसे बनाए रखना अनिवार्य है। इसकी चर्चा पहले होनी चाहिए।

जहां तक मेरा संबंध है, अनुच्छेद 356 को बिना किसी सुरक्षोपाय के बनाए रखना हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। अब तक इसका 101 बार प्रयोग हो चुका है। ध्यान से देखने पर यह देखा जा सकता है कि इसका हमेशा दुरुपयोग हुआ है और कभी सदुपयोग नहीं हुआ। अनुच्छेद 356 का प्रयोग इसके दुरुपयोग से बिलकुल अलग है।

बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में अनुच्छेद 356 के कार्यक्षेत्र और परिधि की विस्तृत रूप से चर्चा हुई है बहुत ही विशिष्ट रुप से कहा गया है कि यह असाधारण अधिकार है जिसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थिति में ही किया जा सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि बिहार और गोवा में भी विचित्र स्थिति है। गोवा के बारे में कोई विवाद नहीं है। लेकिन ऐसा देखा जा सकता है कि साधारण परिस्थितियों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में नहीं किया जा रहा।

इस पहलू के संबंध में भी, यह मामला सरकारिया आयोग को भेज दिया गया है केन्द्र–राज्य संबंध के बारे में और हमारे संविधान के संघीय ढांचे के संबंध में सरकारिया आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं। सबसे पहली और प्रमुख सिफारिश, जहां तक इस शक्ति का संबध है, यह हैं कि किसी राज्य विशेष के लिए नियुक्त किया गया राज्यपाल गैर–राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए उसे राजनीतिक पूर्वग्रहों से दूर रहकर कार्य करना चाहिए। हमारे देश में हो क्या रहा है? इसके बाद इस पर चर्चा आज और कल होगी जब बिहार के मामले पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी यह विवाद बाद में आएगा।

मैं यह कहना चाहूँगा कि जहां तक सरकारिया आयोग की सिफारिशों और इस विषय का संबंध है, इसे अभी तक संविधान में शामिल नहीं किया गया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक निर्वाचित सरकार दूसरी निर्वाचित सरकार को बर्खास्तर कर रही है। महोदय, उदाहरण के लिए, सन् 1956 में केरल में सरकार को बर्खास्त किया गया। वह सरकार केरल के लोगों द्वारा चुनी गई थी और बिहार सरकार, राबड़ी देवी सरकार, बिहार के लोगों द्वारा निर्वाचित की गई थी, वह सरकार मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए परामर्श अथवा की गई सिफारिशों के अनुसार भंग कर बर्खास्त कर दी गई। वह भी उन्हीं लोगों द्वारा चुनी गई थी अनुच्छेद 356 का आधार क्या है? अनुच्छेद 356 की वैधता क्या है? लोकतंत्र के कौन से सिद्धांत इसमें शामिल हैं?

एक निर्वाचित सरकार, जिसे उन्हीं लोगों ने चुना हो जिन्होंने दूसरी सरकार को चुना है, सर्वोच्च नहीं है। राज्य विधान मण्डल और संसद दोनों ही अपने–अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हैं। ये दोनों आपस में बड़ी नहीं है। अतः संसद भी लोगों द्वारा चुनी जाती है और राज्य विधान सभा को भी लोग ही चुनते हैं। यह लोगों की इच्छा है। केन्द्र कैसे एक सरकार को मनमाने ढंग से बर्खास्त कर सकता है अथवा लोगों के विश्वास में किए बगैर विधान सभा को भंग कर सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है।

इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि अनुच्छेद 356 पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। विगत कई दशकों से इसकी चर्चा हो रही है लेकिन अभी तक फलदायी निर्णय नहीं आया।

इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। इन कुछ शब्दों के साथ, मैं गोवा में अनुच्छेद 356 के प्रयोग का विरोध करना चाहूँगा। गोवा के सम्बन्ध में भी कोई दूसरा प्रावधान ढूंढा जाना चाहिए। जहाँ तक गोवा का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। वहां कोई विकल्प नहीं है और वैकल्पिक सरकार की कोई सम्भावना भी नहीं है। जब ऐसा प्रतिवेदन आया है तो परिस्थिति का सामना करने के लिए कोई दूसरी प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी, इस तरह का परिवर्तन आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः गोवा में अनुच्छेद 356 के प्रयोग, का विरोध करता हूँ।

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) सभापति महोदय, ऑल इण्डिया अन्ना डी. एम. के. की ओर से मैं गोवा में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का स्वागत करता हूँ।

महोदय, इन दिनों कुछ प्रमुख नेताओं के लिए अनुच्छेद 356 बड़ा स्तंभित करने वाला है और कुछ नेता इस अनुच्छेद के प्रयोग के विरुद्ध सुझाव भी दे रहे हैं।

जहां तक संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रश्न है, सम्प्रति प्रमुख नेताओं के मस्तिष्क में एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या इसे संविधान में रहना चाहिए अथवा हटा दिया जाना चाहिए ? मैं इस बिन्दु पर फिर आऊँगा।

जहां तक गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का सवाल है, पूरी तैयारी के बाद, केन्द्र सरकार सही ढंग से निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि उक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए गोवा राज्य में केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की सिफारिश की है।

जब आप इस राज्य का इतिहास देखेंगे, तो पायेंगे कि राज्य के प्रथम मुख्य मंत्री लुइंजिनो फलेरियो के पास 40 सदस्यीय विधान सभा में 21 सदस्य थे। इस आधार पर उन्होंने सरकार बनायी। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि 19 दिनों के भीतर 19 दिन पुरानी श्री फलेरियो के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अल्पावधि में ही राज्य विधान सभा भंग करने का रास्ता साफ किया। यहां तक कि ए. आई. सी. सी. ने 'गोविन्दराव अधिक' को गोवा में अपना

पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया था। लेकिन मुख्यमंत्री श्री फलेरियो ने प्रेस सम्मेलन में भी घोषणा कर दी कि उन्होंने राज्यपाल महोदय से विधान सभा भंग करने की सिफारिश कर दी। मात्र इतना ही नहीं, विपक्ष को भी अवसर दिया गया; लेकिन विपक्ष के लोग भी इस स्थिति में नहीं थे कि गोवा में सरकार बना सकें। लोग गोवा की परिस्थिति को देख रहे थे। पत्रकारों ने भी इस विषय में टिप्पणियां की थीं और उन्होंने विधान सभा को शीघ्र भंग किए जाने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का समर्थन किया। गोवा में वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, वह बिलकुल एक संकट है। यहां तक कि जनता ने सोच लिया है कि राजनीति गोवा में एक मजाक बन गई है।

इन परिस्थितियों में, जब कोई भी सरकार एक स्थायी सरकार बनाने के लिये तैयार नहीं है, केन्द्र सरकार ने देर रात को हुई एक बैठक के बाद माननीय राष्ट्रपति को गोवा की राज्य विधान सभा को भंग करने और वहां पर जब तक नये चुनाव नहीं हो जाते, तब तक धारा 356 लगाने की सलाह दी है।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले ही सभा को बताया कि कुछ प्रमुख नेता हैं। उनके धारा 356 के संबंध में कोई स्थायी विचार नहीं हैं। कई बार वे कहते हैं कि वे इसका स्वागत करते हैं और कुछ परिस्थितियों के अधीन वे कहते है कि इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, वर्ष 1980 में, हमारे प्रमुख नेता डा. पुरात्ची थलाइवार सरकार का नेतृत्व कर रही थी। तत्पश्चात् कोई कारण बताये बिना ही, उस समय धारा 356 का प्रयोग किया गया था और वर्ष 1980 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। एक प्रमुख नेता, होने के बावजूद, जिसका जनता से निरन्तर सम्पर्क बना हुआ था और जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त था, उन्होंने किसी पर दोषारोपण नहीं किया। एम. जी. आर. के नेतृत्व वाली सरकार को वर्ष 1980 में हटा दिया गया था। उन्होंने केन्द्र सरकार पर भी दोषारोपण नहीं किया था। वह काफी उदार व्यक्ति थे। उन्होंने जनता में कहा कि वह पुन: जनता का सामना करेंगे। उन्होंने जनता का सामना किया। उन्हें विजय प्राप्त हुई और वे पुनः सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। तथापि, जब इस धारा का उनके विरुद्ध प्रयोग किया गया था, उस समय तमिलनाडु में कुछ नेता थे, जो बहुत उछल रहे थे और गलत बयान दे रहे थे। यहां तक कि वे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जो अत्यन्त अभद्र थे। तमिलनाडु में ऐसे नेता थे। वर्ष 1980 में, उन्होंने धारा 356 का प्रयोग करने की अनुमति दी थी। अब वे उस धारा का प्रयोग नहीं चाहते।

जहां तक गोआ का प्रश्न है, केन्द्र सरकार ने सही निर्णय लिया है। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कजगम पार्टी की ओर से, मैं इसका स्वागत करता हूं।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपना अभिभाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, गोआ मे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और इसके औचित्य के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया गया, इस पर विस्तृत चर्चा चल रही है। गोआ में जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को किस तरह से संचालित और नियंत्रित किया जाए, यह एक समस्या थी। यह समस्या सिर्फ गोआ तक ही सीमित नहीं थी अपितु इससे सम्पूर्ण देश प्रभावित था, सभी को इस संदर्भ में चिंता थी। वहां जो प्रशासनिक गतिविधियां थीं जिनका वहां की जनता शिकार हो रही थी, जिस तरह से वहां की परिस्थिति थी तथा वहां पर जो राजनैतिक अस्थिरता थी, इसी संदर्भ में धारा 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिस तरह से बिहार की स्थिति है, यहां अभी यह भी चर्चा हो रही है कि बिहार में जो कुछ हुआ है, वह ठीक था, वहां पर राष्ट्रपति शासन का कोई औचित्य नही था। मैं मान रहा हूं कि बिहार नहीं है, लेकिन यह भी बिहार नहीं है, यह लोकसभा है।...*(व्यवधान)* हमें पता है कि हमें गोवा पर बोलना है। लेकिन यह भी नहीं है कि गोवा और बिहार की स्थिति में कोई बहुत बड़ा अंतर है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : महोदय, यह सच बात है कि आज गोवा की स्थिति पर चिन्ता नहीं, बल्कि चिन्तन करना चाहिए। जैसाकि हमारे सहयोगी भी सुन रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि गोवा है और गोवा बिहार नहीं हो सकता है। परन्तु गोवा में बिहार जैसी स्थिति बनती जा रही थी। गोवा में जो उस समय हो रहा था और जैसा बिहार में हो रहा था, अब इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया होता, तो स्थिति दूसरी होती। इसलिए बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए।

सभापति महोदय : शास्त्री जी, आप गोवा के बारे में बोलिए।

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, अगर आप इन्हें चुप करें, तो मैं बोलना शुरु करुं। अगर ये ऐसे ही सुनना चाहते हैं, तो मैं ऐसे ही सुनाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब शास्त्री जी गोवा पर बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : शास्त्री जी को गोवा पर बोलना चाहिए।

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : आप मुझे सलाह न दें।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : महोदय, मैं भी गोवा पर बोलूंगा। हमारी मीटिंग खत्म हो गई है और हम लौट आए हैं।

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : लालू जी, आप गोवा पर बोलिए, बिहार पर बोलिए, आपको जिस पर आदेश हो, उस पर बोलिए, लेकिन मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

(श्री विजय सोनकर शास्त्री)

इस संदर्भ में हमारी जो राजनीतिक स्थिति है, उस पर मैं कांग्रेस की स्थिति के बारे में भी बोलना चाहता हूं। गोवा में निःसन्देह राजनीतिक अस्थिरता थी। जिस तरह से वहां दिन–प्रतिदिन घटनायें हो रही थी, कभी एक दल के लोग दूसरे दल में जा रहे थे और दूसरे दल के लोग पहले दल में आ रहे थे, कोई मैजोरिटी पूर्ण करने की बात कह रहा था और कोई कह रहा था कि सरकार अल्पमत में है। इन सारी चीजों को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने जो कदम उठाया, वह प्रशंसनीय है। इसी प्रकार बिहार में जिस तरह का शासन रहा है या हुआ है, वहां की स्थिति भी वैसी थी।....*(व्यवधान)* हमारा क्षेत्र बिहार से सटा हुआ है, इसलिए हमें उस पर भी बोलना है। हम तुलना कर रहे हैं बिहार की कि गोवा में क्या स्थिति है।... *(व्यवधान)*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नक्वी) : महोदय, इन लोगों ने बिहार की गोवा से तुलना की है।....*(व्यवधान)*

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : महोदय, मैं बनारस का रहने वाला हूं और बिहार इससे सटा हुआ है। जब वाराणसी में कोई तनाव बढ़ता है, तो वे लोग बिहार की सीमा में जाकर शरण लेते हैं। यह सच्चाई थी। आज ऐसा नहीं हो रहा है, दो–चार दिन में भारी परिवर्तन आ गया है। बिहार में क्या हुआ, यह किसी से छिपा नही है। पूर्वांचल में जितनी भी हत्याएं होती थीं उनके हत्यारे बिहार में छिपते थे।

सभापति महोदय : आप गोवा के बारे में बोलें।

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : जिस तरह से दलितों का संहार बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहा था, उससे हम पूरी तरह से प्रभावित होते थे क्योंकि तमाम साथी, रिश्तेदार हमारे बिहार में रहते थे। उनके साथ जब–जब ज्यादती होती थी वे हमारे यहां आते थे। उनको काटा जा रहा था, दलितों की हत्याएं दिन–रात वहां हो रही थीं। आप उस समय के अखबार उठा कर देख लीजिए, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन दलितों की हत्याएं न हुई हों।.... *(व्यवधान)* सर, यही सारी परिस्थितियां होती हैं जब किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि ऐसी स्थिति हो जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिये।

[हिन्दी]

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : आप बता दीजिए कि बिहार में कौन सा पैरामीटर है... *(व्यवधान)* पिछले दिनों केन्द्रीय सरकार ने जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अपनी सिफारिश को राष्ट्रपति के यहां भेजा था, उस समय जब इसे पुनर्विचार करने के लिए वापस कर दिया गया, तो वाराणसी में अनेक स्थानों पर ऐसी चर्चाएं चलीं कि अब बिहार का क्या होगा, अब बिहार के लोगों को कैसे बचाया जाए। सभापति जी, वहां के प्रशासन द्वारा, वहां की सरकार द्वारा जिस तरह से ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, यह अत्यन्त शर्मनाक बात है।....*(व्यवधान)* एक्सीडेंट तो सब बिहार में होता है, गोवा में ट्रेन चलती तो वहां भी एक्सीडेंट होता। मुझे एक कमेटी के साथ गोवा जाने का मौका मिला था। मैंने वहां देखा कि उस समय ये सारी गतिविधियां पीक पर थी। मुझे तीन चार दिन वहां रहने का मौका मिला। कुछ वहां के राजनेताओं से वार्ता हुई और वहां के तथ्य सामने आये और वे तथ्य पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर वहां पर धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और उसकी आलोचना हो रही है तो जिस तरह से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है आलोचना बिहार पर भी होगी... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उनकी बात सुनिये। डा. विजय सोनकर शास्त्री, आप कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिये।

[हिन्दी]

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, बिहार की बात ये लोग सुनना चाहते है। बिहार की दुर्दशा ये लोग देखना चाहते हैं। बिहार में जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार वही लोग होगें जो बिहार के ऊपर समर्थन दे रहे हैं। गोवा में जो कुछ हुआ, राष्ट्रपति शासन जैसे भी गोवा में लागू किया गया है वह उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति महोदय, गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जो प्रस्ताव अनुमोदन के लिए आया है, मैं उसमें गोवा तक ही अपने आप को सीमित रखूंगा। जब बिहार की बात आएगी तो हम बिहार के बारे में बोलेगे।.... *(व्यवधान)* हम आपको पहाड़ा बिहार का दे देंगे, आप उसे पढ़ते रहना। जब बिहार की बात आएगी तो आपको, सदन को, देश को और दुनिया को सारे तथ्य बताएंगे। मैं अभी केवल गोवा की ही चर्चा करुंगा। यह जो रट लगा रहे हैं, उससे पता लगता है कि इनके मन में कितनी जलन थी, कितनी तैयारी थी और क्या षड़यंत्र था? इन्हें सपने में भी बिहार दिखाई देता है।

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : यह मेरी बात कह रहे हैं। यह सच है कि हम दिन–रात बिहार–बिहार करते थे क्योंकि हम बिहार को झेल रहे थे। बिहार में जो हो रहा था, उससे हम दूर नहीं थे।

श्री लालू प्रसाद : महामहिम राज्यपाल ने एक–एक बात यहां भेज कर राष्ट्रपति को गुमराह किया। उस बारे में राष्ट्र और सदन को बताया गया। उन्होंने जो आरोप लगाए, हम उनका कल जवाब देगें। ....*(व्यवधान)* आडवाणी जी को इस बारे में कैसे पता नही होगा? वह उसके जनक है। आडवाणी जी सरदार पटेल बनने चले

थे। चौबे जी चले थे छब्बे बनने और दुबे बन कर रह गए। ...*(व्यवधान)* माननीय आडवाणी जी की नीतियों के बारे में इन्हें जानकारी देनी पड़ेगी। ...*(व्यवधान)*

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, अगर यह ऐसी बात कहेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। यह गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने कोई अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं किए थे। हम भी अपमानजनक शब्द प्रयोग कर सकते थे।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बीच में मत बोलिए.

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप लोग अपने स्थान पर बैठेंगें?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : शास्त्री जी, क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे? आपने पहले ही अपनी बात कह दी है.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शास्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जायें। कृपया समझने की कोशिश करें कि प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित समय मिला है। कृपया दूसरों के अभिभाषण में व्यवधान न डालें। अससदीय प्रसंगों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा। कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइये। आप इस तरह दूसरों के अभिभाषण में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? संसदीय भाषा में एक माननीय सदस्य के निर्दिष्ट करने को निकाला नहीं जा सकता। अतः कृपया अन्य सदस्यों की बात भी सुनिये। अभी तक यहां ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, जो असंसदीय हो और जिसे कार्यवाही वृतान्त से निकालना पड़े। अतः कृपया उसे समझें और कृपया ऐसे व्यवधानों को दूर करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, हम असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते और न ही भविष्य में करेंगे। मैं तथ्य बता रहा था। मैं गोवा तक अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं। धारा 356 के मामले में आरोप लगाया गया कि जब कांग्रेस पार्टी शासन में रही तो उसने भी इस धारा को लगाया।

श्री देवेगौड़ा ने लगाया, आप उसका अनुकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने धारा 356 के बारे में राष्ट्र को आश्वस्त किया था कि सभी पोलिटिकल पार्टीज से विचार-विमर्श किया जायेगा कि धारा 356 रखा जाये या न रखा जाये। इस मामले में हर राज्य का अभिमत मांगा गया था। राजनैतिक कारणों, द्वेष अथवा घृणा या बदले की भावना से चुनी हुई किसी सरकार को अपदस्थ न किया जाये, इसके लिये एक कमेटी का गठन किया गया। जब कमेटी की बैठक हुई तो गृह मंत्री जी उसमें रहे होंगे और यही राय बनी थी। उस कमेटी के पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री बुजुर्ग नेता श्री ज्योति बाबू सदस्य हैं। उनको तथा अन्य लोगों को धारा 356 के मामले में काफी तकलीफ हुई होगी चाहे, राजनैतिक बाध्यता जो भी रही हो, ऐसा किया गया है। हम राष्ट्र को जोडना चाहते हैं। अब गोवा का सवाल है...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री लालू प्रसाद जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

हमने यह चर्चा अपराह्न 2.31 बजे शुरु की थी। चर्चा के लिये कारोबार सलाहकार समिति द्वारा इस मूलतः दो घण्टे का समय आंबटित किया गया था। यहां छह वक्ता और हैं, जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अतः यदि सभा सहमत हों, तो हम चर्चा के समय को एक घंटा बढ़ा सकते हैं।

श्री भजन लाल (करनाल) : महोदय, हम इसे आधा घंटा बढ़ा सकते है।

मेजर जनरल भुवनचन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम (गढ़वाल) महोदय, हम इसे एक घण्टा बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : सभा की सहमति क्या है?

मेजर जरनल भुवनचन्द्र खण्डूड़ी (एवीएसएम) : हमें इसे एक घण्टा बढ़ा देना चाहिये।

सभापति महोदय : हम केवल समय बढ़ा रहे हैं।

मेजर जनरल भुवनचन्द्र खण्डूड़ी एवीएसएम : हम एक घण्टा समय बढा सकते हैं।

सभापति महोदय : अतः सभा की सहमति है कि चर्चा का घण्टा बढ़ा दिया जाये।

अनेक माननीय सदस्य : हां, जी।

सभापति महोदय : चर्चा संबंधी समय अपराह्न 5.31 बजे तक बढाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, 356 के मामले में चाहे कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, आज ये लोग पावर में है, लेकिन मैं लक्षण ठीक नहीं देख रहा हूं। हमारे कुछ साथी पार्लियामेंट में, अनपार्लियामेंटरी भाषा की बात कह रहे थे। यह सबको मालूम है कि नौ महीने में इन्सान का बच्चा पैदा होता है लेकिन इस सरकार को जारी हुआ दस महीने हो गये हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इन लोगों की सरकार उपद्रव मचाये हुये है। अब अवार्शन होने वाला है। जब महामहिम राष्ट्रपति जी अड्रेस कर रहे थे इसका लक्षण उस समय मालूम हो गया।...*(व्यवधान)*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नक्वी) : सभापति जी, लालू जी ने वायदा किया था कि स्ट्रिक्टली वे गोवा पर बोलेंगे लेकिन अब क्या अब वाया बिहार क्यों जा रहे हैं ?

श्री लालू प्रसाद : जब एक बार व्यवस्था हो गई कि जो असंसदीय होगा, देखकर, पढ़कर निकाल देंगे, तो बार-बार उसे उठाने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, धारा 356 के मामले में गोवा से शुरुआत की गई है। जब पहले वहां बी.जे.पी. का शासन हुआ तो बडी खुशी हुई। फिर आपका शासन बदला। स्थिति ऐसी क्यों बनी है? नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्यों हो रहा है? हि.प्र. में हो रहा है।

श्री मुख्तार नक्वी : वहां कभी नहीं हुआ।

श्री लालू प्रसाद : हिमाचल प्रदेश में पं. सुख राम को पूजा जा रहा है। लालू को जेल में और पं. सुखराम की पूजा? सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देश को नये-नये और छोटे राज्यों में बांटकर सदाव्रत बांटने का काम कर रहे हैं। ये देश को तोड़ना चाहते हैं। जहां तक गोवा की स्थिति है, वहां सीमित एसेम्बली सीटें है। वही स्थिति नार्थ ईस्ट स्टेट्स की है और फिर उत्तरांचल, वनांचल की बात करके आप...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवनचंद्र खण्डूड़ी ए.वी.एस.एम. सभापति महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है। यह संगत नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति जी, उत्तरांचल और वनांचल का गोवा से कोई संबंध नहीं। यह कहना कि हम छोटे-छोटे राज्य बना रहे हैं, मैं आपसे सहमत नही हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि कोई उनका उल्लेख कर रहा हो तो आप उस पर आपत्ति नहीं कर सकते। इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

मेजर जनरल भुवनचन्द्र खण्डूड़ी ए.वी.एस.एम. : यह असंगत मुद्दा है।

सभापति महोदय : आप वक्ता भी उसका जवाब दे सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी ओर से बोलने वाला उसका जवाब दे सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

मेजर जनरल भुवनचन्द्र खण्डूड़ी ए.वी.एस.एम. : गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू करने का उत्तरांचल से कुछ लेना-देना नहीं है।

सभापति महोदय : मैं सहमत हूं परंतु किसी सदस्य को कैसे बोलना चाहिए, इस पर मैं कोई निर्देश नहीं दे सकता। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : उत्तरांचल और गोवा का क्या संबंध है? बिहार का और वनांचल का संबंध हो सकता है। ....*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : संदर्भ को समझिए। आप सेना में रहे हैं और हम लोग पोलिटिकल कैरियर में कभी जेल के भीतर रहे और कभी जेल के बाहर रहे। आपको अलग से समझाना पड़ेगा। मैं संदर्भ बता रहा हूं।

मेजर जनरल भुवनचन्द्र खण्डूड़ी ए.वी.एस.एम. : देश की रक्षा के हित के बारे में माननीय लालू जी राजनैतिक जोड़-तोड़ जानते हैं मगर देश की रक्षा की बात मत कीजिए....*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आपको मौका मिलेगा तो बोलिये।..*(व्यवधान)* एक बार इमरजेन्सी में हमारे साथ जेल गए थे। वह भी दस्तावेज और इतिहास है। सभी दलित प्रेमी लोग जो नकली आंसू बहा रहे हैं, माफी मांग-मांगकर जेल से निकले थे। 20 सूत्री कार्यक्रम में इंदिरा जी को प्रणाम करके, नमस्कार करके और जेपी के विचारों को धोखा देकर निकले थे। यह जवाब दे दें गृह मंत्री जी। जनेऊ जो कान पर लगता हैं, टायलट जाने के समय में *(व्यवधान)*

श्री मुख्तार नक्वी : लालू जी गोवा पर बोल रहे हैं या बिहार पर बोल रहे है या टायलेट पर बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? वह मान नहीं रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए यदि सदस्य मान नहीं रहे हों तो आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : इन्होंने हिन्दू संस्कृति के खिलाफ बात की है।.... *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : इन्होंने जनेऊ के बारे में बात की है, यह नहीं चलेगा।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप किस प्रकार ऐसे खड़े होकर बोल सकते हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री लालू प्रसाद यादव के भाषण के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति जी, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप किस नियम के अंतर्गत यह मुददा उठा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है। इसकी अनुमति नहीं है। यदि आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो मैं आपको अनुमति दूंगा, अन्यथा मैं अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : पांइट आफ आर्डर यह है कि जनेऊ को गाली देंगे। दे सकते हैं। ये जनेऊ पहने या न पहने ये जनेऊ को गाली कैसे देगें?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : ये हमारी हिन्दू संस्कृति और व्यवस्था पर चोट नहीं कर सकते।.... *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप इस पर नियमन दीजिए कि ये गोवा पर बोल रहे हैं या टॉयलेट पर? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते।

...*(व्यवधान)*

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नही किया गया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : सभापति जी, ये भाषण कर सकते हैं पर जनेऊ को गाली नहीं दे सकते...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : कौन गाली दे रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : आप गाली दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अन्य सदस्य जो बोल रहे हैं, उसका उत्तर देने के लिए आपको अवसर दिया जायेगा। आप इस प्रकार मत बोलिए। पीठासीन अधिकारी का काम हर सदस्य को अनुशासित करना नहीं है। कृपया इसे समझिये। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। इस प्रकार व्यवहार मत कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : *

श्री लालू प्रसाद : *

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : ...*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शास्त्री जी, कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : ....*

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : इस तरह से हाउस नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद :..... *

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : यह जनेऊ को क्वोट कैसे करेंगे? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस प्रकार बोलने का क्या फायदा है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : .... *

यह हमको गाली देंगे ?....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : अगर हम जनेऊ पहनते हैं तो ये हमको गाली कैसे देगे ? ....*(व्यवधान)*

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री लालू प्रसाद : * ....*(व्यवधान)*

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जनेऊ को गाली नहीं दे रहा हूं। जे. पी. ने कहा था ऊंची जाति के लोगों, बच्चों यह हमारा टोटल रिजोल्यूशन है, संपूर्ण क्रांति है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह क्या है?

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री लालू प्रसाद जो कुछ कहेंगे उसके अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

....*(व्यवधान)* **

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, ए.वी.एस.एम. : क्या वह गोवा पर नहीं बोल सकते ?

सभापति महोदय : कृपया इस प्रकार निर्देश मत दीजिए यह सदस्यों की इच्छा है।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री खण्डूडी आप पार्टी के सचेतक हैं। अपना भाषण देते हुए डा. शास्त्री गोवा के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले, परंतु हम उन्हें अनुमति दे रहे थे। कृपया यह बात समझिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे कुछ भी कह सकते हैं। गोवा के मुददे पर यदि सदस्य समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए। समूचा देश इसे देख रहा है। यह मेरा अनुरोध है। अतः अन्य सदस्यों को इस प्रकार निर्देशित नहीं करे।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मैं किसी के जनेऊ को गाली नहीं दे रहा हूं। जे. पी. ने कहा था– तोड़ डालो, सब जातियों, क्लासिज का सोसायटी को इनकी पार्टी, इनका संघ परिवार बोला कि जे. पी. ने तो हमारे विचारों, हमारे कट्टरपंथ को ध्वस्त कर दिया। टनों में ऊंची जाति के लोगों ने जनेऊ तोडकर भेजे, न कोई संघ रहा न कोई नीच, न कोई दलित रहा। मैं यह सब नहीं कह रहा हूं। इन चीजों को अब आप सुनिये, चूंकि आपने अतिक्रमण किया, आप और आपके लोग गोवा छोड़कर बिहार में निकल गये। मैं आपको याद दिला रहा हूं। कि संघ परिवार और कट्टरपंथ ....*(व्यवधान)*

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : संघ परिवार को बीच में क्यों ला रहे हैं....*(व्यवधान)*

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, आपने बहुत रूलिंग दी है। जिस तरह से आप रूलिंग्स दे रहे हैं, आपकी रूलिंग का यह वायलेशन कर रहे हैं। यह संघ परिवार के बारे में बोल रहे हैं या गोवा के बारे में बोल रहे हैं? ....*(व्यवधान)* अगर आप संघ परिवार पर बोलना चाहते हैं तो इसके लिए भी अलग से तैयार हैं। अगर यह ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। *

श्री लालू प्रसाद : इसका डिमांस्ट्रेशन में कल बताऊंगा। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : चर्चा गोवा पर हो रही है यह गोवा पर बोले, यह किसी और विषय पर बोल रहे हैं.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: यह देश तो तोड़ने वाले.......*(व्यवधान)* गोवा में राष्ट्रपति शासन के बारे में मैं बता रहा था, मैं सुझाव देना चाहता था ....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : लालू यादव जी, *

श्री लालू प्रसाद : मैं उसी बात को दोहराऊंगा तुम्हारे कौन–कौन से घोटाले हैं, *

अपराह्न 4.42 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.43 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए।

....*(व्यवधान)*

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : यही है संविधान, यही है कट्टरपंथ, यही है ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं मस्जिद तोड़ने वाले कट्टरपंथी देश को ध्वस्त करने वाले हमें पाठ पढ़ा रहे हो। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : ...*

श्री लालू प्रसाद : *

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.44 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल पर निकट फर्श पर खड़े हो गए।

सभापति महोदय : आप सभी अपनी सीटों पर जाइये।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं सभी सदस्यों से पुनः अनुरोध करता हूं कि अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध है कि वे अपने–अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.47 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए।

सभापति महोदय : श्री लालू प्रसाद यादव, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री लालू यादव, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, सदन में उन्होंने गाली दी है। पूरा सदन सुन रहा था कि वे गाली दे रहे हैं। इसलिए इनको सदन से माफी मांगनी चाहिए।

[अनुवाद]

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : आप उन्हें क्षमा मांगने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं ? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? कृपया अपने–अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : सभापति महोदय, सदन में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है वह ठीक नहीं है। किसी को बदतमीज कहना, किसी को चोर कहना, मुझे नहीं लगता कि यह सदन की गरिमा के लिए ठीक है। इसलिए जो कुछ भी सदन में हो रहा है, उसे रोकना चाहिए। मुझे इस बात को देख कर शर्म लगती है। कि संसदीय कार्य मंत्री स्वयं इस टोका–टाकी में शामिल होते हैं। यह ट्रेजडी बैंच की जिम्मेदारी है कि सदन को ठीक प्रकार से चलने दिया जाए। यदि संसदीय कार्य मंत्री ही टोका–टाकी में भाग लेंगे, तो मुझे नहीं लगता सदन ठीक प्रकार से चल पाएगा ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नक्वी) : सभापति महोदय, मैंने कुछ भी नहीं बोला।

श्री शरद पवार : सभापति महोदय, यह कहीं तो रुकना चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने आदमियों को इस सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए कहें। मैं अपने दल के लोगों की जिम्मेदारी लेता हूं। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको इनके बाद अनुमति दूंगा कृपया बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : मैं आपको इसके बाद अनुमति दूंगा।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? माननीय गृह मंत्री बोलने के लिए खड़े हैं। आप शोर क्यों मचा रहे हैं जब आपके नेता ही बोलने के लिए खड़े हैं। कृपया मंत्री महोदय को बोलने दें।

......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मैं माननीय विपक्ष के नेता की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और यह सदन की गरिमा को नीचा करता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रतिपक्ष के नेता ने संसदीय कार्य मंत्री के बारे में कहा है, मैंने उनसे कोई ऐसी बात नहीं सुनी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : सभापति जी, पिछले एक घंटे में मैंने उन्हें ऐसा करते हुए कितनी ही बार देखा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति महोदय, मैं माननीय शरद पवार जी से इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी भी ढंग से नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ वह चाहे उस तरफ से हुआ या हमारी तरफ से हुआ, यह नहीं होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि संसदीय भाषा या इस प्रकार के शब्द जो अन्यों के प्रति अपमानजनक हों, उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : क्या टोका-टाकी जारी रहेगी? ....*(व्यवधान)* लालू जी जब बोल रहे हैं.... *(व्यवधान)* मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब कोई ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह क्या है।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, यह काफी नहीं है। आप अपना स्थान गृहण करें। प्रतिपक्ष के नेता और माननीय गृहमंत्री महोदय ने सभा की भावनाओं को स्पष्ट रुप से अभिव्यक्त कर दिया है। मैं और सदस्यों को इसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं दूगां।

मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री को बता रहा था, जब वे विषय मुद्दे पर हस्तक्षेप कर रहे थे कि चाहे प्रतिपक्ष की ओर से उकसाया जाए तो भी यह संसदीय प्रथा रही है कि सत्ता पक्ष के लोग अधिक सहिष्णुता दे पाएंगें। इसलिए मैंने एक बार संसदीय कार्य राज्य मंत्री को समझानें का प्रयास किया था।

दोनों ओर से असंसदीय और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और इसे सभा के कार्यवाही व्रतान्त से निकाल दिया जाएगा। मैं एक बार फिर सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे उकसाने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करें। हम एक मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। मेरा मानना है कि उकसाने वाली भाषा का प्रयोग चर्चा में किया जा सकता है लेकिन यह सभा की कार्यवाही को सही ढ़ग से चलानें के लिए होना चाहिए। इसलिए कृपया यह सुनिश्चित करें कि सभा में उकसाने वाले शब्दों और भाषा का प्रयोग नहीं हो ।

मैं श्री लालू प्रसाद से भी एक विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी वे कोई बात कहें- वे बहुत अच्छी बात कहते रहे थे लेकिन साथ ही वे दूसरे पक्ष के लोगों को उकसा रहे थे। अतः वे ऐसा नहीं करें।

मेरे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद सत्ता पक्ष के एक अति वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षपीठ की बात नहीं सुन रहे थे। कृपया ऐसा नही करें। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष पीठासीन है। अध्यक्ष पीठ का निर्देश तो हरेक को मानना होगा।

पिछले कुछ क्षणों में सभा में जो कुछ हुआ वह अति दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय है। हमें इसे भूल जाना चाहिए और सार्थक विचार-विमर्श करना चाहिए। यहां जितनी भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री लालू प्रसाद यादव कृपया अपना भाषण शुरु करें।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति जी, आपने अभी जो रुलिंग दी, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं और उसका पालन करता हूं। लेकिन यह सवाल दोनों तरफ कहकर नहीं टाला जा सकता है। हम गुस्से से कुछ कह सकते हैं, यह सही है लेकिन गाली हमारी तरफ से पहले कभी नहीं दी गई। ... *(व्यवधान)* अगर गाली दी जायेगी, तो हम गुस्से में इससे ज्यादा अच्छी गाली देना जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

आप दोनों की बात क्यों करते हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपकी रुलिंग मानता हूं लेकिन उनकी तरफ से तीन बार गाली दी गई।...... *(व्यवधान)* चौथी बार हम लोगों को गुस्सा आया, यह ठीक है। क्या हम गाली सुनेगें? क्या हम इनकी बेहूदा बातें सुनने के लिए आये हैं। ...*(व्यवधान)* लालू जी को आप क्या समझते हैं ? ......*(व्यवधान)* आप क्या बात कर रहे हैं। हम आपकी रुलिंग को मानते हैं। ...*(व्यवधान)*

यह आपकी रुलिंग को तोड रहे है। ...*(व्यवधान)* तीन बार इन्होंने बेहूदा कहा तभी हमारे सदस्य उत्तेजित हुए। आपने उन्हें नहीं रोका।

आडवाणी जी, आप जैसे गरिमापूर्ण व्यक्ति को दोनों तरफ की बात नहीं कहनी चाहिए। मेरा आपसे यह कहना है कि आप उनको डांटिये, हम अपने को कंट्रोल कर लेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैने यह कहा है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो एक दर्जन व्यक्ति उठकर मन बना ले कि हम उन्हें बोलने नहीं देगें। ...*(व्यवधान)*

आडवाणी जी मुस्कराते रहे। *(व्यवधान)* इसको देखना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम सभा का कार्य शुरु करें। श्री लालू प्रसाद यादव अपना भाषण जारी रख सकते हैं। कृपया, उन्हें बीच में बाधा न पहुँचाएं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद सभापति महोदय, आर्टिकल 356 की शुरुआत गोवा से हुई। मैं मानता हूं कि कार्य मंत्रणा की बैठक में सभी दल इस बात से सहमत हुए कि वहां के पोलिटिकल हालात बहुत खराब हो गये हैं इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू किए बगैर और कोई निदान नहीं है। यह हम लोगों ने माना लेकिन इसका बिहार में चला जाना, बिहार आपके सामने आने वाला है। मैं यह बता रहा था कि छोटे–छोटे राज्य जहां 40 सीटें हैं, 80 सीटें हैं वहां सब मंत्री बनना चाहते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। यह बात इस मुल्क में बराबर आती रहेगी। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम असेम्बली की सीटों को बढ़ा सकें। हिमाचल हो, नार्थ ईस्ट हो जहां दो–तीन सीटों से फैसला हो जाता है और सरकारें नहीं चलतीं। इससे जनता के काम बाधित होते हैं इसलिए हम यह बताना चाहते हैं कि देश के टुकड़े–टुकड़े करना और देश को खंड–खंड में बांटना, अपना प्रभुत्व स्थापित करना जैसी एक संस्कृति इस मुल्क में बन गई है।

अपराह्न 4.55 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीतासीन हुए)*

जिस तरह ईर्ष्या, द्वेष और जलन से देश में काम हो रहे हैं, आज दलितों के बारे में बताया गया, मैं बता रहा हूं कि जिस कट्टरपंथ ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छीना, हमारे समतामूलक समाज और "सही आजादी का सबूत, गांव हमारा हो मजबूत" बापू का जो संदेश था, आज बापू इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे दलित भाई, माईनोरिटीज के लोग हों, क्रिश्चियन बिरादरी के लोग हों, आपको बिरादरी से क्या मतलब है। कल जब बिहार के मामले में बात होगी तब हम बताएंगे। मुझे भी उस राज्य का मुख्य मंत्री रहने का अनुभव रहा है। किस तरह से संभ्रात वर्ग टी. वी. में आ रहा है, किस तरह से बिहार की राबडी देवी को संबोधित करता है, किस तरह से बिहार में सोशल जस्टिस होगा, मैं कल बताऊंगा।

मैं वापिस अपनी बात पर आता हूं। आप गोवा के बारे में जो प्रस्ताव लाए हैं, क्योंकि, वहां परिस्थिति ऐसी हो गई थी, भविष्य की रणनीति, आपके कट्टरपंथ, आपकी नीति को देश की जनता ने समझ लिया है। अब वह समय नहीं है। लोगों को आपके विषय में काफी भ्रम था, वह भ्रम मिटा है और आप मोहर लगाना चाहते हैं। महोदय, आपने कल गृह मंत्री जी का टी. वी. में कार्यक्रम देखा होगा। वे मंत्री हैं। मिनिस्टर कहते हैं करप्ट गवर्नमेंट, एंटी दलित, बिहार के मामले में करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में आप पर मुकदमे हुए। हमने कभी आपको भ्रष्ट नहीं कहा, हमने आपको गालियां नहीं दी। हम पर मुकदमा हो, किसी भी साथी पर मुकदमा हो, किसी भी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट पर मुकदमा हो, मुकदमा होने वाला भी है, आप समझें कि जो जैसा करेगा, हम न्यायपालिका का आदर करने वाले लोग हैं लेकिन आप न्यायपालिका को नहीं मान रहें हैं। सज़ायाफ्ता आदमी आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। क्या आपने देश की माईनोरिटी के साथ, मस्जिद को तोड़ना, न्याय पालिका के आदेश का पालन न करना, न्यायपालिका की बात का पालन न करके आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं? ..*(व्यवधान)* मैं अपने संकल्प को फिर दोहराता हूं कि एक गाली देंगे तो हम एक सौ एक गाली ठोकेगें ...*(व्यवधान)* आप बीच में क्यों आ जाते है। ...*(व्यवधान)* आप हजारों वर्षों से हमारे बाप–दादाओं को गाली देते रहे हैं, हमारे बाप–दादा शोषण और दोहन के शिकार होते रहे हैं। मैं सारी बात जानता हूं कि आपकी क्या योजना है, आप क्या करना चाहते थे, आपका दिया हुआ दस्तावेज, बिहार में कामेश्वर पासवान, दलित के बारे में मैं कल देश को, राष्ट्र को बताऊंगा। सारा लिट्रेचर है, आप नेशन और राष्ट्रपति को रिसीव नहीं कर सकते, आपने राष्ट्रपति जी को धोखा दिया है, सदन को धोखा दिया है।...*(व्यवधान)* आपको बोल रहे हैं। गोवा पर ही बोल रहे हैं। गोवा तो एक बहाना है, इसको हमने जाना है। गोवा से निकलकर बिहार में, आप कहीं और जाने वाले हैं। कल जब बिहार आएगा तो हम आपको कोने में ठेल देंगे, जहां कहीं आपका पता नहीं रहेगा। ...*(व्यवधान)* महोदय, आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। जिनका प्रस्ताव गोवा के मामले में आया है, हम उसका समर्थन करते हैं और इनको वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि धारा 356 के नाम पर आपने अपना शासन लादने की कोशिश की। देश में और विदेशों में भी लोगों ने तानाशाही नहीं चलने दी है, तानाशाही को उखाड़कर फेंक डालेगें।

(श्री लालू प्रसाद)

सांय 5.00 बजे

वाजपेयी जी मोड्रेट होने की चाहे जितनी कोशिश करे, बस पर आने-जाने की कोशिश करें, मैंने उनको कहा था कि आप तो जा रहे हैं, अच्छी बात है, मुलायम सिंह यादव जी वही बात कर रहे थे, लेकिन उस बस में अगर पीछे आदरणीय आडवाणी जी नहीं है तो आपके पाकिस्तान जाने का कोई मतलब नहीं है। आपका खेल बिगाड़ने के लिए हम बैठे हुए हैं। यह देश टूट के कगार पर खड़ा है। आप यह काम मत करिये, देश का मत तोड़िये, देश को जोड़िये। जो अच्छी बात होगी, उसका हम समर्थन करेंगे। गोवा में ऐसी स्थिति आ गई, हमारा लोकतांत्रिक मोर्चा है, हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दूबे जी, चौबे जी, त्रिपाठी जी, जो हमको मंत्र पढ़ाते थे, अब गाली पढाओगे तो हम लोगों ने सारा सीख लिया है, सारा अंत्र-मंत्र सीख लिया है। ...*(व्यवधान)* आप महिला हो, आप क्यों खड़ी हो जाती हैं, आप बैठिये।

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर) : हमारा अधिकार है।

श्री लालू प्रसाद : आपका अधिकार तो में दे रहा हूं। आपका अधिकार है तो राबड़ी देवी की गर्दन क्यों कटवाई? महिला का अधिकार है तो राबड़ी की गर्दन क्यों ले ली, उस पर क्यों नहीं बोलती? इनका अधिकार है?

महोदय, मैं समर्थन करके बैठ जाता हूं इनका अपने लिए अधिकार है, राबड़ी देवी के लिए अधिकार नहीं है, उसकी गर्दन ले गये।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोवा में धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के अनुरोध के लिए प्रस्ताव आया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

कानून देश में व्यवस्था के लिए बनाया जाता है और कानून बुरा नहीं होता है। कानून किन के हाथों में है और इसका किस प्रकार से उपयोग और दुरुपयोग होता है, यह इस पर निर्भर करता है। जब कांग्रेस इस देश में राज करती थी तो उसने 90 बार धारा 356 का दुरुपयोग किया। गोवा में संवैधानिक स्थिति ऐसी बन गई थी कि वहां पर राज नहीं चल सकता था और इस संवैधानिक संकट से उबरने के लिए सभी दलों के लोगों ने, विधायकों ने मिलकर, सभी दलों के नेताओं ने मिलकर, लगभग, 36 लोगों ने राष्ट्रपति शासन का समर्थन किया और परिणामस्वरुप उसको लागू करने के लिए आदेश जारी हुआ।

आज संसद में उसके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव आया है। सन् 1975 में कानून के उपयोग और दुरुपयोग की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अस देश में अमरजेन्सी लगाई गई थी। अनेक नेता यहां पर विराजमान हैं, माननीय लालू यादव, मुलायम सिंह जी और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर विरोध पक्ष के सभी नेता थे, ये सभी जेलों में बन्द थे। पूरे हिन्दुस्तान को एक जेल बना दिया गया था। यह मैं कानून के दुरुपयोग की बात आपसे कर रहा हूं। इसी तरह कांग्रेस ने लगातार धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए 90 बार लोकतंत्र की हत्या की है।

जहां वे गोवा में समर्थन की बात करते हैं, वही बिहार में उनका दूसरा मापदण्ड है। बिहार मे तो कोर्ट ने भी जंगल राज की संज्ञा दी है। वहां नरसंहार हुए। अभी पूर्व में राव साहब बोल रहे थे और उन्होंने अम्बेडकर जी को कोट करके कहा था कि धारा 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या दलितों की हत्या होनी चाहिए ? क्या एक जाति विशेष का संगठन गांव के गांव उजाड़ दे, नरसंहार कर दें, तो बिहार में एसी स्थिति बन गई थी कि वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं रह गई थी। मान्यवर, आज जो गोवा का प्रसंग आया है, वे लोग इसका तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कह रहे हैं कि बिहार में धारा 356 का दुरुपयोग हुआ है। उन लोगों के लिए एक कहावत है- सौ-सौ चूहे खा कर बिल्ली चली गंगा स्नान को। ...*(व्यवधान)* बिल्ली चली हज को। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुसमारिया जी आप इधर-उधर बात न करें, अपना भाषण दें।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : जब ऐसा संकट उत्पन्न हो जाए, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए, लोगों की इज्जत, जान-माल की रक्षा न हो सके। ऐसे समय धारा 356 का उपयोग करना उचित है और आडवाणी जी ने इसका उपयोग करके लोकतंत्र की सुरक्षा की है, लोगों की, गोवा के संविधान की सुरक्षा की है। गोवा में नए लोकतंत्र की स्थापना के लिए दरवाजा खोला है, मैं उनको बधाई देता हू और इसका समर्थन करता हूं।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, गोवा में धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए गृह मंत्री जी ने यहां प्रस्ताव रखा है। इस सिलसिले में सदन में अभी बहुत सी बातें हुईं। संसद की गरिमा बनाए रखने की बात भी कही गई। संसद की गरिमा को बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन धारा 356 के तहत प्रजातंत्र की गरिमा को कलंकित करने की जब बात होती है और सत्ता पक्ष के लोग बेफिक्र होकर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी यह ध्यान में रखना चाहिए।

जहां तक गोवा का सवाल है, गोवा की बात करते-करते बहुत से माननीय सदस्य बिहार की भी बात कर गए। लेकिन बिहार की बात करते-करते वे गुजरात और उत्तर प्रदेश की बात करना भूल गए। सवाल इस बात का आता है कि गोवा में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, वहां के अधिकांश विधायकों ने खुद मांग की कि हमारे सदन को बर्खास्त किया जाए और नए चुनाव कराए जाएं, जिसका सम्मान आपने किया। वहां के राज्यपाल महोदय ने आपको निवेदन किया और आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया। अब आप उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए यहां आए हैं। बिहार की मैं ज्यादा चर्चा नहीं करुंगा, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने वहां की राजनैतिक स्थिति, का जायजा लिया। बिहार में मानवता को

कलंकित करने वाला दलितों का नरसंहार किया गया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो सरकार केन्द्र में है, यह ठीक है कि बिहार में दलितों को मारा गया। लेकिन केन्द्र सरकार ने दलितों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आरक्षण जिस प्रकार से बंद करने की साजिश की है और उन्हें जिंदा दफन करने की कोशिश की है, उसके बारे में सत्ता पक्ष के लोग क्यों नहीं बोलना चाहते, इस बात का हमें अफसोस है। बिहार में दलितों को मारा गया, और यहां जिंदा दलितों के आरक्षण को नष्ट करके उनके अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है। उसकी बात सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं। आज यह सब बातें करते हुए।...*(व्यवधान)*

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : उपध्यक्ष महोदय, ये आरोप लगा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राजबीर सिंह जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजबीर सिंह : उपाध्यक्ष जी, वह आरोप लगा रहे हैं। वह सत्तारुढ़ दल पर आरोप लगा रहे हैं। वह स्पेसिफिक बताएं कि कहां पर हमारी सरकार ने आरक्षण खत्म कर दिया। ...*(व्यवधान)* कहां पर दलितों पर हमारी सरकार ने गोलियां चलवा दी ? ...*(व्यवधान)* यह गलत बयानी अगर कार्यवाही में जाती है तो देश में लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। .....*(व्यवधान)* यह स्पेसिफिक चार्ज लगाएं और घटना के हिसाब से बताएं। .....*(व्यवधान)* उन प्रदेशों के नाम बताएं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कवाडे, आप अपने को गोवा तक ही सीमित रखें, ये सभी समस्याएं केवल इसी कारण पैदा हो रही हैं।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : अब मैं खास विषय पर ही बोलूगां।

जो पाँच ओ. एम. डी. ओ. पी. टी. ने दलितों के आरक्षण के विरोध में निकाले हैं, वे क्या हैं? वह क्या ये लोग जानते नहीं हैं? एस. सी./एस. टी. के रिक्रूटमेंट का सवाल है, उनके प्रमोशन और तबादले का सवाल है, यह क्या कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गहलोगत (शाजापुर) : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। नियम 356 के अन्तर्गत मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 356 निकालो।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तपन सिकंदर (दमदम) : महोदय, वे यह मुद्दा नहीं उठा सकते। यह चर्चाधीन विषय से बिल्कुल भिन्न है। .....*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गहलोत : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अधीन है ?

श्री तपन सिकदर : नियम 356 के अधीन।

[हिन्दी]

यह असंगत बात कर रहे हैं। नियम 356 में यही है और आपको असंगत बात करने से रोकने का अधिकार है। यह जो ऑफिस ज्ञापन जारी हुए हैं, वे 1996–97 में जब देवगौड़ा जी और गुजराल जी की सरकार थी, उस समय जारी हुए हैं,.....*(व्यवधान)* नौकरियों में प्रमोशन उस समय रोके गए हैं और एस. सी., एस. टी. आयोग ने गुजराल जी को सरकार और देवगौड़ा जी की सरकार का लिखित में दिया था कि ये प्रमोशन जारी रखे जाएं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था के प्रश्न से संबधित नही है। व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब से आगे कोई व्यवधान नहीं करेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : आर्टिकल 356 में यही लिखा है, लेकिन यह प्वांइट ऑफ ऑर्डर नहीं है।.... .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चिखलिया जी, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नियम देख लिया है। मैं आपको इसे उद्धृत करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास अठावले, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : मैं केवल इतना ही कहना चाहता था। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन जो सदन में बार-बार बात की गई, केवल उसी सिलसिले में बात कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप गोआ के बारे में बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : जब सारी बातें हो गईं,... *(व्यवधान)* हम इसलिए कहना चाहते हैं, ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कंक्लूड करिए।

....*(व्यवधान)*

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : जहां दलितों के नरसंहार की बात को लेकर बिहार सरकार को बर्खास्त करने की बात की गई।... *(व्यवधान)* यहां पर की गई। ...*(व्यवधान)* हम यह कहना चाहते हैं कि वहां दलितों का नरसंहार किया गया लेकिन जिंदा दलितों के जीने का जो अधिकार छीना जा रहा है, उसके बारे में यहां पर कोई बात नहीं हो रही है, हम यही कहना चाहते हैं।

जहां तक गोआ का सवाल है, हमारे गृह मंत्री जी द्वारा धारा 356 के अंतर्गत पहली बार बिहार की सरकार को बर्खास्त करने संबंधी जब राष्ट्रपति जी ने वापस भेजा तो वे तिलमिला गए और धारा 356 पर राष्ट्रीय बहस की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि धारा 356 को संविधान से निकाल दिया जाए लेकिन आज डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर उसी धारा 356 का समर्थन कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि धारा 356 के बारे में राष्ट्रपति बहस की बात करने वाले गृह मंत्री जी जो उसका पहले विरोध करते थे, राष्ट्रपति जी पर नाराजगी जाहिर करने वाले गृह मंत्री जी आज उसी धारा 356 का सहारा लेकर कभी गोआ और कभी बिहार की सरकार को क्यों बर्खास्त कर रहे हैं ? एक तरफ नीति की बात होती है लेकिन इनकी नीयत ही साफ नहीं है। ...*(व्यवधान)* गोआ में जो कुछ भी हुआ, गोआ के विधायकों ने मांग की थी कि गोआ की सरकार को बर्खास्त किया जाए क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगला बजट जो आने वाला है, उसमें हेराफेरी हो। उन्होंने खुद कहा कि "आ बैल मुझे मार" और इन्होंने बैल भेज दिया और गोआ को मार दिया, ठीक है लेकिन बिहार में क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : आपने गलत बात कही, तो ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं, तो नहीं चलेगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कवाडे जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : दूसरे प्रावधान के तहत कोई नई व्यवस्था बनाकर गोवा की सरकार कायम रह जाती और चीफ मिनिस्टर का सम्मान किया जाता, तो हम केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देते, लकिन वहां पर वैसा नहीं किया गया। गोवा में धारा 356 का लागू कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। गोवा में जो स्थिति पैदा हुई है, मैं उसका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि इसके बाद धारा 356 का गलत इस्तेमाल न हो।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री चेतन चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, गोवा में धारा 356 लागू कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और वहां की सरकार बर्खास्त की गई, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, पिछले सात महीने में गोवा के अन्दर हालात इस प्रकार के थे कि वहां पर तीन सरकारें बदल गईं और अंत में 36 विधायकों ने लिख कर दे दिया कि वहां पर किसी की सरकार नहीं चल सकती है और नए चुनाव कराने होगें, जो प्रदेश के हित में होगें। 40 विधायकों में से 36 विधायकों ने लिख कर दिया। पिछले तीन मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह राणे, विलफ्रेड डिसूजा और लुडसिने फलैरो-सरकारों में रहे हैं और बोर्डस के अध्यक्ष रहे हैं। वहां पर चार विधायक भाजपा के हैं, जिनको लाभ नहीं मिला, लेकिन और जितने भी विधायक थे, उनको लाभ मिला। यह लड़ाई कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी और लड़ाई थी, कांग्रेस सोनिया और कांग्रेस राजीव। मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूगां कि यह लड़ाई जुलाई में शुरु हुई और जनवरी में समाप्त हुई। यहां आपत्तिजनक बात यह थी कि लगभग दस विधायक जो कांग्रेस के थे, उनको स्पीकर ने डिसक्वालिफाई कर दिया, लेकिन बाद में हाई कोर्ट के द्वारा वे बहाल हो गए। उसके बाद परिस्थिति में परिवर्तन हुआ और तीन बार परिवर्तन हुआ वहां की राजनीति इस प्रकार की हो गई थी और कुछ समाचार पत्रों में लिखा गया- गोवा में राजनीति, मदारी का खेल। पहली स्थिति में विधान सभा में सिलैंडर मैजोरिटी थी। 40 विधायकों में सरकार की तरफ 21 विधायक थे और विपक्ष में 19 विधायक थे। सिर्फ एक विधायक की स्थिति की वजह से सरकार की मैजोरिटी बनी थी। मैं कहना चाहता हूं कि छोटी-छोटी विधान सभाओं में जहां पर सिलैंडर मैजोरिटी होती है, वहां पर यह परेशानी आ रही है। मुख्य परेशानी यह है कि पहले स्थिति का लाभ और फिर पैसे का लेन-देन। यह बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है और उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं बल्कि जो भी छोटी-छोटी विधान सभाएं हैं वहां जिस प्रकार दलबदल हो रहा है, जैसे गोआ में हुआ, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पैसे दिए जाते हैं, पदों का प्रलोभन दिया जाता है और दल-बदल हो रहा है इस बारे में भी चर्चा करने

की बहुत आवश्यकता है। धारा 356 की बात जो कही गई है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरु से ही कहा है कि हम धारा 356 के खिलाफ हैं लेकिन गोआ में स्थिति इस प्रकार की हो गई थी कि वहां सिवाय राष्ट्रपति शासन लागू करने के कोई चारा नहीं बचा था। वहां कोई भी और व्यवस्था नहीं हो सकती थी इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मैं समझता हूं कि जब 36 विधायक लिख कर दे दें और जनता की भी यही मांग है तो उसी के अनुरुप वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए गोआ में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है लेकिन मैं संक्षेप में ही अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। गोआ में जहां तक धारा 356 का सवाल है, गोआ विधान सभा के विधायकों ने स्वतः मांग की है कि हम सरकार चलाने में असमर्थ हैं हमारे यहां राष्ट्रपति शासन लागू करवा कर चुनाव कराए जाएं।

महोदय, मैं निवेदन करुंगा कि धारा 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए लेकिन धारा 356 को रखना अनिवार्य भी है। सबसे बड़ी कठिनाई यह हो रही है कि जो छोटे-छोटे दल हैं वे अपने स्वार्थवश दल-बदल करके, सत्ता की भूख की वजह से आए-दिन सरकार बनाते-बिगाड़तें रहते है। अगर संचमुच में आप स्वस्थ परम्परा चाहते हैं तो जो दल-बदल विधेयक बना है उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए और सीधी बात होनी चाहिए कि जो सदस्य जिस दल से चुन कर आया है अगर वह दल बदलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरह की बीमारियां होती रहेंगी।

महोदय, इस सदन में हमने भी देखा कि अगर पीड़ा हुई। आज जो सदन की गरिमा को लोग देख रहे हैं उसे कहने मे भी तकलीफ होती है कि यह सदन मुद्दत से चलता आ रहा है लेकिन आज इसकी क्या दशा है- "पर उपदेश कुशल बहुतेरे।" अपोजिशन में बैठे हुए जो हमारे सम्मालित मुख्य मंत्रीगण हैं, बड़े-बड़े मंत्री रहे हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, वे केवल दूसरों को ही नसीहत देंगे या अपने को भी देंगे । मैं लालू जी और मुलायम सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं। यह बात सही है कि जब लालू जी बोलने लगते हैं तो जिसकी इच्छा नही होती वह भी देखने आता है कि कैसी भाषा बोल रहें हैं, उत्सुकता हो जाती है। लालू जी ने कल भी कहा था, उन्होंने अपने को कृष्ण कहा था। मैं लालू जी से निवेदन कर रहा हूं कि वह कृष्ण जी का अध्ययन करें। कृष्ण जी साधू-संतों और गुरुओं की सेवा करते थे और जो कंस था वह साधू-संतों की हत्या करता था, उनका उत्पीड़न करता था। उन दोनों में जरा फर्क करके देखो कि आप किधर जा रहे हैं। कृष्ण की तरह से संतों की रक्षा कर रहे हैं या कंस की तरह से वध कर रहे हैं, यह अपने मन में सोच लें। जहां तक भारतीय परम्परा का सवाल है- जनेऊ का अपमान करना, शिखा का अपमान करना, किसी जाति का अपमान करना ऐसे महान लोगों का काम नहीं है। हमें वह दिन याद है जब वह हमारी सरहद पर आए थे। उस समय लालू जी मुख्य मंत्री थे और वह भाषण दे रहे थे। कहते है कि इन्होंने वहां भी शंख बजाया, ब्राह्मण की निन्दा की और यह कहा कि भूरे बाल समाप्त करो। भू का मतलब भूमिहार है, र का मतलब रातुर है, ब का मतलब ब्राहमण है और ल का मतलब ताला है। "भूरे बाल समाप्त करो," यह मामला सदन में भी आया था। क्या यह सच बात है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सचमुच में अगर आप कृष्ण-वंशज अपने को कहते है तो क्या गीता पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि आपने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे।

श्री लालू प्रसाद यादव : मित्रजी, मैं आपका आदर करता हूं। हमारे विरोधियों ने, रणवीर सेना के लोगों ने यह प्रचार किया कि मुख्यमंत्री लालू यादव बेगूसराय में बोले कि "भूरा बाल साफ करो" और फिर यही विस्तार से प्रचार भी किया। मैने मुकदमा किया, मैंने चुनौती दिया कि मैंने कहीं कोई ऐसी टीका नहीं की। .....*(व्यवधान)* गीता तो लिखी हुई किताब है, मैं ह्रदय से कहता हूं कि हमने ऐसा नहीं कहा था लेकिन बी. जे. पी. के गोविंदाचार्य जी ने जो कहा कि ललूआ-राबड़ी जंगल राज को खत्म करो- यह प्रसारित हुआ था। उसमें बिहार की भूमिहार जाति के विषय में जो लिखा, जिस पर कामेश्रवर पासवान, ताराचंद झा, जनार्दन यादव और चौबे जी एम. एल. ए. ने एतराज किया था और कहा था कि गोविंदाचार्य को हटाओ। तो गोविंदाचार्य जी तो रह गये।

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : गोविंदाचार्य जी के बारे में आप क्यों कह रहे हैं, वे तो जवाब देने के लिए यहां नहीं हैं।

श्री लालू प्रसाद : माफ कीजिए, आप पूजा के योग्य हैं, यहां के योग्य.....*(व्यवधान)* तो वहां से निकाल दिया गया। जनार्दन यादव और चौबे जी तो आपके एम. पी. हैं। उनको शो-कॉज किया गया। किताब मैं पढ़कर कल आपको सुनाऊंगा कि मैं क्या बोलता हूं और आप क्या बोलते हैं।

श्री राजबीर सिंह : आपने जिनके बारे में कहा है वे सदन के सदस्य नहीं हैं और वे आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। आपने उनके नाम कोट किए हैं। क्या यह मुनासिब बात है? जितने भी नाम इन्होंने यहां लिए हैं उनको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई ऑब्जेक्शनेबल बात होगी तो हम निकाल देगें।

श्री राम नगीना मिश्र : उपाध्यक्ष जी, यह परम्परा कायम की जाए कि सबकी मर्यादा की रक्षा हो। भगवान सदबुद्धि दे। यह बात सच है कि हमारे लालू जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने से पहले के केसेज हैं जिन पर उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी। चारा घोटाले का जो मामला है वह इस सरकार से पहले का है। वह पहले से चल रहा है। अगर आप अदालत का सम्मान करते हैं तो अदालत ने ही आपको जेल भेजा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको जेल नहीं भेजा है।

(श्री राम नगीना मिश्र)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इधर देखकर एड्रेस किजिए, उधर देखकर नहीं।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं सदन में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं। जैसा कि एक कवि ने कहा है "बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खलके वचल संत सहे जैसे"। आप हमारी परम्परा के प्रतीक हैं। कम से कम आज जो दृश्य बना है वह भविष्य में न बने, यह मैं हाथ जोड़कर सब लोगों से प्रार्थना करता हूं।

गोवा के प्रश्न पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो गोवा में राष्ट्रपति शासन जबर्दस्ती नहीं लगाया गया है। मैं बिहार का नाम नहीं ले रहा हूं। अगर हमारा दल उस पर बोलने के लिए कल हमें मौका देगा तो उस पर भी हम जरुर बोलेगें। गोवा में राष्ट्रपति शासन अनिवार्य था। हमारे कांग्रेस को लोगों नें 40–50 साल तक देश पर शासन किया है और आज भी शासन के इच्छुक हैं। वे बुद्धिजीवी हैं। देश में अब भावना बन रही है कि राज सत्ता में या तो बी. जे. पी. रहेगी या कांग्रेस पार्टी रहेगी, तीसरा दल रहले वाला नहीं है। लोगों ने यह मन बना लिया है। मैं कांग्रेस के लोगों से यह निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा नियम बनाइये कि अगर आप भी शासन में आएं तो आपको भी ऐसा कुछ झेलना न पड़े। एक बार आप कहते हैं कि यह सरकार रहने के काबिल नहीं है लेकिन जब सरकार बर्खास्त हो जाती है तो कहते हैं कि नहीं, हमने गलती से कह दिया, यह सरकार रहने के काबिल है। इसलिए मैं इन लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि भविष्य को देखते हुए ऐसे हथकंडे न अपनाए जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, गोवा में धारा 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान निर्माताओं ने काफी विचार–विमर्श के बाद धारा 356 को संविधान में जोड़ा था। इस देश में कांग्रेसी सरकारों ने इसकी केरल से शुरुआत करके 50 वर्षों के लोकतंत्र के इतिहास में 111 में से 100 बार धारा 356 का दुरुपयोग किया। हम धारा 356 के दुरुपयोग के विरोधी हैं। गोवा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी और कोई सरकार बन नहीं सकती थी। वहां के सम्मानित विधायकों ने स्वयं मांग की कि यहां सरकार चल नहीं सकती, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। वहां धारा 356 का जो प्रयोग हुआ, मैं उसका समर्थन करता हूं। जैसा हमारे साथी राम नगीना जी ने कहा कि दल–बदल के लिए बहस की आवश्यकता है और अगर कोई दल बदले, उसकी जब तक सदस्यता समाप्त नहीं होगी, तब तक इसका निदान नहीं हो सकता, मैं उसमें अपनी बात को भी जोड़ता हूं। मैं उनकी इस भावना से अपने को सम्बद्ध करता हूं। दल बदल के कारण धारा 356 के उपयोग की आवश्यकता पहली है।

इन्हीं शब्दों के साथ सरकार ने धारा 356 का प्रयोग करके गोवा में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष जी, गोवा पर बोलने का जो मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। अभी बहुत से सम्मानित सदस्यों ने धारा 356 के बारे में विस्तार से अपनी बाते कहीं हैं। यह बात सत्य है कि जनता द्वारा चुनी सरकार जिन्हें वह वोट देती है, उनके बारे में वह सोचती है कि वह सरकार पांच साल चलेगी। जनता को विश्वास होता है कि चुनी हुई सरकार हमारे हितों की रक्षा करेगी। धारा 356 किस लिए बनाया गया था, उसमें बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। धारा 356 का वहां उपयोग होना चाहिए, जहां सत्यता हो। यह बात सच है कि वहां के तमाम दलों ने इस पर अपनी मोहर लगायी थी। जहां तक अन्य प्रदेशों की बात है, उसमें अभी बिहार की भी बात आई कि वहां धारा 356 लगा कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। धारा 356 में बहुत से ऐसे कानून हैं जो अन्य प्रदेशों पर लागू होते हैं। इस प्रकार की परम्परा चली तो धारा 356 का दुरुपयोग हमेशा होता रहेगा।

मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए तमाम सम्मानित सदस्यों ने जो बातें कही हैं, उससे अपने को जोड़ते हुए गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी जो अनुमति गृह मंत्री जी ने मांगी है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, गोवा में धारा 356 के अधीन जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, उससे संबंधित प्रस्ताव गृह मंत्री द्वारा हाऊस में लाया गया है। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। किसी भी विधान सभा के अधिकतर सदस्य अगर यह मानते हैं कि यह सरकार नहीं चल सकती तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। गोवा में 40 विधायकों ने कहा कि यह सरकार नहीं चल सकती। इसी आधार पर गोवा में धारा 356 लगाने संबंधी प्रस्ताव लाया गया।

लालू जी ने गुजराल के बारे में जिक्र किया। मैं उसका यहां जवाब देना चाहती हूं। कांग्रेस के शासन में 50 सालों के दरम्यान 90 बार इस धारा का उपयोग या दुरुपयोग किया गया। गुजरात में तो सरासर इस धारा का दुरुपयोग किया गया था क्योंकि उस समय हाउस में भाजपा का बहुमत था लेकिन कांग्रेस ने धारा 356 का दुरुपयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि भाजपा धारा 356 की विरोधी नहीं है लेकिन इसका दुरुपयोग करना गलत मानती है। इसलिए इस आधार पर हमारी एक बहिन ने कहा था कि हमें इस हाउस में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसे बोलने का अधिकार है। सदस्य कुछ भी कह सकता है। श्रीमती राबड़ी देवी महिला हैं या नहीं ? मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि इन्दिरा जी ने इस देश पर शासन किया लेकिन जनता ने उसे हटाया था क्योंकि जब महिला अच्छा शासन नहीं कर सकती तो कोई भी उसका विरोध कर सकता है। बिहार में यही हुआ है। अगर कोई महिला हो या पुरुष हो, यदि ठीक शासन नहीं चला सकता है तो उसे हटाना होगा। इसलिए धारा

356 का उपयोग जरुरी है। जब गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव है तो उसका समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करती हूं ।

अपराह्न 5.36 बजे

कार्य मंत्रणा समिति
नौंवा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का नौंवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। मैं समझता हूँ, माननीय सदस्यों को यह सूचित करना भी संगत होगा जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया है पहली और तीन मार्च को होली के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी ताकि माननीय संसद सदस्य होली मना सकें। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : तीन मार्च को भी।...*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : तीन मार्च को भी छुट्टी रहेगी क्योंकि कई सदस्यों ने इसके लिए प्रार्थना की है। मैं समझता हूँ, मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए। यह स्वीकारार्थ है। अंतिम नहीं है। यह प्रस्ताव मेरी ओर से है चूंकि कई संसद सदस्यों ने इसके लिए प्रार्थना की है। माननीय प्रतिपक्ष नेता को यह याद होगा कि मूल विचार यही था कि तीन मार्च को अविवादास्पद कार्यवाही की जाएगी। ......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : 3 तारीख को नहीं आ सकते, हमारे बिहार में होली नहीं होला होता है ।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : इसलिए हिन्दी में कह रहा हूँ कि हाऊस की पहली और तीन तारीख छुट्टी रहेगी। कृपया 4 तारीख को आप सब आ जाएँ।

[अनुवाद]

डॉ. असीम बाला (नवद्वीप) : उन प्रश्नों का क्या होगा जो उस दिन के लिए रखे गए हैं ? क्या उन्हें किसी और दिन पूछा जाएगा? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : ऐसी प्रथा नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय गृह मंत्री सांविधिक प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देंगें ।

अपराह्न 5.38 बजे

गोवा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत गोवा के संबंध के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। स्वाभाविक रुप से जो भी बहस होती है तो बहस आरम्भ करने वाला आलोचना, मतभेद किस—किस ने व्यक्त की, कहां की, इस ओर ध्यान देता है और मैं आरम्भ से लेकर अंत सभी बातें सुनता रहा हूं। मैंने सुना कि वे मतभेद या आलोचना हमारी सरकार के बारे में या धारा 356 के बारे में या बिहार के संदर्भ में थी। मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया, शायद उस बारे में कोई मतभेद नहीं किया गया। लगभग सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया कि गोवा में जैसी परिस्थिति पैदा हुई और जिस समय वहां स्थिर सरकार बनने की कोई संभावना नहीं रही, स्वयं 40 में से 38 सदस्यों ने आकर कह दिया कि इस विधान सभा का कार्यकाल समाप्त किया जाये और राष्ट्रपति शासन लागू करके नये चुनाव की व्यवस्था की जाये। साधरणतया ऐसा कहीं नहीं होता और इस कारण यह सर्वथा निर्विवाद प्रस्ताव है।

इस पर कोई विवाद वास्तव में नहीं है। इसलिए उस प्रस्ताव के बारे में मुझे और कुछ कहने की ज़रुरत नहीं सिवाय इसके कि मोहन सिंह जी ने इस बात का जिक्र किया कि वहां पर जो अस्थिरता पैदा हुई वह केन्द्रीय सरकार ने पैदा की। वैसे साधारणतः मोहन सिंह जी बहुत नपी—तुली भाषा में बोलते हैं, ढंग से तर्कपूर्वक अपनी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहीं उसका विस्तार भी नहीं किया जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वहां पर अगर तीन बार सरकार डीस्टैबिलाइज़ हुई, अस्थिर हुई तो उसका कारण कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विवाद था। केन्द्रीय सरकार से उसका कोई लेना—देना नहीं। इतना ही नहीं, आज के अवसर पर क्योंकि राज्यपाल का कहीं थोड़ा बहुत उल्लेख आया था और वह उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से कहीं उन पर टिप्पणी न हो तो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जिस प्रकार से उनके कार्यकाल को देखा, उनकी सारी रिपोर्टस् पढ़ीं, मैं मानता हूं कि राज्यपाल की भूमिका इस सारे संदर्भ में जब वहां पर इतनी अस्थिरता हुई बिल्कुल इंपैकेबल थी, निर्दोष थी। उसमें कोई दोष नहीं निकाल सकता। सर्वथा शुद्ध संविधान सम्मत, संविधान के अनुसार थी। इसलिए वहां पर सब लोगों ने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया। अगर कहीं पर अस्थिरता आई तो हमेशा इस बात पर आग्रह किया कि इसका निर्णय सदन के पटल पर होना चाहिए। आपने मुझे हस्ताक्षर करके दे दिये मैं हस्ताक्षर के आधार पर राज भवन में निर्णय नही करुंगा, सभा पटल पर करुंगा। आखिर में भी जब मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिये, तब भी उन्होंने मुख्य मंत्री को कहा कि आप प्रमाणित करिये वहां जाकर कि आपके पास बहुमत है और उन्होने स्वयं आकर त्यागपत्र दिया। इसीलिए कहीं—कहीं पर इस बात का ज़िक्र हुआ कि गोवा की सरकार आपने बर्खास्त कर दी, केन्द्र सरकार ने किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। इस संदर्भ में तो वहां कोई सरकार ही नहीं थी। एक सरकार जो थी, उस सरकार ने स्वयं त्यागपत्र दिया और न केवल त्यागपत्र दिया बल्कि अपनी पार्टी का, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भी

(श्री लाल कृष्ण आडवाणी)

उनको दिया, अपने मंत्रिमंडल का भी प्रस्ताव दिया कि आप हाउस को डिजॉल्व करिये और चुनाव करवाइए। उनका अभिप्राय शायद यह होगा कि गर्वनर ही करे लेकिन गवर्नर को लगा कि मैं करुं उसके बजाय राष्ट्रपति शासन के अधीन चुनाव हो तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसके आधार पर यह निर्णय हुआ है और आप सब लोगों ने उसका समर्थन किया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

एक बात ज़रुर कहूंगा क्योंकि कई वक्ताओं ने इसी संदर्भ में इस बात का ज़िक्र किया दल—बदल कानून के बाद अनेक स्थानों पर.अध्यक्ष की भूमिका विवाद का विषय बन जाती है। अध्यक्ष ने जो निर्णय किया वह सही है या गलत है इस बारे में चर्चा होती है और इस बार यहां गोवा में अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने उनके निर्णय को अवैध ठहराया। उसके आधार पर कुछ निर्णय हुए। मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि एक बार लोक सभा के अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने इस बात पर लंबी—चौड़ी चर्चा की थी सभी दलों से और उन्होंने स्पीकर्स कांफ्रेंस की एक बैठक विशेष रुप से इस दृष्टि से बुलाई थी कि यह जो दल—बदल विरोधी कानून बना है, वह कानून मूलतः सिद्धांत में अच्छा है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन हुआ है, उस क्रियान्वयन के दौरान कई कमियां और दोष भी उजागर हुए हैं, इसलिए उन पर विचार करना चाहिए। एक समय पर तो हमें लगा जैसे दलों के बीच में आम सहमति बन गई कि क्या—क्या परिवर्तन होने चाहिए और उस समय की सरकार ने इस बात को भी माना कि यहां पर जो विचार व्यक्त किये गए हैं उनके प्रकाश में हम दल—बदल विरोधी कानून में एक संशोधन भी लाएंगे, लेकिन वह चीज़ आगे नहीं बढ़ी। आज क्योंकि गोवा की परिस्थिति के संदर्भ में अनेक सदस्यों ने इस बात का ज़िक्र किया है, मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी इस मामले में पहल करें।

क्योंकि ये सारे कानून ऐसे हैं, संविधान का कोई भी कानून हो, मैं कहता हूं संविधान का ही क्यों साधरण कानून भी आज की हमारी संसद की स्थिति में पारित तब हो सकेगा, जब उसमे आम सहमति बनेगी और आम सहमति इस विषय पर बनना इसलिए जरुरी है क्योंकि जैसा एक सदस्य ने कहा कि इसके कारण अध्यक्ष की भूमिका पर ही विवाद हो जाता है।

क्या वह पक्षपातपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ?

इसलिए मैं कभी—कभी सोचता हूं कि सचमुच इस कानून में अध्यक्ष को निर्णायक न बनाकर, जिस प्रकार संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कहीं पर भी किसी सांसद की डिसक्वालिफिकेशन का सवाल खड़ा होता है तो डिसक्वालिफिकेशन का निर्णय राष्ट्रपति इलैक्शन कमीशन की सलाह से करता है, राष्ट्रपति मंत्रि मंडल की सलाह से नहीं करता है, वह इलैक्शन कमीशन की सलाह से निर्णय करता है। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई परिवर्तन दलबदल कानून में लाना भी शायद उपयुक्त होगा, लेकिन यह देखने की बात है। उसी प्रकार से लोग इस पर टिप्पणी करते हैं —

एक व्यक्ति द्वारा दल—बदल एक अपराध है। किन्तु अनेक व्यक्तियों द्वारा दल—बदल, यदि वे पर्याप्त संख्या में हों तो अपराध नहीं है।

[हिन्दी]

यानी जो स्पलिट की व्याख्या है, वह ठीक है या नहीं, इस बारे में कुछ पुनर्विचार की जरूरत है और इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि रिटेल में वह गुनाह है, थोक में नहीं है। लेकिन स्पलिट का अपना रैशनेल है, मैं यह नहीं कहता कि वह बिल्कुल बेकार है। लेकिन रेशनेल होते हुए भी कुल मिलाकर यह बात सही है कि दलबदल जो पिछले दिनों में होता रहा है, उसमें स्पलिट का प्रावधान बहुत बड़ा सहायक बनता है। इसलिए इन बातों पर विचार करने के लिए अगर इनीशिएटिव चेयर या स्पीकर की ओर से लिया जाए और जो पहले सारी बहस हुई है उसको आगे बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि वह अच्छा होगा। जहां तक इस मोशन का स्वाल है, सिवाय आप सभी सदस्यों और पार्टियों का धन्यवाद करने के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना, चूंकि आपने सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गोवा राज्य के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 10 फरवरी 1999 को की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहाँ तक मन्त्रणा सम्भव थी मैंने अधिकतर सदस्यों और दलों के नेताओं से बात की, उनका मानना है कि बिहार संबंधी प्रस्ताव पर हमें बहस कल शुरु करनी चाहिए क्योंकि बहुत लोगों ने काफी समय प्रतीक्षा की और बहुत थक गए हैं।

इसलिए सम्प्रति कार्यसूची में बिहार संबंधी प्रस्ताव अगला विषय है— यह सुझाव दिया जा सकता है कि लगभग छः बज चुके हैं अतः सभा की सहमति से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि कल पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए सभा स्थगित की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सदन की आम राय है कि अब स्थगित की जाए ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 25 फरवरी, 1999 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.49 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 25 फरवरी, 1999/6 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।